



सत्यमेव जयते

# वित्त लेखे

## खण्ड-II

2019-2020

(31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार और  
संघ शासित क्षेत्र लद्दाख प्रशासन



# वित्त लेखे खण्ड -II

## 2019-2020

(31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक)

जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र सरकार और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख प्रशासन



## विषय सूची

	पृष्ठ
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र .....	(vii-ix)
सांविधिक पृष्ठभूमि .....	(xi)
वित्त लेखे की मार्गदर्शिका .....	(xiii-xix)

### अनुभाग-क- संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर

#### खण्ड-I

1	वित्तीय स्थिति का विवरण.....	2-3
2	प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण .....	4-6
	अनुलग्नक क- रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश .....	7-9
3	प्राप्तियों का विवरण- (समेकित निधि) .....	10-13
4	व्यय का विवरण- (समेकित निधि)-	
	(क) कार्यकलाप के अनुसार व्यय .....	14-17
	(ख) प्रकृति के अनुसार व्यय.....	18
5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण .....	19-29
6	उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण .....	30-35
7	सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण .....	36-42
8	सरकार के निवेशों का विवरण.....	43
9	सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विवरण .....	44
10	सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों का विवरण .....	45
11	दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण .....	46-47
12	वर्ष 2019-20 (31 मार्च 2020 की समाप्ति) के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण .....	48-53
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश .....	54-56
	लेखाओं पर टिप्पणियाँ .....	57-89

## विषय सूची- (जारी)

पृष्ठ

### अनुभाग-ख- संघ शासित क्षेत्र लद्दाख

#### खण्ड-I

1	वित्तीय स्थिति का विवरण.....	92-93
2	प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण	94-96
	अनुलग्नक क- रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश	97-98
3	प्राप्तियों का विवरण- (समेकित निधि)	99-102
4	व्यय का विवरण- (समेकित निधि)-	
	(क) कार्यकलाप के अनुसार व्यय	103-106
	(ख) प्रकृति के अनुसार व्यय.....	107
5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण	108-117
6	उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण	118-123
7	सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण	124-130
8	सरकार के निवेशों का विवरण.....	131
9	सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विवरण	132
10	सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों का विवरण	133
11	दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण	134-135
12	वर्ष 2019-20 (31 मार्च 2020 की समाप्ति) के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण	136-141
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश	142-144
	लेखाओं पर टिप्पणियाँ	145-151

विषय सूची- (जारी)  
विषय सूची- (जारी)

पृष्ठ

अनुभाग-क- संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर  
खण्ड-II

## भाग-I

14	लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण ... .. .	154-178
15	लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण .... .. .	179-220
16	लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण .... .. .	221-304
17	उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण .... .. .	305-320
18	सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण .... .. .	321-353
19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण .... .. .	354-377
20	सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण.... .. .	378-384
21	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण .... .. .	385-403
22	चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण .... .. .	404-407

## भाग-II

## परिशिष्ट-

I	वेतन पर तुलनात्मक व्यय .... .. .	410-416
II	सहायिकी पर तुलनात्मक व्यय .... .. .	417
III	संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दी गयी सहायता/ सहायता अनुदान (संस्था-वार और योजना-वार) ..	418-420
IV	बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण ... .. .	421-422
V	योजनाओं पर व्यय	
	क. केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा केन्द्रीय योजनाएं) .... .. .	423
	ख. संघ शासित क्षेत्र योजनाएं.... .. .	424-426

## विषय सूची- (जारी)

## अनुभाग-क- संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर

## खण्ड-II

पृष्ठ

## भाग-II

## परिशिष्ट- (समाप्त)

VI	संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (संघ शासित क्षेत्र बजट के अलावा प्राप्त निधियाँ) (अलेखापरीक्षित आँकड़े) ....	427-428
VII	शेषों की स्वीकृति एवं मिलान (जैसा कि विवरण 18 और 21 में दर्शाया गया है) ....	429-430
VIII	सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम ....	431-432
IX	सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ या अधिक लागत वाले अधूरे पूँजीगत कार्यों की सूची ....	433
X	वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय ....	434-440
XI	वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय या बजट में प्रस्तावित नयी योजनाएं ....	441
XII	सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं ....	442-443
XIII	संघ शासित क्षेत्रों का पुनर्गठन- मर्गें जिनके लिए संघ शासित क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है .....	444-448



**विषय सूची- (जारी)**

**अनुभाग-ख- संघ शासित क्षेत्र लद्दाख**

**पृष्ठ**

**खण्ड-II**

**भाग-I**

14	लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण ... .. .	450-460
15	लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण .... .. .	461-469
16	लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण .... .. .	470-553
17	उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण .... .. .	554-569
18	सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण .... .. .	570-602
19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण .... .. .	603
20	सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण.... .. .	604
21	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण .... .. .	605-623
22	चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण .... .. .	624-627

**अनुभाग-ख- संघ शासित क्षेत्र लद्दाख**

**खण्ड-II**

**भाग-II**

**परिशिष्ट-**

I	वेतन पर तुलनात्मक व्यय .... .. .	630
II	सहायिकी पर तुलनात्मक व्यय .... .. .	631
III	संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दी गयी सहायता/ सहायता अनुदान (संस्था-वार और योजना-वार) .... .. .	632
IV	बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण ... .. .	633-634
V	योजनाओं पर व्यय	
	क. केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा केन्द्रीय योजनाएं) .... .. .	635
	ख. संघ शासित क्षेत्र योजनाएं.... .. .	636

**विषय सूची- (समाप्त)**  
**अनुभाग-ख- संघ शासित क्षेत्र लद्दाख (समाप्त)**  
**खण्ड-II**

<b>भाग-II</b>	<b>पृष्ठ</b>
<b>परिशिष्ट- (समाप्त)</b>	
VI	संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (संघ शासित क्षेत्र बजट के अलावा प्राप्त निधियाँ) (अलेखापरीक्षित आँकड़े) .....
	637
VII	शेषों की स्वीकृति एवं मिलान (जैसा कि विवरण 18 और 21 में दर्शाया गया है) ....
	638-639
VIII	सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम ....
	640-641
IX	सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ या अधिक लागत वाले अधूरे पूँजीगत कार्यों की सूची ...
	642
X	वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय ....
	643
XI	वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय या बजट में प्रस्तावित नयी योजनाएं ....
	644
XII	सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं ....
	645-646
XIII	संघ शासित क्षेत्रों का पुनर्गठन- मर्दें जिनके लिए संघ शासित क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है .....
	647-651

**अनुभाग-क**  
**संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर**

---

**खण्ड-II**  
**भाग-I**

---

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण

शीर्ष	वास्तविक	
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020	
(1)	(2)	
	(₹ लाख में)	
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)</b>		
<b>क- कर राजस्व #-</b>		
<b>(क) वस्तु एवं सेवा कर-</b>		
<b>0006- राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)-</b>		
101- कर		7,67,75.43
102- ब्याज		5,20.88
103- दण्ड		97.32
104- शुल्क		10,73.47
106- आईजीएसटी के प्रभाजन-एसजीएसटी को कर घटक का हस्तांतरण		13,20,07.08
500- अन्य लघु शीर्षों में प्रतीक्षित प्राप्तियाँ हस्तांतरण		10,98.91
800- अन्य प्राप्तियाँ		1.74
	<b>कुल-0006</b>	<b>21,15,74.83</b>
	<b>कुल (क) वस्तु एवं सेवा कर</b>	<b>21,15,74.83</b>
<b>(ग) संपत्ति, पूँजीगत एवं अन्य संव्यवहारों पर कर-</b>		
<b>0029- भू-राजस्व-</b>		
101- भू-राजस्व/ कर		2,27.72
103- भूमि पर दरें तथा उपकार		26,57.98
800- अन्य प्राप्तियाँ		19,45.99
	<b>कुल- 0029</b>	<b>48,31.69</b>
<b>0030- स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क-</b>		
<b>01- स्टाम्प- न्यायिक-</b>		
101- स्टाम्प से वसूल की गयी न्यायालय शुल्क		62.35
102- स्टाम्प की बिक्री		3,60.42
800- अन्य प्राप्तियाँ		5.00
	<b>कुल-01</b>	<b>4,27.77</b>

# धन वापसी पर विचार करने के बाद आँकड़े निवल हैं।

टिप्पणी 31 अक्टूबर 2019 (नियुक्त दिवस) से संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के गठन के कारण, पिछले वर्ष के शेष पूरे विवरण संख्या 14 में लागू नहीं हैं।

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	
	31 अक्टूबर 2019 से	31 मार्च 2020
(1)	(2)	
	(₹ लाख में)	
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>		
क- कर राजस्व-(जारी)		
(ग) संपत्ति, पूँजीगत और अन्य संव्यवहारों पर कर-(समाप्त)		
<b>0030- स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क-(समाप्त)</b>		
02- स्टाम्प-गैर-न्यायिक-		
102- स्टाम्प की बिक्री		99,10.64
103- दस्तावेजों की छपाई पर शुल्क		1,50.01
800- अन्य प्राप्तियाँ		17.62
	<b>कुल-02</b>	<b>1,00,78.27</b>
03- पंजीकरण शुल्क-		
104- दस्तावेजों को पंजीकृत करने के लिए शुल्क		5,66.78
800- अन्य प्राप्तियाँ		6,81.04
	<b>कुल-03</b>	<b>12,47.82</b>
	<b>कुल-0030</b>	<b>1,17,53.86</b>
	<b>कुल-(ग)-संपत्ति पूँजी और अन्य संव्यवहारों पर कर</b>	<b>1,65,85.55</b>
(घ) वस्तु एवं सेवा कर के अलावा अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर-		
<b>0039- राज्य उत्पाद शुल्क-</b>		
104- शराब		14,36.35
105- विदेशी शराब तथा स्पिरिट्स		5,72,47.44
800- अन्य प्राप्तियाँ		83.29
	<b>कुल-0039</b>	<b>5,87,67.08</b>

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020	
(1)	(2)	
	(₹ लाख में)	
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>		
क- कर राजस्व-(समाप्त)		
(घ) वस्तु एवं सेवा कर के अलावा अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर-(समाप्त)		
<b>0040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर-</b>		
102- राज्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियाँ		7,82,31.87
103- मोटर स्प्रिटस एवं लुब्रीकेंट्स की बिक्री पर कर		11.08
	<b>कुल-0040</b>	<b>7,82,42.95</b>
<b>0041- वाहनों पर कर-</b>		
102- राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियमों के तहत प्राप्तियाँ		2,46,08.13
	<b>कुल -0041</b>	<b>2,46,08.13</b>
<b>0042- माल एवं यात्रियों पर कर-</b>		
102- सड़कों पर पथकर		1,57,52.17
106- स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर		44.93
800- अन्य प्राप्तियाँ		50.12
	<b>कुल -0042</b>	<b>1,58,47.22</b>
<b>0043- विद्युत पर कर एवं शुल्क-</b>		
101- विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर कर		23.19
	<b>कुल-0043</b>	<b>23.19</b>
<b>0045- वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क-</b>		
101- मनोरंजन कर		-
901- राज्य को सौंपी गई निवल प्राप्तियों की हिस्सेदारी		-
	<b>कुल -0045</b>	<b>-</b>
	<b>कुल-(घ)-वस्तु एवं सेवा कर के अलावा अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर</b>	<b>17,74,88.57</b>
	<b>कुल-क-कर राजस्व</b>	<b>40,56,48.95</b>

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	
	31 अक्टूबर 2019 से	31 मार्च 2020
(1)	(2)	
	(₹ लाख में)	
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>		
<b>ख- गैर-कर- राजस्व-</b>		
<b>(ख) ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ</b>		
<b>0049- ब्याज प्राप्तियाँ-</b>		
<i>04- राज्य विधानमण्डल वाले राज्य/ संघ शासित क्षेत्र सरकार की ब्याज प्राप्तियाँ-</i>		
107- खेतीहरों से ब्याज		38.33
800- अन्य प्राप्तियाँ		8,85.24
	<i>कुल-04</i>	9,23.57
	<b>कुल -0049</b>	<b>9,23.57</b>
	<b>कुल(ख)-ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ</b>	<b>9,23.57</b>
<b>(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-</b>		
<b>(i) सामान्य सेवाएं-</b>		
<b>0055- पुलिस-</b>		
102- अन्य दलों को पुलिस आपूर्ति		5,55.00
103- शुल्क, जुर्माना एवं जब्ती		0.03
104- शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियाँ		42.35
105- राज्य-मुख्यालय (पुलिस) की प्राप्तियाँ		13,84.88
800- अन्य प्राप्तियाँ		16,03.16
	<b>कुल -0055</b>	<b>35,85.42</b>
<b>0056- कारावास-</b>		
102- कारावास में विनिर्माण की बिक्री		17.30
	<b>कुल-0056</b>	<b>17.30</b>

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020	
(1)	(2)	
	(₹ लाख में)	
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)		
ख- गैर-कर-राजस्व-(जारी)		
(ग) अन्य गैर- कर राजस्व-(जारी)		
(i) सामान्य सेवाएं-(जारी)		
0058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण-		
101- लेखन सामग्री प्राप्तियाँ		2,60.40
102- राजपत्रों आदि की बिक्रियाँ		1,21.77
200- अन्य मुद्रणालय प्राप्तियाँ		1.89.61
	<b>कुल-0058</b>	<b>5,71.78</b>
0059- लोक निर्माण-		
01- कार्यालय भवन-		
011- किराया		3,19.50
800- अन्य प्राप्तियाँ		3,99.83
	<b>कुल-01</b>	<b>7,19.33</b>
60- अन्य भवन-		
800- अन्य प्राप्तियाँ		59.99
	<b>कुल-60</b>	<b>59.99</b>
80- सामान्य-		
011- किराया		0.08
102- मशीनरी एवं उपकरण का किराया प्रभार		0.59
800- अन्य प्राप्तियाँ		15.82
	<b>कुल-80</b>	<b>16.49</b>
	<b>कुल-0059</b>	<b>7,95.81</b>



## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020	
(1)	(2)	
	(₹ लाख में)	
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)		
ख- गैर-कर- राजस्व-(जारी)		
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)		
(i) सामान्य सेवाएं-(जारी)		
0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-		
01- न्याय प्रशासन-		
102- जुर्माना एवं जब्ती		4,47.44
501- सेवाएं एवं सेवा शुल्क		0.49
800- अन्य प्राप्तियाँ		4,94.17
	कुल-01	9,42.10
02- चुनाव-		
101- निर्वाचन प्रपत्रों और दस्तावेजों की विक्रय प्राप्तियाँ		0.03
104- शुल्क, जुर्माना एवं जब्ती		9.05
105- मतदाता पहचान पत्रों को जारी करने के प्रति अंशदान		0.74
800- अन्य प्राप्तियाँ		1,68.66
	कुल-02	1,78.48
60- अन्य सेवाएं-		
102- केन्द्रीय अधिनियमों और विनियमों के प्रशासन हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्तियाँ		0.28
105- होम गार्ड		0.03
109- अग्नि सुरक्षा एवं नियंत्रण		0.15

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020
(1)	(2)
	(₹ लाख में)
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>	
ख- गैर-कर-राजस्व-(जारी)	
(ग) अन्य गैर- कर राजस्व-(जारी)	
(i) सामान्य सेवाएं-(समाप्त)	
<b>0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-(समाप्त)</b>	
111- मादक द्रव्य नियंत्रण	0.26
114- मोटर गैराजों आदि से प्राप्तियाँ	26.89
115- अतिथि गृहों, सरकारी छात्रावासों आदि से प्राप्तियाँ	1,30.59
800- अन्य प्राप्तियाँ	99.67
	<i>कुल-60</i>
	2,57.87
	<b>कुल-0070</b>
	<b>13,78.45</b>
<b>0071- पेन्शन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के प्रति अंशदान एवं वसूलियाँ-</b>	
<i>01- नागरिक-</i>	
101- अभिदान एवं अंशदान	2,38.11
	<i>कुल-01</i>
	2,38.11
	<b>कुल-0071</b>
	<b>2,38.11</b>
<b>0075- विविध सामान्य सेवाएं-</b>	
101- अदावी जमा	0.12
800- अन्य प्राप्तियाँ	60,35.21
	<b>कुल-0075</b>
	<b>60,35.33</b>
	<b>कुल-(i)-सामान्य सेवाएं</b>
	<b>1,26,22.20</b>

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020	
(1)	(2)	
	(₹ लाख में)	
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)		
ख- गैर-कर-राजस्व-(जारी)		
(ग) अन्य गैर- कर राजस्व-(जारी)		
(ii) समाज सेवाएं-		
0202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-		
01- सामान्य शिक्षा -		
101- प्राथमिक शिक्षा-		
प्रवेश शुल्क एवं अन्य शुल्क		1,56.40
102- माध्यमिक शिक्षा-		
प्रवेश शुल्क एवं अन्य शुल्क		36.65
103- विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा-		
प्रवेश शुल्क एवं अन्य शुल्क		18.23
600- सामान्य		1.93
800- अन्य प्राप्तियाँ		-
	कुल-01	2,13.21
02- तकनीकी शिक्षा-		
101- ट्यूशन एवं अन्य शुल्क		0.81
800- अन्य प्राप्तियाँ		9.80
	कुल-02	10.61
03- खेल एवं युवा सेवाएं-		
101- शारीरिक शिक्षा-खेल एवं युवा कल्याण		0.05
800- अन्य प्राप्तियाँ		0.98
	कुल-03	1.03

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020	
(1)	(2)	
	(₹ लाख में)	
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)		
ख- गैर-कर- राजस्व-(जारी)		
(ग) अन्य गैर- कर राजस्व-(जारी)		
(ii) समाज सेवाएं-(जारी)		
0202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-(समाप्त)		
04- कला एवं संस्कृति-		
101- अभिलेखागार और संग्रहालय		0.15
800- अन्य प्राप्तियाँ		1.82
	कुल-04	1.97
	कुल-0202	2,26.82
0210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य-		
01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-		
020- अस्पताल और औषधालय सेवाओं हेतु मरीजों से प्राप्तियाँ		8,74.42
104- चिकित्सा भण्डार आगार		1,68.66
	Totक-01	10,43.08
02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-		
800- अन्य प्राप्तियाँ		25.41
	कुल -02	25.41
04- जन स्वास्थ्य-		
104- शुल्क एवं जुर्माना आदि		43.36
	कुल-04	43.36

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020	
(1)	(2)	
	(₹ लाख में)	
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)		
ख- गैर-कर- राजस्व-(जारी)		
(ग) अन्य गैर- कर राजस्व-(जारी)		
(ii) समाज सेवाएं-(जारी)		
0210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य-(समाप्त)		
80- सामान्य-		
800- अन्य प्राप्तियाँ		19.93
	कुल-80	19.93
	<b>कुल-0210</b>	<b>11,31.78</b>
0211- परिवार कल्याण-		
800- अन्य प्राप्तियाँ		1.23
	<b>कुल-0211</b>	<b>1.23</b>
0215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता-		
01- जलापूर्ति-		
102- ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं से प्राप्तियाँ		43,80.71
103- शहरी जलापूर्ति योजनाओं से प्राप्तियाँ		4,23.46
104- शुल्क, जुर्माना आदि		7.18
800- अन्य प्राप्तियाँ		11,33.38
	कुल-01	59,44.73

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	
	31 अक्टूबर 2019 से	31 मार्च 2020
(1)	(2)	
	(₹ लाख में)	
<b>प्राप्ति शीर्ष- (राजस्व लेखा)- (जारी)</b>		
ख- गैर-कर- राजस्व- (जारी)		
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व- (जारी)		
(ii) समाज सेवाएं- (जारी)		
<b>0215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता- (समाप्त)</b>		
02- मल व्यवस्था एवं स्वच्छता-		
103- मल व्यवस्था योजनाओं से प्राप्तियाँ		8.86
	<b>कुल -02</b>	<b>8.86</b>
	<b>कुल-0215</b>	<b>59,53.59</b>
<b>0216- आवास-</b>		
01- सरकारी आवासीय भवन-		
700- अन्य आवास		45.15
	<b>कुल-01</b>	<b>45.15</b>
03- ग्रामीण आवास-		
800- अन्य प्राप्तियाँ		56.68
	<b>कुल-03</b>	<b>56.68</b>
80- सामान्य-		
800- अन्य प्राप्तियाँ		82.20
	<b>कुल-80</b>	<b>82.20</b>
	<b>कुल-0216</b>	<b>1,84.03</b>

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020	
(1)	(2)	
	(₹ लाख में)	
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)		
ख- गैर-कर-राजस्व-(जारी)		
अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)		
(ii) समाज सेवाएं-(जारी)		
0217- शहरी विकास-		
60- अन्य शहरी विकास योजनाएं-		
800- अन्य प्राप्तियाँ		2,17.85
	कुल-60	2,17.85
	<b>कुल-0217</b>	<b>2,17.85</b>
0220- सूचना एवं प्रचार-		
60- अन्य-		
800- अन्य प्राप्तियाँ		1.01
	कुल -60	1.01
	<b>कुल-0220</b>	<b>1.01</b>
0230- श्रम एवं रोजगार-		
101- श्रम कानून के तहत प्राप्तियाँ		42.90
102- ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण हेतु शुल्क		0.38
103- स्टीम बॉयलर के निरीक्षण हेतु शुल्क		0.03
104- फैक्टरी अधिनियम के तहत शुल्क वसूली		0.22
800- अन्य प्राप्तियाँ		17.00
	<b>कुल-0230</b>	<b>60.53</b>

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020	
(1)	(2)	
	(₹ लाख में)	
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)		
ख- गैर-कर राजस्व-(जारी)		
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)		
(ii) समाज सेवाएं-(समाप्त)		
0235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-		
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम-		
800- अन्य प्राप्तियाँ		1,44.35
	कुल-60	1,44.35
	<b>कुल-0235</b>	<b>1,44.35</b>
0250- अन्य समाज सेवाएं-		
102- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण		0.12
	कुल0250	0.12
	<b>कुल-(ii)-समाज सेवाएं</b>	<b>79,21.31</b>
(iii) आर्थिक सेवाएं-		
0401- फसल पैदावार-		
103- बीज		68.59
104- कृषि फार्मों से प्राप्तियाँ		28.50
119- उद्यान कृषि एवं शाक फसल से प्राप्तियाँ		6,51.04
800- अन्य प्राप्तियाँ		1.66
	<b>कुल-0401</b>	<b>7,49.79</b>



## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020
(1)	(2)
	(₹ लाख में)
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>	
<b>ख. गैर-कर राजस्व (जारी)</b>	
<b>(ग) अन्य गैर- कर राजस्व-(जारी)</b>	
<b>(iii) आर्थिक सेवाएं-(जारी)</b>	
<b>0403- पशुपालन-</b>	
102- मवेशी एवं भैंस विकास से प्राप्तियाँ	1,00.72
103- मुर्गी पालन विकास से प्राप्तियाँ	43.27
104- भेड़ एवं ऊन विकास से प्राप्तियाँ	90.40
105- सुअर पालन विकास से प्राप्तियाँ	0.14
106- चारा और खाद्य विकास से प्राप्तियाँ	1.31
108- अन्य पशुधन विकास से प्राप्तियाँ	1.91
501- सेवाएं और सेवा शुल्क	5.60
800- अन्य प्राप्तियाँ	99.37
<b>कुल-0403</b>	<b>3,42.72</b>
<b>0405- मत्स्यपालन-</b>	
102- लाइसेन्स शुल्क, जुर्माना आदि	57.47
103- मछली, मछली के बीज आदि की बिक्री	1,96.02
800- अन्य प्राप्तियाँ	90.07
<b>कुल-0405</b>	<b>3,43.56</b>

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020	
(1)	(2)	
	(₹ लाख में)	
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>		
<b>ख- गैर-कर राजस्व-(जारी)</b>		
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)		
(iii) आर्थिक सेवाएं-(जारी)		
<b>0406- वानिकी एवं वन्य जीवन-</b>		
<i>01- वानिकी-</i>		
101- इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उत्पादन की बिक्री		6,34.93
102- सामाजिक एवं कृषि वानिकी से प्राप्तियाँ		0.40
103- पर्यावरण वानिकी से प्राप्तियाँ		68.37
800- अन्य प्राप्तियाँ		78.01
	<i>कुल-01</i>	<u>7,81.71</u>
<i>02- पर्यावरणीय वानिकी एवं वन्य जीवन</i>		
112- सार्वजनिक उद्यान		49.54
800- अन्य प्राप्तियाँ		62.55
	<i>कुल-02</i>	<u>1,12.09</u>
	<b>कुल-0406</b>	<b><u>8,93.80</u></b>
<b>0408- खाद्य संग्रहण एवं भण्डारण-</b>		
800- अन्य प्राप्तियाँ		47.16
	<b>कुल-0408</b>	<b><u>47.16</u></b>

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020	
(1)	(2)	
	(₹ लाख में)	
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>		
ख- गैर-कर राजस्व-(जारी)		
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)		
(iii) आर्थिक सेवाएं-(जारी)		
<b>0425- सहकारिता-</b>		
101- लेखापरीक्षा शुल्क		3.90
800- अन्य प्राप्तियाँ		0.06
	<b>कुल-0425</b>	<b>3.96</b>
<b>0435- अन्य कृषिगत कार्यक्रम-</b>		
800- अन्य प्राप्तियाँ		22.37
	<b>कुल-0435</b>	<b>22.37</b>
<b>0515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-</b>		
800- अन्य प्राप्तियाँ		8.06
	<b>कुल-0515</b>	<b>8.06</b>
<b>0701- मध्यम सिंचाई-</b>		
01- मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक-		
601- रणवीर नहर		1.00
602- प्रताप नहर		3.12
619- मार्तण्ड नहर		0.19
631- अजी नहर		0.73
632- जैनगीर नहर		0.20
	<b>कुल-01</b>	<b>5.24</b>

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020	
(1)	(2)	
	(₹ लाख में)	
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)		
ख- गैर-कर राजस्व-(जारी)		
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)		
(iii) आर्थिक सेवाएं-(जारी)		
0701- मध्यम सिंचाई-(समाप्त)		
80- सामान्य-		
800- अन्य प्राप्तियाँ		6,06,67.44
	कुल-80	6,06,67.44
	<b>कुल -0701</b>	<b>6,06,72.68</b>
0702- लघु सिंचाई-		
80- सामान्य-		
800- अन्य प्राप्तियाँ		1,94.88
	कुल-80	1,94.88
	<b>कुल-0702</b>	<b>1,94.88</b>
0801- विद्युत-		
80- सामान्य-		
800- अन्य प्राप्तियाँ		11,96,65.66 (क)
	कुल-80	11,96,65.66
	<b>कुल-0801</b>	<b>11,96,65.66</b>

(क) विद्युत की बिक्री के कारण उपभोक्ताओं से ₹ 11,30,92.83 लाख की वसूली तथा ₹ 65,72.83 लाख की विविध राजस्व प्राप्तियों को दर्शाता है।

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020	
(1)	(2)	
	(₹ लाख में)	
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>		
<b>ख- गैर-कर राजस्व-(जारी)</b>		
<b>(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)</b>		
<b>(iii) आर्थिक सेवाएं-(जारी)</b>		
<b>0851- ग्राम एवं लघु उद्योग-</b>		
101- औद्योगिक संपदा		8.09
102- लघु पैमाना उद्योग		0.70
103- हथकरघा उद्योग		2.93
104- हस्तशिल्प उद्योग		99.04
107- रेशम उत्पादन उद्योग		1,02.64
800- अन्य प्राप्तियाँ		1.15
	<b>कुल-0851</b>	<b>2,14.55</b>
<b>0853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-</b>		
102- खनिज रियायत शुल्क, किराया एवं रॉयल्टी		3,87.20
104- खदान विभाग		3,58.52
800- अन्य प्राप्तियाँ		7,15.62
	<b>कुल-0853</b>	<b>14,61.34</b>
<b>1054- सड़कें एवं पुल</b>		
800- अन्य प्राप्तियाँ		-
	<b>कुल-1054</b>	<b>-</b>
<b>1452- पर्यटन-</b>		
105- किराया एवं खानपान की प्राप्तियाँ		3.37
800- अन्य प्राप्तियाँ		49.90
	<b>कुल-1452</b>	<b>53.27</b>

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020	
(1)	(2)	
	(₹ लाख में)	
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>		
ख- गैर-कर राजस्व-(समाप्त)		
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(समाप्त)		
(iii) आर्थिक सेवाएं-(समाप्त)		
<b>1475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं-</b>		
106- तौल और माप पर मोहर लगाने का शुल्क		48.50
800- अन्य प्राप्तियाँ		87.50
	<b>कुल-1475</b>	<b>1,36.00</b>
	<b>कुल-(iii)-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>18,48,09.80</b>
	<b>कुल-(ग)-अन्य गैर-कर राजस्व</b>	<b>20,53,53.31</b>
	<b>कुल-ख-गैर-कर राजस्व</b>	<b>20,62,76.88</b>
<b>ग- सहायता अनुदान और अंशदान-</b>		
<b>1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान -</b>		
06- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं -		
101- केन्द्रीय सहायता/ हिस्सेदारी-		
कृषि मंत्रालय-		
राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन		64,99.00 *
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)		29,40.00
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)		7,93.60
बीज और पौध सामग्री पर उप-मिशन		86.89
	<b>कुल कृषि मंत्रालय</b>	<b>1,03,19.49</b>

\* 30.10.2019 को संबंधित मंत्रालय द्वारा ₹ 60,00.00 लाख जारी हुए किंतु 31.10.2019 को सरकारी लेखा में जमा किए गए सम्मिलित हैं।

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020	
(1)	(2)	
	(₹ लाख में)	
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>		
ग- सहायता अनुदान और अंशदान-(जारी)		
1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-(जारी)		
06- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-(जारी)		
101- केन्द्रीय सहायता/ हिस्सेदारी-(जारी)		
मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी उद्योग मंत्रालय-		
मत्स्यपालन का एकीकृत विकास और प्रबंधन		7,88.63
	कुल मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी उद्योग मंत्रालय	7,88.63
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय-		
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन		46,81.00
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन		2,55,08.37
राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन		3,92.00
	कुल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	3,05,81.37
गृह मंत्रालय-		
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)		45,12.86
पुलिस बलों का आधुनिकीकरण		10,28,49.00
	कुल गृह मंत्रालय	10,73,61.86
विधि एवं न्याय मंत्रालय-		
न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाएं		5,00.00
राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन (निर्भया निधि)		56.25
	कुल श्रम और रोजगार मंत्रालय	5,56.25

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020	
(1)	(2)	
	(₹ लाख में)	
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>		
<b>ग- सहायता अनुदान और अंशदान-(जारी)</b>		
<b>1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान -(जारी)</b>		
06- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-(जारी)		
101- केन्द्रीय सहायता/ शेयर-		
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय-		
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन		2,01,21.54
स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम -ग्रामीण)		42,95.04 #
	<b>कुल पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय</b>	<b>2,44,16.58</b>
पंचायती राज मंत्रालय -		
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)		6,19.00
	<b>कुल पंचायती राज मंत्रालय</b>	<b>6,19.00</b>
<b>ग्रामीण विकास मंत्रालय-</b>		
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेन्शन योजना		32.39
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना		21,92.25
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना		1,12.92
श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन		8,10.00
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम		3,91,67.83
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना		44.01
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)		17,88.64
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)		3,53,00.00
	<b>कुल ग्रामीण विकास मंत्रालय</b>	<b>7,94,48.04</b>

# संबधित मंत्रालय द्वारा निर्माचित और इस कार्यालय को प्रस्तुत आरबीआई के मासिक लेखाओं में प्रकट होने वाली राशि को दर्शाता है। तथापि, उक्त वेबसाइट से डाउनलोड किये गये पीएफएमएस पोर्टल में प्रदर्शित नहीं हो रहा (14.12.2020) है।



## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020
(1)	(2)
	(₹ लाख में)
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>	
<b>ग- सहायता अनुदान और अंशदान-(जारी)</b>	
<b>1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-(जारी)</b>	
06- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-(जारी)	
101- केन्द्रीय सहायता/ हिस्सेदारी-(समाप्त)	
मानव संसाधन विकास मंत्रालय-	
विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	1,22.35
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए)	57,19.03
समग्र शिक्षा	7,48,41.14
	<b>कुल मानव संसाधन विकास मंत्रालय</b>
	<b>8,06,82.52</b>
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय-	
वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना	75.00
पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति-ओबीसी	1,50.32
दिव्यांगजन हेतु योजना	1,86.58
	<b>कुल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय</b>
	<b>4,11.90</b>
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय-	
राज्य/ यूटी घटक की अन्य मर्दे-पीएमएवाई शहरी	10.83
स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-शहरी)	4,82.34 *
	<b>कुल आवास और शहरी कार्य मंत्रालय</b>
	<b>4,93.17</b>
जल संसाधन मंत्रालय-	
बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एफएमबीएडीपी)	41,79.78
सिंचाई गणना	16.02
	<b>कुल जल संसाधन मंत्रालय</b>
	<b>41,95.80</b>

\* 30.10.2019 को संबंधित मंत्रालय द्वारा ₹ 67.84 लाख जारी हुए किंतु 31.10.2019 को सरकारी लेखा में जमा किए गए को सम्मिलित करता है।

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020	
(1)	(2)	
(₹ लाख में)		
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>		
<b>ग- सहायता अनुदान और अंशदान</b>		
<b>1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-(जारी)</b>		
06- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-(जारी)		
101- केन्द्रीय सहायता/ हिस्सेदारी-(समाप्त)		
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय-		
आंगनवाड़ी सेवाएं (पूर्ववर्ती कोर आईसीडीएस )		7,86.84
राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन (एनएमईडब्ल्यू)		20.73
	<b>कुल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय</b>	<b>8,07.57</b>
	<b>कुल-101</b>	<b>34,06,82.18</b>
08- विधानमण्डल सहित राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों के साथ अन्य हस्तांतरण/ अनुदान-		
104- संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान		-
108- केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान		49,48.00
113- विशेष सहायता-		
गृह मंत्रालय-		
अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं		
पश्च अंतरण राजस्व घाटा अनुदान		58,92,50.00
स्थानीय ग्रामीण निकायों हेतु अनुदान		7,25,00.00
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के लिए सहायता अनुदान		1,39,50.00
कर-सहभाजन		49,71,77.00
	<b>कुल- अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं</b>	<b>1,17,28,77.00</b>

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020	
(1)	(2)	
	(₹ लाख में)	
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>		
ग- सहायता अनुदान और अंशदान-(समाप्त)		
1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-(समाप्त)		
08- विधानमण्डल सहित राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के साथ अन्य हस्तांतरण/ अनुदान-(समाप्त)		
113- विशेष सहायता-(समाप्त)		
गृह मंत्रालय-(समाप्त)		
महिलाओं की सुरक्षा हेतु योजना		
		5,73.38
	कुल गृह मंत्रालय	1,17,34,50.38
	कुल-113	1,17,34,50.38 *
114- जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के लिए प्रतिपूर्ति		
		12,47,27.53
	कुव-08	1,30,31,25.91
	कुल-1601	1,64,38,08.09
	कुल ग- सहायता अनुदान और अंशदान	1,64,38,08.09 \$
	कुल योग- प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	2,25,57,33.92
<b>प्राप्ति शीर्ष-(पूँजीगत लेखा)-</b>		
4000- विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ-		
01- नागरिक-		
105- सहकारी सोसाइटियों/ बैंकों की पूँजी/ विनिवेश की निवृत्ति		
		-
	कुल-4000	-
	कुल प्राप्तियाँ- (पूँजीगत लेखा)	-
	सकल योग	2,25,57,33.92

\* संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख दोनों के अनुदानों को सम्मिलित करता है।

\$ संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी जीआईए सम्मिलित है, जिसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि के माध्यम से भेजा गया, किंतु 31.03.2020 तक भी लद्दाख को हस्तांतरित नहीं किया गया।



15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण  
तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान		कुल
	वास्तविक आँकड़े		
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
(₹ लाख में)			
<b>व्यय शीर्ष-</b>			
<b>(राजस्व लेखा)-</b>			
क- सामान्य सेवाएं-			
(क) राज्य के अंग-			
<b>2011- संसद/ राज्य/ संघ शासित क्षेत्र विधानमण्डल-</b>			
02- राज्य/ संघ शासित क्षेत्र-विधानमण्डल-			
101- विधान सभा	0.25	-	3.67
	3.42		
102- विधान परिषद्	-	-	-
103- विधान सचिवालय	8,87.56	-	8,87.56
	8,87.81	-	8,91.23
	3.42		
	<b>कुल-2011</b>	<b>-</b>	<b>8,91.23</b>
	3.42		
<b>2012- राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/ राज्यपाल/ संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक-</b>			
03- राज्यपाल/ संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक-			
090- सचिवालय	4,31.95	-	4,31.95
	4,31.95	-	4,31.95
	<b>कुल-2012</b>	<b>-</b>	<b>4,31.95</b>

टिप्पणी 31 अक्टूबर 2019 (नियुक्त दिवस) से संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के गठन के कारण, पिछले वर्ष के शेष पूरे विवरण संख्या 14 में लागू नहीं हैं।

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान		कुल
	वास्तविक आँकड़े		
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
(₹ लाख में)			
<b>व्यय शीर्ष-</b>			
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>			
<b>क सामान्य सेवाएं-(जारी)</b>			
<b>(क) राज्य के अंग-(समाप्त)</b>			
<b>2014- न्याय - प्रशासन-</b>			
102- उच्च न्यायालय	4,26.05	-	22,14.58
	<b>17,88.53</b>		
103- विशेष न्यायालय	8,36.80	-	8,36.80
105- दीवानी एवं सत्र न्यायालय	70,32.27	-	70,32.27
114- कानूनी सलाहाकार एवं परामर्शदाता	8,94.23	-	8,94.19
116- राज्य प्रशासनिक अधिकरण	33.89	-	33.89
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)5.94	-	(-)5.94
	<b>कुल-2014</b>	<b>-</b>	<b>1,10,05.83</b>
	<b>17,88.53</b>		
<b>2015- चुनाव-</b>			
102- निर्वाचन अधिकारी	2,42,64.43	-	2,42,64.43
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)1,08.33	-	(-)1,08.33
	<b>कुल-2015</b>	<b>-</b>	<b>2,41,56.10</b>
	<b>2,41,56.10</b>		
	<b>कुल-(क)- राज्य के अंग</b>	<b>-</b>	<b>3,64,85.11</b>
	<b>22,23.90</b>		

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान		कुल
	वास्तविक आँकड़े		
	संघ शासित क्षेत्र व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
<b>(₹ लाख में)</b>			
<b>व्यय-शीर्ष</b>			
<b>(राजस्व)-(जारी)</b>			
क सामान्य सेवाएं-(जारी)			
ख राजकोषीय सेवाएं-			
(ii) संपत्ति एवं पूँजी संव्यवहारों पर करों का संग्रहण-			
2029- भू-राजस्व-			
800- अन्य व्यय	2,62.50	-	2,62.50
	<b>कुल-2029</b>	<b>2,62.50</b>	<b>2,62.50</b>
2030- स्टाम्प एवं पंजीकरण-			
01- स्टाम्प-न्यायिक-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	5,94.35	-	5,94.35
101- स्टाम्प की लागत	2.68	-	2.68
	<b>कुल-01</b>	<b>5,97.03</b>	<b>5,97.03</b>
02- स्टाम्प-गैर-न्यायिक-			
101- स्टाम्प की लागत	2,86.72	-	2,86.72
	<b>Total-02</b>	<b>2,86.72</b>	<b>2,86.72</b>
03- पंजीकरण-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	52.19	-	52.19
	<b>कुल-03</b>	<b>52.19</b>	<b>52.19</b>
	<b>कुल-2030</b>	<b>9,35.94</b>	<b>9,35.94</b>
कुल-ii- संपत्ति एवं पूँजी संव्यवहारों पर करों का संग्रहण	<b>11,98.44</b>	<b>-</b>	<b>11,98.44</b>
(iii) वस्तुओं एवं सेवाओं पर करों का संग्रहण-			
2039- राज्य उत्पाद शुल्क-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	18,14.04	-	18,14.04
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.43	-	(-)0.43
	<b>कुल-2039</b>	<b>-</b>	<b>18,13.61</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्ष</b>			
(राजस्व)-(जारी)			
क सामान्य सेवाएं- (जारी)			
(ख) राजकोषीय सेवाएं-(जारी)			
(iii) वस्तुओं एवं सेवाओं पर करों का संग्रहण-(समाप्त)			
2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	1,76.32	-	1,76.32
800- अन्य व्यय	42.24	-	42.24
<b>कुल-2040</b>	<b>2,18.56</b>	<b>-</b>	<b>2,18.56</b>
2041- वाहनों पर कर-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	14,31.33	-	14,31.33
101- संग्रहण प्रभार	7,28.53	-	7,28.53
800- अन्य व्यय	33.71	-	33.71
911- अधिक भूगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)0.08	-	(-)0.08
<b>कुल-2041</b>	<b>21,93.49</b>	<b>-</b>	<b>21,93.49</b>
2043- राज्य वस्तु एवं सेवा कर के तहत प्रभारों का संग्रहण -			
001- निदेशन एवं प्रशासन	2,94,64.83	-	2,94,64.83
<b>कुल-2043</b>	<b>2,94,64.83</b>	<b>-</b>	<b>2,94,64.83</b>
2045- वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क-			
104- संग्रहण प्रभार -वस्तुओं और यात्रियों पर कर	18.59	-	18.59
<b>कुल -2045</b>	<b>18.59</b>	<b>-</b>	<b>18.59</b>
<b>कुल-iii- वस्तुओं एवं सेवाओं पर करों का संग्रहण</b>	<b>3,37,09.08</b>	<b>-</b>	<b>3,37,09.08</b>



## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्ष</b>			
(राजस्व)-(जारी)			
क सामान्य सेवाएँ-(जारी)			
(ख) राजकोषीय सेवाएँ-(समाप्त)			
(iv) अन्य राजकोषीय सेवाएँ-			
2047- अन्य राजकोषीय सेवाएँ-			
103- लघु बचतों को प्रोत्साहन	6,81.00	-	6,81.00
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-).86	-	(-).86
	<b>कुल-2047</b>	<b>6,79.14</b>	<b>6,79.14</b>
	<b>कुल-(iv)-अन्य राजकोषीय सेवाएँ</b>	<b>6,79.14</b>	<b>6,79.14</b>
	<b>कुल-(ख)-राजकोषीय सेवाएँ</b>	<b>3,55,86.66</b>	<b>3,55,86.66</b>
(ग) ब्याज भुगतान एवं ऋण-सेवा-			
2049- ब्याज भुगतान-			
01- आंतरिक ऋण पर ब्याज-			
101- बाजार ऋण पर ब्याज	12,71,97.80	-	12,71,97.80
115- अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज	12,86.52	-	12,86.52
123- राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज	1,68,62.83	-	1,68,62.83
200- अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज	1,93,14.35	-	1,93,14.35
305- ऋणों का प्रबंधन	3,89.37	-	3,89.37
	<b>कुल -01</b>	<b>16,50,50.87</b>	<b>16,50,50.87</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय- शीर्ष</b>			
<b>(राजस्व)-(जारी)</b>			
<b>क सामान्य सेवाएं-(जारी)</b>			
<b>(ग) ब्याज भुगतान एवं ऋण-सेवा-</b>			
<b>2049- व्याज भुगतान-(समाप्त)</b>			
03- लघु बचतें, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज			
104- राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज	7,91,21.22	-	7,91,21.22
108- बीमा एवं पेन्शन निधि पर ब्याज	27,21.50	-	27,21.50
	<b>कुल-03</b>		<b>8,18,42.72</b> (क)
04- केन्द्र सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज -			
101- राज्य/ संघ शासित क्षेत्र आयोजना योजनाओं हेतु ऋण पर ब्याज	11,53.67	-	11,53.67
109- 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में समेकित राज्य योजना ऋणों पर ब्याज	23,37.11	-	23,37.11
112- राज्य/ संघ शासित क्षेत्र (विधानमण्डल सहित) योजनाओं हेतु अन्य ऋणों पर ब्याज	1,56.36	-	1,56.36
	<b>कुल-04</b>		<b>36,47.14</b>
05- आरक्षित निधियों पर ब्याज-			
105- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज	25,91.28	-	25,91.28
	<b>कुल-05</b>		<b>25,91.28</b>
60- अन्य दायित्वों पर ब्याज-			
701- विविध	31.21	-	31.21
	<b>कुल-60</b>		<b>31.21</b>
	<b>कुल-2049</b>		<b>25,31,63.22</b>
<b>कुल- ग- ब्याज भुगतान एवं ऋण-सेवा</b>	<b>25,31,63.22</b>	<b>-</b>	<b>25,31,63.22</b>

(क) तदर्थ आँकड़े, जैसा कि सरकार द्वारा बताए गए, को दर्शाते हैं। कृपया पैरा 3(vii) "लेखाओं पर टिप्पणियाँ तथा अनुलग्नक "क" खण्ड-1 लेखाओं पर टिप्पणियाँ का अवलोकन करें।

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय-शीर्ष</b>			
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>			
<b>क सामान्य सेवाएं-(जारी)</b>			
<b>घ प्रशासनिक सेवाएं-</b>			
<b>2051- लोक सेवा आयोग-</b>			
102- राज्य लोक सेवा आयोग	2,82.21	-	2,82.21
<b>कुल-2051</b>	<b>2,82.21</b>	<b>-</b>	<b>2,82.21</b>
<b>2052- सचिवालय सामान्य सेवाएं-</b>			
090- सचिवालय	40,05.73	-	40,05.73
092- अन्य कार्यालय	6,38.09	-	6,38.09
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.11	-	(-)0.11
<b>कुल-2052</b>	<b>46,43.71</b>	<b>-</b>	<b>46,43.71</b>
<b>2053- जिला प्रशासन-</b>			
093- जिला स्थापनाएं	19,72.31	-	19,72.31
094- अन्य स्थापनाएं	1,48,09.66	-	1,48,09.66
101- आयुक्त	6,72.44	-	6,72.44
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)7.00	-	(-)7.00
<b>कुल -2053</b>	<b>1,74,47.41</b>	<b>-</b>	<b>1,74,47.41</b>
<b>2054- कोषगार एवं लेखा प्रशासन-</b>			
003- प्रशिक्षण	2,64.13	-	2,64.13
095- लेखा एवं कोष निदेशालय	12,30.82	-	12,30.82
097- कोषगार स्थापना	29,85.70	-	29,85.70
098- स्थानीय निधि लेखापरीक्षा	2,41.44	-	2,41.44
800- अन्य व्यय	1,57,95.54	-	1,57,95.54
<b>कुल-2054</b>	<b>2,05,17.63</b>	<b>-</b>	<b>2,05,17.63</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान		कुल
	वास्तविक आँकड़े		
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय-शीर्ष</b>			
(राजस्व लेखा)-(जारी)			
क सामान्य सेवाएं-(जारी)			
घ प्रशासनिक सेवाएं			
<b>2055 पुलिस-</b>			
001- निदेशन एवं प्रशासन	3,87,75.69	-	3,87,75.69
003- शिक्षा एवं प्रशिक्षण	47,56.03	-	47,56.03
101- आपराधिक जाँच एवं सर्तकता	2,77,69.18	-	2,77,69.18
104- विशेष पुलिस	5,58,07.76	-	5,58,07.76
109- जिला पुलिस	9,44,77.83	-	9,44,77.83
111- रेलवे पुलिस	62,86.44	-	62,86.44
115- पुलिस बल का आधुनिकीकरण	83,71.78	-	83,71.78
116- न्यायिक विज्ञान	4,83.40	-	4,83.40
117- आंतरिक सुरक्षा	7,08,11.13	-	7,08,11.13
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)2,85.75	-	(-)2,85.75
<b>कुल-2055</b>	<b>30,72,53.49</b>	<b>-</b>	<b>30,72,53.49</b>
<b>2056- कारावास-</b>			
001- निदेशन एवं प्रशासन	1,86.56	18.67	2,05.23
101- कारावास	30,80.38	-	30,80.38
102- कारावास विनिर्माण	13.74	-	13.74
<b>कुल-2056</b>	<b>32,80.68</b>	<b>18.67</b>	<b>32,99.35</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान		कुल
	वास्तविक आँकड़े		
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय-शीर्ष</b>			
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>			
<b>क सामान्य सेवाएं-(जारी)</b>			
<b>घ प्रशासनिक सेवाएं-</b>			
2058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	58.36	-	58.36
101- लेखन सामग्री भण्डार का क्रय एवं आपूर्ति	1,77.26	-	1,77.26
103- राजकीय मुद्रणालय	28,02.95	-	28,02.95
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)1.75	-	(-)1.75
<b>कुल-2058</b>	<b>30,36.82</b>	<b>-</b>	<b>30,36.82</b>
2059- लोक निर्माण कार्य-			
80- सामान्य-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	2,71,34.18	-	2,71,34.18
103- साज-सज्जा	4,47.25	-	4,47.25
<b>कुल-80</b>	<b>2,75,81.43</b>	<b>-</b>	<b>2,75,81.43</b>
<b>कुल-2059</b>	<b>2,75,81.43</b>	<b>-</b>	<b>2,75,81.43</b>
2062- सर्तकता-			
104- राज्य/ संघ शासित क्षेत्र का सर्तकता आयोग	1,61.59	-	1,61.59
105- अन्य सर्तकता एजेन्सियाँ	18,30.99	-	18,30.99
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.30	-	(-)0.30
<b>कुल-2062</b>	<b>19,92.28</b>	<b>-</b>	<b>19,92.28</b>
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-			
003- प्रशिक्षण	6,23.56	-	6,23.56
105- विशेष जाँच आयोग	2,54.63	-	2,54.63

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय-शीर्ष</b>			
(राजस्व लेखा)-(जारी)			
क सामान्य सेवाएं-(जारी)			
घ प्रशासनिक सेवाएं- (समाप्त)			
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं- (समाप्त)			
106- नागरिक सुरक्षा	2,37.88	-	2,37.88
107- होम गार्ड	51,37.28	-	51,37.28
108- अग्नि सुरक्षा एवं नियंत्रण	74,46.77	-	74,46.77
114- परिवहन की खरीद एवं अनुरक्षण	19,46.53	-	19,46.53
800- अन्य व्यय	18,03.21	-	18,03.21
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)5.61	-	(-)5.61
	<b>कुल-2070</b>	<b>-</b>	<b>1,74,44.25</b>
	<b>कुल(घ) प्रशासनिक सेवाएं</b>	<b>18.67</b>	<b>40,34,98.58</b>
	<b>2,82.21</b>		
<b>(ङ) पेन्शन एवं विविध सामान्य सेवाएं-</b>			
2071- पेन्शन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-			
01- नागरिक-			
101- अधिवर्षिता एवं सेवानिवृत्ति भत्ते	8,76,00.60	-	8,76,00.60
102- पेन्शन की संराशीकृत राशि	2,59,95.10	-	2,59,95.10
104- उपदान	3,95,01.34	-	3,95,01.34
105- परिवार पेन्शन	40,27.86	-	40,27.86
111- विधायकों को पेन्शन	3,01.16	-	3,01.16

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान		कुल
	वास्तविक आँकड़े		
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय-शीर्ष</b>			
(राजस्व लेखा)-(जारी)			
क सामान्य सेवाएं-(समाप्त)			
(ड) पेन्शन एवं विविध सामान्य सेवाएं-(समाप्त)			
2071- पेन्शन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ- (समाप्त)			
01- नागरिक-			
115- छुट्टी नकदीकरण	2,97,31.69	-	2,97,31.69
117- परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना के लिए सरकारी अंशदान (नयी पेन्शन योजना)	2,29,63.11	68.27	2,30,31.38
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)6,58.59	-	(-)6,58.59
	<b>कुल-01</b>	<b>68.27</b>	<b>20,95,30.54</b> (क)
	<b>कुल-2071</b>	<b>68.27</b>	<b>20,95,30.54</b> (क)
2075- विविध सामान्य सेवाएं-			
104- विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफलस्वरूप पेन्शन एवं पुरस्कार	10.87	-	10.87
800- अन्य व्यय	1,00.00	-	1,00.00 (ख)
	<b>कुल-2075</b>	<b>-</b>	<b>1,10.87</b>
	<b>कुल-(ड)- पेन्शन एवं विविध सामान्य सेवाएं</b>	<b>68.27</b>	<b>20,96,41.41</b>
	<b>कुल -क- सामान्य सेवाएं</b>	<b>86.94</b>	<b>93,83,74.98</b> (ग)
		<b>25,56,69.33</b>	

(क) ₹ 1.99 लाख संघ शासित क्षेत्र पेन्शन भोगियों को अधिवर्षिता/ परिवार पेन्शन को सम्मिलित करता है जैसा कि सरकार द्वारा सूचित किया गया है।

(ख) एमएच 8235-117 "प्रत्याभूति मोचन निधि" में हस्तारित राशि को दर्शाता है। कृपया मुख्य शीर्ष-8235 विवरण संख्या 21, खण्ड-II के नीचे पाद टिप्पणी 'ड' तथा "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड-I अनुलग्नक क का अवलोकन करें।

(ग) ₹ 33,17,69.17 लाख वेतन तथा ₹ 30,62.05 लाख सहायता अनुदान सम्मिलित है।

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय-शीर्ष</b>			
(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख समाज सेवाएं-			
(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-			
2202- सामान्य शिक्षा-			
01- प्रारम्भिक शिक्षा-			
101- सरकारी प्राथमिक विद्यालय	11,54,99.92	-	11,54,99.92
104- निरीक्षण	9,92,72.89	-	9,92,72.89
800- अन्य व्यय	-	1,37.59	1,37.59
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)40.68	-	(-)40.68
	<b>कुल-01</b>	<b>1,37.59</b>	<b>21,48,69.72</b>
02- माध्यमिक शिक्षा-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	16,40,85.28	1,54,78.18	17,95,63.46
107- छात्रवृत्ति	9,05.54	-	9,05.54
109- सरकारी माध्यमिक विद्यालय	29,26.92	-	29,26.92
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)4.81	-	(-)4.81
	<b>कुल-02</b>	<b>1,54,78.18</b>	<b>18,33,91.11</b>
03- विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	1,38.33	-	1,38.33
102- विश्वविद्यालयों को सहायता	2,58,25.00	-	2,58,25.00
103- सरकारी महाविद्यालय और संस्थाएं	2,64,82.46	-	2,64,82.46
104- गैर-सरकारी महाविद्यालयों और संस्थानों को सहायता	51,64.17	-	51,64.17
	<b>कुल-03</b>	<b>-</b>	<b>5,76,09.96</b>



## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान		कुल
	वास्तविक आँकड़े		
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय-शीर्ष</b>			
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>			
<b>ख सामाज सेवाएं-(जारी)</b>			
<b>(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-(जारी)</b>			
<b>2202- सामान्य शिक्षा-(समाप्त)</b>			
80- सामान्य-			
003- प्रशिक्षण	3,34.67	-	3,34.67
004- अनुसंधान	1,46.27	-	1,46.27
107- छात्रवृत्तियाँ	2,70.88	-	2,70.88
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)14.66	-	(-)14.66
कुल-80	7,37.16	-	7,37.16
<b>कुल-2202</b>	<b>44,09,92.18</b>	<b>1,56,15.77</b>	<b>45,66,07.95</b>
<b>2203- तकनीकी शिक्षा-</b>			
001- निदेशन एवं प्रशासन	43,79.49	-	43,79.49
112- अभियांत्रिकी/ तकनीकी महाविद्यालय एवं संस्थान	-	4,04.75	4,04.75
<b>कुल-2203</b>	<b>43,79.49</b>	<b>4,04.75</b>	<b>47,84.24</b>
<b>2204- खेल एवं युवा सेवाएं-</b>			
001- निदेशन एवं प्रशासन	1,70,66.38	-	1,70,66.38
102- छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम	4,12.52	-	4,12.52
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)6.19	-	(-)6.19
<b>कुल-2204</b>	<b>1,74,72.71</b>	<b>-</b>	<b>1,74,72.71</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान		कुल
	वास्तविक आँकड़े		
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय-शीर्ष</b>			
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>			
<b>ख समाज सेवाएं-(जारी)</b>			
<b>(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-(समाप्त)</b>			
<b>2205- कला एवं संस्कृति-</b>			
102- कला एवं संस्कृति को बढ़ावा	9,96.00	-	9,96.00
104- अभिलेखागार	3,59.22	-	3,59.22
105- सार्वजनिक पुस्तकालय	6,14.94	-	6,14.94
	<b>कुल-2205</b>	<b>-</b>	<b>19,70.16</b>
	<b>कुल (क)- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति</b>	<b>1,60,20.52</b>	<b>48,08,35.06</b>
<b>ख स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-</b>			
<b>2210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य-</b>			
<b>01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-</b>			
<b>एलोपैथी-</b>			
001- निदेशन एवं प्रशासन	1,45,41.64	7.67	1,45,49.31
104- चिकित्सा भण्डार आगार	1,82.01	-	1,82.01
109- विद्यालय स्वास्थ्य योजना	85.49	-	85.49
110- अस्पताल एवं औषधालय	3,26,95.69	-	3,26,95.69
200- अन्य स्वास्थ्य योजनाएं	2,82.61	-	2,82.61
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)19.75	-	(-)19.75
	<b>कुल-01</b>	<b>7.67</b>	<b>4,77,75.36</b>
<b>02- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-</b>			
<b>औषधि की अन्य पद्धतियाँ-</b>			
101- आयुर्वेद	36,05.51	-	36,05.51
103- यूनानी	1,29.51	-	1,29.51
	<b>कुल-02</b>	<b>-</b>	<b>37,35.02</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान		कुल
	वास्तविक आँकड़े		
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय-शीर्ष</b>			
(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख समाज सेवाएं-(जारी)			
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-(जारी)			
2210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य-(समाप्त)			
03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी-			
101- स्वास्थ्य उप-केन्द्र	57,50.07	-	57,50.07
103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1,77,47.02	-	1,77,47.02
110- अस्पताल एवं औषधालय	1,94,52.23	-	1,94,52.23
800- अन्य व्यय	46,00.00	1,37,04.52	1,83,04.52
	<b>कुल-03</b>	<b>1,37,04.52</b>	<b>6,12,53.84</b>
05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान-			
105- एलोपैथी	5,01,10.18	-	5,01,10.18
	<b>कुल-05</b>	<b>-</b>	<b>5,01,10.18</b>
06- जन स्वास्थ्य-			
101- रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण	28,20.83	-	28,20.83
102- खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम	1,63.07	-	1,63.07
104- औषध नियंत्रण	10,47.12	-	10,47.12
107- जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं	3,67.16	-	3,67.16
112- जन स्वास्थ्य शिक्षा	22.09	-	22.09
200- औषधियों की अन्य पद्धतियाँ	1,88.25	-	1,88.25
800- अन्य व्यय	0.06	-	0.06
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)5.35	-	(-)5.35
	<b>कुल-06</b>	<b>-</b>	<b>46,03.23</b>
	<b>कुल-2210</b>	<b>1,37,12.19</b>	<b>16,74,77.63</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय-शीर्ष</b>			
(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख समाज सेवाएं-(जारी)			
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-(समाप्त)			
2211- परिवार कल्याण-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	6,81.73	63.12	7,44.85
003- प्रशिक्षण	31.83	-	31.83
004- अनुसंधान एवं मूल्यांकन	-	33.49	33.49
101- ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं	9,20.20	3,67.06	12,87.26
102- शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	-	5.54	5.54
104- परिवहन	10.67	-	10.67
800- अन्य व्यय	-	58,72.60	58,72.60
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.12	-	(-)0.12
	<b>कुल-2211</b>	<b>63,41.81</b>	<b>79,86.12</b>
	<b>कुल (ख)-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण</b>	<b>2,00,54.00</b>	<b>17,54,63.75</b>
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास-			
2215- जलापूर्ति और स्वच्छता-			
01- जलापूर्ति-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	5,78,18.50	-	5,78,18.50
	<b>कुल-01</b>	<b>5,78,18.50</b>	<b>5,78,18.50</b>
	<b>कुल-2215</b>	<b>5,78,18.50</b>	<b>5,78,18.50</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान		कुल
	वास्तविक आँकड़े		
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय-शीर्ष</b>			
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>			
<b>ख समाज सेवाएं-(जारी)</b>			
<b>(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास-(जारी)</b>			
<b>2216- आवास-</b>			
05- सामान्य प्लान आवास-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	41,54.59	-	41,54.59
053- अनुरक्षण एवं मरम्मतें	12,08.56	-	12,08.56
	<b>कुल-05</b>	<b>-</b>	<b>53,63.15</b>
07- अन्य आवास-			
053- अनुरक्षण एवं मरम्मतें	3,36.21	-	3,36.21
	<b>कुल-07</b>	<b>-</b>	<b>3,36.21</b>
	<b>कुल-2216</b>	<b>-</b>	<b>56,99.36</b>
<b>2217- शहरी विकास-</b>			
03- लघु एवं मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	5,82.03	-	5,82.03
191- स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, कस्बा सुधार बोर्डों आदि को सहायता	1,84,03.49	-	1,84,03.49
800- अन्य व्यय	6.57	-	6.57
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.03	-	(-)0.03
	<b>कुल-03</b>	<b>-</b>	<b>1,89,92.06</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान		कुल
	वास्तविक आँकड़े		
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय-शीर्ष</b>			
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>			
<b>ख समाज सेवाएं-(जारी)</b>			
<b>(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास-(समाप्त)</b>			
<b>2217- शहरी विकास-(समाप्त)</b>			
05- अन्य शहरी विकास योजनाएं-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	29,63.80	-	29,63.80
191- स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, कस्बा सुधार बोर्डों आदि को सहायता	1,21,76.08	-	1,21,76.08
	<i>कुल-05</i>		
	1,51,39.88	-	1,51,39.88
80- सामान्य-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	9,41.53	-	9,41.53
	<i>कुल-80</i>		
	9,41.53	-	9,41.53
	<i>कुल-2217</i>		
	3,50,73.47	-	3,50,73.47
<b>कुल-(ग)- जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास</b>	<b>9,85,91.33</b>	<b>-</b>	<b>9,85,91.33</b>
<b>(घ) सूचना एवं प्रसारण-</b>			
<b>2220- सूचना एवं प्रचार-</b>			
60- अन्य-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	4,17.86	-	4,17.86
101- विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार	29,02.65	-	29,02.65

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान		कुल
	वास्तविक आँकड़े		
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय-शीर्ष</b>			
(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख समाज सेवाएं-(जारी)			
(घ) सूचना एवं प्रसारण-(समाप्त)			
2220- सूचना एवं प्रचार-(समाप्त)			
60- अन्य-(समाप्त)			
102- सूचना केन्द्र	5,31.15	-	5,31.15
106- क्षेत्र प्रचार	2,19.63	-	2,19.63
109- फोटो सेवाएं	50.78	-	50.78
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)2.94	-	(-)2.94
	<b>कुल-60</b>		<b>41,19.13</b>
	<b>कुल-2220</b>		<b>41,19.13</b>
	<b>कुल-(घ)- सूचना एवं प्रसारण</b>		<b>41,19.13</b>
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण-			
2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-			
01- पुनर्वास-			
102- आर्थिक विकास	-	7.02	7.02
	<b>कुल-01</b>		<b>7.02</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान		कुल
	वास्तविक आँकड़े		
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय-शीर्ष</b>			
(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख समाज सेवाएं-(जारी)			
(ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण-(समाप्त)			
2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-			
(समाप्त)			
02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-			
277- शिक्षा	-	3,56.39	3,56.39
	कुल-02	-	3,56.39
03- पिछड़े वर्ग का कल्याण-			
102- आर्थिक विकास	51,94.44	-	51,94.44
277- शिक्षा	1,49.76	-	1,49.76
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)46.18	-	(-)46.18
	कुल-03	-	52,98.02
80- सामान्य-			
800- अन्य व्यय	1,98.48	-	1,98.48
	कुल-80	-	1,98.48
	कुल-2225	54,96.50	3,63.41
कुल - (ड)-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	54,96.50	3,63.41	58,59.91



## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय -शीर्ष</b>			
(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख समाज सेवाएं-(जारी)			
(च) श्रम एवं श्रम कल्याण-			
2230- श्रम एवं रोजगार-			
01- श्रम-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	5,19.04	-	5,19.04
101- औद्योगिक संबंध	35.85	-	35.85
102- कामकाजी स्थितियाँ एवं सुरक्षा	1,08.49	-	1,08.49
103- सामान्य श्रम कल्याण	2,26.53	-	2,26.53
	<b>कुल-01</b>	<b>-</b>	<b>8,89.91</b>
02- रोजगार-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	10,29.02	-	10,29.02
	<b>कुल-02</b>	<b>-</b>	<b>10,29.02</b>
	<b>कुल-2230</b>	<b>-</b>	<b>19,18.93</b> (क)
	<b>कुल-(च)- श्रम एवं श्रम कल्याण</b>	<b>-</b>	<b>19,18.93</b>

(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित व्यय अनुदानों हेतु मांग के अनुसार मुख्य शीर्ष 2203 "तकनीकी शिक्षा" के अंतर्गत बुक किया गया है।

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय-शीर्ष</b>			
(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख समाज सेवाएं-(जारी)			
(छ) समाज कल्याण एवं पोषण-			
2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-			
01- पुनर्वास-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	17.11	-	17.11
202- अन्य पुनर्वास योजना	2,85.22	-	2,85.22
<b>कुल-01</b>	<b>3,02.33</b>	<b>-</b>	<b>3,02.33</b>
02- समाज कल्याण-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	21,85.97	47.74	22,33.71
101- विकलांगों का कल्याण	42.07	-	42.07
102- बाल कल्याण	32,01.36	21,22.00	53,23.36
103- महिला कल्याण	35,14.44	38.86	35,53.30
104- वृद्ध, अशक्त और निराश्रितों का कल्याण	3,82,55.10	-	3,82,55.10
106- सुधारात्मक सेवाएं	0.60	-	0.60
800- अन्य व्यय	99.91	-	99.91
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)1.64	-	(-)1.64
<b>कुल-02</b>	<b>4,72,97.81</b>	<b>22,08.60</b>	<b>4,95,06.41</b>
03- राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम-			
102- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	-	23,35.68	23,35.68
<b>कुल-03</b>	<b>-</b>	<b>23,35.68</b>	<b>23,35.68</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान		कुल
	वास्तविक आँकड़े		
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय -शीर्ष</b>			
(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख समाज सेवाएं-(जारी)			
(छ) समाज कल्याण एवं पोषण-(जारी)			
<b>2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-(समाप्त)</b>			
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम-			
102- सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेन्शन (ओएपी)	4.60	-	4.60
105- सरकारी कर्मचारी जीवन बीमा योजना	8,39.00	-	8,39.00
107- स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेन्शन योजना	2.27	-	2.27
200- अन्य कार्यक्रम	41.89	-	41.89
800- अन्य व्यय	42.46	11.55	54.01
कुल-60	9,30.22	11.55	9,41.22
<b>कुल-2235</b>	<b>4,85,30.36</b>	<b>45,55.83</b>	<b>5,30,86.19</b> (क)
<b>2236- पोषण-</b>			
02- पौष्टिक आहार एवं पेय पदार्थों का वितरण-			
101- विशेष पोषण कार्यक्रम	63,74.35	2,11,70.90	2,75,45.25
800- अन्य व्यय	1,95.10	-	1,95.10
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.02	-	(-)0.02
कुल-02	65,69.43	2,11,70.90	2,77,40.33
80- सामान्य-			
101- विशेष पोषण कार्यक्रम	11,22.60	-	11,22.60
800- अन्य व्यय	2,71.29	-	2,71.29
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.69	-	(-)0.69
कुल-80	13,93.20	-	13,93.20
<b>कुल-2236</b>	<b>79,62.63</b>	<b>2,11,70.90</b>	<b>2,91,33.53</b>

(क) ₹ 7.43 लाख पेन्शनभोगियों को भुगतान की गई पेन्शन सम्मिलित है।

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय-शीर्ष</b>			
(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख समाज सेवाएं-(जारी)			
(छ) समाज कल्याण एवं पोषण-(समाप्त)			
<b>2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-</b>			
02- बाढ़, चक्रवात आदि-			
101- आनुग्रहिक राहत	80,81.61	-	80,81.61
कुल-02	80,81.61	-	80,81.61
05- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि-			
101- आरक्षित निधियों एवं जमा लेखाओं का हस्तांतरण -राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	1,08,50.00	-	1,08,50.00 (क)
901- कटौती- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से प्राप्त राशि	(-)80,81.61	-	(-)80,81.61 (क)
कुल-05	27,68.39	-	27,68.39
80- सामान्य-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	28.99	-	28.99
102- आपदा संभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंधन	-	44.78	44.78
कुल-80	28.99	44.78	73.77
<b>कुल-2245</b>	<b>1,08,78.99</b>	<b>44.78</b>	<b>1,09,23.77</b>
<b>कुल-(छ)-समाज कल्याण एवं पोषण</b>	<b>6,73,71.98</b>	<b>2,57,71.51</b>	<b>9,31,43.49</b>

(क) एमएच 8121-12 "राज्य आपदा प्रतिक्रिया" कोष हस्तांतरित राशि का प्रतिनिधित्व करता है। कृपया एमएच-8121 विवरण संख्या 21 खण्ड-II तथा "अनुलग्नक 'क' लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड-I के नीचे पाद टिप्पणी (क) एवं (ख) का अवलोकन करें।

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय -शीर्ष</b>			
(राजस्व लेख)-(जारी)			
ख समाज सेवाएं-(समाप्त)			
(ज) अन्य-			
2250- अन्य समाज सेवाएं-			
102- धार्मिक और धर्मार्थ अक्षय निधि अधिनियम का प्रशासन	39.73	-	39.73
800- अन्य व्यय	83.13	-	83.13
<b>कुल-2250</b>	<b>1,22.86</b>	<b>-</b>	<b>1,22.86</b>
2251- सचिवालय-समाज सेवाएं-			
090- सचिवालय	14,19.54	-	14,19.54
<b>कुल-2251</b>	<b>14,19.54</b>	<b>-</b>	<b>14,19.54</b>
<b>कुल-(ज) -अन्य</b>	<b>15,42.40</b>	<b>-</b>	<b>15,42.40</b>
<b>कुल-ख-सामाज सेवाएं</b>	<b>79,92,64.56</b>	<b>6,22,09.44</b>	<b>86,14,74.00</b> (म)
<b>ग आर्थिक सेवाएं-</b>			
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ-			
2401- फसल पैदावर-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	1,09,36.32	-	1,09,36.32
103- बीज	3,87.63	-	3,87.63
104- कृषिगत फार्म	8,35.92	-	8,35.92
105- खाद एवं उर्वरक	1,75.89	-	1,75.89
107- पौध संरक्षण	18,18.42	-	18,18.42

(म) ₹ 57,28,18.02 लाख वेतन एवं ₹ 12,40,51.35 लाख सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान		कुल
	वास्तविक आँकड़े		
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय -शीर्ष</b>			
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>			
<b>ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)</b>			
<b>(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ-(जारी)</b>			
<b>2401- फसल पैदावर-(समाप्त)</b>			
108- वाणिज्यिक फसलें	3,79.90	-	3,79.90
109- विस्तारण तथा कृषकों का प्रशिक्षण	19,54.09	-	19,54.09
111- कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी	19.30	-	19.30
113- कृषि अभियांत्रिकी	2,69.45	-	2,69.45
119- उद्यान कृषि एवं शाक फसलें	76,26.28	-	76,26.28
800- अन्य व्यय	60.79	77.36	1,38.15
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)8.26	-	(-)8.26
	<b>कुल-2401</b>	<b>77.36</b>	<b>2,45,33.09</b>
<b>2402- मृदा एवं जल संरक्षण</b>			
001- निदेशन एवं प्रशासन	19,16.82	-	19,16.82
101- मृदा सर्वेक्षण एवं परीक्षण	6,43.82	-	6,43.82
102- मृदा संरक्षण	14,06.40	-	14,06.40
103- भूमि सुधार एवं विकास	13.32	-	13.32
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)1.38	-	(-)1.38
	<b>कुल-2402</b>	<b>-</b>	<b>39,78.98</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान		कुल
	वास्तविक आँकड़े		
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय -शीर्ष</b>			
(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)			
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ-(जारी)			
<b>2403- पशुपालन-</b>			
001- निदेशन एवं प्रशासन	2,70,80.60	-	2,70,80.60
107- चारा एवं खाद्य विकास	3,53.88	-	3,53.88
	<b>कुल-2403</b>	<b>-</b>	<b>2,74,34.48</b>
<b>2405- मत्स्यपालन-</b>			
001- निदेशन एवं प्रशासन	39,06.89	-	39,06.89
	<b>कुल-2405</b>	<b>-</b>	<b>39,06.89</b>
<b>2406- वानिकी एवं वन्य जीवन-</b>			
01- वानिकी-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	1,97,59.03		1,97,59.03
004- अनुसंधान	6,25.27	-	6,25.27
070- संचार एवं इमारतें	17.56	-	17.56
101- वन संरक्षण, विकास एवं पुनरुत्थान	25.68	-	25.68
102- सामाजिक एवं फार्म वानिकी	1,00,03.98	-	1,00,03.98
105- वन उत्पाद	2.90.67	-	2,90.67
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)3.90	-	(-)3.90
	<b>कुल-01</b>	<b>-</b>	<b>3,07,18.29</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
(₹ लाख में)			
<b>व्यय -शीर्ष</b>			
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>			
<b>ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)</b>			
<b>(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ-(जारी)</b>			
<b>2406- वानिकी एवं वन्य जीवन-(समाप्त)</b>			
02- पर्यावरणीय वानिकी एवं वन्य जीवन-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	33,77.22	-	33,77.22
110- वन्य जीवन परिरक्षण	21,00.45	-	21,00.45
112- सावजनिक उद्यान	14,85.07	-	14,85.07
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-1.34)	-	(-1.34)
	<b>कुल-02</b>	<b>-</b>	<b>69,61.40</b>
	<b>कुल-2406</b>	<b>-</b>	<b>3,76,79.69</b>
<b>2408- खाद्य, संग्रहण एवं भण्डारण-</b>			
01- भोजन-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	68,55.99	-	68,55.99
101- अधिप्राप्ति एवं आपूर्ति	-	5,01.06	5,01.06
	<b>कुल-01</b>	<b>5,01.06</b>	<b>73,57.05</b>
02- संग्रहण एवं भण्डारण-			
101- ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम	-	1,90.69	1,90.69
800- अन्य व्यय	40.05	-	40.05
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	-	-	-
	<b>कुल-02</b>	<b>1,90.69</b>	<b>2,30.74</b>
	<b>कुल-2408</b>	<b>6,91.75</b>	<b>75,87.79</b>
<b>2415- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा</b>			
01- फसल पैदावार			
004- अनुसंधान	1,83.29	-	1,83.29
	<b>कुल-01</b>	<b>-</b>	<b>1,83.29</b>



## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान			कुल
	वास्तविक आँकड़े			
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)		
(₹ लाख में)				
<b>व्यय -शीर्ष</b>				
(राजस्व लेखा)-(जारी)				
ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)				
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ-(समाप्त)				
2415- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा-(समाप्त)				
80- सामान्य				
120- अन्य सस्थानों को सहायता				
	कुल-80	2,34,94.00	-	2,34,94.00
	कुल-2415	2,34,94.00	-	2,34,94.00
		2,36,77.29	-	2,36,77.29
2425- सहकारिता				
001- निदेशन एवं प्रशासन		14,74.82	-	14,74.82
101- सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा		4,00.88	-	4,00.88
108- अन्य सहकारी समितियों को सहायता		2,25.00	-	2,25.00
	कुल-2425	21,00.70	-	21,00.70
2435- अन्य कृषि कार्यक्रम-				
01- विपणन एवं गुणवत्ता नियंत्रण-				
101- विपणन सुविधाएं		11,25.00	-	11,25.00
102- ग्रेडिंग एवं गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाएं		3,23.47	-	3,23.47
800- अन्य व्यय		1,97.89	-	1,97.89
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती		(-)0.14	-	(-)0.14
	कुल-01	16,46.22	-	16,46.22
	कुल-2435	16,46.22	-	16,46.22
कुल-(क)- कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ		13,17,76.02	7,69.11	13,25,45.13

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान		कुल
	वास्तविक आँकड़े		
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय -शीर्ष</b>			
(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)			
(ख) ग्रामीण विकास-			
2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-			
02- सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	17,05.45	6,33.30	23,38.75
800- अन्य व्यय	1,01.60	-	1,01.60
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.77	-	(-)0.77
	<u>कुल-02</u>	<u>6,33.30</u>	<u>24,39.58</u>
	<u>कुल-2501</u>	<u>6,33.30</u>	<u>24,39.58</u>
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	65,01.74	-	65,01.74
102- समुदायिक विकास	1,06,04.33	-	1,06,04.33
800- अन्य व्यय	33,78.97	-	33,78.97
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)1.95	-	(-)1.95
	<u>कुल-2515</u>	<u>-</u>	<u>2,04,83.09</u>
	<u>कुल-(ख)-ग्रामीण विकास</u>	<u>6,33.30</u>	<u>2,29,22.67</u>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान		कुल
	वास्तविक आँकड़े		
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय -शीर्ष</b>			
(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)			
(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण-			
<b>2700- प्रमुख सिंचाई-</b>			
01- प्रमुख सिंचाई वाणिज्यिक-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	2,37.86	-	2,37.86
601- रणवीर नहर	71.99	-	71.99
602- प्रताप नहर	12.98	-	12.98
603- कठुआ फीडर नहर	8.99	-	8.99
	<b>कुल-01</b>	<b>-</b>	<b>3,31.82</b>
	<b>कुल-2700</b>	<b>-</b>	<b>3,31.82</b>
<b>2701- मध्यम सिंचाई-</b>			
04- मध्यम सिंचाई-गैर-वाणिज्यिक-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	22,39.03	-	22,39.03
612- तवी लिफ्ट सिंचाई	3,80.31	-	3,80.31
	<b>कुल-04</b>	<b>-</b>	<b>26,19.20</b>
80- सामान्य-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	1,01.20	-	1,01.20
	<b>कुल-80</b>	<b>-</b>	<b>1,01.20</b>
	<b>कुल-2701</b>	<b>-</b>	<b>27,20.54</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े			कुल
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)		
(₹ लाख में)				
<b>व्यय -शीर्ष</b>				
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>				
<b>ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)</b>				
<b>(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण-(समाप्त)</b>				
<b>2702- लघु सिंचाई-</b>				
80- सामान्य-				
001- निदेशन एवं प्रशासन	1,61,86.44	-	1,61,86.44	
	<i>कुल-80</i>	-	1,61,86.44	
	<b>कुल-2702</b>	<b>-</b>	<b>1,61,86.44</b>	
<b>2705- कमान क्षेत्र विकास-</b>				
602- कमान क्षेत्र कश्मीर	3,27.53	-	3,27.53	
603- कमान क्षेत्र जम्मू	10,00.81	-	10,00.81	
800- अन्य व्यय	1,24.17	-	1,24.17	
	<b>कुल-2705</b>	<b>-</b>	<b>14,52.51</b>	
<b>2711- बाढ़ नियंत्रण एवं अपवाह-</b>				
01- बाढ़ नियंत्रण-				
001- निदेशन एवं प्रशासन	46,52.11	-	46,52.11	
	<i>कुल-01</i>	-	46,52.11	
	<b>कुल-2711</b>	<b>-</b>	<b>46,52.11</b>	
<b>कुल-(घ)- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण</b>	<b>2,53,43.43</b>	<b>-</b>	<b>2,53,43.43</b>	

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान			कुल
	वास्तविक आँकड़े			
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)		
(₹ लाख में)				
<b>व्यय -शीर्ष</b>				
(राजस्व लेखा)-(जारी)				
ग आर्थिक सेवाएं (जारी)				
(ड) ऊर्जा-				
<b>2801- विद्युत-</b>				
01- जल विद्युत उत्पादन-				
101- विद्युत की खरीद				
05- संचारण एवं वितरण-				
001- निदेशन एवं प्रशासन	5,36,22.10	-		5,36,22.10
602- संचारण लाइन, सोपोर	65.15	-		65.15
603- संचारण लाइन, बेमिना, श्रीनगर	60.66	-		60.66
604- संचारण लाइन,जानीपुर	68.42	-		68.42
605- संचारण लाइन, ग्लाडनी	62.63	-		62.63
606- संचारण लाइन, ऊधमपुर	94.50	-		94.5
607- संचारण लाइन, पंपोर	1,06.42	-		1,06.42
609- लोड डिस्पैच, एमटी जम्मू	16.01	-		16.01
610- लोड डिस्पैच, एमटी श्रीनगर	29.43	-		29.42
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)22.59	-		(-)22.59
	<b>कुल-01</b>			<b>18,57,22.35</b>
06- ग्रामीण विद्युतीकरण-				
001- निदेशन एवं प्रशासन	2,87.52	-		2,87.52

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय -शीर्ष</b>			
(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)			
(ड) ऊर्जा-(जारी)			
2801- विद्युत-(जारी)			
06- ग्रामीण विद्युतीकरण-(जारी)			
611- ग्रामीण विद्युतीकरण, जम्मू	8,83.78	-	8,83.78
612- ग्रामीण विद्युतीकरण, कठुआ	2,59.59	-	2,59.59
613- ग्रामीण विद्युतीकरण, पुंछ	97.52	-	97.52
614- ग्रामीण विद्युतीकरण, राजौरी	2,24.49	-	2,24.49
615- ग्रामीण विद्युतीकरण, उधमपुर	3,03.84	-	3,03.84
616- ग्रामीण विद्युतीकरण, बटोट	56.62	-	56.62
617- ग्रामीण विद्युतीकरण, डोडा	96.44	-	96.44
618- ग्रामीण विद्युतीकरण, श्रीनगर	9,61.26	-	9,61.26
619- ग्रामीण विद्युतीकरण, अनंतनाग	1,52.01	-	1,52.01
620- ग्रामीण विद्युतीकरण, अवंतीपुरा	1,01.96	-	1,01.96
621- ग्रामीण विद्युतीकरण, पुलवामा	2,02.60	-	2,02.60
622- ग्रामीण विद्युतीकरण, बारामूला	1,38.61	-	1,38.61
623- ग्रामीण विद्युतीकरण, बडगाम	1,61.86	-	1,61.86
624- ग्रामीण विद्युतीकरण, हंदावाडा	1,63.45	-	1,63.45
625- ग्रामीण विद्युतीकरण, कुलगाम	1,14.22	-	1,14.22
626- ग्रामीण विद्युतीकरण, सुबल	67.89	-	67.89
627- ग्रामीण विद्युतीकरण, सोपोर	3,05.39	-	3,05.39

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान		कुल
	वास्तविक आँकड़े		
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय-शीर्ष</b>			
(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)			
(ड) ऊर्जा-(समाप्त)			
<b>2801- विद्युत-(समाप्त)</b>			
06- ग्रामीण विद्युतीकरण-(समाप्त)			
628- ग्रामीण विद्युतीकरण, बिजबेहरा	2,07.97	-	2,07.97
629- ग्रामीण विद्युतीकरण, गांदरबल	1,72.58	-	1,72.58
630- ग्रामीण विद्युतीकरण, विजयपुर	1,02.49	-	1,02.49
633- ग्रामीण विद्युतीकरण, किशतवाड	81.14	-	81.14
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.03	-	(-)0.03
	<b>कुल-06</b>	<b>-</b>	<b>51,43.20</b>
80- सामान्य-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	1,11.77	-	1,11.77
004- अनुसंधान एवं विकास	40.52	-	40.52
005- जाँच पड़ताल	3,39.01	-	3,39.01
052- मशीनरी एवं उपकरण	1.57	-	1.57
	<b>कुल -80</b>	<b>-</b>	<b>4,92.87</b>
	<b>कुल-2801</b>	<b>-</b>	<b>24,54,61.15</b>
	<b>कुल-(ड)-ऊर्जा</b>	<b>-</b>	<b>24,54,61.15</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय -शीर्ष</b>			
(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)			
(च)- उद्योग एवं खनिज-			
<b>2851- ग्राम एवं लघु उद्योग-</b>			
001- निदेशन एवं प्रशासन	3,33.46	-	3,33.46
003- प्रशिक्षण	3,00.00	-	3,00.00
004- अनुसंधान एवं विकास	4,03.21	-	4,03.21
101- औद्योगिक संपदा	80.23	-	80.23
102- लघु पैमाना उद्योग	24,15.47	-	24,15.47
103- हथकरघा उद्योग	10,51.89	-	10,51.89
104- हस्तशिल्प उद्योग	51,12.49	-	51,12.49
105- खादी एवं ग्रामोद्योग	13,40.00	-	13,40.00
107- रेशम उत्पादन उद्योग	39,89.15	-	39,89.15
800- अन्य व्यय	(-)7.40	-	(-)7.40
<b>कुल-2851</b>	<b>1,50,18.50</b>	<b>-</b>	<b>1,50,18.50</b>
<b>2853- अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग-</b>			
02- खानों का विनियमन एवं विकास-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	23,63.02	-	23,63.02
<b>कुल-02</b>	<b>23,63.02</b>	<b>-</b>	<b>23,63.02</b>
<b>कुल-2853</b>	<b>23,63.02</b>	<b>-</b>	<b>23,63.02</b>
<b>कुल-(च)-उद्योग एवं खनिज</b>	<b>1,73,81.52</b>	<b>-</b>	<b>1,73,81.52</b>



## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान		कुल
	वास्तविक आँकड़े		
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय -शीर्ष</b>			
(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)			
(छ) परिवहन-			
3054- सड़कें एवं पुल-			
80- सामान्य-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	58,01.92	-	58,01.92
797- आरक्षित निधि/ जमा लेखाओं से/ को हस्तांतरण	49,48.00	-	49,48.00 (क)
	कुल-80	-	1,07,49.92
	कुल-3054	-	1,07,49.92
	कुल-(छ) - परिवहन	-	1,07,49.92
(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण-			
3435- पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण-			
04- प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण-			
103- वायु एवं जल प्रदूषण की रोकथाम	12,17.92	-	12,17.92
800- अन्य व्यय	4,66.64	-	4,66.64
	कुल-04	-	16,84.56
	कुल-3454	-	16,84.56 (ख)
	कुल-(झ)- विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	-	16,84.56

(क) "केन्द्रीय सड़क निधि" से एमएच 8449-103 को हस्तांतरित राशि को दर्शाता है। कृपया एमएच -8449 विवरण संख्या 21 खण्ड-II के नीचे पाद टिप्पणी "ग" तथा "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड-I के अनुलग्नक "क" का अवलोकन करें।

(ख) कृपया पैरा 3 (xiii) तथा " लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड-I के अनुलग्नक "क" का संदर्भ लें ।

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान		कुल
	वास्तविक आँकड़े		
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय -शीर्ष</b>			
(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)			
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं-			
<b>3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं-</b>			
090- सचिवालय	27,34.89	-	27,34.89
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.12	-	(-)0.12
<b>कुल-3451</b>	<b>27,34.77</b>	<b>-</b>	<b>27,34.77</b>
<b>3452- पर्यटन-</b>			
<i>01- पर्यटक अवसंरचना-</i>			
101- पर्यटन केन्द्र	4,09.76	-	4,09.76
102- पर्यटक आवास	6,39.13	-	6,39.13
800- अन्य व्यय	39,70.07	-	39,70.07
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)7,90.50	-	(-)7,90.50
<b>कुल-01</b>	<b>42,28.46</b>	<b>-</b>	<b>42,28.46</b>
<i>80- सामान्य-</i>			
001- निदेशन एवं प्रशासन	42,45.11	-	42,45.11
104- प्रोत्साहन एवं प्रचार	1,74.31	-	1,74.31
800- अन्य व्यय	9,83.02	-	9,83.02
<b>कुल-80</b>	<b>54,02.44</b>	<b>-</b>	<b>54,02.44</b>
<b>कुल-3452</b>	<b>96,30.90</b>	<b>-</b>	<b>96,30.90</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्ष</b>			
(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ग सामान्य सेवाएं-(जारी)			
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं-(जारी)			
<b>3454- जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी-</b>			
01- जनगणना-			
001- निदेशन और प्रशासन	1,52.57	-	1,52.57
	<b>कुल-01</b>		<b>1,52.57</b>
02- सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी-			
110- राजपत्र एवं सांख्यिकीय संस्मरण	41.37	-	41.37
112- आर्थिक सलाह एवं सांख्यिकी	23,01.53	-	23,01.53
201- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन	3,42.50	-	3,42.50
205- राज्य सांख्यिकीय अभिकरण	2,30.84	-	2,30.84
800- अन्य व्यय	7.26	-	7.26
	<b>कुल-02</b>		<b>29,23.50</b>
	<b>कुल-3454</b>		<b>30,76.07</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के		कुल
	दौरान वास्तविक आँकड़े		
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्ष</b>			
(राजस्व लेखा)-(समाप्त)			
क सामान्य सेवाएं-(समाप्त)			
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं-(समाप्त)			
<b>3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं-</b>			
106- वजन एवं माप का नियमन	4,57.34	-	4,57.34
115- अवसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता	10.00	-	10.00
800- अन्य व्यय	-	96.90	96.90
<b>कुल-3475</b>	<b>4,67.34</b>	<b>96.90</b>	<b>5,64.24</b>
<b>कुल-(ज)-सामान्य आर्थिक सेवाएं</b>	<b>1,59,09.08</b>	<b>96.90</b>	<b>1,60,05.98</b>
<b>कुल-ग-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>47,05,95.04</b>	<b>14,99.31</b>	<b>47,20,94.35</b> (घ)
<b>कुल-व्यय शीर्ष</b>	<b>1,95,24,78.31</b>	<b>6,37,95.69</b>	<b>2,27,19,43.33</b>
(राजस्व लेखा)	<b>25,56,69.33</b>		
वेतन	1,06,01,63.17	84,08.37	1,07,07,38.08
	<b>21,66.54</b>		
सहायिकि	-	-	-
सहायता अनुदान	36,31,27.17	3,35,68.33	39,66,95.50

(घ) ₹ 16,61,50.89 लाख वेतन एवं ₹ 26,95,82.10 लाख सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।



## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(समाप्त)

विवरण संख्या 15 की व्याख्यात्मक टिप्पणी-(समाप्त) (क)

विवरण संख्या 15 का अनुलग्नक "ख"

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 (क) तक की अवधि हेतु विभिन्न मुख्य योजनाओं के लिए निर्माचित निधियाँ

योजना का नाम	भारत सरकार द्वारा निर्माचित राशि	संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा वास्तविक रूप में जारी केन्द्रीय हिस्सा	कमी (-) अधिकता (+)	वित्त पोषण पद्धति के अनुसार संघ शासित क्षेत्र का हिस्सा	संघ शासित क्षेत्र को जारी किया गया हिस्सा	कमी (-) अधिकता (+)	कुल निर्गत राशि	व्यय
(₹ लाख में)								

(क) संघ शासित क्षेत्र सरकार से सूचना प्रतीकित है (अक्टूबर 2020)।



## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्षक-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>क- सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
<i>01- कार्यालय भवन-</i>							
001-	निदेशन एवं प्रशासन	17,44,40.11	-	1,80,46.76	92,95.74	2,73,42.50	2,73,42.50
							<b>17,44,40.11</b>
051-	निर्माण	2,80,29.84	-	-	-	-	-
							<b>2,80,29.84</b>
052-	मशीनरी एवं उपकरण	10,93.61	-	-	-	-	-
							<b>10,93.61</b>
201-	भूमि का अधिग्रहण	2.85	-	-	-	-	-
							<b>2.85</b>
799-	उचंचत	0.12	-	-	-	-	-
							<b>0.12</b>
800-	अन्य व्यय	2,55,11.73	-	-	-	-	-
							<b>2,55,11.73</b>
		<b>कुल-01</b>	-	<b>1,80,46.76</b>	<b>92,95.74</b>	<b>2,73,42.50</b>	<b>2,73,42.50</b>
							<b>22,90,78.26</b>
<i>60- अन्य भवन</i>							
051-	निर्माण	9,58.87	-	-	-	-	-
							<b>9,58.87</b>
117-	आंतरिक सुरक्षा	2,52.15	-	-	-	-	-
							<b>2,52.15</b>
800-	अन्य व्यय	36,38,90.55	-	1,08,73.21	-	1,08,73.21	1,08,73.21
							<b>36,38,90.55</b>
		<b>कुल-60</b>	-	<b>1,08,73.21</b>	<b>-</b>	<b>1,08,73.21</b>	<b>1,08,73.21</b>
							<b>36,51,10.57</b>



## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्षक-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>क- सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>							
<i>80- सामान्य-</i>							
001-	निदेशन एवं प्रशासन	44,01.32	-	-	-	-	-
							<b>44,01.32</b>
051-	निर्माण	18,83.58	-	-	-	-	-
							<b>18,83.58</b>
052-	मशीनरी एवं उपकरण	4,10.64	-	-	-	-	-
							<b>4,10.64</b>
201-	भूमि का अधिग्रहण	81,51.65	-	2,14.36	-	2,14.36	2,14.36
							<b>81,51.65</b>
800-	अन्य व्यय	63,05.66	-	62,91.28	-	62,91.28	62,91.28
							<b>63,05.66</b>
<i>कुल-80</i>		2,11,52.85	-	65,05.64	-	65,05.64	65,05.64
							<b>2,11,52.85</b>
<b>कुल-4059</b>		<b>61,53,32.68</b>	-	3,54,25.61	92,95.74	4,47,21.35	4,47,21.35
							<b>61,53,32.68</b>
<b>4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
003-	प्रशिक्षण	57.71	-	-	-	-	-
							<b>57.71</b>
800-	अन्य व्यय	1,03,80.47	-	4,14.38	-	4,14.38	4,14.38
							<b>1,03,80.47</b>
<b>कुल-4070</b>		<b>1,04,38.18</b>	-	4,14.38	-	4,14.38	4,14.38
							<b>1,04,38.18</b>



## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्षक-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
<i>01- सामान्य शिक्षा-(समाप्त)</i>							
600-	सामान्य	6,88.69	-	-	-	-	-
							<b>6,88.69</b>
800-	अन्य व्यय	10,60,34.49	-	2,23.81	33,26,58	35,50.39	35,50.39
							<b>10,60,34.49</b>
		<b>कुल-01</b>	-	<b>2,04,02.76</b>	<b>33,26.58</b>	<b>2,37,29.34</b>	<b>2,37,29.34</b>
							<b>61,42,73.25</b>
<i>02- तकनीकी शिक्षा-</i>							
103-	तकनीकी विद्यालय	44,81.94	-	-	-	-	-
							<b>44,81.94</b>
104-	पॉलिटेक्निक	86,55.62	-	-	-	-	-
							<b>86,55.62</b>
105-	अभियांत्रिकी/ तकनीकी महाविद्यालय एवं संस्थान	4,16,47.20	-	3,61.87	-	3,61.87	3,61.87
							<b>4,16,47.20</b>
800-	अन्य व्यय	6,19.15	-	-	-	-	-
							<b>6,19.15</b>
		<b>कुल-02</b>	-	<b>3,61.87</b>	-	<b>3,61.87</b>	<b>3,61.87</b>
							<b>5,54,03.91</b>
<i>03- खेल एवं युवा सेवाएं-</i>							
101-	युवा छात्रावास	15,09.81	-	-	-	-	-
							<b>15,09.81</b>



## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्षक-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)</b>							
<b>4202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत परिव्यय--(समाप्त)</b>							
<i>04- कला एवं संस्कृति-(समाप्त)</i>							
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-).4.65	-	-	-	-	-
	<b>कुल-04</b>	<b>1,35,87.85</b>	<b>-</b>	<b>5,92.22</b>	<b>-</b>	<b>5,92.22</b>	<b>5,92.22</b>
	<b>कुल-4202</b>	<b>69,82,52.70</b>	<b>-</b>	<b>2,13,56.85</b>	<b>33,26.58</b>	<b>2,46,83.43</b>	<b>2,46,83.43</b>
	<b>कुल-(क)-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत लेखा</b>	<b>69,82,52.70</b>	<b>-</b>	<b>2,13,56.85</b>	<b>33,26.58</b>	<b>2,46,83.43</b>	<b>2,46,83.43</b>
	<b>(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा-</b>						
<b>4210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
<i>01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-</i>							
109-	विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं	70.02	-	-	-	-	-
	<b>कुल-109</b>	<b>70.02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
110-	अस्पताल एवं औषधालय	1,19,50.31	-	-	-	-	-
	<b>कुल-110</b>	<b>1,19,50.31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
200-	अन्य स्वास्थ्य योजनाएं	43,89.42	-	20,09.80	-	20,09.80	20,09.80
	<b>कुल-200</b>	<b>43,89.42</b>	<b>-</b>	<b>20,09.80</b>	<b>-</b>	<b>20,09.80</b>	<b>20,09.80</b>
800-	अन्य व्यय	36,26,88.22	-	1,27,74.53	-	1,27,74.53	1,27,74.53
	<b>कुल-01</b>	<b>37,90,97.97</b>	<b>-</b>	<b>1,47,84.33</b>	<b>-</b>	<b>1,47,84.33</b>	<b>1,47,84.33</b>
	<b>कुल-01</b>	<b>37,90,97.97</b>	<b>-</b>	<b>1,47,84.33</b>	<b>-</b>	<b>1,47,84.33</b>	<b>1,47,84.33</b>





## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
व्यय शीर्षक-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)							
4210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)							
80- सामान्य-							
800- अन्य व्यय		44,98.71	-	-	-	-	-
							<b>44,98.71</b>
	कुल-80	44,98.71	-	-	-	-	-
							<b>44,98.71</b>
	कुल-4210	49,06,21.72	-	1,71,77.10	2,24,46.99	3,96,24.09 \$	3,96,24.09
							<b>49,06,21.72</b>
4211- परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-							
101- ग्रामीण परिवार कल्याण		1,07.15	-	-	-	-	-
							<b>1,07.15</b>
102- शहरी परिवार कल्याण सेवाएं		1,08.96	-	-	-	-	-
							<b>1,08.96</b>
800- अन्य व्यय		5,80.93	-	-	-	-	-
							<b>5,80.93</b>
	कुल-4211	7,97.04	-	-	-	-	-
							<b>7,97.04</b>
	कुल-(ख)- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा	49,14,18.76	-	1,71,77.10	2,24,46.99	3,96,24.09	3,96,24.09
							<b>49,14,18.76</b>

\$ सहायता अनुदान पर ₹ 31,63.23 लाख का व्यय सम्मिलित है।



## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)						
<b>व्यय शीर्ष-</b>						
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>						
<b>ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा-</b>						
<b>4215- जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय-</b>						
<i>01- जलापूर्ति-</i>						
101- शहरी जलापूर्ति-						
जलापूर्ति जम्मू शहर	66,40.30	-	-	-	-	-
						<b>66,40.30</b>
ट्यूबवैल श्रीनगर	30,94.16	-	-	-	-	-
						<b>30,94.16</b>
श्रीनगर संवर्धन शहर की जलापूर्ति के लिए मास्टर प्लान	1,23,57.15	-	-	-	-	-
						<b>1,23,57.15</b>
मास्टर प्लान के अंतर्गत जम्मू शहर की जलापूर्ति में सुधार/ संवर्धन	1,46,66.59	-	-	-	-	-
						<b>1,46,66.59</b>
निर्माण/ परियोजनाएं जिन पर पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ	26,26.98	-	-	-	-	-
						<b>26,26.98</b>
	<b>कुल-101</b>					<b>3,93,85.18</b>
						<b>3,93,85.18</b>
102- ग्रामीण जलापूर्ति-						
कश्मीर प्रभाग की जलापूर्ति योजनाओं में सुधार/ संवर्धन	16,74,03.05	-	35,64.13	-	35,64.13	35,64.13
						<b>16,74,03.05</b>

## 16. नघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)						
<b>व्यय शीर्ष-</b>						
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>						
<b>ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>4215- जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>						
102- ग्रामीण जलापूर्ति-(समाप्त)						
01- जलापूर्ति-(जारी)						
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कश्मीर)	2,49,64.69	-	-	1,15,53.62	1,15,53.62	1,15,53.62
						<b>2,49,64.69</b>
जम्मू प्रभाग की शहर जलापूर्ति का सुधार	11,29,89.39	-	66,76.48	-	66,76.48	66,76.48
						<b>11,29,89.39</b>
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जम्मू)	2,99,55.91	-	-	1,47,19.32	1,47,19.32	1,47,19.32
						<b>2,99,55.91</b>
जलापूर्ति जम्मू कांडी क्षेत्र	13,54.70	-	-	-	-	-
त्वरित जलापूर्ति योजना	4,37,05.76	-	-	-	-	-
						<b>4,37,05.76</b>
उचंत	(-)1,70.34	-	-	-	-	-
						<b>(-)1,70.34</b>
निर्माण/ परियोजनाएं जिन पर पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ	35,55,76.29	-	-	-	-	-
						<b>35,55,76.29</b>
	<b>कुल-102</b>					
	73,57,79.45	-	1,02,40.61	2,62,72.94	3,65,13.55	3,65,13.55
						<b>73,57,79.45</b>

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)						
<b>व्यय शीर्ष-</b>						
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>						
<b>ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>4215- जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>						
<i>01- जलापूर्ति(समाप्त)</i>						
800- अन्य व्यय	53,80.19	-	-	-	-	-
	<b>कुल-01</b>	<b>78,05,44.82</b>	<b>-</b>	<b>1,02,40.61</b>	<b>2,62,72.94</b>	<b>3,65,13.55</b>
						<b>78,05,44.82</b>
<i>02- मल निकास व्यवस्था एवं स्वच्छता-</i>						
101- शहरी स्वच्छता सेवाएं	7,85.84	-	-	-	-	-
						<b>7,85.84</b>
102- ग्रामीण स्वच्छता सेवाएं	12,12.01	-	-	-	-	-
						<b>12,12.01</b>
106- मल निकास व्यवस्था सेवाएं	1,12,75.22	-	-	-	-	-
						<b>1,12,75.22</b>
800- अन्य व्यय	8,58.31	-	-	-	-	-
	<b>कुल-02</b>	<b>1,41,31.38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>कुल-4215</b>	<b>79,46,76.20</b>	<b>-</b>	<b>1,02,40.61</b>	<b>2,62,72.94</b>	<b>3,65,13.55</b>
						<b>79,46,76.20</b>



## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्षक-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा- (जारी)</b>							
<b>4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>							
<i>80- सामान्य-</i>							
001-	निदेशन एवं प्रशासन	1,88.72	-	-	-	-	-
							<b>1,88.72</b>
191-	आवासीय निगमों में निवेश	3.00	-	-	-	-	-
							<b>3.00</b>
201-	आवासीय बोर्डों में निवेश	1,49.75	-	-	-	-	-
							<b>1,49.75</b>
800-	अन्य व्यय	10,01.23	-	-	3,22.91	3,22.91	3,22.91
							<b>10,01.23</b>
	<i>कुल-80</i>	<u>13,42.70</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,22.91</u>	<u>3,22.91</u>	<u>3,22.91</u>
							<b>13,42.70</b>
	<b>कुल-4216</b>	<b><u>3,74,07.10</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>2,00.00</u></b>	<b><u>3,22.91</u></b>	<b><u>5,22.91</u></b>	<b><u>5,22.91</u></b>
							<b>3,74,07.10</b>
<b>4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
<i>01- राज्य पूँजीगत विकास-</i>							
001-	निदेशन एवं प्रशासन	18.05	-	-	-	-	-
							<b>18.05</b>
050-	भूमि	1.21	-	-	-	-	-
							<b>1.21</b>

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा-</b>							
<b>4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
<i>01- राज्य पूँजीगत विकास-(समाप्त)</i>							
051-	निर्माण	42.12	-	-	6,00.00	6,00.00	6,00.00
							<b>42.12</b>
052-	मशीनरी एवं उपकरण	1,37.51	-	-	-	-	-
							<b>1,37.51</b>
191-	स्थानीय निकाय निगमों, शहरी विकास प्रधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता	8,07.04	-	-	-	-	-
							<b>8,07.04</b>
800-	अन्य व्यय	73.76	-	-	-	-	-
							<b>73.76</b>
		<i>कुल-01</i>					
		10,79.69	-	-	6,00.00	6,00.00	6,00.00
							<b>10,79.69</b>
<i>03- छोटे एवं मध्यम शहरों का एकीकृत विकास-</i>							
051-	निर्माण	5,28,33.39	-	1,81,08.79	-	1,81,08.79	1,81,08.79
							<b>5,28,33.39</b>
191-	स्थानीय निकाय निगमों, शहरी विकास प्रधिकरणों के नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता	55,67.34	-	-	-	-	-
							<b>55,67.34</b>
800-	अन्य व्यय	43,81,59.98	-	-	1,59,05.54	1,59,05.54	1,59,05.54
							<b>43,81,59.98</b>
		<i>कुल-03</i>					
		49,65,60.71	-	1,81,08.79	1,59,05.54	3,40,14.33	3,40,14.33
							<b>49,65,60.71</b>







## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
व्यय शीर्षक-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ख समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण का पूँजीगत लेखा-							
4225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-						
01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-							
102-	आर्थिक विकास	77.55	-	-	-	-	-
							77.55
793-	अनुसूचित जाति घटक योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता	58.56	-	-	-	-	-
							58.56
800-	अन्य व्यय	3,13.34	-	-	38.83	38.83	38.83
							3,13.34
	कुल-01	4,49.45	-	-	38.83	38.83	38.83
							4,49.45
02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-							
102-	आर्थिक विकास	1.54	-	-	-	-	-
							1.54
277-	शिक्षा	61.83	-	-	-	-	-
							61.83
283-	आवास	7.53	-	-	-	-	-
							7.53

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ख समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
4225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)						
<i>02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-(समाप्त)</i>							
794-	जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	1,21.21	-	-	-	-	-
							1,21.21
800-	अन्य व्यय	2,75,09.54	-	2,30.56	13,67.66	15,98.22	15,98.22
							<b>2,75,09.54</b>
<i>कुल-02</i>		2,77,01.65	-	2,30.56	13,67.66	15,98.22	15,98.22
							<b>2,77,01.65</b>
<i>03- पिछड़े वर्ग का कल्याण-</i>							
102-	आर्थिक विकास	3,09.95	-	-	-	-	-
							3,09.95
283-	आवास	3.00	-	-	-	-	-
							3.00
800-	अन्य व्यय	3,67.76	-	-	-	-	-
							<b>3,67.76</b>
<i>कुल-03</i>		6,80.71	-	-	-	-	-
							<b>6,80.71</b>

## 16. नघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
व्यय शीर्षक-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ख समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)							
4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)							
80- सामान्य-							
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-							
(i)- जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के विकास निगमों में निवेश							
		5,10.00	-	-	-	-	-
							5,10.00
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	92.62	-	-	-	-	-
							92.62
800-	अन्य व्यय	11,03.49	-	-	-	-	-
							11,03.49
	कुल-80	17,06.11	-	-	-	-	-
							17,06.11
	कुल-4225	3,05,37.92	-	2,30.56	14,06.49	16,37.05 \$	16,37.05
							3,05,37.92
	कुल-(ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण का पूँजीगत लेखा	3,05,37.92	-	2,30.56	14,06.49	16,37.05	16,37.05
							3,05,37.92

\$ सहायता अनुदान पर ₹ 38.83 लाख का व्यय सम्मिलित है।



## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्षक-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ख समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(छ) समाज कल्याण एवं पोषण का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
<i>02- समाज कल्याण-(समाप्त)</i>							
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-							
	(i)- जम्मू एवं कश्मीर की अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के विकास निगम में निवेश	7,79.81	-	-	-	-	-
	(ii)- जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड में निवेश	18,26.63	-	1,22.69	-	1,22.69	1,22.69
	<b>कुल-190</b>	<b>26,06.44</b>	<b>-</b>	<b>1,22.69</b>	<b>-</b>	<b>1,22.69</b>	<b>1,22.69</b>
	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना	66.44	-	-	-	-	-
	800- अन्य व्यय	20,97.15	-	-	-	-	-
	<b>कुल-02</b>	<b>6,23,43.23</b>	<b>-</b>	<b>1,30.68</b>	<b>-</b>	<b>1,30.68</b>	<b>1,30.68</b>
	<b>60- अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम-</b>						
	800- अन्य व्यय						
	चीनी-						
	सकल व्यय	16,27,93.53	-	35,80.06	-	35,80.06	35,80.06
							<b>16,27,93.53</b>

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)						
व्यय शीर्ष-						
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)						
ख समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)						
(छ) समाज कल्याण एवं पोषण का पूँजीगत लेखा-(जारी)						
4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)						
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम-(जारी)						
800- अन्य व्यय-						
चीनी-						
कटौती, प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	(-)12,75,48.24	-	-	-	-	-
						(-)12,75,48.24
निवल व्यय	3,52,45.29	-	35,80.06	-	35,80.06	35,80.06
						3,52,45.29
मिट्टी का तेल-						
सकल व्यय	85,64.23	-	-	-	-	-
						85,64.23
कटौती, प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	(-)94,74.71	-	-	-	-	-
						(-)94,74.71
निवल व्यय	(-)9,10.48	-	-	-	-	-
						(-)9,10.48
हार्ड कोक -						
सकल व्यय	8,20.43	-	-	-	-	-
						8,20.43
कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	(-)7,14.31	-	-	-	-	-
						(-)7,14.31
निवल व्यय	1,06.12	-	-	-	-	-
						1,06.12

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ख समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(छ) समाज कल्याण एवं पोषण का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
4235-	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)						
60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम-(समाप्त)						
800-	अन्य व्यय-						
	अन्य व्यय-						
	सकल व्यय	2,59,05.76	-	-	-	-	
						2,59,05.76	
	कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	(-)20,27.18	-	-	-	-	
						(-)20,27.18	
	निवल व्यय	2,38,78.58	-	-	-	-	
						2,38,78.58	
	कुल-60	5,83,19.51	-	35,80.06	-	35,80.06	
						5,83,19.51	
	कुल-4235	27,77,64.10	-	88,43.45	2,54.72	90,98.17 \$	
						27,77,64.10	
4236-	पोषण पर पूँजीगत परिव्यय-						
02-	पौष्टिक आहार एवं पेय पदार्थों का वितरण-						
102-	बाल कल्याण	41.57	-	-	-	-	
						41.57	
800-	अन्य व्यय	25,35.59	-	19,79.49	-	19,79.49	
						25,35.59	
	कुल-02	25,77.16	-	19,79.49	-	19,79.49	
						25,77.16	

\$ परिचालन लागत एवं खाद्यान्नों के परिवहन/ संचालन प्रभार पर ₹ 35,80.06 लाख का व्यय सम्मिलित है।

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)						
<b>व्यय शीर्ष-</b>						
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>						
<b>ख समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>(छ) समाज कल्याण एवं पोषण का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)</b>						
<b>4236- पोषण पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>						
<i>80- सामान्य-</i>						
800- अन्य व्यय	3,45,05.14	-	-	-	-	-
	<u>3,45,05.14</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,45,05.14</u>
	<i>कुल-80</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<u>3,45,05.14</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,45,05.14</u>
	<b>कुल-4236</b>	<b>-</b>	<b>19,79.49</b>	<b>-</b>	<b>19,79.49</b>	<b>19,79.49</b>
	<u>3,70,82.30</u>	<u>-</u>	<u>19,79.49</u>	<u>-</u>	<u>19,79.49</u>	<u>3,70,82.30</u>
	<b>कुल-(छ)- समाज कल्याण एवं पोषण का पूँजीगत लेखा</b>	<b>-</b>	<b>1,08,22.94</b>	<b>2,54.72</b>	<b>1,10,77.66</b>	<b>1,10,77.66</b>
	<u>31,48,46.40</u>	<u>-</u>	<u>1,08,22.94</u>	<u>2,54.72</u>	<u>1,10,77.66</u>	<u>31,48,46.40</u>
<b>(ज) अन्य समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-</b>						
<b>4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-</b>						
001- निदेशन एवं प्रशासन	0.20	-	-	-	-	-
	<u>0.20</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.20</u>
101- प्राकृतिक आपदाएं	97,87.62	-	-	-	-	-
	<u>97,87.62</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>97,87.62</u>
191- श्रम सहकारिताएं	2.27	-	-	-	-	-
	<u>2.27</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.27</u>
201- श्रम	7,10.42	-	60.72	-	60.72	60.72
	<u>7,10.42</u>	<u>-</u>	<u>60.72</u>	<u>-</u>	<u>60.72</u>	<u>60.72</u>
	<b>7,10.42</b>	<b>-</b>	<b>60.72</b>	<b>-</b>	<b>60.72</b>	<b>60.72</b>



## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
व्यय शीर्षक-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ख सामाज्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)							
(ज) अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत लेखा-(समाप्त)							
4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)							
203-	रोजगार	2,38,58.73	-	71.91	29.35	1,01.26	1,01.26
							<b>2,38,58.73</b>
800-	अन्य व्यय	29,01.64	-	4,23.42	-	4,23.42	4,23.42
							<b>29,01.64</b>
	<b>कुल-4250</b>	<b>3,72,60.88</b>	<b>-</b>	<b>5,56.05</b>	<b>29.35</b>	<b>5,85.40 \$</b>	<b>5,85.40</b>
	<b>कुल-(ज)-अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत लेखा</b>	<b>3,72,60.88</b>	<b>-</b>	<b>5,56.05</b>	<b>29.35</b>	<b>5,85.40</b>	<b>5,85.40</b>
							<b>3,72,60.88</b>
	<b>कुल-(ख)- समाज सेवाओं पर पूँजीगत लेखा</b>	<b>2,90,72,38.66</b>	<b>-</b>	<b>7,87,27.70</b>	<b>7,05,65.51</b>	<b>14,92,93.21</b>	<b>14,92,93.21</b>
							<b>2,90,72,38.66</b>
ग आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-							
4401- फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय-							
001-	निर्देशन एवं प्रशासन	46.05	-	-	-	-	-
							<b>46.05</b>
052-	मशीनरी एवं उपकरण	0.51	-	-	-	-	-
							<b>0.51</b>
101-	खेती सहकारी समितियाँ	26,47.35	-	-	-	-	-
							<b>26,47.35</b>
102-	खाद्यान्न फसलें	0.38	-	-	-	-	-
							<b>0.38</b>

\$ वजीफा और छात्रवृत्ति पर ₹ 16.96 लाख का व्यय सम्मिलित है।







## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4401- फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>							
<b>800- अन्य व्यय-</b>							
	सकल व्यय	5,18,51.63	-	1,54,72.66	14,42.69	1,69,15.35	1,69,15.35
	कटौती -प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	(-)2,15.00	-	-	-	-	-
	निवल व्यय	5,16,36.63	-	1,54,72.66	14,42.69	1,69,15.35	1,69,15.35
	कृषि उत्पादन- सकल व्यय	35,93.91	-	-	-	-	35,93.91
	कटौती प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	(-)3,18.72	-	-	-	-	(-)3,18.72
	निवल व्यय	32,75.19	-	-	-	-	32,75.19
	अन्य व्यय	6,28,94.10	-	-	-	-	6,28,94.10
	<b>कुल-800</b>	<b>11,78,05.92</b>	<b>-</b>	<b>1,54,72.66</b>	<b>14,42.69</b>	<b>1,69,15.35</b>	<b>1,69,15.35</b>
							<b>11,78,05.92</b>
	911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)26.29	-	-	-	-	-
	<b>कुल-4401</b>	<b>19,46,40.11</b>	<b>-</b>	<b>1,75,37.77</b>	<b>1,21,20.93</b>	<b>2,96,58.70</b>	<b>2,96,58.70</b>
							<b>19,46,40.11</b>

\$ सहायिकी पर ₹ 74,03.01 लाख का व्यय सम्मिलित है।

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
व्यय शीर्षक-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ग आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
4402- मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय-							
001-	निदेशन एवं प्रशासन	32,46.43	-	-	-	-	-
							<b>32,46.43</b>
101-	मृदा सर्वेक्षण एवं परीक्षण	13,31.16	-	-	2,95.32	2,95.32	2,95.32
							<b>13,31.16</b>
102-	मृदा संरक्षण	1,58,46.70	-	1,73.72	-	1,73.72	1,73.72
							<b>1,58,46.70</b>
203-	भूमि सुधार एवं विकास	4.49	-	-	-	-	-
							<b>4.49</b>
800-	अन्य व्यय	1,86,67.22	-	-	-	-	-
							<b>1,86,67.22</b>
		<b>कुल-4402</b>					
		<b>3,90,96.00</b>	-	1,73.72	2,95.32	4,69.04	4,69.04
							<b>3,90,96.00</b>
4403- पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-							
001-	निदेशन एवं प्रशासन	11,71.60	-	-	-	-	-
							<b>11,71.60</b>
101-	पशु चिकित्सा सेवाएं एवं पशु स्वास्थ्य	2,60,74.64	-	34,22.81	4,88.01	39,10.82	39,10.82
							<b>2,60,74.64</b>
102-	मवेशी एवं भैंस विकास	3,60.23	-	-	-	-	-
							<b>3,60.23</b>



## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)						
<b>व्यय शीर्ष-</b>						
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>						
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>4404- डेयरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>						
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-						
(i)- दुग्ध आपूर्ति सहकारिताओं में अंश पूँजी						
	5,60.15	-	-	-	-	-
						5,60.15
800- अन्य व्यय	1,85.44	-	-	-	-	-
						1,85.44
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.30	-	-	-	-	-
						(-)0.30
	<b>कुल-4404</b>	<b>11,56.14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						<b>11,56.14</b>
<b>4405- मत्स्यपालन पर पूँजीगत परिव्यय-</b>						
001- निदेशन एवं प्रशासन						
	10,73.61	-	-	-	-	-
						10,73.61
052- मशीनरी एवं उपकरण	5.26	-	-	-	-	-
						5.26
101- अंतर्देशीय मत्स्यपालन	3,79.31	-	-	-	-	-
						3,79.31
102- एस्टुरीन/ ब्रेकिश जलीय मत्स्यपालन	4.07	-	-	-	-	-
						4.07





## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्षक-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4406- वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>							
<i>01- वानिकी-(समाप्त)</i>							
102-	सामाजिक एवं फार्म वानिकी	1,13.03	-	-	-	-	-
							<b>1,13.03</b>
105-	वन उत्पाद	2,85.78	-	-	-	-	-
							<b>2,85.78</b>
800-	अन्य व्यय	6,08,12.42	-	13,99.65	1,94.31	15,93.96	15,93.96
							<b>6,08,12.42</b>
	<i>कुल-01</i>	<u>6,19,09.72</u>	<u>-</u>	<u>13,99.65</u>	<u>1,94.31</u>	<u>15,93.96</u>	<u>15,93.96</u>
							<b>6,19,09.72</b>
<i>02- पर्यावरणीय वानिकी एवं वन्य जीवन-</i>							
001-	निदेशन एवं प्रशासन	8.10	-	-	-	-	-
							<b>8.10</b>
110-	वन्य जीवन	13,99.61	-	-	27.78	27.78	27.78
							<b>13,99.61</b>
112-	सार्वजनिक उद्यान	2,79,62.30	-	11,32.34	-	11,32.34	11,32.34
							<b>2,79,62.30</b>
800-	अन्य व्यय	20,64.29	-	-	-	-	-
							<b>20,64.29</b>
	<i>कुल-02</i>	<u>3,14,34.30</u>	<u>-</u>	<u>11,32.34</u>	<u>27.78</u>	<u>11,60.12</u>	<u>11,60.12</u>
							<b>3,14,34.30</b>
	<b>कुल-4406</b>	<u><b>9,33,44.02</b></u>	<u><b>-</b></u>	<u><b>25,31.99</b></u>	<u><b>2,22.09</b></u>	<u><b>27,54.08</b></u>	<u><b>27,54.08</b></u>
							<b>9,33,44.02</b>

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)						
<b>व्यय शीर्ष-</b>						
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>						
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>4408- खाद्य संग्रहण एवं भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय-</b>						
<i>01- खाद्य-</i>						
101- अधिप्राप्ति एवं आपूर्ति-						
चावल/ धान- सकल व्यय	78,11,67.80	-	60,15.52	-	60,15.52	60,15.52
						<b>78,11,67.80</b>
कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	(-)59,20,52.99	-	(-)2,55.35	-	(-)2,55.35	(-)2,55.35
						<b>(-)59,20,52.99</b>
निवल व्यय	18,91,14.81	-	57,60.17	-	57,60.17	57,60.17
						<b>18,91,14.81</b>
गेहूँ/ आटा- सकल व्यय	29,00,63.58	-	58,02.13	-	58,02.13	58,02.13
						<b>29,00,63.58</b>
कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	(-)23,77,82.28	-	-	-	-	-
						<b>(-)23,77,82.28</b>
निवल व्यय	5,22,81.30	-	58,02.13	-	58,02.13	58,02.13
						<b>5,22,81.30</b>
मक्का- सकल व्यय	13.22	-	-	-	-	-
						<b>13.22</b>
कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	(-)10,34.71	-	-	-	-	-
						<b>(-)10,34.71</b>
निवल व्यय	(-)10,21.49	-	-	-	-	-
						<b>(-)10,21.49</b>





## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)						
<b>व्यय शीर्ष-</b>						
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>						
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>4408- संग्रहण एवं भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>						
<i>02- संग्रहण एवं भण्डारण-(समाप्त)</i>						
800- अन्य व्यय	21,85.63	-	16,41.92		16,41.92	16,41.92
						<b>21,85.63</b>
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.84	-	-		-	-
						<b>(-)0.84</b>
	<u>कुल-02</u>	<u>-</u>	<u>16,41.92</u>		<u>16,41.92</u>	<u>16,41.92</u>
						<b>22,98.68</b>
	<b>कुल-4408</b>	<b>-</b>	<b>1,32,04.47</b>		<b>1,32,04.47 \$</b>	<b>1,32,04.47</b>
						<b>32,67,48.53</b>
<b>4415- कृषि अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय-</b>						
<i>01- फसल पैदावार</i>						
004- अनुसंधान-सकल व्यय	5,09.62	-	-	-	-	-
						<b>5,09.62</b>
कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	(-)18.51	-	-	-	-	-
						<b>(-)18.51</b>
निवल व्यय	<u>4,91.11</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
						<b>4,91.11</b>
800- अन्य व्यय	13.19	-	-	-	-	-
						<b>13.19</b>
	<u>कुल-01</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
						<b>5,04.30</b>

\$ परिचालन लागत एवं खाद्यान्नों के परिवहन/ संचालन प्रभार पर ₹ 1,15,62.55 लाख का व्यय सम्मिलित है।

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्षक-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4415- कृषि अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>							
<i>03- पशुपालन-</i>							
277-	शिक्षा	7.83	-	-	-	-	-
							<b>7.83</b>
	<i>कुल-03</i>	7.83	-	-	-	-	<b>7.83</b>
<i>04- डेयरी विकास-</i>							
800-	अन्य व्यय	0.90	-	-	-	-	-
							<b>0.90</b>
	<i>कुल-04</i>	0.90	-	-	-	-	<b>0.90</b>
<i>80- सामान्य-</i>							
277-	शिक्षा	3,30,23.41	-	17,69.45	-	17,69.45	17,69.45
							<b>3,30,23.41</b>
800-	अन्य व्यय	71.00	-	-	-	-	-
							<b>71.00</b>
	<i>कुल-80</i>	3,30,94.41	-	17,69.45	-	17,69.45	17,69.45
							<b>3,30,94.41</b>
	<b>कुल-4415</b>	<b>3,36,07.44</b>	-	17,69.45	-	17,69.45	17,69.45
							<b>3,36,07.44</b>
<b>4416- कृषि वित्तीय संस्थानों में निवेश-</b>							
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	0.40	-	-	-	-	-
							<b>0.40</b>
	<b>कुल-4416</b>	<b>0.40</b>	-	-	-	-	<b>0.40</b>

## 16. नघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
व्यय शीर्षक-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
4425- सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय-							
001-	निदेशन एवं प्रशासन	25,07.79	-	-	-	-	-
							25,07.79
004-	अनुसंधान एवं मूल्यांकन	32.34	-	-	-	-	-
							32.34
106-	बहुदेशीय ग्रामीण सहकारिताओं में निवेश	26.33	-	-	-	-	-
							26.33
107-	क्रेडिट सहकारिता में निवेश-						
(i)-	जम्मू एवं कश्मीर भूमि विकास बैंक लिमिटेड में शेयर पूँजीगत निवेश	82.27	-	-	-	-	-
							82.27
(ii)-	जम्मू एवं कश्मीर सहकारी बैंक लिमिटेड में शेयर पूँजीगत निवेश	81.67	-	-	-	-	-
							81.67
(iii)-	प्राथमिक कृषि सहकारिताओं में शेयर पूँजीगत निवेश	81.40	-	-	-	-	-
							81.40
(iv)-	क्रेडिट सहकारिता में अन्य निवेश	1,25.55	-	-	-	-	-
							1,25.55
कुल-107		3,70.89	-	-	-	-	-
							3,70.89



## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्षक-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4425- सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
108- अन्य सहकारिताओं में निवेश-							
	(i)- भण्डारण एवं विपणन सहकारी संस्थाएं	49.30	-	-	-	-	-
	(ii)- प्रसंस्करण सहकारी संस्थाएं	1,04.47	-	-	-	-	49.30
	(iii)- उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं	4,11.32	-	-	-	-	1,04.47
	(iv)- अन्य सहकारी संस्थाएं	43,92.94	-	-	-	-	4,11.32
	<b>कुल-108</b>	<b>49,58.03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43,92.94</b>
							<b>49,58.03</b>
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-							
	(i)- उपभोक्ता कारोबार विपणन समितियाँ कश्मीर में शेयर पूँजीगत निवेश	3,68.70	-	-	-	-	-
	(ii)- उपभोक्ता कारोबार विपणन समितियाँ जम्मू में शेयर पूँजीगत निवेश	44.08	-	-	-	-	3,68.70
	(iii)- जम्मू एवं कश्मीर सहकारी/ कृषि एवं ग्रामीण बैंक	2,65,18.50	-	3,35.20	-	3,35.20	44.08
	<b>कुल-190</b>	<b>2,69,31.28</b>	<b>-</b>	<b>3,35.20</b>	<b>-</b>	<b>3,35.20</b>	<b>3,35.20</b>
							<b>2,69,31.28</b>



## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)</b>							
<b>4435- अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>							
<i>60- अन्य-</i>							
800-	अन्य व्यय	2.68	-	-	-	-	-
		2.68	-	-	-	-	2.68
		<i>कुल-60</i>	-	-	-	-	-
		2.68	-	-	-	-	2.68
		<b>कुल-4435</b>	-	-	-	-	-
		<b>4,07.33</b>	-	-	-	-	<b>4,07.33</b>
<b>कुल-(क)-कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा</b>		<b>78,85,32.87</b>	-	3,93,81.25	1,35,51.05	5,29,32.30	5,29,32.30
		<b>78,85,32.87</b>	-	-	-	-	<b>78,85,32.87</b>
<b>(ख) ग्रामीण विकास का पूँजीगत लेखा-</b>							
<b>4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
101-	पंचायती राज	19,04,94.77	-	-	-	-	-
		19,04,94.77	-	-	-	-	19,04,94.77
102-	समुदायिक विकास	7,51,17.07	-	26,80.93	42,95.04	69,75.97	69,75.97
		7,51,17.07	-	26,80.93	42,95.04	69,75.97	69,75.97
103-	ग्रामीण विकास	22,10,61.99	-	90.00	2,85,40.59	2,86,30.59	2,86,30.59
		22,10,61.99	-	90.00	2,85,40.59	2,86,30.59	2,86,30.59
		<b>22,10,61.99</b>	-	-	-	-	<b>22,10,61.99</b>

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आवंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्षक-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ख) ग्रामीण विकास का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)</b>							
<b>4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>							
800-	अन्य व्यय	53,92,62.00	-	98,68.84	2,29,38.06	3,28,06.90	3,28,06.90
							<b>53,92,62.00</b>
<b>कुल-4515</b>		<b>1,02,59,35.83</b>	<b>-</b>	<b>1,26,39.77</b>	<b>5,57,73.69</b>	<b>6,84,13.46</b>	<b>6,84,13.46</b>
							<b>1,02,59,35.83</b>
<b>कुल- (ख)- ग्रामीण विकास का पूँजीगत लेखा</b>		<b>1,02,59,35.83</b>	<b>-</b>	<b>1,26,39.77</b>	<b>5,57,73.69</b>	<b>6,84,13.46</b>	<b>6,84,13.46</b>
							<b>1,02,59,35.83</b>
<b>(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा-</b>							
<b>4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
<i>02- पिछड़े क्षेत्र- क</i>							
253-	जिला प्रशासन	20,12.15	-	-	-	-	-
							<b>20,12.15</b>
259-	लोक निर्माण	3,00,85.25	-	-	-	-	-
							<b>3,00,85.25</b>
277-	शिक्षा	83.10	-	-	-	-	-
							<b>83.10</b>
280-	चिकित्सा	38.12	-	-	-	-	-
							<b>38.12</b>
282-	जन स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जल निर्माण	29,67.13	-	-	-	-	-
							<b>29,67.13</b>

क लघु शीर्षक के विकास पर व्यय को दर्शाता है।

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आवंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
व्यय शीर्षक-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)							
02- पिछड़े क्षेत्र-(जारी)							
285-	सूचना एवं प्रचार	5.35	-	-	-	-	-
							5.35
288-	खाद्य की उचित मूल्य की दुकानें	8,82.85	-	-	-	-	-
							8,82.85
298-	सहकारिता	3,04.27	-	-	-	-	-
							3,04.27
305-	कृषि	46.32	-	-	-	-	-
							46.32
306-	लघु सिंचाई	15,54.96	-	-	-	-	-
							15,54.96
307-	मृदा एवं जल संरक्षण	1,81.92	-	-	-	-	-
							1,81.92
309-	खाद्य एवं पोषण	76.17	-	-	-	-	-
							76.17
310-	पशुपालन	15.69	-	-	-	-	-
							15.69
313-	वानिकी	11,37.54	-	-	-	-	-
							11,37.54
314-	समुदायिक विकास	3,30.46	-	-	-	-	-
							3,30.46
321-	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	22.08	-	-	-	-	-
							22.08

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
व्यय शीर्षक-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)							
02- पिछड़े क्षेत्र-(समाप्त)							
333-	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं	29,88.00	-	-	-	-	29,88.00
334-	विद्युत परियोजनाएं	1,08,69.98	-	-	-	-	1,08,69.98
601-	छोटी बस की अधिप्राप्ति	0.51	-	-	-	-	0.51
602-	बाढ़ नियंत्रण एवं सागरीय अपरदन-रोधी परियोजनाएं	2,46.13	-	-	-	-	2,46.13
603-	आठवें वित्त आयोग के अनुसार उन्नयन	2,20.23	-	-	-	-	2,20.23
800-	अन्य व्यय	7,82.03	-	-	-	-	7,82.03
	<i>कुल-02</i>	5,48,50.24	-	-	-	-	5,48,50.24
04- लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद							
113-	लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद निधि	20,95,65.06	-	-	-	-	20,95,65.06
114-	कारगिल स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद निधि	10,38,80.92	-	-	-	-	10,38,80.92
	<i>कुल-04</i>	31,34,45.98	-	-	-	-	31,34,45.98

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्षक-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)</b>							
<b>4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>							
<i>60- अन्य-</i>							
800-	अन्य व्यय	5,85.54	-	-	-	-	-
							<b>5,85.54</b>
		<i>कुल-60</i>	5,85.54	-	-	-	-
							<b>5,85.54</b>
		<b>कुल-4575</b>	<b>36,88,81.76</b>	-	-	-	-
							<b>36,88,81.76</b>
		<b>कुल - (ग)-विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा</b>	<b>36,88,81.76</b>	-	-	-	-
							<b>36,88,81.76</b>
<b>(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-</b>							
<b>4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
<i>01- मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक-</i>							
001-	निदेशन एवं प्रशासन	26,63.66	-	-	-	-	-
							<b>26,63.66</b>
052-	मशीनरी एवं उपकरण	1,59.81	-	-	-	-	-
							<b>1,59.81</b>
601-	रणवीर नहर की रिमाँडलिंग	1,64,56.77	-	-	-	-	-
							<b>1,64,56.77</b>
602-	प्रताप नहर	51,42.94	-	-	-	-	-
							<b>51,42.94</b>
603-	कठुआ फीडर	18,28.32	-	-	-	-	-
							<b>18,28.32</b>

## 16. नघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्षक-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
<i>01- मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक-(समाप्त)</i>							
612-	रावी तवी लिफ्ट सिंचाई योजना	28,85.65	-	-	-	-	28,85.65
619-	मार्तण्ड नहर	17,70.62	-	-	-	-	17,70.62
630-	दादी नहर	23,95.68	-	-	-	-	23,95.68
631-	आजी नहर	16,10.55	-	-	-	-	16,10.55
632-	जैनगीर नहर	7,73.54	-	8.75	-	8.75	8,75
							7,73.54
निर्माण/ परियोजनाएं जिन पर पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ		4,15,41.88	-	-	-	-	-
							4,15,41.88
		<b>कुल-01</b>	-	8.75	-	8.75	8.75
							7,72,29.42
<i>02- मध्यम सिंचाई गैर-वाणिज्यिक-</i>							
001-	निदेशन एवं प्रशासन	34.03	-	-	-	-	-
							34.03
		<b>कुल-02</b>	-	-	-	-	-
							34.03
<i>04- मध्यम सिंचाई गैर-वाणिज्यिक-</i>							
001-	निदेशन एवं प्रशासन	3,69,02.44	-	1,96.33	-	1,96.33	1,96.33
							3,69,02.44



## 16. नघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)						
<b>व्यय शीर्ष-</b>						
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>						
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>						
<i>04- मध्यम सिंचाई गैर-वाणिज्यिक-</i>						
612- रावी तवी लिफ्ट सिंचाई योजना	83,56.45	-	1,98.91	-	1,98.91	1,98.91
						<b>83,56.45</b>
निर्माण/ परियोजनाएं जिन पर पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ	4,41.74	-	-	-	-	-
						<b>4,41.74</b>
	<b>कुल-04</b>	-	<b>3,95.24</b>	-	<b>3,95.24</b>	<b>3,95.24</b>
						<b>4,57,00.63</b>
<b>80- सामान्य-</b>						
001- निदेशन एवं प्रशासन	18.66	-	-	-	-	-
						<b>18.66</b>
005- सर्वेक्षण एवं जाँच-पड़ताल	13.56	-	-	-	-	-
						<b>13.56</b>
052- मशीनरी एवं उपकरण	90.69	-	-	-	-	-
						<b>90.69</b>
800- अन्य व्यय	26,75.22	-	-	-	-	-
						<b>26,75.22</b>
	<b>कुल-80</b>	-	<b>-</b>	-	-	<b>-</b>
						<b>27,98.13</b>
<b>कुल-4701</b>	<b>12,57,65.21</b>	-	<b>4,03.99</b>	-	<b>4,03.99</b>	<b>4,03.99</b>
						<b>12,57,65.21</b>



## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
<i>01- बाढ़ नियंत्रण-(समाप्त)</i>							
103-	सिविल निर्माण कार्य	16,68,31.48	-	52,56.53	21,26.37	73,82.90	73,82.90
							<b>16,68,31.48</b>
799-	उर्ध्व	(-)4.85	-	-	-	-	-
							<b>(-)4.85</b>
800-	अन्य व्यय	11,17.18	-	-	-	-	-
							<b>11,17.18</b>
		<i>कुल-01</i>	-	52,56.53	21,26.37	73,82.90	73,82.90
							<b>16,95,79.23</b>
<i>03- जल निकास-</i>							
001-	निर्देशन एवं प्रशासन	16.22	-	-	-	-	-
							<b>16.22</b>
103-	सिविल निर्माण कार्य	6.01	-	-	-	-	-
							<b>6.01</b>
800-	अन्य व्यय	0.05	-	-	-	-	-
							<b>0.05</b>

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्षक-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परियोजना-(जारी)</b>							
<i>03- जल निकास-(समाप्त)</i>							
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.54	-	-	-	-	-
							(-)0.54
		<i>कुल-03</i>	21.74	-	-	-	-
							<b>21.74</b>
		<b>कुल-4711</b>	<b>16,96,00.97</b>	-	52,56.53	21,26.37	73,82.90
							<b>16,96,00.97</b>
		<b>कुल-(घ) - सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा</b>	<b>53,36,34.79</b>	-	75,42.76	66,11.47	1,41,54.23
							<b>53,36,34.79</b>
<b>(ङ) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-</b>							
<b>4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परियोजना-</b>							
<i>01- जल विद्युत उत्पादन-</i>							
001-	निर्देशन एवं प्रशासन	4,14.58	-	-	-	-	-
							<b>4,14.58</b>
052-	मशीनरी एवं उपकरण	0.73	-	-	-	-	-
							<b>0.73</b>
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-						
(i)	राष्ट्रीय परियोजनाएं निर्माण लिमिटेड में निवेश	10.00	-	-	-	-	-
							<b>10.00</b>



## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)						
<b>व्यय शीर्ष-</b>						
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>						
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>(ड) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>						
<i>01- जल विद्युत उत्पादन-(समाप्त)</i>						
799- उर्ध्वत-(समाप्त)						
सूक्ष्म जल विद्युत स्टेशन कारनाह	26,97.24	-	-	-	-	-
						<b>26,97.24</b>
132-ग्रिड स्टेशन ग्लेडनी	14,76.25	-	-	-	-	-
						<b>14,76.25</b>
ग्रिड स्टेशन पम्पोर	12,36.92	-	-	-	-	-
						<b>12,36.92</b>
सेवा परियोजना बसोहली	1,76,19.48	-	-	-	-	-
						<b>1,76,19.48</b>
अन्य निर्माण जिनकी प्रत्येक की लागत ₹ 10 करोड़ या कम है	2,92,11.80	-	-	-	-	-
						<b>2,92,11.80</b>
	<b>कुल-799</b>					<b>-</b>
						<b>10,56,75.96</b>
<b>800- अन्य व्यय-</b>						
(i)- बगलिहार जल विद्युत परियोजना को सहायता	2,04,63.39	-	-	-	-	-
						<b>2,04,63.39 (क)</b>
(ii)- अन्य व्यय	9,12,46.24	-	3,12.94	-	3,12.94	3,12.94
						<b>9,12,46.24</b>
	<b>कुल-800</b>		<b>3,12.94</b>		<b>3,12.94</b>	<b>3,12.94</b>
						<b>11,17,09.63</b>
	<b>कुल-01</b>		<b>3,12.94</b>		<b>3,12.94</b>	<b>3,12.94</b>
						<b>23,25,92.62 (क)</b>

(क) राज्य सरकार द्वारा पिछले गलत वर्गीकरण में सुधार के कारण सूचित किए जाने पर 31 मार्च 2013 तक ₹ 167,00.00 लाख की राशि के शेष को प्रोफॉर्मो कम किया गया। कृपया खण्ड-II के मुख्य शीर्ष -6801 विवरण संख्या 18 में पाद टिप्पणी (क) का संदर्भ लें।

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)						
<b>व्यय शीर्ष-</b>						
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>						
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>(ड) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>						
<i>02- ताप विद्युत उत्पादन-</i>						
001- निदेशन एवं प्रशासन	3,77.15	-	-	-	-	-
अन्य निर्माण जिनकी प्रत्येक की लागत ₹ 10 करोड़ या कम है	2,10.24	-	-	-	-	-
	<u>5,87.39</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,87.39</u>
						<b>5,87.39</b>
<i>04- डीजल/ गैस विद्युत उत्पादन-</i>						
001- निदेशन एवं प्रशासन	25.70	-	-	-	-	-
648- डीजी स्टेशन	38,26.72	-	-	-	-	-
652- डीजी स्टेशन कारगिल	33,34.96	-	-	-	-	-
उत्पादन स्टेशन श्रीनगर की अधिप्राप्ति एवं संस्थापन सहित डीजल स्टेशन श्रीनगर	4,90,10.51	-	-	-	-	-
						<b>4,90,10.51</b>
निर्माण/ परियोजनाएं जिन पर पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ	40,53.12	-	-	-	-	-
						<b>40,53.12</b>
अन्य निर्माण जिनकी प्रत्येक की लागत ₹ 10 करोड़ या कम है।	37,93.51	-	-	-	-	-
	<u>6,40,44.52</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6,40,44.52</u>
						<b>6,40,44.52</b>

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ड) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
<i>05- संचारण एवं वितरण-</i>							
001-	निदेशन एवं प्रशासन	13,41,72.13	-	1,81,92.78	-	1,81,92.78	1,81,92.78
							<b>13,41,72.13</b>
052-	मशीनरी एवं उपकरण	27.47	-	-	-	-	-
							<b>27.47</b>
502-	संचारण लाइन ग्लेडनी उधमपुर	2.56	-	-	-	-	-
							<b>2.56</b>
503-	संचारण लाइन हीरानगर बातल मनवाल	10,28.61	-	-	-	-	-
							<b>10,28.61</b>
507-	बिस्नाह मिरानसाहिब संचारण लाइन	1,15.54	-	-	-	-	-
							<b>1,15.54</b>
536-	बर्म नहर संचारण लाइन	66.38	-	-	-	-	-
							<b>66.38</b>
537-	बर्म बिस्नाह संचारण लाइन	19,19.89	-	-	-	-	-
							<b>19,19.89</b>
540-	132/133 केबी ग्रिड स्टेशन संवर्धन	3,23.46	-	-	-	-	-
							<b>3,23.46</b>
601-	132-केबी बादामपुरा संचारण लाइन	2,54,53.36	-	-	-	-	-
							<b>2,54,53.36</b>
602-	220 केबी ग्लेडनी उधमपुर संचारण लाइन	71.26	-	-	-	-	-
							<b>71.26</b>



## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
व्यय शीर्षक-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(ड) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)							
05- संचारण एवं वितरण-(जारी)							
604-	बुरान किशनपुर संचारण लाइन	18,09.12	-	-	-	-	-
							18,09.12
609-	राजौरी, पुंछ संचारण लाइन	16,08.45	-	-	-	-	-
							16,08.45
615-	रियासी-कलाकोट संचारण लाइन	8,96.38	-	-	-	-	-
							8,96.38
625-	ग्रिड स्टेशन बेमिना	13,04.01	-	-	-	-	-
							13,04.01
636-	ग्रिड स्टेशन हीरानगर	1,01.73	-	-	-	-	-
							1,01.73
637-	ग्रिड स्टेशन बुरान	43,61.69	-	-	-	-	-
							43,61.69
638-	ग्रिड स्टेशन सांबा	1.78	-	-	-	-	-
							1.78
639-	ग्रिड स्टेशन महानपुर	1,59.97	-	-	-	-	-
							1,59.97
640-	ग्रिड स्टेशन दरबा/ पुंछ	10,28.41	-	-	-	-	-
							10,28.41
641-	ग्रिड स्टेशन डोडा	46.00	-	-	-	-	-
							46.00

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
व्यय शीर्षक-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(ड) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
4801-	विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)						
	05- संचारण एवं वितरण-(जारी)						
642-	ग्रिड स्टेशन सिधरा	24.49	-	-	-	-	24.49
670-	उप-संचारण लाइनें और वितरण प्रणाली में सुधार	5,37,30.71	-	-	-	-	5,37,30.71
674-	132/66 केवी ग्रिड स्टेशन हीरानगर का 42.5 एमवीए से 72.5 एमवी तक संवर्धन	0.30	-	-	-	-	0.30
686-	द्राबा चांडक संचारण लाइन	38.59	-	-	-	-	38.59
688-	बुरान रियासी संचारण लाइन	66.01	-	-	-	-	66.01
697-	ग्रिड स्टेशन बडी ब्राहमना	21,89.33	-	-	-	-	21,89.33
698-	ग्रिड स्टेशन गागियाल	14,05.17	-	-	-	-	14,05.17
699-	ग्रिड स्टेशन बिस्नाह	56,47.88	-	-	-	-	56,47.88
700-	ग्रिड स्टेशन चांडक	7,66.53	-	-	-	-	7,66.53
701-	ग्रिड स्टेशन कटरा	12,34.48	-	-	-	-	12,34.48
-							

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्षक-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ड) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
<b>05- संचारण एवं वितरण-(जारी)</b>							
704-	ग्रिड स्टेशन सीओट	19.05	-	-	-	-	19.05
705-	ग्रिड स्टेशन पोनी चाक	13,45.34	-	-	-	-	13,45.34
719-	ग्रिड स्टेशन बर्न पर केवी लाइन बेयस	73.85	-	-	-	-	73.85
720-	132 बर्न-सीओट कलाकात संचारण लाइन	8,26.51	-	-	-	-	8,26.51
721-	132 केवी एस/सी द्राबा चांडक संचारण लाइन	47.73	-	-	-	-	47.73
723-	132 केवी लाइन बेयस 2. न. जी/एस चांडक	7.60	-	-	-	-	7.60
724-	220/132 केवी जी/एस बिस्नाह	1,77.31	-	-	-	-	1,77.31
725-	132 केवी डी/सी लिलो मुख्य रिंग से पानी पाउनी चक ग्रिड स्टेशन तक	29.99	-	-	-	-	29.99
727-	डी/सी बर्न बिस्नाह हीरानगर संचारण लाइन	1,90.08	-	-	-	-	1,90.08

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
व्यय शीर्षक-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(इ) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)							
05- संचारण एवं वितरण-(समाप्त)							
728-	132 केवी 2 न. लाइन बेयस द्राबा	6.76	-	-	-	-	-
							6.76
729-	132//33 केवीजी/ बटाल मनवाल ग्रिड स्टेशन	11,32.98	-	-	-	-	-
							11,32.98
730-	132/33 केवी ग्रिड स्टेशन जोरीयन कलीथ अखनूर	11,88.84	-	-	-	-	-
							11,88.84
731-	22 केवी लाइन ग्रिड स्टेशन बेयस हीरानगर	2,85.35	-	-	-	-	-
							2,85.35
750-	120 एमवीए ग्रिड स्टेशन रियासी	29.76	-	-	-	-	-
							29.76
799-	उचंत	(-)35.18	-	-	-	-	-
							(-)35.18
800-	अन्य व्यय	64,46,83.39	-	15.00	-	15.00	15.00
							64,46,83.39
	अन्य निर्माण कार्य जिनकी प्रत्येक की लागत ₹ 10 करोड़ या कम है	8,23,84.21	-	-	-	-	-
							8,23,84.21
	निर्माण/ परियोजनाएं जिनमें पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ	12,09,24.05	-	-	-	-	-
							12,09,24.05
		<u>कुल-05</u>	<u>1,09,29,19.31</u>	<u>-</u>	<u>1,82,07.78</u>	<u>-</u>	<u>1,82,07.78</u>
							<u>1,09,29,19.31</u>

## 16. नघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)						
<b>व्यय शीर्ष-</b>						
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>						
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>(ड) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>						
<i>06- ग्रामीण विद्युतीकरण-</i>						
001- निदेशन एवं प्रशासन	1,08,07.43	-	-	-	-	1,08,07.43
052- मशीनरी एवं उपकरण	18.77	-	-	-	-	18.77
799- उचंत	0.67	-	-	-	-	0.67
800- अन्य व्यय	95.77	-	-	-	-	95.77
अन्य कार्य जिनकी प्रत्येक की लागत ₹ 10 करोड़ या कम है।	16,65.63	-	-	-	-	16,65.63
निर्माण/ परियोजनाएं जिनमें पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ	11,62.91	-	-	-	-	11,62.91
	<i>कुल-06</i>	-	-	-	-	<b>1,37,51.18</b>
<i>80- सामान्य-</i>						
004- अनुसंधान एवं विकास	0.13	-	-	-	-	0.13
799- उचंत	6.73	-	-	-	-	6.73

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्षक-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ड) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)</b>							
<b>4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>							
<i>80- सामान्य-(समाप्त)</i>							
800- अन्य व्यय		1,73,80.09	-	-	-	-	-
							<b>1,73,80.09</b>
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती		(-)1.99	-	-	-	-	-
							<b>(-)1.99</b>
	<i>कुल-80</i>	<u>1,73,84.96</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
							<b>1,73,84.96</b>
	<b>कुल-4801</b>	<u><b>1,42,12,79.98</b></u>	<u>-</u>	<u>1,85,20.72</u>	<u>-</u>	<u>1,85,20.72</u>	<u>1,85,20.72</u>
							<b>1,42,12,79.98 (क)</b>
	<b>कुल-(ड)- ऊर्जा का पूँजीगत लेखा</b>	<u><b>1,42,12,79.98</b></u>	<u>-</u>	<u>1,85,20.72</u>	<u>-</u>	<u>1,85,20.72</u>	<u>1,85,20.72</u>
							<b>1,42,12,79.98 (क)</b>
<b>(च) उद्योग एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा</b>							
<b>4851- ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय</b>							
001- निदेशन एवं प्रशासन		1,95.70	-	-	-	-	-
							<b>1,95.70</b>
101- औद्योगिक संपदा		7,34,55.39	-	-	-	-	-
							<b>7,34,55.39</b>
102- लघु उद्योग		4,19,69.19	-	49,58.51	-	49,58.51	49,58.51
							<b>4,19,69.19</b>
103- हथकरघा उद्योग		96,23.50	-	7,63.58	-	7,63.58	7,63.58
							<b>96,23.50</b>

(क) राज्य सरकार द्वारा पिछले गलत वर्गीकरण में सुधार के कारण सूचित किए जाने पर 31 मार्च, 2013 ₹ 16700.00 लाख की राशि के शेष का प्रोफॉर्म कम कर दिया गया। कृपया खण्ड-II के मुख्य शीर्षक -6801 विवरण संख्या 18 में पाद टिप्पणी का भी संदर्भ लें।



## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आवंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्षक-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(च) उद्योगों एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
4851-	ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)						
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-(समाप्त)						
(v)-	हथकरघा क्षेत्र में अन्य शेयर पूँजीगत निवेश	15,38.93	-	-	-	-	-
							<b>15,38.93</b>
(vi)-	हस्तशिल्प क्षेत्र में अन्य शेयर पूँजीगत निवेश	18.50	-	-	-	-	-
							<b>18.50</b>
(vii)-	एसआईडीसीओ में निवेश	30,08.50	-	-	-	-	-
							<b>30,08.50</b>
(viii)-	एसआसीओपी में निवेश	1,25.00	-	-	-	-	-
							<b>1,25.00</b>
(ix)-	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	45.00	-	-	-	-	-
							<b>45.00</b>
(x)-	बाजार विकास सहायता	21,66.16	-	-	-	-	-
							<b>21,66.16</b>
	कुल-190	1,15,40.80	-	-	-	-	-
							<b>1,15,40.80</b>
200-	अन्य ग्राम उद्योग	4.84	-	-	-	-	-
							<b>4.84</b>
800-	अन्य व्यय	1,35,29.42	-	15,12.49	-	15,12.49	15,12.49
							<b>1,35,29.42</b>
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)3.13	-	-	-	-	-
							<b>(-)3.13</b>
	कुल-4851	18,18,59.49	-	1,35,90.78	-	1,35,90.78 \$	1,35,90.78
							<b>18,18,59.49</b>

\$ सहायिकी पर ₹13,65.68 लाख का व्यय सम्मिलित है।



## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्षक-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(च) उद्योगों एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4852- लौह एवं इस्पात उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
<i>01- खनन-</i>							
800-	अन्य व्यय	3,68.97	-	-	-	-	-
							<b>3,68.97</b>
	<i>कुल-01</i>	3,68.97	-	-	-	-	<b>3,68.97</b>
<i>02- विनिर्माता-</i>							
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-						
	(i)- एसआईसीओपी	-	-	96.00	-	96.00	96.00
	(ii)- एसआईडीसीओ	7,12.50	-	1,72.50	-	1,72.50	1,72.50
							<b>7,12.50</b>
	<i>कुल-190</i>	7,12.50	-	2,68.50	-	2,68.50	<b>2,68.50</b>
							<b>7,12.50</b>
800-	अन्य व्यय	1,98,42.77	-	-	-	-	-
							<b>1,98,42.77</b>
	<i>कुल-02</i>	2,05,55.27	-	2,68.50	-	2,68.50	<b>2,68.50</b>
							<b>2,05,55.27</b>
	<b>कुल-4852</b>	<b>2,09,24.24</b>	-	2,68.50	-	2,68.50	<b>2,68.50</b>
							<b>2,09,24.24</b>



## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्षक-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(च) उद्योग एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा (जारी)</b>							
<b>4854- सीमेन्ट एवं अधात्विक खनिज लिमिटेड पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
<i>01- सीमेन्ट-</i>							
004- अनुसंधान एवं विकास		24.06	-	-	-	-	-
							<b>24.06</b>
	<i>कुल-01</i>	24.06	-	-	-	-	<b>24.06</b>
	<b>कुल-4854</b>	<b>24.06</b>	-	-	-	-	<b>24.06</b>
<b>4858- अभियांत्रिकी उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
<i>60- अन्य अभियांत्रिकी उद्योग-</i>							
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-							
(i)- तवी स्कूटर्स लिमिटेड में निवेश		10.00	-	-	-	-	-
							<b>10.00</b>
(ii)- अन्य उद्योग		1,15.23	-	-	-	-	-
							<b>1,15.23</b>
	<i>कुल-190</i>	1,25.23	-	-	-	-	<b>1,25.23</b>
	<i>कुल-60</i>	1,25.23	-	-	-	-	<b>1,25.23</b>
	<b>कुल-4858</b>	<b>1,25.23</b>	-	-	-	-	<b>1,25.23</b>









## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्षक-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ख) परिवहन का पूँजीगत लेखा (जारी)</b>							
<b>5054- सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
<i>02- सामरिक एवं सीमावर्ती सड़कें-</i>							
101- पुल		10.31	-	-	-	-	-
							<b>10.31</b>
337- सड़क निर्माण कार्य		8,87.07	-	-	-	-	-
							<b>8,87.07</b>
800- अन्य व्यय		37.53	-	-	-	-	-
							<b>37.53</b>
	<i>कुल-02</i>	9,34.91	-	-	-	-	-
							<b>9,34.91</b>
<i>03- राज्य राजमार्ग-</i>							
001- निदेशन एवं प्रशासन		1,60.87	-	-	-	-	-
							<b>1,60.87</b>
052- मशीनरी एवं उपकरण		3,18.84	-	-	-	-	-
							<b>3,18.84</b>
101- पुल		93,24,06.92	-	2,04,39.88	2,28,90.00	4,33,29.88	4,33,29.88
							<b>93,24,06.92</b>
337- सड़क निर्माण कार्य		2,29,19.40	-	-	-	-	-
							<b>2,29,19.40</b>
794- जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता		2,41.82	-	-	-	-	-
							<b>2,41.82</b>
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना		63.57	-	-	-	-	-
							<b>63.57</b>





## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्षक-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ख) परिवहन का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>5054- सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
<i>05- सड़कें-(समाप्त)</i>							
800- अन्य व्यय		3,05.72	-	-	-	-	3,05.72
	<i>कुल-03</i>	12,84,52.91	-	1,90,81.45	2,36.50	1,93,17.95	1,93,17.95
							<b>12,84,52.91</b>
<i>80- सामान्य-</i>							
001- निदेशन एवं प्रशासन		2,50.86	-	-	-	-	2,50.86
004- अनुसंधान		0.38	-	-	-	-	0.38
052- मशीनरी एवं उपकरण		60.14	-	-	-	-	60.14
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना		90.78	-	-	-	-	90.78
797- आरक्षित निधियों एवं जमा लेखाओं से/ को हस्तांतरण		3,99,59.00	-	-	-	-	3,99,59.00
800- अन्य व्यय		50,21.25	-	-	-	-	50,21.25

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्षक-</b>							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(ख) परिवहन का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
<b>5054- सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
80- सामान्य-(समाप्त)							
902-	केन्द्रीय सड़क निधि से संसहायिकी राशि की कटौती	(-)12,52,83.82	-	(-)21,81.16	(-)2,36.50	(-)24,17.66 (क)	(-)24,17.66
							(-)12,52,83.82 (ख)
	<i>कुल-80</i>	(-)7,99,01.41	-	(-)21,81.16	(-)2,36.50	(-)24,17.66	(-)24,17.66
	<b>कुल-5054</b>	<b>1,37,08,18.51</b>	-	<b>3,73,40.17</b>	<b>2,28,90.00</b>	<b>6,02,30.17</b>	<b>6,02,30.17</b>
							<b>1,37,08,18.51</b>
<b>5055- सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
050-	भूमि एवं भवन	5,51.68	-	-	-	-	-
							<b>5,51.68</b>
102-	बेड़े का अधिग्रहण	17,27.37	-	-	-	-	-
							<b>17,27.37</b>
103-	कार्यशाला सुविधाएं	1,58.26	-	-	-	-	-
							<b>1,58.26</b>
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-						
(i)-	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड में निवेश	1,68,80.44	-	57,51.33	-	57,51.33	57,51.33
							<b>1,68,80.44</b>
800-	अन्य व्यय	70,07.27	-	53.60	-	53.60	53.60
							<b>70,07.27</b>
	<b>कुल-5055</b>	<b>2,63,25.02</b>	-	<b>58,04.93</b>	-	<b>58,04.93</b>	<b>58,04.93</b>
							<b>2,63,25.02</b>

(क) केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त निरूपित सहायता राशि को एमएच-8449-103 को हस्तांतरित दर्शाता है। कृपया खण्ड-II वितरण संख्या-21 में एम एच -8449 के नीचे पाद टिप्पणी ग और लेखाओं पर टिप्पणियों के खण्ड-I अनुलग्नक क का अवलोकन करें।

(ख) 2003-04 से 30-10-2019 तक



## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्षक-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(झ) विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण का पूँजीगत लेखा-</b>							
<b>5425- अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
208-	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	23,89.33	-	1,20.83	-	1,20.83	1,20.83
							<b>23,89.33</b>
800-	अन्य व्यय	1,35,44.26	-	1,57.40	-	1,57.40	1,57.40
							<b>1,35,44.26</b>
<b>कुल-5425</b>		<b>1,59,33.59</b>	-	<b>2,78.23</b>	-	<b>2,78.23</b>	<b>2,78.23</b>
							<b>1,59,33.59</b>
<b>कुल-(झ)- विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण का पूँजीगत लेखा</b>							
		<b>1,59,33.59</b>	-	<b>2,78.23</b>	-	<b>2,78.23</b>	<b>2,78.23</b>
							<b>1,59,33.59</b>
<b>(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-</b>							
<b>5452- पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
<b>01- पर्यटक अवसरचना-</b>							
101-	पर्यटक केन्द्र	22,69.53	-	-	-	-	-
							<b>22,69.53</b>
102-	पर्यटक आवास	1,30,73.01	-	-	-	-	-
							<b>1,30,73.01</b>
103-	पर्यटक परिवहन	1.99	-	-	-	-	-
							<b>1.99</b>
800-	अन्य व्यय	44,58.10	-	-	-	-	-
							<b>44,58.10</b>
<b>कुल-01</b>		<b>1,98,02.63</b>	-	<b>-</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
							<b>1,98,02.63</b>

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्षक-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(अ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>5452- पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>							
<i>80- सामान्य-</i>							
104-	प्रोत्साहन एवं प्रचार	41,85.42	-	-	-	-	-
							<b>41,85.42</b>
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-						
(i)-	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम	21,12.79	-	-	-	-	-
							<b>21,12.79</b>
(ii)-	शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय	8,39.52	-	-	-	-	-
							<b>8,39.52</b>
(iii)-	जवाहर पर्वतारोहण संस्थान बटोट	7.00	-	-	-	-	-
							<b>7.00</b>
(iv)-	केबल कार निगम	10,28.25	-	-	-	-	-
							<b>10,28.25</b>
	<b>कुल-190</b>	<b>39,87.56</b>	-	-	-	-	-
							<b>39,87.56</b>
800-	अन्य व्यय	20,05,02.13	-	1,03,37.44	-	1,03,37.44	1,03,37.44
							<b>20,05,02.13</b>
	<b>कुल-80</b>	<b>20,86,75.11</b>	-	<b>1,03,37.44</b>	-	<b>1,03,37.44</b>	<b>1,03,37.44</b>
							<b>20,86,75.11</b>
	<b>कुल-5452</b>	<b>22,84,77.74</b>	-	<b>1,03,37.44</b>	-	<b>1,03,37.44</b>	<b>1,03,37.44</b>
							<b>22,84,77.74</b>

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(अ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>5465- सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थानों में निवेश-</b>							
<i>01- सामान्य वित्तीय संस्थानों में निवेश-</i>							
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य बैंकों, उपक्रमों आदि में निवेश-							
	(i)- जम्मू एवं कश्मीर बैंक में निवेश	5,55,31.35	-	-	-	-	-
	(ii)- जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय निगम में निवेश	44,83.64	-	-	-	-	5,55,31.35
	(iii)- कामराज ग्रामीण बैंक में निवेश	2,15.79	-	-	-	-	44,83.64
	(iv)- जम्मू ग्रामीण बैंक में निवेश	1,25.96	-	-	-	-	2,15.79
	(v)- अन्य निवेश	3,87.60	-	-	-	-	1,25.96
							3,87.60
	<b>कुल-190</b>	<b>6,07,44.34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,07,44.34</b> (ख)
800-	अन्य व्यय	74.90	-	-	-	-	-
							74.90
	<b>कुल-01</b>	<b>6,08,19.24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,08,19.24</b>
	<b>कुल-5465</b>	<b>6,08,19.24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,08,19.24</b>

(ख) प्रोफॉर्म समायोजन द्वारा विनिवेश के कारण ₹ 28,09.50 लाख की राशि को कम किया गया।





## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण- (जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019	संघ शासित क्षेत्र	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020
	के अंत तक व्यय	जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/	कुल	के अंत तक व्यय
						(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्ष-</b>						
<b>पूँजीगत लेखा (समाप्त)-</b>						
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)						
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)						
5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)						
800- अन्य व्यय	54,85,26.24	-	7,06,86.50	41,13.82	7,48,00.32	7,48,00.32
						<b>54,85,26.24</b>
<b>कुल-5475</b>	<b>54,96,23.65</b>	<b>-</b>	<b>7,07,25.20</b>	<b>41,13.82</b>	<b>7,48,39.02</b>	<b>7,48,39.02</b>
						<b>54,96,23.65</b>
<b>कुल-(ज)-सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा</b>	<b>83,89,20.63</b>	<b>-</b>	<b>8,10,62.64</b>	<b>41,13.82</b>	<b>8,51,76.46</b>	<b>8,51,76.46</b>
						<b>83,89,20.63</b>
<b>कुल ग-आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा</b>	<b>6,61,11,54.70</b>	<b>-</b>	<b>21,66,29.75</b>	<b>10,29,40.03</b>	<b>31,95,69.78</b>	<b>31,95,69.78</b>
						<b>6,61,11,54.70</b>
<b>कुल पूँजीगत लेखा</b>	<b>10,30,00,75.44</b>	<b>-</b>	<b>35,60,56.40</b>	<b>18,61,63.24</b>	<b>54,22,19.64</b>	<b>54,22,19.64</b>
						<b>10,30,00,75.44</b> (ग)
<b>वेतन</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>सहायिकी</b>			<b>13,65.71</b>	<b>74,02.98</b>	<b>87,68.69</b>	
<b>सहायता अनुदान</b>			<b>-</b>	<b>32,02.06</b>	<b>32,02.06</b>	

(ग) प्रोफॉर्म समायोजन द्वारा विनिवेश और पूर्व गलत वर्गीकरण में सुधार के कारण ₹ 1,95,09.50 लाख की राशि को कम किया गया। कृपया इस विवरण के मुख्य शीर्ष 4801 एवं 5465 के नीचे पाद टिप्पणी (क) और (ख) का अवलोकन करें।

कृपया खण्ड-II के विवरण संख्या 18 के मुख्य शीर्ष -6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का भी संदर्भ लें।



## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण

(क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण						
(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)						
ऋण का विवरण	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान वृद्धि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2020 तक शेष राशि	ब्याज भुगतान
						(₹ लाख में)
<b>(ड) लोक ऋण-</b>						
<b>6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-</b>						
101- बाजार ऋण (क)	3,42,90,80.04	-	39,86,00.00	5,70,08.00	34,15,92.00	12,71,97.81
					<b>3,42,90,80.04</b>	
103- भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	11,48,71.40	-	-	26,64.69	(-)26,64.69	53,10.82
					<b>11,48,71.40</b>	
104- भारतीय सामान्य बीमा निगम से ऋण	99.24	-	-	34.64	(-)34.64	6.86
					<b>99.24</b>	
105- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	19,51,22.49	-	2,60,60.11	1,50,95.97	1,09,64.14	26,90.58
					<b>19,51,22.49</b>	
106- क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र						
(i)- विद्युत बंधपत्र	-	-	-	-	-	
(ii)- यूडीएवाई बंधपत्र	35,37,55.00	-	-	-	-	91,07.84
					<b>35,37,55.00</b>	
कुल-106	35,37,55.00	-	-	-	-	91,07.84
					<b>35,37,55.00</b>	
109- अन्य संस्थानों से ऋण (क)	4,37,37.40		47.63	20,62.03	(-)20,14.40	21,54.13
					<b>4,37,37.40</b>	

(क) कृपया ब्योरे हेतु इस विवरण के अनुलग्नक का अवलोकन करें।

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण-(जारी)						
(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)						
ऋण का विवरण	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान वृद्धि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2020 तक शेष राशि	ब्याज भुगतान
						(₹ लाख में)
<b>(ड) लोक ऋण-(जारी)</b>						
<b>6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-(समाप्त)</b>						
110- आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम-						
(i)- अर्थोपाय अग्रिम	6,92,11.00	-	93,55,39.00	91,67,50.00	1,87,89.00	11,03.64
					<b>6,92,11.00</b>	
(ii)- ओवरड्राफ्ट	-	-	30,44,90.80	29,37,61.57	1,07,29.23	1,82.88
					-	
कुल-110	6,92,11.00	-	1,24,00,29.80	1,21,05,11.57	2,95,18.23	12,86.52
					<b>6,92,11.00</b>	
111- केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	33,70,32.49	-	-	2,16,66.03	(-),2,16,66.03	1,68,62.83
					<b>33,70,32.49</b>	
<b>कुल-6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण</b>	<b>4,54,29,09.06</b>	<b>-</b>	<b>1,66,47,37.54</b>	<b>1,30,90,42.93</b>	<b>35,56,94.61</b>	<b>16,46,17.39</b>
					<b>4,54,29,09.06</b>	
<b>6004- केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम-</b>						
<i>01- गैर-नियोजित ऋण-</i>						
201- अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को गृह निर्माण अग्रिम	1,07.59	-	-	-	-	-
					<b>1,07.59</b>	
800- अन्य ऋण	95,20.92	-	-	-	-	-
					<b>95,20.92</b>	
कुल-01	96,28.51	-	-	-	-	-
					<b>96,28.51</b>	

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## (क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.1032019 से 31.03.2020 के दौरान वृद्धि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2020 तक शेष राशि	ब्याज भुगतान (₹ लाख में)
<b>(ड) लोक ऋण-(जारी)</b>						
<b>6004- केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम-(जारी)</b>						
<i>02- राज्य/ संघ क्षेत्र आयोजना योजनाओं हेतु ऋण-</i>						
101- ब्लॉक ऋण	4,48,74.58	-	-	13,95.19	(-)13,95.19	11,53.67
					<b>4,48,74.58</b>	
105- 12वें वित्त आयोग की 1979-2004 की अनुशंसाओं के अनुसार समेकित राज्य योजना ऋण	6,06,28.34	-	-	44,51.63	(-)44,51.63	23,37.11
					<b>6,06,28.34</b>	
<i>कुल-02</i>	10,55,02.92	-	-	58,46.82	(-)58,46.82	34,90.78
					<b>10,55,02.92</b>	
<i>06- अर्थोपाय अग्रिम-</i>						
<b>800- अन्य अर्थोपाय अग्रिम-</b>						
बाढ़ राहत हेतु अग्रिम	9,24.54	-	-	-	<b>9,24.54</b>	-
	9,24.54	-	-	-	<b>9,24.54</b>	-
<i>07- 1984-85 से पूर्व ऋण</i>						
101- विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास, प्रत्यावर्तन	3,35.37	-	-	-	<b>3,35.37</b>	-
102- राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना	15.46	-	-	-	<b>15.46</b>	-
105- लघु बचत ऋण	4,48.57	-	-	-	<b>4,48.57</b>	-
107- 25 वर्ष और 30 वर्षीय ऋणों में पुनः समेकित 1979-80 से पूर्व समेकित ऋण						

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण-(जारी)						
(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)						
ऋण का विवरण	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.1032019 से 31.03.2020 के दौरान वृद्धि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2020 तक शेष राशि	ब्याज भुगतान  (₹ लाख में)
<b>(ड) लोक ऋण-(समाप्त)</b>						
<b>6004- केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम-(समाप्त)</b>						
<i>07- 1984-85 से पूर्व ऋण-(समाप्त)</i>						
अन्य समेकित ऋण	28,29.21	-	-	-	28,29.21	-
109- स्वर्णकारों का पुनर्वास	20.43	-	-	-	20.43	-
800- अन्य ऋण						
(i) समेकित ऋण (1984-85 (क)	1,29.92	-	-	-	1,29.92	-
<i>कुल-07</i>	<i>37,78.96</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>37,78.96</i>	<i>-</i>
<i>09- विधायी योजनाओं सहित राज्य/ संघ शासित क्षेत्र हेतु</i>						
<i>अन्य ऋण</i>						
101- ब्लॉक ऋण	38,77.47	-	-	44.42	(-)44.42	1,56.36
<i>कुल-09</i>	<i>38,77.47</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>44.42</i>	<i>(-)44.42</i>	<i>1,56.36</i>
<b>कुल-6004</b>	<b>12,37,12.40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58,91.24</b>	<b>(-)58,91.24</b>	<b>36,47.14</b>
<b>कुल-ड- लोक ऋण</b>	<b>4,66,66,21.46</b>	<b>-</b>	<b>1,66,47,37.54</b>	<b>1,31,49,34.17</b>	<b>34,98,03.37 (ख)</b>	<b>16,82,64.53</b>
					<b>4,66,66,21.46 (ख)</b>	

(क) भारत सरकार से संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के वेतन एवं लेखा अधिकारियों द्वारा प्रदान किये गये आँकड़ों से ₹ 2,60.30 लाख (स्वर्णकारों का पुनर्वास, ₹ 4.34 लाख, राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना, ₹ 4.80 लाख, लघु बचत संघ, ₹ 94.08 लाख और अन्य समेकित ऋण ₹ 1,57.08 लाख से भिन्नता मिलान संबंधी मामले राज्य सरकार के साथ पत्राचाराधीन हैं चूँकि भारत सरकार द्वारा ऋणों को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों के आधार पर समेकित किया गया था (दिसम्बर 2020)।

(ख) भारत सरकार के मंत्रालयों/ ऋण देने वाले संस्थानों तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्त आयोग (दिसंबर 2020) के साथ आँकड़े मिलानाधीन हैं।

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## (क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान वृद्धि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2020 तक शेष राशि	ब्याज भुगतान
						(₹ लाख में)
अन्य देयताएँ- (क)						
झ- लघु बचतें, भविष्य निधियाँ आदि-						
(ख) भविष्य निधियाँ-						
8009- राज्य भविष्य निधियाँ	2,61,55,86.49	-	24,64,10.76	14,71,06.54	9,93,04.22	7,91,21.22
					<b>2,61,55,86.49</b>	
कुल-(ख)- भविष्य निधियाँ	<b>2,61,55,86.49</b>	-	24,64,10.76	14,71,06.54	9,93,04.22	7,91,21.22
					<b>2,61,55,86.49</b>	
(ग) अन्य लेखे-						
8011- बीमा एवं पेन्शन निधि	10,05,75.13	-	1,31,59.12	82,83.52	48,75.60	27,21.50
					<b>10,05,75.13</b>	
कुल-(ग)- अन्य लेखे	<b>10,05,75.13</b>	-	1,31,59.12	82,83.52	48,75.60	27,21.50
					<b>10,05,75.13</b>	
कुल-झ- लघु बचतें, भविष्य निधि	<b>2,71,61,61.62</b>	-	25,95,69.88	15,53,90.06	10,41,79.82	8,18,42.72
					<b>2,71,61,61.62</b>	
ज- आरक्षित निधियाँ-						
(क) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ-						
8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	12,60,62.05	-	5,42,78.54	3,11,31.61	2,31,46.93	25,91.28
					<b>12,60,62.05</b>	
कुल-(क)- ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ	<b>12,60,62.05</b>	-	5,42,78.54	3,11,31.61	2,31,46.93	25,91.28
					<b>12,60,62.05</b>	
(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ-						
8222- ऋण शोधन निधियाँ	3,55,86.76	-	-	-	-	-
					<b>3,55,86.76</b>	
8223- अकाल राहत निधि	8,66.96	-	-	-	-	-
					<b>8,66.96</b>	

(क) कृपया ब्योरे हेतु विवरण संख्या 21 का अवलोकन करें।

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## (क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान वृद्धि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2020 तक शेष राशि	ब्याज भुगतान
						(₹ लाख में)
अन्य देयताएं-(जारी)						
ज- आरक्षित निधियाँ-(समाप्त)						
(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ-(समाप्त)						
8226- आरक्षित निधियों का मूल्यहास /नवीनीकरण	6,46,65.33	-	-	-	-	-
					<b>6,46,65.33</b>	
8229- विकास एवं कल्याण निधियाँ	3,43,84.93	-	4,65.05	55,53.34	(-)50,88.29	-
					<b>3,43,84.93</b>	
8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	1,78,90.93	-	18,46.34	12,10.15	6,36.19	-
					<b>1,78,90.93</b>	
<b>कुल-(ख)- ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ</b>	<b>15,33,94.91</b>	-	<b>23,11.39</b>	<b>67,63.49</b>	<b>(-)44,52.10</b>	-
					<b>15,33,94.91</b>	
<b>कुल-ज-आरक्षित निधियाँ</b>	<b>27,94,56.96</b>	-	<b>5,65,89.93</b>	<b>3,78,95.10</b>	<b>1,86,94.83</b>	<b>25,91.28</b>
					<b>27,94,56.96</b>	
ट- जमाएं एवं अग्रिम-						
(क) ब्याज वहन करने वाली जमाएं-						
8336- नागरिक जमाएं	-	-	2,95,06.46	-	2,95,06.46	-
					-	
8342- अन्य जमाएं	53,67.44	-	4,70,38.17	4,53,08.64	17,29.53	-
					<b>53,67.44</b>	
<b>कुल-(क) ब्याज वहन करने वाली जमाएं</b>	<b>53,67.44</b>	-	<b>7,65,44.63</b>	<b>4,53,08.64</b>	<b>3,12,35.99</b>	-
					<b>53,67.44</b>	



## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## (क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण-(समाप्त)

(बोर्ड ऑफ़डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान वृद्धि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2020 तक शेष राशि	ब्याज भुगतान
						(₹ लाख में)
अन्य देयताएं-(समाप्त)						
ट- जमाएं एवं अग्रिम-(समाप्त)						
(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं-						
8443- नागरिक जमा	52,68,76.70	-	8,80,27.67	4,38,35.82	4,41,91.85	-
					<b>52,68,76.70</b>	
8448- स्थानीय निधियों की जमा	10,18,16.64	-	2,36,67.76	2,42,73.54	(-)-6,05.78	-
					<b>10,18,16.64</b>	
8449- अन्य जमाएं	5,73,62.51	-	49,52.90	24,17.66	25,35.24	-
					<b>5,73,62.51</b>	
<b>कुल-(ख)- ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं</b>	<b>68,60,55.85</b>	<b>-</b>	<b>11,66,48.33</b>	<b>7,05,27.02</b>	<b>4,61,21.31</b>	<b>-</b>
					<b>68,60,55.85</b>	
<b>कुल-ट- जमाएं एवं अग्रिम</b>	<b>69,14,23.29</b>	<b>-</b>	<b>19,31,92.96</b>	<b>11,58,35.66</b>	<b>7,73,57.30</b>	<b>-</b>
					<b>69,14,23.29</b>	
<b>कुल- अन्य देयताएं</b>	<b>3,68,70,41.87</b>	<b>-</b>	<b>50,93,52.77</b>	<b>30,91,20.82</b>	<b>20,02,31.95</b>	<b>8,44,34.00</b>
					<b>3,68,70,41.87</b>	
<b>कुल-लोक ऋण एवं अन्य देयताएं</b>	<b>8,35,36,63.33</b>	<b>-</b>	<b>2,17,40,90.31</b>	<b>1,62,40,54.99</b>	<b>55,00,35.32 (क)</b>	<b>25,26,98.53 (ख)</b>
					<b>8,35,36,63.33 (क)</b>	

(क) ऑफ़डे राज्य सरकार के साथ मिलानाधीन हैं (दिसंबर 2020)।

(ख) ऋण प्रबंधन (₹ 3,89.37 लाख), अस्थायी प्रभारों (₹ 44.11 लाख) तथा दायित्वों (₹ 31.21 लाख) पर ब्याज अदायगी को सम्मिलित नहीं करता है।

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक					
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)					
ऋण का विवरण	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से	31.10.2019 से	31 मार्च 2020 तक
			31.03.2020 के दौरान वृद्धि	31.03.2020 के दौरान उन्मोचन	शेष राशि
					(₹ लाख में)
<b>(ड) लोक ऋण-</b>					
<b>6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-</b>					
101- बाजार ऋण-					
(क) ब्याज वहन करने वाले ऋण					
8.26% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2020	5,00,00.00	-	-	5,00,00.00
8.40% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2021	29,38.00	-	-	29,38.00
8.42% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2020	5,00,00.00	-	-	5,00,00.00
8.42% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2020	5,00,00.00	-	-	5,00,00.00
8.42% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2021	4,79,10.00	-	-	4,79,10.00
8.48% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2021	5,50,00.00	-	-	5,50,00.00
8.55% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2021	7,50,00.00	-	-	7,50,00.00
8.61% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2021	7,00,00.00	-	-	7,00,00.00
8.83% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2021	2,00,00.00	-	-	2,00,00.00
9.06% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2021	5,00,00.00	-	-	5,00,00.00
9.33% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2021	1,75,00.00	-	-	1,75,00.00
8.89% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2022	5,00,00.00	-	-	5,00,00.00
9.00% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2022	6,00,00.00	-	-	6,00,00.00
9.01% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2022	2,00,00.00	-	-	2,00,00.00
9.49% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2022	12,00,00.00	-	-	12,00,00.00
7.60% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	2,00,00.00	-	-	2,00,00.00
7.83% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	3,00,00.00	-	-	3,00,00.00
8.27% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	2,00,00.00	-	-	2,00,00.00
8.66% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	5,00,00.00	-	-	5,00,00.00
8.74% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	5,50,00.00	-	-	5,50,00.00
8.80% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	5,00,00.00	-	-	5,00,00.00
9.38% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	3,00,00.00	-	-	3,00,00.00
8.89% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2024	3,00,00.00	-	-	3,00,00.00
8.96% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2024	3,00,00.00	-	-	3,00,00.00

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि		31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान वृद्धि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2020 तक शेष राशि
(₹ लाख में)						
<b>(ड) लोक ऋण-(जारी)</b>						
<b>6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-(जारी)</b>						
101- बाजार ऋण-(जारी)						
(क) ब्याज वहन करने वाले ऋण-(जारी)						
8.99% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2024	1,50,00.00	-	-	-	-	1,50,00.00
9.18% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2024	1,50,00.00	-	-	-	-	1,50,00.00
9.25% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2024	4,00,00.00	-	-	-	-	4,00,00.00
9.40% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2024	3,00,00.00	-	-	-	-	3,00,00.00
9.46% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2024	1,80,00.00	-	-	-	-	1,80,00.00
8.06% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2025	2,00,00.00	-	-	-	-	2,00,00.00
8.03% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2025	5,00,00.00	-	-	-	-	5,00,00.00
8.17% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2025	3,00,00.00	-	-	-	-	3,00,00.00
8.18% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2025	5,00,00.00	-	-	-	-	5,00,00.00
8.26% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2025	1,50,00.00	-	-	-	-	1,50,00.00
8.28% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2025	4,50,00.00	-	-	-	-	4,50,00.00
8.63% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2026	3,50,00.00	-	-	-	-	3,50,00.00
6.97% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2026	3,45,00.00	-	-	-	-	3,45,00.00
7.10% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2026	55,00.00	-	-	-	-	55,00.00
7.18% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2026	3,00,00.00	-	-	-	-	3,00,00.00
7.57% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2026	4,00,00.00	-	-	-	-	4,00,00.00
7.69% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2026	3,00,00.00	-	-	-	-	3,00,00.00
8.05% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2026	5,00,00.00	-	-	-	-	5,00,00.00
7.20% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	3,00,00.00	-	-	-	-	3,00,00.00
7.27% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	6,00,00.00	-	-	-	-	6,00,00.00
7.34% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	6,00,00.00	-	-	-	-	6,00,00.00
7.42% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	3,00,00.00	-	-	-	-	3,00,00.00
7.44% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	3,00,00.00	-	-	-	-	3,00,00.00

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि		31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान वृद्धि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2020 तक शेष राशि
(₹ लाख में)						
<b>(ड) लोक ऋण-(जारी)</b>						
<b>6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-(जारी)</b>						
101- बाजार ऋण-(जारी)						
(क) ब्याज वहन करने वाले ऋण-(जारी)						
7.50% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	3,00,00.00	-	-	-	-	3,00,00.00
7.56% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	4,00,00.00	-	-	-	-	4,00,00.00
7.58% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	5,00,00.00	-	-	-	-	5,00,00.00
7.59% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	6,00,00.00	-	-	-	-	6,00,00.00
7.75% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	5,00,00.00	-	-	-	-	5,00,00.00
8.05% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	3,90,00.00	-	-	-	-	3,90,00.00
8.00% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	8,00,00.00	-	-	-	-	8,00,00.00
8.10% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	5,00,00.00	-	-	-	-	5,00,00.00
8.33% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	4,00,00.00	-	-	-	-	4,00,00.00
8.34% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	6,00,00.00	-	-	-	-	6,00,00.00
8.26% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	6,00,00.00	-	-	-	-	6,00,00.00
8.34% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	6,00,00.00	-	-	-	-	6,00,00.00
8.52% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	3,00,00.00	-	-	-	-	3,00,00.00
8.56% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	4,00,00.00	-	-	-	-	4,00,00.00
8.59% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	7,00,00.00	-	-	-	-	7,00,00.00
8.59% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	4,75,40.00	-	-	-	-	4,75,40.00
8.61% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	5,00,00.00	-	-	-	-	5,00,00.00
8.75% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	3,00,00.00	-	-	-	-	3,00,00.00
8.86% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	3,24,60.00	-	-	-	-	3,24,60.00
8.20% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	8,00,00.00	-	-	-	-	8,00,00.00
8.37% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	5,84,00.00	-	-	-	-	5,84,00.00
8.38% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	8,00,00.00	-	-	-	-	8,00,00.00
8.44% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	3,00,00.00	-	-	-	-	3,00,00.00

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान वृद्धि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2020 तक शेष राशि
<b>(ड) लोक ऋण-(जारी)</b>					
<b>6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-(जारी)</b>					
101- बाजार ऋण-(समाप्त)					
(क) ब्याज वहन करने वाले ऋण (समाप्त)					
6.90% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
7.17% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
7.17% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
7.24% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	2,49,00.00	-	-	-	2,49,00.00
7.28% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
7.39% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
7.59% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	4,00,00.00	-	-	-	4,00,00.00
7.94% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	4,00,00.00	-	-	-	4,00,00.00
8.17% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	4,00,00.00	-	-	-	4,00,00.00
8.22% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	3,34,00.00	-	-	-	3,34,00.00
7.19% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	-	-	3,00,00.00	-	3,00,00.00
7.20% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	-	-	3,09,00.00	-	3,09,00.00
7.30% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	-	-	5,00,00.00	-	5,00,00.00
7.07% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	-	-	6,03,00.00	-	6,03,00.00
7.10% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	-	-	6,00,00.00	-	6,00,00.00
7.28% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	-	-	6,00,00.00	-	6,00,00.00
7.95% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	-	-	10,74,00.00	-	10,74,00.00
कुल-(क)-ब्याज वहन करने वाले ऋण	<b>3,37,20,48.00 \$</b>	-	39,86,00.00	-	39,86,00.00
					<b>3,37,20,48.00</b>

\$ परिपक्वता के परिणामस्वरूप ब्याज वहन से गैर-ब्याज वहन में ऋण के स्थानांतरण के कारण पूर्व वित्त लेखे में ₹ 5,70,08.00 लाख की भिन्नता।

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान वृद्धि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2020 तक शेष राशि
(₹ लाख में)					
<b>(ड) लोक ऋण-(जारी)</b>					
<b>6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-(जारी)</b>					
101- बाजार ऋण-(समाप्त)					
(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाले ऋण-					
9.00% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 1999	22.04	-	-	-	22.04
11.00% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2002	1.00	-	-	-	1.00
14.00% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2005	1.00	-	-	-	1.00
8.40% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक 2020	27,04.00	-	-	27,04.00	-
8.58% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक 2020	5,43,04.00	-	-	5,43,04.00	-
कुल-(ख)- ब्याज वहन नहीं करने वाले ऋण	5,70,08.00	-	-	5,70,08.00	-
	<b>24.04</b>	-	-	-	<b>24.04</b>
कुल-101- बाजार ऋण	<b>3,42,90,80.04</b> \$	-	39,86.00	5,70,08.00	34,15,92.00
					<b>3,42,90,80.04</b>
103- भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	11,48,71.40	-	-	26,64.69	(-)26,64.69
				-	<b>11,48,71.40</b>
104- सामान्य भारतीय बीमा निगम से ऋण	99.24	-	-	34.64	(-)34.64
					<b>99.24</b>

\$ परिपक्वता के परिणामस्वरूप ब्याज वहन से गैर-ब्याज वहन में ऋण के स्थानांतरण के कारण पूर्व विल्ट लेखे में ₹ 5,70,08.00 लाख की भिन्नता।

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं।)

ऋण का विवरण	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान वृद्धि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2020 तक शेष राशि
(₹ लाख में)					
<b>ई- लोक ऋण-(जारी)</b>					
<b>6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण (समाप्त)</b>					
105- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	19,51,22.49	-	2,60,60.11	1,50,95.97	1,09,64.14
					<b>19,51,22.49</b>
106- क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र-					
(i)- विद्युत बंधपत्र	-	-	-	-	-
(ii)- यूडीएवाई बंधपत्र	35,37,55.00	-	-	-	-
					<b>35,37,55.00</b>
कुल-106-क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	35,37,55.00	-	-	-	-
					<b>35,37,55.00</b>
109- अन्य संस्थानों से ऋण-					
(i)- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड से ऋण	36,89.40	-	47.63	20,46.03	(-)19,98.40
					<b>36,89.40</b>
(ii)- यूनाइटेड इंडिया इंश्योरन्स कम्पनी से ऋण	48.00	-	-	16.00	(-)16.00
					<b>48.00</b>
(iii)- विद्युत वित्तीय निगम से ऋण	4,00,00.00	-	-	-	-
					<b>4,00,00.00</b>
कुल-109- अन्य संस्थानों से ऋण	4,37,37.40	-	47.63	20,62.03	(-)20,14.40
					<b>4,37,37.40</b>

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक-(समाप्त)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान वृद्धि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2020 तक शेष राशि
(₹ लाख में)					
<b>ड-लोक ऋण-(समाप्त)</b>					
<b>6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण (समाप्त)</b>					
110- आईबीआई से अर्थोपाय अग्रिम-					
(i)- अर्थोपाय अग्रिम	6,92,11.00	-	93,55,39.00	91,67,50.00	1,87,89.00
					<b>6,92,11.00</b>
(ii)- ओवरड्राफ्ट	-	-	30,44,90.80	29,37,61.57	1,07,29.23
					-
कुल -110- आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम	6,92,11.00	-	1,24,00,29.80	1,21,05,11.57	2,95,18.23
					<b>6,92,11.00</b>
111- केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	33,70,32.48	-	-	2,16,66.03	(-)2,16,66.03
					<b>33,70,32.48</b>
<b>कुल-6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण</b>	<b>4,54,29,09.06</b>	<b>-</b>	<b>1,66,47,37.54</b>	<b>1,30,90,42.93</b>	<b>35,56,94.61</b>
					<b>4,54,29,09.06</b>



## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(ख) परिपक्वता प्रोफाइल

(i) आंतरिक ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल (31 मार्च 2020 को समाप्त) (क)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

(₹ लाख में)

वर्ष	बाजार ऋणों का विवरण (जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण/ स्टॉक)	से ऋण			आरईसी/ पीएफसी	बंधपत्र (यूडीएवाई)	जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	अन्य संस्थानों से ऋण	कुल
		एलआईसी	जीआईसी/ ओआईसी/ एनआईसी/ यूआईआईसी	नाबार्ड			एनएसएसएफ	एचडीएफसी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2020-21									
2021-22									
2022-23									
2023-24									
2024-25									
2025-26									
2026-27									
2027-28									
2028-29									
2029-30									
2030-31									
2031-32									
2032-33									
2033-34									
2034-35									
2035-36									
2036-37									
2037-38									
2038-39									
2039-40									
2040-41									
2041-42									
2042-43									

(क) जैसा कि सूचित किया गया 31.10.2019 से 31.03.2020 तक (पुनर्गठन के बाद) सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है (दिसम्बर 2020)।

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(समाप्त)

(ख) परिपक्वता प्रोफाइल-(समाप्त)

(i) आंतरिक ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल (31 मार्च 2020 को समाप्त) (क)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

(₹ लाख में)

वर्ष	गैर-नियोजित ऋण	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र योजनाओं हेतु ऋण	केन्द्रीय आयोजना योजनाओं हेतु ऋण	केन्द्र प्रायोजित आयोजना योजनाओं हेतु ऋण	1984-85 से पूर्व ऋण	विधानमण्डल युक्त राज्य/ संघ शासित क्षेत्र योजनाओं हेतु अन्य ऋण	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2019-20							
2020-21							
2021-22							
2022-23							
2023-24							
2024-25							
2025-26							
2026-27							
2027-28							
2028-29							
2029-30							
2030-31							
2031-32							
2032-33							
2033-34							
2034-35							
2035-36							
2036-37							
2037-38							
2038-39							

(क) जैसा कि सूचित किया गया 31.10.2019 से 31.03.2020 (पुनर्गठन के बाद) तक सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है (दिसम्बर 2020)।

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 तक शेष राशि	बकाया में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में)							
<b>च-ऋण तथा अग्रिम-</b>							
<b>ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-</b>							
<b>(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-</b>							
6202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति हेतु ऋण-							
01- सामान्य शिक्षा-							
203- विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा	0.01	-	-	-	-		0.01
600- सामान्य	1,53.59	-	-	2.20	-	(-)2.20	
						<b>1,53.59</b>	
<i>कुल-01</i>	1,53.60	-	-	2.20	-	(-)2.20	
						<b>1,53.60</b>	
02- तकनीकी शिक्षा-							
800- अन्य ऋण	3,88.31	-	-	2.31	-	(-)2.31	
						<b>3,88.31</b>	
<i>कुल-02</i>	3,88.31	-	-	2.31	-	(-)2.31	
						<b>3,88.31</b>	

(क) विवरण पर सरकार से सूचना प्रतीकित है (दिसम्बर 2020)।

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 की शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 को शेष राशि	बकाया में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में)							
<b>च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)</b>							
<b>ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)</b>							
<b>(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-(समाप्त)</b>							
6202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति हेतु ऋण-(समाप्त)							
03- खेल एवं युवा सेवाएं-							
800- अन्य ऋण	3.67	-	-	0.10	-	(-)0.10	
						<b>3.67</b>	
कुल-03	3.67	-	-	0.10	-	(-)0.10	
						<b>3.67</b>	
कुल-6202	5,45.58	-	-	4.61	-	(-)4.61	
						<b>5,45.58</b>	
कुल (क)-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	5,45.58	-	-	4.61	-	(-)4.61	
						<b>5,45.58</b>	
<b>(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-</b>							
6210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य हेतु ऋण-							
01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-							
800- अन्य ऋण	22.90	-	-	0.46	-	(-)0.46	
						<b>22.90</b>	
कुल-01	22.90	-	-	0.46	-	(-)0.46	
						<b>22.90</b>	

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 की शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बढ़े खाते में डाला	31 मार्च 2020 को शेष राशि	बकाया में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-(जारी)							
6210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य हेतु ऋण-(समाप्त)							
03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान-							
105- एलोपैथी	1,24.72	-	-	-	-	-	-
						<b>1,24.72</b>	
200- अन्य प्रणालियाँ	0.83	-	-	0.48	-	(-)0.48	
						<b>0.83</b>	
	<b>कुल-03</b>					<b>(-)0.48</b>	
						<b>1,25.55</b>	
04- जन स्वास्थ्य-							
800- अन्य ऋण	0.14	-	-	-	-	-	-
						<b>0.14</b>	
	<b>कुल-04</b>					<b>-</b>	
						<b>0.14</b>	
80- सामान्य-							
800- अन्य ऋण	43.94	-	-	0.13	-	(-)0.13	
						<b>43.94</b>	
	<b>कुल-80</b>					<b>(-)0.13</b>	
						<b>43.94</b>	
<b>कुल-6210</b>	<b>1,92.53</b>					<b>(-)1.07</b>	
						<b>1,92.53</b>	

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 की शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 को शेष राशि	बकाया में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-(समाप्त)							
6211- परिवार कल्याण हेतु ऋण-							
800- अन्य ऋण	0.09	-	-	-	-	-	-
						<b>0.09</b>	
कुल-6211	<b>0.09</b>	-	-	-	-	-	
						<b>0.09</b>	
कुल-(ख) - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	<b>1,92.62</b>	-	-	1.07	-	(-)1.07	
						<b>1,92.62</b>	
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास-							
6216- आवास हेतु ऋण-							
02- शहरी आवास-							
201- आवास बोर्डों को ऋण-							
मध्यम आय समूह आवास योजनाएं	56.81	-	-	-	-	-	-
						<b>56.81</b>	
800- अन्य ऋण	1,79.47	-	-	0.20	-	(-)0.20	
						<b>1,79.47</b>	
कुल-02	<b>2,36.28</b>	-	-	0.20	-	(-)0.20	
						<b>2,36.28</b>	

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 की शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 को शेष राशि	बकाया में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण (जारी)							
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास-(जारी)							
6216- आवास हेतु ऋण-(समाप्त)							
03- ग्रामीण आवास-							
201- आवास बोर्डों को ऋण	2,90.33	-	-	-	-	-	-
						2,90.33	
800- अन्य ऋण	1,82.93	-	-	-	-	-	-
						1,82.93	
कुल-03	4,73.26	-	-	-	-	-	4,73.26
कुल-6216	7,09.54	-	-	0.20	-	(-)0.20	7,09.54
6217- शहरी विकास हेतु ऋण-							
01- राज्य का पूँजीगत विकास-							
191- स्थानीय निकायों, निगमों आदि को ऋण-							
(i) नगरपालिकाओं को ऋण	5,17.45	-	-	-	-	-	-
						5,17.45	

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 की शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 को शेष राशि	बकाया में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास-(जारी)							
6217- शहरी विकास हेतु ऋण-(जारी)							
01- राज्य का पूँजी विकास-(समाप्त)							
191- स्थानीय निकायों, निगमों आदि को ऋण-(समाप्त)							
(ii) विकास प्राधिकरण, श्रीनगर के ऋण							
	1,91.78	-	-	-	-	-	1,91.78
कुल-191	7,09.23	-	-	-	-	-	7,09.23
800- अन्य ऋण							
	4,13.72	-	-	-	-	-	4,13.72
कुल-01	11,22.95	-	-	-	-	-	11,22.95
03- लघु एवं मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास-							
191- स्थानीय निकायों, निगमों आदि को ऋण							
	7,56.54	-	-	-	-	-	7,56.54
कुल-03	7,56.54	-	-	-	-	-	7,56.54



## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 की शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 को शेष राशि	बकाया में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास-(समाप्त)							
6217- शहरी विकास हेतु ऋण-(समाप्त)							
60- अन्य शहरी विकास योजनाएं-							
800- अन्य ऋण-							
(i) फल बाजार के विकास हेतु ऋण	1,27.11	-	-	-	-	-	-
						1,27.11	
(ii) अन्य ऋण	8,13.72	-	-	-	-	-	-
						8,13.72	
<i>कुल-60</i>	9,40.83	-	-	-	-	-	-
						9,40.83	
<b>कुल-6217</b>	<b>28,20.32</b>	-	-	-	-	-	-
						28,20.32	
कुल-(ग)-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	35,29.86	-	-	0.20	-	(-)0.20	
						35,29.86	

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 की शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 को शेष राशि	बकाया में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण-							
6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों हेतु ऋण-							
01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-							
800- अन्य ऋण	8.20	-	-	-	-	-	8.20
कुल-01	8.20	-	-	-	-	-	8.20
02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-							
800- अन्य ऋण	4.03	-	-	-	-	-	4.03
कुल-02	4.03	-	-	-	-	-	4.03

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 की शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 को शेष राशि	बकाया में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण-(समाप्त)							
6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों हेतु ऋण-(समाप्त)							
03- अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण-							
800- अन्य ऋण	0.42	-	-	-	-	-	-
						0.42	
कुल-03	0.42	-	-	-	-	-	0.42
कुल-6225	12.65	-	-	-	-	-	12.65
कुल-ड-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	12.65	-	-	-	-	-	12.65

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)							
(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 की शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बढ़े खाते में डाला	31 मार्च 2020 को शेष राशि	बकाया में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							(₹ लाख में)
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(छ) समाज कल्याण एवं पोषण-							
6235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु ऋण-							
01- पुनर्वास-							
112- भारत-पाक संघर्ष, 1971 में प्रभावित व्यक्तियों को राहत एवं पुनर्वास-							
(i) सीमावर्ती क्षेत्रों में छापे एवं सैन्य अभियानों से प्रभावित व्यक्तियों को ऋण							
	48.21	-	-	-	-	-	-
						48.21	
	3,95.15	-	-	-	-	-	-
						3,95.15	
कुल-112	4,43.36	-	-	-	-	-	-
						4,43.36	
202- अन्य पुनर्वास योजनाएं	61.08	-	-	-	-	-	-
						61.08	
कुल-01	5,04.44	-	-	-	-	-	-
						5,04.44	
02- समाज कल्याण-							
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण							
	87,44.34	-	-	24.04	-	(-)24.04	
						87,44.34	
कुल-02	87,44.34	-	-	24.04	-	(-)24.04	
						87,44.34	

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 की शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 को शेष राशि	बकाया में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(छ) समाज कल्याण एवं पोषण-(जारी)							
6235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु ऋण-(समाप्त)							
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम-							
200- अन्य कार्यक्रम-							
स्वर्णकारों को ऋण	37.84	-	-	-	-	-	37.84
800- अन्य ऋण-							
(i) अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम	4,63.58	-	-	-	-	-	4,63.58
(ii) विपत्ति ऋण	94.78	-	-	-	-	-	94.78
कुल-800	5,58.36	-	-	-	-	-	5,58.36
कुल-60	5,96.20	-	-	-	-	-	5,96.20
कुल-6235	98,44.98	-	-	24.04	-	(-)24.04	98,44.98

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 की शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 को शेष राशि	बकाया में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(छ) समाज कल्याण एवं पोषण-(समाप्त)							
6245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत हेतु ऋण-							
03- आगजनी एवं अन्य आपदाएं-							
800- अन्य ऋण-							
(i) आगजनी एवं अन्य आपदाओं से पीड़ितों को ऋण	4,48.20	-	-	-	-	-	4,48.20
(ii) प्राकृतिक आपदाएं	60.28	-	-	-	-	-	60.28
कुल-800	5,08.48	-	-	-	-	-	5,08.48
कुल-03	5,08.48	-	-	-	-	-	5,08.48
कुल-6245	5,08.48	-	-	-	-	-	5,08.48
कुल-(छ)- समाज कल्याण एवं पोषण	1,03,53.46	-	-	24.04	-	(-)24.04	1,03,53.46

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 की शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 को शेष राशि	बकाया में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(समाप्त)							
(ज) अन्य समाज सेवाएं-							
6250- अन्य समाज सेवाओं हेतु ऋण-							
60- अन्य-							
800- अन्य ऋण-							
रोजगार	13.17	-	-	-	-	-	-
						13.17	
कुल-6250	13.17	-	-	-	-	-	-
						13.17	
कुल-(ज) अन्य समाज सेवाएं	13.17	-	-	-	-	-	-
						13.17	
कुल -ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण	1,46,47.34	-	-	29.92	-	(-)29.92	
						1,46,47.34	
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण-							
6401- फसल पैदावार हेतु ऋण-							
106- उच्च पैदावार किस्मों के लिए कार्यक्रम	38.17	-	-	-	-	-	-
						38.17	

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 की शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 को शेष राशि	बकाया में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण-(जारी)							
6401- फसल पैदावार हेतु ऋण-(समाप्त)							
111- कृषिगत शिक्षा	6,98.49	-	-	0.07	-	(-)0.07	
						<b>6,98.49</b>	
113- कृषिगत अभियांत्रिकी	2,89.86	-	-	0.23	-	(-)0.23	
						<b>2,89.86</b>	
119- उद्यान कृषि एवं शाक फसलें	47.51	-	-	-	-	-	
						<b>47.51</b>	
800- अन्य ऋण							
(i) तकावी अग्रिम	1,28.10	-	-	-	-	-	
						<b>1,28.10</b>	
(ii) अन्य कृषि ऋण	7,30.54	-	-	0.50	-	(-)0.50	
						<b>7,30.54</b>	
कुल-800	8,58.64	-	-	0.50	-	(-)0.50	
						<b>8,58.64</b>	
कुल -6401	<b>19,32.67</b>	-	-	0.80	-	(-)0.80	
						<b>19,32.67</b>	



## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 की शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 को शेष राशि	बकाया में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण-(जारी)							
6402- मृदा एवं जल संरक्षण हेतु ऋण-							
102- मृदा संरक्षण	5.12	-	-	-	-	-	-
						5.12	
कुल-6402	5.12	-	-	-	-	-	-
						5.12	
6403- पशुपालन हेतु ऋण-							
109- विस्तारण एवं प्रशिक्षण	43.06	-	-	-	-	-	-
						43.06	
800- अन्य ऋण	8.25	-	-	0.16	-	(-)0.16	
						8.25	
कुल-6403	51.31	-	-	0.16	-	(-)0.16	
						51.31	
6404- डेयरी विकास हेतु ऋण-							
102- डेयरी विकास परियोजनाएं	30.08	-	-	-	-	-	-
						30.08	
कुल-6404	30.08	-	-	-	-	-	-
						30.08	

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 की शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 को शेष राशि	बकाया में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण-(जारी)							
6406- वानिकी एवं वन्य जीवन हेतु ऋण-							
104- वानिकी-							
वन हेतु ऋण	1.64	-	-	-	-	-	-
						1.64	
<b>कुल-6404</b>	<b>1.64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						1.64	
6425- सहकारिता हेतु ऋण-							
107- क्रेडिट सहकारिताओं को ऋण-							
(i) सहकारी बैंकों को ऋण	44.95	-	-	-	-	-	-
						44.95	
(ii) स्थानीय अनाज की खरीद हेतु सहकारी बैंकों को अग्रिम	77.87	-	-	-	-	-	-
						77.87	
(iii) भूमि विकास बैंक का ऋण पत्र	65.52	-	-	-	-	-	-
						65.52	
<b>कुल-107</b>	<b>1,88.34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						1,88.34	

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 की शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 को शेष राशि	बकाया में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण-(जारी)							
6425- सहकारिता हेतु ऋण-(समाप्त)							
108- अन्य सहकारिताओं को ऋण-							
(i) उपभोक्ता सहकारिताओं को ऋण	23.87	-	-	-	-	-	23.87
(ii) अन्य ऋण	4,05.26	-	-	-	-	-	4,05.26
(iii) अन्य सहकारिताएं को ऋण	1,33.67	-	-	-	-	-	1,33.67
कुल-108	5,62.80	-	-	-	-	-	5,62.80
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण-							
(i) औद्योगिक सहकारिताएं	26.33	-	-	-	-	-	26.33
कुल-6425	7,77.47	-	-	-	-	-	7,77.47



## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 की शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 को शेष राशि	बकाया में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों हेतु ऋण-							
6575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों हेतु ऋण-							
02- पिछड़े क्षेत्र-							
299- लद्दाख का विकास	1,36.26	-	-	-	-	-	-
						1,36.26	
कुल-02	1,36.26	-	-	-	-	-	-
						1,36.26	
60- अन्य-							
800- अन्य ऋण	6.88	-	-	-	-	-	-
						6.88	
कुल-60	6.88	-	-	-	-	-	-
						6.88	
कुल-6575	1,43.14	-	-	-	-	-	-
						1,43.14	
कुल-(ग)- विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों हेतु ऋण	1,43.14	-	-	-	-	-	-
						1,43.14	

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)							
(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 की शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बढ़े खाते में डाला	31 मार्च 2020 को शेष राशि	बकाया में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							(₹ लाख में)
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(ड) ऊर्जा-							
6801- विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण-							
800- विद्युत बोर्ड को ऋण (1) जेकेपीडीसी	85,04.81	-	-	-	-	-	-
						<b>85,04.81</b> (क)	
कुल-6801	<b>85,04.81</b>	-	-	-	-	-	-
						<b>85,04.81</b> (क)	
कुल-(ड)-ऊर्जा	<b>85,04.81</b>	-	-	-	-	-	-
						<b>85,04.81</b> (क)	
(च) उद्योग एवं खनिजों हेतु ऋण-							
6851- ग्राम एवं लघु उद्योगों हेतु ऋण-							
101- औद्योगिक संपदाएं	0.06	-	-	-	-	-	-
						<b>0.06</b>	
102- लघु पैमाना उद्योग-							
(i) औद्योगिक ऋण	4,21.41	-	-	0.52	-	(-)0.52	<b>4,21.41</b>
(ii) छोटे व्यापारियों, दस्तकारों एवं शिल्पकारों को ऋण	45.13	-	-	-	-	-	<b>45.13</b>
(iii) लघु पैमाना उद्योगों को अन्य विविध ऋण	3,59.97	-	-	-	-	-	<b>3,59.97</b>
कुल-102	<b>8,26.51</b>	-	-	<b>0.52</b>	-	(-)0.52	<b>8,26.51</b>

(क) राज्य सरकार द्वारा सूचित पूर्व गलत वर्गीकरण में सुधार के कारण 31 मार्च 2013 तक ₹ 1,67,00.00 लाख की राशि के रूप में शेष में प्रोफार्मा वृद्धि की गई। कृपया खण्ड-1 विवरण संख्या-5 के मुख्य शीर्ष-4801 की पाद टिप्पणी का संदर्भ लें।

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 की शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 को शेष राशि	बकाया में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(च) उद्योग एवं खनिजों हेतु ऋण-(जारी)							
6851- ग्राम एवं लघु उद्योगों हेतु ऋण-(समाप्त)							
103- हथकरघा उद्योग	2,62.47	-	-	-	-	-	2,62.47
105- खादी एवं ग्राम उद्योग	0.12	-	-	-	-	-	0.12
108- पावरलूम उद्योग	24.45	-	-	-	-	-	24.45
200- अन्य ग्राम उद्योग-							
(i) अन्य ग्राम उद्योग	25,53.80	-	-	-	-	-	25,53.80
(ii) अन्य ऋण	31.22	-	-	-	-	-	31.22
कुल-200	25,85.02	-	-	-	-	-	25,85.02
कुल-6851	36,98.63	-	-	0.52	-	(-)0.52	36,98.63

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 की शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 को शेष राशि	बकाया में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(च) उद्योग एवं खनिजों हेतु ऋण-(जारी)							
6853- अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों हेतु ऋण-							
01- खनिज समन्वेषण एवं विकास-							
800- अन्य ऋण-							
	जेएण्डके मिनरल्स को ऋण	1,86.16	-	-	-	-	-
						<b>1,86.16</b>	
	<b>कुल-01</b>	1,86.16	-	-	-	-	-
						<b>1,86.16</b>	
60- अन्य खनन एवं धातुकर्म उद्योग-							
800- अन्य ऋण-							
	धातुकर्म उद्योग	12.00	-	-	-	-	-
						<b>12.00</b>	
	<b>कुल-60</b>	12.00	-	-	-	-	-
						<b>12.00</b>	
	<b>कुल-6853</b>	1,98.16	-	-	-	-	-
						<b>1,98.16</b>	



## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 की शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 को शेष राशि	बकाया में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(च) उद्योग एवं खनिजों हेतु ऋण-(जारी)							
6858 अभियांत्रिकी उद्योगों हेतु ऋण-							
02- अन्य औद्योगिक मशीनरी उद्योग-							
800- अन्य ऋण	33.84	-	-	-	-	-	-
						<b>33.84</b>	
कुल-02	33.84	-	-	-	-	-	-
						<b>33.84</b>	
कुल-6858	33.84	-	-	-	-	-	-
						<b>33.84</b>	
6860 उपभोक्ता उद्योगों हेतु ऋण-							
60- अन्य-							
600- अन्य	10,04.11	-	-	-	-	-	-
						<b>10,04.11</b>	
कुल-60	10,04.11	-	-	-	-	-	-
						<b>10,04.11</b>	
कुल-6860	10,04.11	-	-	-	-	-	-
						<b>10,04.11</b>	

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 की शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बढ़े खाते में डाला	31 मार्च 2020 को शेष राशि	बकाया में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(च) उद्योग एवं खनिजों हेतु ऋण-(जारी)							
6885- अन्य उद्योगों एवं खनिजों हेतु ऋण-							
01- औद्योगिक वित्तीय संस्थानों को ऋण -							
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण-							
(i) कृषि उद्योगों को ऋण	44,46.52	-	-	-	-	-	44,46.52
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को सहायता	86,25.29	-	15,14.37	-	-	15,14.37	86,25.29
(iii) अर्थोपाय अग्रिम (जेएण्डके इण्डस्ट्रीज लिमिटेड)	3,05,43.43	-	-	-	-	-	3,05,43.43
कुल-190	4,36,15.24	-	-	-	-	-	4,36,15.24
800- अन्य ऋण-							
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता	2,08,97.48	-	-	-	-	-	2,08,97.48
कुल-01	6,45,12.72	-	15,14.37	-	-	15,17.37	6,45,12.72

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 की शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 को शेष राशि	बकाया में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(च) उद्योग एवं खनिजों हेतु ऋण-(समाप्त)							
6885- अन्य उद्योगों एवं खनिजों हेतु ऋण-(समाप्त)							
02- पिछड़े क्षेत्रों का विकास-							
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण-							
अग्रगामी परियोजनाएं (ग्रामीण औद्योगिकीकरण)							
	30,48.55	-	-	-	-	-	-
						<b>30,48.55</b>	
कुल-02	30,48.55	-	-	-	-	-	-
						<b>30,48.55</b>	
60- अन्य-							
800- अन्य ऋण	74,66.91	-	-	1,87.50	-	(-)1,87.50	
						<b>74,66.91</b>	
कुल-60	74,66.91	-	-	1,87.50	-	(-)1,87.50	
						<b>74,66.91</b>	
कुल-6885	<b>7,50,28.18</b>	-	15,14.37	1,87.50	-	13,26.87	
						<b>7,50,28.18</b>	
कुल-(च)- उद्योग एवं खनिजों हेतु ऋण	<b>7,99,62.92</b>	-	15,14.37	1,88.02	-	13,26.35	
						<b>7,99,62.92</b>	

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 की शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 को शेष राशि	बकाया में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(अ) परिवहन-							
7055- सड़क परिवहन हेतु ऋण-							
101- सड़क परिवहन निगम को शाश्वत ऋण- वाहकों हेतु ऋण	2,21,35.04	-	-	-	-	2,21,35.04	
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण- जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड को ऋण	3,83,72.76	-	23,00.00	-	-	23,00.00	
						<b>3,83,72.76</b>	
<b>कुल-7055</b>	<b>6,05,07.80</b>	-	23,00.00	-	-	23,00.00	
						<b>6,05,07.80</b>	
7075- अन्य परिवहन सेवाओं हेतु ऋण-							
01- सड़कें एवं पुल-							
800- अन्य ऋण- जिला एवं अन्य सड़कें	5,54.42	-	-	-	-	-	
						<b>5,54.42</b>	
<b>कुल-7075</b>	<b>5,54.42</b>	-	-	-	-	-	
						<b>5,54.42</b>	
<b>कुल-(च) परिवहन</b>	<b>6,10,62.22</b>	-	23,00.00	-	-	23,00.00	
						<b>6,10,62.22</b>	

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 की शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बढ़े खाते में डाला	31 मार्च 2020 को शेष राशि	बकाया में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(समाप्त)							
(अ) सामान्य आर्थिक सेवाएं-							
7452- पर्यटन हेतु ऋण-							
60- अन्य-							
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण	14,93.68	-	-	-	-	-	-
						14,93.68	
800- अन्य ऋण	1,28.37	-	-	-	-	-	-
						1,28.37	
<b>कुल-7452</b>	<b>16,22.05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						16,22.05	
7475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-							
101- सामान्य वित्तीय संस्थान	9,06.97	-	-	-	-	-	-
						9,06.97	
102- व्यापारिक संस्थान	9,66.75	-	-	-	-	-	-
						9,66.75	
<b>कुल-7475</b>	<b>18,73.72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						18,73.72	
<b>कुल-(अ)-सामान्य आर्थिक सेवाएं</b>	<b>34,95.77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						34,95.77	
<b>कुल-ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण</b>	<b>15,72,39.14</b>	<b>-</b>	<b>38,14.37</b>	<b>1,88.98</b>	<b>-</b>	<b>36,25.39</b>	<b>15,72,39.14</b>

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(समाप्त)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31अक्टूबर 2019 की शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	लावसूल ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2020 तक शेष राशि	बकाया में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
च- ऋण एवं अग्रिम-(समाप्त)							
7610- सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण-							
201- गृह निर्माण अग्रिम	18,82.93	-	-	15.10	-	(-)15.10	18,82.93
202- मोटर वाहनों की खरीद हेतु अग्रिम	2,01.61	-	-	0.44	-	0.44	2,01.61
203- अन्य वाहनों की खरीद हेतु अग्रिम	22.27	-	-	-	-	-	22.27
204- कंप्यूटरों की खरीद हेतु अग्रिम	0.35	-	-	-	-	-	0.35
800- अन्य अग्रिम							
(i) अन्य अग्रिम	49.55	-	-	-	-	-	49.55
<b>कुल-7610</b>	<b>21,56.71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.54</b>	<b>-</b>	<b>(-)15.54</b>	<b>21,56.71</b>
<b>कुल योग</b>	<b>17,40,43.19</b>	<b>-</b>	<b>38,14.37</b>	<b>2,34.44</b>	<b>-</b>	<b>35,79.93</b>	<b>17,40,43.19 \$</b>

\$ कृपया इस विवरण के मुख्य शीर्ष 6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का संदर्भ लें। खण्ड-1 के विवरण संख्या 5 के मुख्य शीर्ष 4801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का भी संदर्भ लें।

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग: 2 अन्य ऋणी अधिष्ठानों से बकाया में चुकौती					
ऋणी अधिष्ठान	31 मार्च 2020 को बकाया राशि			पूर्ववर्ती अवधि जिससे बकाया संबंधित है	31 मार्च 2020 को इकाई पर बकाया कुल ऋण
	मूलधन	ब्याज	कुल		

(₹ लाख में)

सरकार से सूचना प्रतीक्षित (दिसम्बर 2020)।

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अतिरिक्त प्रकटन

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान लिये गये नये ऋण एवं अग्रिम

(₹ लाख में)

ऋणी अधिष्ठान	ऋणों की संख्या	ऋण की कुल राशि	नियम एवं शर्तें	
			ब्याज दर	ऋण स्थगन अवधि, यदि कोई हो

सरकार से सूचना प्रतीक्षित (दिसम्बर 2020)।



## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अतिरिक्त प्रकटन-(जारी)

1. निम्नलिखित मामले जिनमें ऋणों को 'शाश्वत ऋण' के रूप में संस्वीकृत किया गया।

(₹ लाख में)

क्र. स.	संस्वीकृति वर्ष	संस्वीकृति आदेश सं.	राशि	ब्याज दर
---------	-----------------	---------------------	------	----------

सरकार से सूचना प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अतिरिक्त प्रकटन-(जारी)

2. निम्नलिखित ऋणों को सरकार द्वारा दिया गया, यद्यपि निबंधन एवं शर्तों को अभी तय किया जाना है:

(₹ लाख में)

ऋणी अधिष्ठान	ऋणों की संख्या	कुल राशि	पूर्ववर्ती अवधि जिससे ऋण संबधित है
--------------	----------------	----------	------------------------------------

सरकार से सूचना प्रतीक्षित (दिसम्बर 2020)।

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(समाप्त)

अतिरिक्त प्रकटन-(समाप्त)

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान उन ऋणी अधिष्ठानों, जिनसे पूर्व ऋणों का पुनर्भुगतान बकायों में है, को नये ऋण एवं अग्रिम दिये गये:

(₹ लाख में)

ऋणी अधिष्ठान का नाम	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरित ऋण		31 मार्च 2020 को बकाया राशि			पूर्ववर्ती अवधि जिससे बकाया संबंधित है	(31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण हेतु कारण
	ब्याज दर	मूलधन	मूलधन	ब्याज	कुल		

सरकार से सूचना प्रतीक्षित (दिसम्बर 2020)।

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण

अनुभाग 1: 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान निवेशों का विवरण										
(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले निवेश को दर्शाते हैं)										
क्र. सं.	समुद्र्यम का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
<b>I. सांविधिक निगम- कार्यशील निगम-</b>										
1	जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम	1959-60 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	साधारण	17235400	100	1,72,35.40	99.69	(शून्य)	(शून्य)	2018-19 हेतु निगम के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया तथा ₹ 3,17.57 लाख का लाभ हुआ। 2019-20 हेतु निगम द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार 31.03.2019 तक निगम की कुल अदा की गई पूँजी ₹ 1,72,88.63 लाख है।
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						1,72,35.40		(शून्य)	(शून्य)	
2	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	1976-77 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	साधारण	शेयरों को जारी नहीं किया गया	-	1,92,95.40	-	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2013-14 हेतु लेखाओं को अंतिम रूप दिया और ₹ 92,90.21 लाख की हानि हुई। 30.10.19 तक जम्मू एवं कश्मीर सरकार, भारत सरकार तथा अन्य द्वारा ₹ 2,32,75.18 लाख का कुल योगदान किया गया है।
				(शून्य)	(शून्य)	57,51.33	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	57,51.33	-	(शून्य)	(शून्य)	
						1,92,95.40				

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)										
(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले निवेश को दर्शाते हैं)										
क्र. सं.	समुदाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
<b>I. संविधिक निगम-(समाप्त)</b>										
<b>कार्यशील निगम-(समाप्त)</b>										
3	जम्मू एवं कश्मीर राज्य वन निगम	1979-80 से 30-10-2019 तक	साधारण	शेयरों को जारी नहीं किया गया	अनुपलब्ध	9,03.00	100.00	(शून्य)	(शून्य)	
		2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						9,03.00	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			<b>कुल-1</b>	<b>सांविधिक निगम</b>		57,51.33	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				<b>कार्यशील निगम</b>		<b>3,74,33.80 (क)</b>				
<b>II ग्रामीण बैंक-</b>										
1	जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण बैंक	30-10-2019 तक	साधारण	1,457,000	10.00	14,57.00	15.00	(शून्य)	(शून्य)	2019.20 के दौरान नाबार्ड द्वारा ₹ 1,72,83.00 लाख के प्रावधान के कारण बैंक को 31.03.2020 तक ₹ 1,19,33.88 लाख की हानि हुई। बैंक की कुल अदा की गई पूँजी ₹ 97,16.00 लाख है।
		2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						14,57.00	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	

(क) 01.04.2019 से 30.10.2019 तक की अवधि हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम द्वारा संशोधित आँकड़े प्रस्तुत करने के कारण वित्तीय लेखा के साथ ₹ 0.90 लाख की भिन्नता।

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले निवेश को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	समुद्द्यम का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
<b>II ग्रामीण बैंक-(समाप्त)</b>										
2	इलाकाई देहाती बैंक	30-10-2019 तक	साधारण	31248000	10.00	<b>31,24.80</b>	15.00	(शून्य)	(शून्य)	31.03.2020 को बैंक को ₹ 47,06.57 लाख की हानि हुई और 31.03.2020 को संचित हानि ₹ 2,35,74.59 लाख रही।
		2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)		2350000	10.00	2,35.00	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						2,35.00	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						<b>31,24.80</b>				
						2,35.00				
			<b>कुल-II ग्रामीण बैंक</b>			<b>45,81.80</b>				
<b>III सरकारी कम्पनियाँ</b>										
<b>कार्यशील कम्पनियाँ</b>										
1	जम्मू एवं कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड	1960-61 से 30-10-2019 तक	इक्विटी			<b>8,00.00</b>	100.00	(शून्य)	(शून्य)	कम्पनी ने 2002-03 तक के लेखाओं को अंतिम रूप दिया तथा उसे ₹ 5,15.76 लाख की हानि हुई।
		2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)		(शून्य)	(शून्य)	2,00.00	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						2,00.00				
						<b>8,00.00</b>				

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)										
(बोल्ड आंकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले निवेश को दर्शाते हैं)										
क्र. सं.	समुदाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
<b>III सरकारी कंपनियाँ (जारी)</b>										
<b>कार्यशील कंपनियाँ (जारी)</b>										
2	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड	1939-40 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	इक्विटी	329833032	1	<b>32,98.33</b>	59.23	-	(शून्य)	वर्ष 2019-20 तक के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया और बैंक को ₹ 1,13.94 लाख की हानि हुई। 31.03.2020 तक बैंक की अदा की गई पूँजी ₹ 71,35.95 लाख है।
				156592546	1	15,65.92	-	-	-	
						15,65.92		(शून्य)		
						<b>32,98.33</b>				
3	जम्मू एवं कश्मीर परियोजनाएं निर्माण निगम लिमिटेड	1965-66 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	इक्विटी	15250	1000	<b>1,52.50</b>	100.00	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2013-14 के लिए निगम के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया और ₹ 4,77.73 लाख का लाभ कमाया।
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	(शून्य)	-	
						<b>1,52.50</b>				

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड ऑकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले निवेश को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	समुद्दय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
<b>III सरकारी कंपनियाँ-(जारी)</b>										
<b>कार्यशील कंपनियाँ-(जारी)</b>										
4	जम्मू एवं कश्मीर पुलिस आवास निगम लिमिटेड	1997-98 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	इक्विटी	200000	100	2,00.00	100.00	(शून्य)	(शून्य)	कम्पनी ने न तो लाभ न ही हानि को दर्शाया।
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						-		(शून्य)		
						2,00.00				
5	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विदेश रोजगार निगम लिमिटेड	2009-10 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	इक्विटी	40600	1000	4,06.00	100.00	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2010-11 हेतु निगम ने लेखाओं को अंतिम रूप दिया। ₹ 4,06.00 लाख की जारी व अभिदत्त पूँजी में से ₹ 2,56.00 लाख को इक्विटी शेयर हेतु आंबटित किया गया। वर्ष 2019-20 हेतु निगम में ₹ 49.42 लाख का लाभ कमाया।
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						4,06.00				



## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)										
(बोल्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले निवेश को दर्शाते हैं।)										
क्र. सं.	समुद्दय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
<b>III सरकारी कंपनियाँ (जारी)</b>										
<b>कार्यशील कंपनियाँ-(जारी)</b>										
6	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एसआईडीसीओ)	1968-69 से 30-10-2019 तक	इक्विटी	1764640	1000	17,64.64	100.00	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2013-14 तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया और ₹ 20,54.05
		2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)		(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						17,64.64				
7	जम्मू एवं कश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1975-76 से 30-10-2019 तक	इक्विटी	259920	100	2,59.92	73.49	(शून्य)	(शून्य)	निगम को कुल 195760 (जम्मू और कश्मीर सरकार 102,000 और भारत सरकार 93760) की कुल हिस्सेदारी आबंटित की गई। निगम की कुल अदा की गई पूँजी ₹ 3,53.68 लाख है। 2009-10 तक निगम ने वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिया एवं ₹ 1,42.47 लाख की हानि हुई।
		2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)		(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						2,59.92				

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले निवेश को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	समुदाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
III	सरकारी कंपनियाँ (जारी)									
	कार्यशील कंपनियाँ-(जारी)									
8	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	1969-70 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	इक्विटी	50000	10.00	5,00.00	100.00	(शून्य)	(शून्य)	2014-15 तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया। वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 1,36.62 लाख का लाभ कमाया।
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						5,00.00				
9	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री एवं निर्यात निगम लिमिटेड)	1970-71 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	इक्विटी	708120	100	7,08.12	88.83	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						7,08.12				

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले निवेश को दर्शाते हैं।)

क्र. सं.	समुदाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
<b>III सरकारी कंपनियाँ-(जारी)</b>										
<b>कार्यशील कंपनियाँ-(जारी)</b>										
10	जम्मू एवं कश्मीर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	1963-64 से 30-10-2019	इक्विटी	162664	100	<b>16,26.64</b>	100.00	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2013-14 तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया। तथा ₹ 36,38.74 लाख की हानि हुई।
		2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)		(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						<b>16,26.64</b>				
11	जम्मू एवं कश्मीर सीमेन्ट्स लिमिटेड	1976-77 से 30-10-2019 तक	इक्विटी	1499670	100	<b>14,99.67</b>	100.00	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2011-12 तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया और ₹ 6,30.42 लाख का लाभ कमाया।
		2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)		(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						<b>14,99.67</b>				

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले निवेश को दर्शाते हैं।)

क्र. सं.	समुदाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
<b>III सरकारी कंपनियाँ-(जारी)</b>										
<b>कार्यशील कंपनियाँ-(जारी)</b>										
12	जम्मू एवं कश्मीर लघु पैमाना उद्योग विकास निगम (एसआईसीओपी)	1975-76 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	इक्विटी	8991160	100	<b>89,91.16</b>	100.00	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2012-13 तक के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया और कंपनी ने ₹ 1,23.78 लाख का लाभ कमाया। 31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान ₹ 96.00 लाख की राशि और जिसे निगम द्वारा अनुदान के रूप में माना गया।
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						<b>89,91.16</b>				
13	जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	1978-79 से 30-10-2019 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	इक्विटी	600000	100	<b>6,00.00</b>	65.21	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
						<b>6,00.00</b>				

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण -(जारी)

अनुभाग 1: 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)										
(बोल्ड आंकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले निवेश को दर्शाते हैं)										
क्र. सं.	समुदाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
III सरकारी कम्पनियों-(जारी)										
कार्यशील कंपनियों-(जारी)										
14	जम्मू एवं कश्मीर राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	1981-82 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	इक्विटी	349430	100	3,49.43	69.96	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष -2013-14 तक के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया और निगम को ₹ 7,01.56 लाख की हानि हुई।
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				349430	100	3,49.43	69.96			
15	जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	1985-86 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	इक्विटी		100	19,32.00	40.78	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2008-09 तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया। कंपनी को ₹ 1,42.82 लाख की हानि हुई। ₹ 25.00 लाख की राशि को दिनांक 26.03.2020 के संस्वीकृति सं. 81-जम्मू एवं कश्मीर (एसडब्ल्यूडी)/2020 के माध्यम से निवेशित किया। निगम की कुल अदा की गई पूँजी ₹ 47,61.92 लाख है।
				(शून्य)	(शून्य)	25.00	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	25.00	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
					100	19,32.00	40.78			

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले निवेश को दर्शाते हैं।)

क्र. सं.	समुद्दय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या					
(₹ लाख में)									
<b>III सरकारी कंपनियाँ-(जारी)</b>									
<b>कार्यशील कंपनियाँ-(जारी)</b>									
16	जम्मू एवं कश्मीर राज्य केबल कार निगम लिमिटेड	1988-89 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	इक्विटी	235700	1000	23,57.00	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2010-11 तक के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया। कंपनी ने ₹ 6,22.91 लाख का लाभ कमाया।
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				235700	1000	23,57.00			
17	चिनाब घाटी विद्युत परियोजना प्राइवेट लिमिटेड	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	इक्विटी	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	चिनाब घाटी विद्युत परियोजना प्राइवेट लिमिटेड जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड और भारतीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड का ₹ 17,80,08.00 लाख की पूँजीगत अदायगी का एक संयुक्त उद्यम है जिसमें इनकी क्रमशः 49.88 प्रतिशत, 49.88 प्रतिशत और 0.23 प्रतिशत शेयरधारिता है। इस प्रकार, जेएण्डके सरकार का कंपनी में कोई डाइरेक्ट स्टोक नहीं है।
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले निवेश को दर्शाते हैं।)

क्र. सं.	समुद्दय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या					
(₹ लाख में)									
<b>III सरकारी कंपनियाँ-(जारी)</b>									
<b>कार्यशील कंपनियाँ-(जारी)</b>									
18	जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड	1991-92 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	इक्विटी	1000000	100	10,00.00	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2017-18 हेतु निगम के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया और ₹ 1,12.15 लाख का लाभ कमाया। 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निगम ने पूँजीगत व्यय/ अनुदान के तहत ₹ 1,22.69 लाख प्राप्त किए और जिसे अनुदान के रूप में माना गया।
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				1000000	100	10,00.00	(शून्य)	(शून्य)	
19	जम्मू एवं कश्मीर चिकित्सा आपूर्तियाँ निगम लिमिटेड	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	इक्विटी	50000	10	5.00	100.00	(शून्य)	कंपनी पर जम्मू एवं कश्मीर सरकार का पूर्ण स्वामित्व है और यह 05.03.2014 को अस्तित्व में आयी थी चूँकि इसे कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित किया गया था। कम्पनी ने अभी तक अपना वार्षिक लेखा सीएण्डएजी को लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया है।
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				50000	10	5.00	100.00	(शून्य)	

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)										
(बोल्ड आंकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले निवेश को दर्शाते हैं)										
क्र. सं.	समुदाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
<b>III सरकारी कंपनियाँ-(जारी)</b>										
<b>कार्यशील कंपनियाँ-(जारी)</b>										
20	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	इक्विटी	25933443	1000	<b>25,93,34.00</b>	100.00	(शून्य)	(शून्य)	वर्ष 2014-15 तक के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया। कम्पनी ने ₹ 2,20,12.01 लाख का लाभ कमाया।
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				25933443	1000	<b>25,93,34.00</b>	100.00			
21	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	1957-58 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	इक्विटी	1000	1000	<b>10.00</b>	100.00	(शून्य)	(शून्य)	कंपनी से सूचना प्रतीक्षित (दिसम्बर 2020)।
				प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	
				प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	
				1000	1000	<b>10.00</b>	100.00			









## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान निवेशों का विवरण -(जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले निवेश को दर्शाते हैं।)

क्र. सं.	समुद्रयम का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या					
(₹ लाख में)									
III सरकारी कंपनियाँ-(जारी)									
कार्यशील कंपनियाँ-(जारी)									
29	जम्मू एवं कश्मीर उद्यमिता विकास निगम	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)			96,47.75		(शून्य)	(शून्य)	निगम द्वारा शेयर जारी नहीं किए गए।
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
					96,47.75	100			
30	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचारण निगम लिमिटेड	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	50000	10.00	5.00	100	(शून्य)	(शून्य)	
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			50000	10.00	5.00	100	(शून्य)	(शून्य)	
31	कश्मीर विद्युत वितरण लिमिटेड	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	49960	10.00	4.99	99.92	(शून्य)	(शून्य)	
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
			49960	10.00	4.99	99.92			

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले निवेश को दर्शाते हैं।)

क्र. सं.	समुदाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या					
(₹ लाख में)									
<b>III सरकारी कंपनियाँ-(जारी)</b>									
<b>कार्यशील कंपनियाँ-(समाप्त)</b>									
32	जम्मू विद्युत वितरण लिमिटेड	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	50000 (शून्य)	10.00 (शून्य)	5.00 (शून्य)	100 (शून्य)	(शून्य) (शून्य)	(शून्य) (शून्य)	
33	जेएण्डके विद्युत निगम लिमिटेड	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	प्रतीक्षित (शून्य)	प्रतीक्षित (शून्य)	प्रतीक्षित (शून्य)	प्रतीक्षित (शून्य)	प्रतीक्षित (शून्य)	प्रतीक्षित (शून्य)	सूचना प्रतीक्षित (दिसम्बर 2020)।
34	जेएण्डके अवसंरचना विकास वित्त निगम	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	प्रतीक्षित (शून्य)	प्रतीक्षित (शून्य)	प्रतीक्षित (शून्य)	प्रतीक्षित (शून्य)	प्रतीक्षित (शून्य)	प्रतीक्षित (शून्य)	सूचना प्रतीक्षित (दिसम्बर 2020)।
<b>कुल सरकारी कंपनियाँ (कार्यशील कंपनियाँ)</b>					<b>29,57,14.15</b>				

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले निवेश को दर्शाते हैं।)

क्र. सं.	समुद्दय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
III सरकारी कंपनियाँ-(जारी)										
गैर-कार्यशील कंपनियाँ-										
1	तवी स्कूटर लिमिटेड	1976-77 से 30-10-2019	इक्विटी	804000	10	80.40	100.00	(शून्य)	(शून्य)	कंपनी से सूचना प्रतीक्षित (दिसम्बर 2020) है।
		2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)		प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	
				प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	
				804000	10	80.40	100.00	(शून्य)	(शून्य)	
2	हिमालय वूल कॉम्बर्स लिमिटेड	1977-78 से 30-10-2019	इक्विटी	136500	100	1,36.50	100.00	(शून्य)	(शून्य)	कंपनी को दिनांक 16.08.2000 के कैबिनेट निर्णय सं. 129/12 के माध्यम से 2000-2001 में बंद किया गया था और वर्ष 2000-2001 हेतु लेखा बकाया था परिसमापन प्रक्रिया का परिणाम प्रतीक्षित (दिसम्बर 2020) था।
		2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)		(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				136500	100	1,36.50	100.00			

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले निवेश को दर्शाते हैं।)

क्र. सं.	समुद्र्यम का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
<b>III सरकारी कंपनियाँ-(समाप्त)</b>										
<b>गैर-कार्यशील कंपनियाँ-(समाप्त)</b>										
3	जेएण्डके राज्य हथकरघा हस्तशिल्प कच्चा माल आपूर्ति संगठन लिमिटेड	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	साधारण	40000	100	40.00	100.00	(शून्य)	(शून्य)	कंपनी को दिनांक 16.08.2000 के कैबिनेट निर्णय सं. 129/12 के माध्यम से 2000-2001 में बंद किया गया। लेखाओं को वर्ष 1991-92 तक अंतिम रूप दिया गया था।
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				40000	100	40.00	100.00			
			<b>कुल सरकारी कंपनियाँ (गैर-कार्यशील कंपनियाँ)</b>			<b>2,56.90</b>				
						17,90.92		(शून्य)		
			<b>कुल III सरकारी कंपनियाँ</b>			<b>29,59,71.05</b>				
<b>IV संयुक्त स्टॉक कंपनियाँ</b>										
1	प्लाई बोर्ड इण्डस्ट्री लिमिटेड	1961-62 से 1964-65	साधारण	50000	10	5.00	20.00	(शून्य)	(शून्य)	₹ 20.00 लाख के ऋण पत्र सन्मिलित नहीं करता। कम्पनी गैर-कार्यशील है और इसकी नवीनतम स्थिति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2020)।
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				50000	10	5.00	20.00	(शून्य)	(शून्य)	
2	कश्मीर सेरामिक्स लिमिटेड	1961-62 से 1970-71	साधारण	29400	100	29.40	49.00	(शून्य)	(शून्य)	कंपनी गैर-कार्यशील थी। नवीनतम स्थिति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2020)।
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				29400	100	29.40	49.00	(शून्य)	(शून्य)	
			<b>कुल-IV संयुक्त स्टॉक कंपनियाँ</b>			<b>34.40</b>		(शून्य)		

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले निवेश को दर्शाते हैं।)

क्र. सं.	समुद्दय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
<b>V सहकारी बैंकों/ सोसाइटियों में निवेश-</b>										
1	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, श्रीनगर	1965-66 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	साधारण	6845000	1000	<b>68.45</b>	8.49	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				6845000	1000	-		(शून्य)		
				-	-	<b>68.45</b>	8.49			
2	नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड जम्मू	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	साधारण	26960	25	<b>6.74</b>	0.44	(शून्य)	(शून्य)	बैंक की प्रदत्त पूँजी ₹ 15,20.92 लाख है।
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				-	-	-		(शून्य)		
				26960	25	<b>6.74</b>	0.44			
3	जम्मू केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, जम्मू	1962-63 से 30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	साधारण			<b>1,50.50</b>	41.08	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				-	-	-		(शून्य)		
				-	-	<b>1,50.50</b>	41.08			



## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले निवेश को दर्शाते हैं।)

क्र. सं.	समुदाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
V	सहकारी बैंकों/ सोसाइटियों में निवेश (जारी)									
4	शहरी सहकारी बैंक, लिमिटेड अनंतनाग	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	साधारण	285	1000	<b>2.85</b>	24.97	(शून्य)	(शून्य)	कम्पनी से सूचना प्रतीक्षित (दिसम्बर 2020) है।
				प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	
				285	1000	<b>2.85</b>	24.97	(शून्य)	(शून्य)	
5	बारामूला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	साधारण	2715	1000	<b>27.15</b>	34.43	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				-	-	-	-	(शून्य)	(शून्य)	
				2715	1000	<b>27.15</b>	34.43			
6	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, लिमिटेड, श्रीनगर	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	साधारण			<b>26,37.40</b>	87.20	(शून्य)	(शून्य)	
				(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	
				-	-	-	-	(शून्य)	(शून्य)	
				-	-	<b>26,37.40</b>	87.20			

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण- (जारी)

अनुभाग 1: 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान निवेशों का विवरण- (समाप्त)										
(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले निवेश को दर्शाते हैं।)										
क्र. सं.	समुद्दय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण			निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या	प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य					
(₹ लाख में)										
V	सहकारी बैंकों/ सोसाइटियों में निवेश-(समाप्त)									
7	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा कपड़ा विपणन सहकारी	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)	साधारण	508	100	0.51	33.66	(शून्य)	(शून्य)	कम्पनी में सूचना प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।
			प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	
			प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	
			508	100	0.51	33.66				
8	पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)				18,89.60		(शून्य)	(शून्य)	कम्पनी से सूचना प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।
			प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	
			प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	
					18,89.60			(शून्य)	(शून्य)	
					3,35.20	(क)		(शून्य)		
			कुल V- सहकारी बैंक/ सोसाइटियाँ			47,83.20				
				(ख)(ग)	81,12.45			(शून्य)		
			कुल योग I+II+III+IV+V	(ख)(ग)	34,28,04.25					

(क) पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा सूचित निवेश की राशि को दर्शाते हैं। हालांकि बैंक/ सोसाइटी-वार ब्योरा प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

(ख) विवरण संख्या 19 के ऑफ़िज़ों तथा विवरण संख्या 16 के ऑफ़िज़ों की संबंधित प्रगतिशील रिपोर्ट में दर्शायी गई भिन्नता जाँच/ मिलानाधीन है (दिसम्बर 2020)।

(ग) ऑफ़िज़े अन्तिम है चूंकि कुछ संस्थानों से निवेशों के ब्योरे प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2020)।

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(समाप्त)

अनुभाग 2:- 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान मुख्य एवं लघु शीर्षवार निवेशों का विवरण (केवल वही मामले जिनके आँकड़े विवरण सं. 16 में दर्शाये गये आँकड़ों से मेल नहीं खाते)					
(बोर्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले निवेश को दर्शाते हैं)					
विवरण सं. 19 की क्रम संख्या	मुख्य/ लघु शीर्ष	30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति पर निवेश	31.10.2019 से 31.03.2020* के दौरान निवेश	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान विनिवेश	31 मार्च 2020 की समाप्ति पर निवेश
(₹ लाख में)					
I/1	4885	190	40.66	-	-
					<b>40.66</b>
I/2	5055	190	1,68,80.44	57,51.33	-
					<b>1,68,80.44</b>
II/2	5465	190	5,40,64.30	-	-
					<b>5,40,64.30</b>
III/6/12	4852	190	6,97.50	2,68.50	-
					<b>6,97.50</b>
III/11	4853	190	5,01.08	2,00.00	-
					<b>5,01.08</b>
III/15	4225	190	5,42.50	-	-
					<b>5,42.50</b>
III/18	4235	190	19,16.63	1,22.69	-
					<b>19,16.63</b>
V/6	4425	190	2,65,18.50	3,35.20	-
					<b>3,35.20</b>

कृपया वित्त लेखे खण्ड-I की लेखाओं पर टिप्पणियाँ के पैरा 3 (V) (ख) का संदर्भ लें।

## 20. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण

क श्रेणी वार ब्योरा: [1]																
क्र. सं.	क्षेत्रक (प्रत्याभूतियों की संख्या कोष्ठक में)	वर्ष के दौरान अधिकतम राशि की प्रत्याभूति		31 अक्टूबर 2020 के आरंभ में बकाया		31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान परिवर्धन		31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान लोप		31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान लागू किया गया		31 मार्च 2020 के अंत में बकाया		प्रत्याभूति कमीशन एवं शुल्क		अन्य महत्त्वपूर्ण ब्योरा
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	उन्मोचित	गैर-उन्मोचित	मूलधन	ब्याज	प्राप्त	प्राप्य	
(₹ लाख में)																

श्रेणी-वार ब्योरा सरकार से प्रतीक्षित (दिसम्बर 2020)।

## 20. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाली प्रत्याभूति को दर्शाते हैं।)

ख- प्रत्येक श्रेणी हेतु क्षेत्र वार विवरण																
क्र. सं.	क्षेत्रक (कोष्ठक में प्रत्याभूतियों की संख्या)	वर्ष के दौरान अधिकतम राशि की प्रत्याभूति		31 अक्टूबर 2020 के प्रारंभ में बकाया		31 अक्टूबर 2019 ले 31 मार्च के दौरान परिवर्धन		31 अक्टूबर 2019 ले 31 मार्च के दौरान लोप		31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान लागू किया गया		31 मार्च 2020 को अंत में बकाया		प्रत्याभूति कमीशन एवं शुल्क	अन्य महत्त्वपूर्ण ब्योरा	
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	उन्मोचित	गैर-उन्मोचित	मूलधन	ब्याज	प्राप्त		प्राप्य
( ₹ लाख में )																
1	विद्युत (2)*															
	(i) जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत बोर्ड															
	आरईसी लिमिटेड/ भारतीय जीवन बीमा निगम/ विद्युत वित्त निगम से प्राप्त बंधपत्रों को जारी करने से ऋण/ बाजार उधार राशि के पुनर्भुगतान हेतु प्रत्याभूति	6,53,70.00	-	2,29,31.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,29,31.00	-	-	-
	(ii) जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास															
	विद्युत वित्त निगम (पीएफसी), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) एचयूडीसीओ, जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड, कैनरा बैंक और सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बॉण्ड, निवेश और लिए गए ऋण के संबंध में प्रत्याभूति प्रदान की गयी है।					13,25,49.00							13,25,49.00			
	कुल-1	6,53,70.00		2,29,31.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,25,49.00			
													2,29,31.00			

\* विवरण संख्या 20 में कोष्ठकों में आँकड़े अधिष्ठानों को इंगित करते हैं।

[1] 2004 के सरकारी आदेश संख्या 37 पीडीडी दिनांक 13.02.2004 द्वारा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया और परिसंपत्तियाँ एवं देयताओं को विकास आयुक्त (विद्युत) को हस्तांतरित कर दिया गया।

## 20. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाली प्रत्याभूति को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	क्षेत्रक (कोष्ठक में प्रत्याभूतियों की संख्या)	वर्ष के दौरान अधिकतम राशि की प्रत्याभूति		31 अक्टूबर 2020 के प्रारंभ में बकाया		31 अक्टूबर 2019 ले 31 मार्च के दौरान परिवर्धन		31 अक्टूबर 2019 ले 31 मार्च के दौरान लोप		31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान लागू किया गया		31 मार्च 2020 को अंत में बकाया		प्रत्याभूति कमीशन एवं शुल्क		अन्य महत्त्वपूर्ण ब्योरा
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	उन्मोचित	गैर-उन्मोचित	मूलधन	ब्याज	प्राप्त	प्राप्य	

(₹ लाख में)

## 2-क सहकारी बैंक (2)\*

## (i) जम्मू केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड,

## जम्मू

जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड से प्राप्त नकद क्रेडिट सीमा के पुनर्भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा मार्च 2008 से ₹ 04 करोड़ की 20 समान किस्तों में पुनर्भुगतान किये जाने वाली प्रत्याभूति

-	-	32,00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,00.00	-	-	-	-
---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------	---	---	---	---

## (ii) जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी

## कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

## लिमिटेड, श्रीनगर

अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु प्रत्याभूति

						57.44	-	-	-	-	-	57.44	-	-	-	-
1,02,16.00	-	2,79.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,79.28	-	-	-	-

## कुल-2क

						57.44						57.44				
1,02,16.00	-	34,79.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,79.28	-	-	-	-

## 20. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाली प्रत्याभूति को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	क्षेत्रक (कोष्ठक में प्रत्याभूतियों की संख्या)	वर्ष के दौरान अधिकतम राशि की प्रत्याभूति		31 अक्टूबर 2020 के प्रारंभ में बकाया		31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च के दौरान परिवर्धन		31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च के दौरान लोप		31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान लागू किया गया		31 मार्च 2020 को अंत में बकाया		प्रत्याभूति कमीशन एवं शुल्क		अन्य महत्त्वपूर्ण ब्योरा
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	उन्मोचित	गैर-उन्मोचित	मूलधन	ब्याज	प्राप्त	प्राप्य	

(₹ लाख में)

## 2-ख सहकारी सोसाइटियाँ

(i) पंजीयक सहकारी सोसाइटियाँ, जम्मू एवं कश्मीर	प्रतीक्षित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) जम्मू सहकारी थोक बिक्री भण्डार, जम्मू	प्रतीक्षित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) जम्मू एवं कश्मीर भूतपूर्व सैनिक स्टोर, जम्मू	प्रतीक्षित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) जम्मू एवं कश्मीर सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ, जम्मू	प्रतीक्षित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

कुल-2

1,02,16.00	-	34,79.28	-	57.44	-	-	-	-	-	-	-	57.44	-	-	-	-
------------	---	----------	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	---	---

## 3 राज्य वित्तीय निगम (1)

## (i) जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम

अल्प संख्यक क्षेत्र के वित्तीय उद्यमियों के लिए एनएमडीएफसी से प्राप्त निधि।

50,00.00	-	-	-	45,02.87	-	-	-	-	-	-	-	45,02.87	-	-	-	-
----------	---	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	----------	---	---	---	---

कुल-3

50,00.00	-	-	-	45,02.87	-	-	-	-	-	-	-	45,02.87	-	-	-	-
----------	---	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	----------	---	---	---	---

## 20. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाली प्रत्याभूति को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	क्षेत्रक (कोष्ठक में प्रत्याभूतियों की संख्या)	वर्ष के दौरान अधिकतम राशि की प्रत्याभूति		31 अक्टूबर 2020 के प्रारंभ में बकाया		31 अक्टूबर 2019 ले 31 मार्च के दौरान परिवर्धन		31 अक्टूबर 2019 ले 31 मार्च के दौरान लोप		31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान लागू किया गया		31 मार्च 2020 को अंत में बकाया		प्रत्याभूति कमीशन एवं शुल्क		अन्य महत्त्वपूर्ण ब्योरा
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	उन्मोचित	गैर-उन्मोचित	मूलधन	ब्याज	प्राप्त	प्राप्य	

(₹ लाख में)

## 4 अन्य संस्थान-(7)\*

## 4-क निजी फार्म-(3)\*

## (i) वन पट्टाधारी

-

## (ii) टेकनोक्रेटस-

-

## (iii) टोंगा वाले

-

## कुल-4(क)

-

## 4-ख सरकारी कंपनियाँ 4-ख

## (i) जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड

2.00 - - - - - 2.00 - - - - -

अन्य वित्तीय संस्थानों से अनुबंधित दरों पर उठाये गये ऋणों के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति

- - 72,15.46 - - - - - 72,15.46 - - - - -

## (ii) जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड

- - (-)1,54.94 - - - - - (-)1,54.94 - - - - -

अन्य वित्तीय संस्थानों से उठाये गये ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु प्रत्याभूति

1,01,49.89 - 69,20.53 - - - - - 69,20.53 - - - - -



## 20. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाली प्रत्याभूति को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	क्षेत्रक (कोष्ठक में प्रत्याभूतियों की संख्या)	वर्ष के दौरान अधिकतम राशि की गारंटी		31 अक्टूबर 2020 के प्रारंभ में बकाया		31 अक्टूबर 2019 ले 31 मार्च के दौरान परिवर्धन		31 अक्टूबर 2019 ले 31 मार्च के दौरान लोप		31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान लागू किया गया		31 मार्च 2020 को अंत में बकाया		प्रत्याभूति कमीशन एवं शुल्क		अन्य महत्त्वपूर्ण ब्योरा	
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	उन्मोचित	गैर-उन्मोचित	मूलधन	ब्याज	प्राप्त	प्राप्य		
4	अन्य संस्थान (7)* (समाप्त)																
4-ख	सरकारी कंपनियाँ (4)*-(समाप्त)																
	(iii) हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड																
	अन्य वित्तीय संस्थानों से अनुबंधित दरों पर उठाये गये ऋणों के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति	1,18.45	-	1,18.45	1,64.66								1,18.45	1,64.66			
	(iv) जम्मू एवं कश्मीर राज्य हथकरघा हस्तशिल्प कच्चा माल आपूर्ति संगठन लिमिटेड																
	कंपनी 2000-01 के मंत्रिमण्डल निर्णय संख्या- 129/12 दिनांक 18-08-2010 के माध्यम से बंद हो गई थी।	40.00	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-
	कुल-4 (ख)	1,03,08.34	-	1,42,94.44	1,64.66	2.00	-	(-)1,54.94	-	-	-	(-)1,52.94	-	-	-	-	-
	कुल-1+2+3+4	9,08,94.34	-	4,52,07.59	1,64.66	13,26,08.44		(-)1,54.94	-	-	-	13,24,53.50	-	-	-	-	-

(₹ लाख में)

**20 - सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण-(समाप्त)**

**व्याख्यात्मक टिप्पणी**

(क) प्रत्याभूति मोचन निधि: राज्य सरकार ने वर्ष 2005-06 में प्रत्याभूति मोचन निधि को स्थापित किया था। निधि निम्नानुसार है:

	<b>(₹ लाख में)</b>
(i) 30.10.2019 तक अथ शेष	-
	<b>20,42.00</b>
(ii) जोड़िए: 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान निधि में हस्तांतरित राशि	1,00.00
(iii) कुल	1,00.00
	<b>20,42.00</b>
(iv) घटाइए: आहूत प्रत्याभूतियों के उन्मोचन हेतु निधि से प्राप्त राशि	शून्य
(v) 31.03.2020 तक अंत शेष	1,00.00
	<b>20,42.00</b>
(vi) प्रत्याभूति से निर्मित निवेश राशि	शून्य
<b>(ख)</b> आहूत प्रत्याभूतियों का निवेश	शून्य
<b>(ग)</b> 31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान जारी 'लेटर ऑफ कंफर्ट' का ब्योरा।	शून्य

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर को आरंभिक शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 तक प्राप्तियाँ	31.10.2019 से 31.03.2020 तक संवितरण	31 मार्च 2020 तक अंत शेष
					(₹ लाख में)
<b>भाग-II आकस्मिकता निधि</b>					
8000- आकस्मिकता निधि	क्रे. 1,00.00	-	-	-	क्रे. -
					क्रे. 1,00.00
कुल भाग II-आकस्मिकता निधि	क्रे. 1,00.00	-	-	-	क्रे. -
					क्रे. 1,00.00
<b>भाग III-लोक लेखा-</b>					
<b>झ- लघु बचतें, भविष्य निधियाँ आदि-</b>					
<b>(ख) राज्य भविष्य निधि-</b>					
<b>8009- राज्य भविष्य निधि-</b>					
<i>01- नागरिक-</i>					
101- सामान्य भविष्य निधि	क्रे. 2,60,64,00.20	-	24,63,13.64	14,71,06.54	क्रे. 9,92,07.10
					क्रे. 2,60,64,00.20
102- अंशदायी भविष्य निधि	क्रे. 55,57.68	-	97.12	-	क्रे. 97.12
					क्रे. 55,57.68
104- अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि	क्रे. 35,28.61	-	-	-	क्रे. -
					क्रे. 35,28.61
कुल-01	क्रे. 2,61,55,86.49	-	24,64,10.76 (क)	14,71,06.54	क्रे. 9,93,04.22
					क्रे. 2,61,55,86.49
कुल-8009	क्रे. 2,61,55,86.49	-	24,64,10.76	14,71,06.54	क्रे. 9,93,04.22
					क्रे. 2,61,55,86.49
कुल-(ख)- राज्य भविष्य निधि	क्रे. 2,61,55,86.49	-	24,64,10.76	14,71,06.54	क्रे. 9,93,04.22 (ख)
					क्रे. 2,61,55,86.49 (ख)

(क) कृपया "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड के अनुलग्नक "क" को देखें।

(ख) आँकड़े मिलानाधीन हैं (दिसम्बर 2020)।

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)						
लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर को आरंभिक शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 तक प्राप्तियाँ	31.10.2019 से 31.03.2020 तक संवितरण	31 मार्च 2020 तक अंत शेष	
						(₹ लाख में)
<b>भाग III-लोक लेखा-(जारी)</b>						
<b>झ- लघु बचतें, भविष्य निधियाँ आदि-(जारी)</b>						
<b>(ग) अन्य लेखा-</b>						
<b>8011- बीमा एवं पेन्शन निधियाँ-</b>						
105- राज्य सरकार बीमा निधि	क्रे.	8,72,53.99	-	53,42.72 (क)	11,44.64	क्रे. 41,98.08
						क्रे. 8,72,53.99
106- अन्य निधि बीमा एवं पेन्शन-						
(i) श्रीनगर नगरपालिका पेन्शन निधि	क्रे.	10,83.12	-	10,27.63	13,13.40	क्रे. (-)2,85.77
						क्रे. 10,83.12
(ii) जम्मू नगरपालिका पेन्शन निधि	क्रे.	38,55.44	-	16,34.05	12,47.25	क्रे. 3,86.80
						क्रे. 38,55.44
(iii) टीएसी/ एनएसी पेन्शन निधि	क्रे.	81,74.58	-	48,77.65	43,76.96	क्रे. 5,00.69
						क्रे. 81,74.58
(iv) अन्य बीमा एवं पेन्शन निधियाँ	क्रे.	2,08.00	-	2,77.07	2,01.27	क्रे. 75.80
						क्रे. 2,08.00
कुल-106	क्रे.	1,33,21.14	-	78,16.40	71,38.88	क्रे. 6,77.52
						क्रे. 1,33,21.14
कुल-8011	क्रे.	10,05,75.13	-	1,31,59.12	82,83.52	क्रे. 48,75.60
						क्रे. 10,05,75.13
कुल-(ग)- अन्य लेखा	क्रे.	10,05,75.13	-	1,31,59.12	82,83.52	क्रे. 48,75.60
						क्रे. 10,05,75.13
कुल-झ- लघु बचतें, भविष्य निधियाँ आदि	क्रे.	2,71,61,61.62	-	25,95,69.88	15,53,90.06	क्रे. 10,41,79.82 (ख)
						क्रे. 2,71,61,61.62 (ख)

(क) कृपया "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड के अनुलग्नक "क" को देखें।

(ख) ऑफ़डे मिलानाधीन हैं (दिसम्बर 2020)।

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू और कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर को आरंभिक शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 तक प्राप्तियाँ	31.10.2019 से 31.03.2020 तक संवितरण	31 मार्च 2020 तक अंत शेष
<b>(₹ लाख में)</b>					
<b>भाग-III-लोक लेखा-(जारी)</b>					
<b>ज-आरक्षित निधियाँ-</b>					
<b>(क) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ-</b>					
<b>8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ-</b>					
122- राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	क्रे. 12,71,48.12	-	1,34,41.28 (क)	3,11,31.61 (ख)	क्रे. (-)1,76,90.33 क्रे. <b>12,71,48.12</b>
126- राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष-निवेश लेखा	डे. 10,86.07	-	-	-	डे. - डे. <b>10,86.07</b>
129- राज्य प्रतिकर वनरोपण जमा	क्रे. -	-	4,08,37.26	-	क्रे. 4,08,37.26 क्रे. -
<b>कुल-8121</b>					क्रे. -
<b>सकल शेष</b>	<b>क्रे. 12,71,48.12</b>	-	5,42,78.54	3,11,31.61	क्रे. 2,31,46.93 क्रे. <b>12,71,48.12</b>
<b>निवेश</b>	<b>डे. 10,86.07</b>	-	-	-	डे. - डे. <b>10,86.07</b>
<b>कुल-(क)-ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ</b>					
<b>सकल शेष</b>	<b>क्रे. 12,71,48.12</b>	-	5,42,78.54	3,11,31.61	क्रे. 2,31,46.93 क्रे. <b>12,71,48.12</b> (ग)
<b>निवेश</b>	<b>डे. 10,86.07</b>	-	-	-	डे. - डे. <b>10,86.07</b> (ग)

(क) ₹ 97,65.00 लाख भारत सरकार की हिस्सेदारी, ₹ 10,85.00 लाख संघ शासित क्षेत्र की हिस्सेदारी तथा ₹ 25,91.28 लाख ब्याज को दर्शाता है। "कृपया लेखाओं पर टिप्पणियाँ" के खण्ड-I के पैरा 3 (v)(क) झ और अनुलग्नक-क का अवलोकन करें।

(ख) ₹ 80,81.61 लाख 2245-05-901 "एसडीआरएफ से प्राप्त राशि में कटौती" और ₹ 2,30,50.00 लाख कोष से प्रत्यक्ष रूप से खर्च किए गए को सम्मिलित करता है। कृपया "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड-I अनुलग्नक क और खण्ड-II के विवरण संख्या 15 के मुख्य शीर्ष 2245 की पाद टिप्पणी क का संदर्भ लें।

(ग) शेष विचारधीन (दिसम्बर 2020) है।

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू और कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर को आरंभिक शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 तक प्राप्तियाँ	31.10.2019 से 31.03.2020 तक संवितरण	31 मार्च 2020 तक अंत शेष
<b>(₹ लाख में)</b>					
<b>भाग-III- लोक लेखा -(जारी)</b>					
<b>अ- आरक्षित निधियाँ-(जारी)</b>					
<b>(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ-</b>					
<b>8222- ऋण शोधन निधियाँ</b>					
<i>01- ऋण परिहार या अभाव हेतु विनियोजन</i>					
101- ऋण शोधन निधियाँ	क्रे. 3,55,86.76	-	-	-	क्रे. -
					क्रे. 3,55,86.76
	कुल-8222 क्रे. 3,55,86.76	-	-	-	क्रे. -
					क्रे. 3,55,86.76
<b>8223- अकाल राहत कोष</b>					
101- अकाल राहत कोष	क्रे. 8,66.96	-	-	-	क्रे. -
					क्रे. 8,66.96
	कुल-8223 क्रे. 8,66.96	-	-	-	क्रे. -
					क्रे. 8,66.96
<b>8226- आरक्षित निधि का मूल्यहास/ नवीनीकरण</b>					
101- सरकार के वाणिज्यिक विभागों/ उपक्रमों की आरक्षित निधियों का					
मूल्यहास	क्रे. 5,73,79.34	-	-	-	क्रे. -
					क्रे. 5,73,79.34
102- सरकार के गैर-वाणिज्यिक विभागों की आरक्षित निधियों का					
मूल्यहास	क्रे. 72,85.99	-	-	-	क्रे. -
					क्रे. 72,85.99
	कुल-8226 क्रे. 6,46,65.33	-	-	-	क्रे. -
					क्रे. 6,46,65.33

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू और कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर को आंशिक शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 तक प्राप्तियाँ	31.10.2019 से 31.03.2020 तक संवितरण	31 मार्च 2020 तक अंत शेष
<b>(₹ लाख में)</b>					
<b>भाग-III- लोक लेखा -(जारी)</b>					
<b>ज- आरक्षित निधियाँ-(समाप्त)</b>					
<b>(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ -(समाप्त)</b>					
<b>8229- विकास एवं कल्याण निधियाँ-</b>					
103- कृषि उद्देश्यों हेतु विकास निधियाँ	क्रे. 40,52.06	-	-	-	क्रे. - क्रे. 40,52.06
109- सहकारी विकास निधियाँ	क्रे. 0.10	-	-	-	क्रे. - क्रे. 0.10
200- अन्य विकास एवं कल्याण निधियाँ	क्रे. 3,03,32.77	-	4,65.05	55,53.34	क्रे. (-)50,88.29 क्रे. 3,03,32.77
<b>कुल-8229</b>	<b>क्रे. 3,43,84.93</b>	<b>-</b>	<b>4,65.05</b>	<b>55,53.34</b>	<b>क्रे. (-)50,88.29 क्रे. 3,43,84.93</b>
<b>8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ-</b>					
105- सामान्य बीमा निधि-जनता बीमा	क्रे. 41,19.21	-	16,13.73	12,10.15	क्रे. 4,03.58 क्रे. 41,19.21
117- प्रत्याभूति मोचन निधि	क्रे. 20,42.00	-	1,00.00 (ड)	-	क्रे. 1,00.00 क्रे. 20,42.00
200- अन्य निधियाँ	क्रे. 1,17,29.72	-	1,32.61	-	क्रे. 1,32.61 क्रे. 1,17,29.72
<b>कुल-8235</b>	<b>क्रे. 1,78,90.93</b>	<b>-</b>	<b>18,46.34</b>	<b>12,10.15</b>	<b>क्रे. 6,36.19 क्रे. 1,78,90.93</b>
<b>कुल-(ख)- ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ</b>	<b>क्रे. 15,33,94.91</b>	<b>-</b>	<b>23,11.39</b>	<b>67,63.49</b>	<b>क्रे. (-)44,52.10 क्रे. 15,33,94.91</b>
<b>कुल-ज- आरक्षित निधियाँ</b>					
<b>सकल शेष</b>	<b>क्रे. 28,05,43.03</b>	<b>-</b>	<b>5,65,89.93</b>	<b>3,78,95.10</b>	<b>क्रे. 1,86,94.83 क्रे. 28,05,43.03</b>
<b>निवेश</b>	<b>डे. 10,86.07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>डे. - डे. 10,86.07</b>

(ड) एमएच 2075-800 से अंशदान के रूप में हस्तांतरित राशि को दर्शाता है। कृपया खण्ड-II विवरण सख्या -15 के मुख्य शीर्ष -2075 के नीचे पाद टिप्पणी (ख) को देखें। कृपया "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" के खण्ड-I के अनुलग्नक क को देखें।

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू और कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर को आंशिक शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 तक प्राप्तियाँ	31.10.2019 से 31.03.2020 तक संवितरण	31 मार्च 2020 तक अंत शेष
<b>(₹ लाख में)</b>					
<b>भाग-III- लोक लेखा-(जारी)</b>					
<b>ट-जमाएं एवं अग्रिम-</b>					
<b>(क) ब्याज वहन करने वाली जमाएं-</b>					
<b>8336- नागरिक जमा-</b>					
103- राज्य प्रतिकर वनरोपण जमा-	क्रे.	-	2,95,06.46	-	क्रे. 2,95,06.46
					क्रे. -
<b>कुल-8336</b>	<b>क्रे.</b>	<b>-</b>	<b>2,95,06.46</b>	<b>-</b>	<b>क्रे. 2,95,06.46</b>
					क्रे. -
<b>8342- अन्य जमाएं</b>					
117- सरकारी कर्मचारियों हेतु परिभाषित पेन्शन अंशदायी योजना (नयी पेन्शन योजना)	क्रे.	53,67.44	4,70,38.17 (क)	4,53,08.64	क्रे. 17,29.53
					क्रे. 53,67.44
<b>कुल-8342</b>	<b>क्रे.</b>	<b>53,67.44</b>	<b>4,70,38.17</b>	<b>4,53,08.64</b>	<b>क्रे. 17,29.53</b>
					क्रे. 53,67.44
<b>कुल-(क)- ब्याज वहन करने वाली जमाएं</b>	<b>क्रे.</b>	<b>53,67.44</b>	<b>7,65,44.63</b>	<b>4,53,08.64</b>	<b>क्रे. 3,12,35.99</b>
					क्रे. 53,67.44
<b>(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं-</b>					
<b>8443- नागरिक जमा-(ख)</b>					
101- राजस्व जमाएं	क्रे.	24,10,09.78	4,43,37.58	2,33,72.57	क्रे. 2,09,65.01
					क्रे. 24,10,09.78
102- सीमा शुल्क और अफीम जमाएं	क्रे.	70,90.86	-	-	क्रे. -
					क्रे. 70,90.86
103- सुरक्षा जमाएं	क्रे.	1,59,61.11	21,83.54	12,06.84	क्रे. 9,76.70
					क्रे. 1,59,61.11
104- दिवानी न्यायालयों की जमा राशियाँ	क्रे.	2,54,34.61	74.90	55.25	क्रे. 19.65
					क्रे. 2,54,34.61
105- आपराधिक न्यायालयों की जमा राशियाँ	क्रे.	18,98.64	0.06	-	क्रे. 0.06
					क्रे. 18,98.64

(क) ₹ 2,40,06.80 लाख की कर्मचारियों की हिस्सदारी और ₹ 2,30,31.37 लाख के सरकारी अंश को दर्शाता है।

(ख) कृपया विवरण सं 13 खण्ड-1 के नीचे व्याख्यात्मक टिप्पणी ख को देखें।



## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू और कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर को आरंभिक शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 तक प्राप्तियाँ	31.10.2019 से 31.03.2020 तक संवितरण	31 मार्च 2020 तक अंत शेष
<b>(₹ लाख में)</b>					
<b>भाग III- लोक लेखा-(जारी)</b>					
<b>ट-जमाएं एवं अग्रिम-(जारी)</b>					
<b>(ख) ब्याज वहन नहीं वाली जमाएं-(जारी)</b>					
<b>8443- नागरिक जमा-(समाप्त)</b>					
108- लोक निर्माण कार्य जमा	क्रे. 15,80,13.85	-	3,14,15.59	1,46,82.06	क्रे. 1,67,33.53 क्रे. 15,80,13.85
109- वन जमाएं	क्रे. 2,84.44	-	-	-	क्रे. - क्रे. 2,84.44
111- अन्य विभागीय जमाएं	क्रे. 39,80.48	-	29,47.76	38,28.83	क्रे. (-)8,81.07 क्रे. 39,80.48
115- सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों	क्रे. 34.90	-	-	-	क्रे. - क्रे. 34.90
116- विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य अधिनियमों- अनुबंधित श्रम के अधीन जमा (नियामक उन्मूलन अधिनियम 1970) के अधीन जमा	क्रे. 0.01	-	-	-	क्रे. - क्रे. 0.01
118- सरकारी सेवकों द्वारा निजी निकार्यों हेतु किये गये कार्यों के लिए प्राप्त शुल्क	क्रे. 0.20	-	-	-	क्रे. - क्रे. 0.20
121- निर्वाचन संबंधी जमाएं	क्रे. 99.06	-	2,67.69	62.78	क्रे. 2,04.91 क्रे. 99.06
123- शिक्षा संस्थानों की जमाएं	क्रे. 2,64.63	-	-	-	क्रे. - क्रे. 2,64.63
124- भविष्य निधि में गैर-दावाकृत जमाएं	क्रे. 92.35	-	-	-	क्रे. - क्रे. 92.35
800- अन्य जमाएं	क्रे. 7,27,11.78	-	68,00.55	6,27.49	क्रे. 61,73.06 क्रे. 7,27,11.78
<b>कुल-8443</b>	<b>क्रे. 52,68,76.70</b>	<b>-</b>	<b>8,80,27.67</b>	<b>4,38,35.82</b>	<b>क्रे. 4,41,91.85 क्रे. 52,68,76.70</b>

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू और कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर को आंशिक शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 तक प्राप्तियाँ	31.10.2019 से 31.03.2020 तक संवितरण	31 मार्च 2020 तक अंत शेष
<b>(₹ लाख में)</b>					
<b>भाग III- लोक लेखा-(जारी)</b>					
<b>ट-जमाएं एवं अग्रिम-(जारी)</b>					
<b>(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं-(जारी)</b>					
<b>8448- स्थानीय निधियों की जमाएं-</b>					
101- जिला निधियाँ	क्रे. 22,75.15	-	-	-	क्रे. - क्रे. 22,75.15
102- नगरपालिका निधियाँ	क्रे. 1,33,39.66	-	2,36,67.76	1,76,41.92	क्रे. 60,25.84 क्रे. 1,33,39.66
107- राज्य विद्युत बोर्ड कार्यकारी निधियाँ	क्रे. 79.04	-	-	-	क्रे. - क्रे. 79.04
108- राज्य आवास बोर्ड निधियाँ	क्रे. 8.07	-	-	-	क्रे. - क्रे. 8.07
109- पंचायत निकाय निधियाँ	क्रे. 27.48	-	-	-	क्रे. - क्रे. 27.48
110- शिक्षा निधियाँ	क्रे. 2,58.98	-	-	-	क्रे. - क्रे. 2,58.98
111- चिकित्सा एवं धर्मार्थ निधियाँ	क्रे. 58.02	-	-	-	क्रे. - क्रे. 58.02
113- लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद निधि	क्रे. 7,87,25.48	-	-	-	क्रे. - क्रे. 7,87,25.48
120- अन्य निधियाँ	क्रे. 70,44.76	-	-	66,31.62	क्रे. (-)66,31.62 क्रे. 70,44.76
	<b>कुल-8448</b>	<b>क्रे. 10,18,16.64</b>	<b>-</b>	<b>2,36,67.76</b>	<b>2,42,73.54</b>
<b>8449- अन्य जमाएं</b>					
103- केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त संसहायिकी	क्रे. 5,73,32.94	-	49,48.00 (ग)	24,17.66 (क)	क्रे. 25,30.34 क्रे. 5,73,32.94

(ग) एमएच 3054-80-797 आरक्षित निधि जमा को हस्तांतरित और एमएच-5054-80-902 "कटौती -केन्द्रीय सड़क निधि" से सरकारी अनुदान से हस्तांतरित राशि को दर्शाता है। कृपया विवरण संख्या 15 में एमएच-3054 के नीचे पाद टिप्पणी क का तथा विवरण संख्या 16 खण्ड-II के एमएच-5054 के नीचे क का और लेखों पर टिप्पणियाँ खण्ड-I के अनुलग्नक क का संदर्भ लें।

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू और कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर को आरंभिक शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 तक प्राप्तियाँ	31.10.2019 से 31.03.2020 तक संवितरण	31 मार्च 2020 तक अंत शेष
<b>(₹ लाख में)</b>					
<b>भाग III- लोक लेखा-(जारी)</b>					
<b>ट- जमाएं एवं अग्रिम-(समाप्त)</b>					
<b>(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं-(समाप्त)</b>					
<b>8449- अन्य जमा-(समाप्त)</b>					
123- राष्ट्रीय खनिज समन्वेषण न्यास जमा	क्रे. 29.57	-	4.90	-	क्रे. 4.90
					क्रे. 29.57
<b>कुल-8449</b>	<b>क्रे. 5,73,62.51</b>	<b>-</b>	<b>49,52.90</b>	<b>24,17.66</b>	<b>क्रे. 25,35.24</b>
					<b>क्रे. 5,73,62.51</b>
<b>कुल-(ख)-ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं</b>	<b>क्रे. 68,60,55.85</b>	<b>-</b>	<b>11,66,48.33</b>	<b>7,05,27.02</b>	<b>क्रे. 4,61,21.31</b>
					<b>क्रे. 68,60,55.85</b>
<b>(ग) अग्रिम-</b>					
<b>8550- सिविल अग्रिम-</b>					
101- वन अग्रिम	डे. 6,71.51	-	-	-	डे. -
					डे. 6,71.51
103- अन्य विभागीय अग्रिम	डे. 2,12.25	-	-	-	डे. -
					डे. 2,12.25
104- अन्य अग्रिम	डे. 3,85.43	-	-	-	डे. -
					डे. 3,85.43
<b>कुल-8550</b>	<b>डे. 12,69.19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>डे. -</b>
					<b>डे. 12,69.19</b>
<b>कुल-(ग)- अग्रिम</b>	<b>डे. 12,69.19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>डे. -</b>
					<b>डे. 12,69.19</b>
<b>कुल-ट- जमाएं एवं अग्रिम</b>	<b>क्रे. 69,01,54.10</b>	<b>-</b>	<b>19,31,92.96</b>	<b>11,58,35.66</b>	<b>क्रे. 7,73,57.30</b>
					<b>क्रे. 69,01,54.10</b>
<b>ठ- उचंत एवं विविध-</b>					
<b>(ख) उचंत-</b>					
<b>8658- उचंत लेखा-</b>					
101- वेतन एवं लेखा कार्यालय का उचंत	डे. 3,39,26.93	-	15.36	14,61.25	डे. 14,45.89
					डे. 3,39,26.93

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू और कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर को आंशिक शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 तक प्राप्तियाँ	31.10.2019 से 31.03.2020 तक संवितरण	31 मार्च 2020 तक अंत शेष
<b>(₹ लाख में)</b>					
<b>भाग III- लोक लेखा-(जारी)</b>					
<b>ठ- उचंत एवं विविध-(जारी)</b>					
<b>(ख) उचंत-(जारी)</b>					
<b>8658- उचंत लेखा-(जारी)</b>					
102- उचंत लेखा (सिविल)	₹. 79,11.24	-	3,21.82	6,46.77	₹. 3,24.95
					<b>₹. 79,11.24</b>
107- रोकड़ निपटारा उचंत लेखा	₹. 6,69.05	-	-	-	₹. -
					<b>₹. 6,69.05</b>
109- आरबीआई उचंत (मुख्यालय)	₹. 3,03.73	-	10.45	20.03	₹. 9.58
					<b>₹. 3,03.73</b>
110- आरबीआई (उचंत लेखा )	₹. 1,51.91	-	11.82	3.16	₹. 8.66
					<b>₹. 1,51.91</b>
112- स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) उचंत	₹. 1,09,96.60	-	4,85,45.26	2,63,54.09	₹. 2,21,91.17
					<b>₹. 1,09,96.60</b>
113- भविष्य निधि उचंत	₹. 2,25.35	-	-	-	₹. -
					<b>₹. 2,25.35</b>
120- अतिरिक्त महंगाई भत्ता जमा उचंत लेखा	₹. 1,52.56	-	-	-	₹. -
					<b>₹. 1,52.56</b>
123- अखिल भारतीय सेवा अधिकारी समूह बीमा योजना	₹. 2,15.20	-	0.36	15.79	₹. 15.43
					<b>₹. 2,15.20</b>
136- सीमा शुल्क	₹. 67.00	-	-	-	₹. -
					<b>₹. 67.00</b>
137- वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	₹. 28,25.68	-	-	-	₹. -
					<b>₹. 28,25.68</b>

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू और कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर को आंशिक शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 तक प्राप्तियाँ	31.10.2019 से 31.03.2020 तक संवितरण	31 मार्च 2020 तक अंत शेष
(₹ लाख में)					
<b>भाग III- लोक लेखा-(जारी)</b>					
<b>ठ- उचंत एवं विविध-(जारी)</b>					
<b>(ख) उचंत-(जारी)</b>					
<b>8658- उचंत लेखा-(समाप्त)</b>					
139- जीएसटी- स्रोत उचंत पर कर कटौती	डे.	-	6,54.93	6,87.73	डे. 32.80
					डे. -
<b>कुल-8658</b>	डे.	<b>3,44,14.18</b>	-	4,95,60.00	क्रे. 2,91,88.82
					डे. <b>3,44,14.18</b>
<b>कुल-(ख)-उचंत</b>	डे.	<b>3,44,14.18</b>	-	4,95,60.00	क्रे. 2,91,88.82
					डे. <b>3,44,14.18</b>
<b>(ग) अन्य लेखा-</b>					
<b>8671- विभागीय शेष-</b>					
101- नागरिक	डे.	4,96.97	-	0.02	-
					क्रे. 0.02
<b>कुल-8671</b>	डे.	<b>4,96.97</b>	-	0.02	-
					क्रे. 0.02
					डे. <b>4,96.97</b>
<b>8672- स्थायी रोकड़ अग्रदाय-</b>					
101- नागरिक	डे.	12.59	-	-	-
					डे. -
<b>कुल-8672</b>	डे.	<b>12.59</b>	-	-	-
					डे. -
					डे. <b>12.59</b>
<b>8673- रोकड़ शेष निवेश लेखा-</b>					
101- रोकड़ शेष निवेश लेखा	डे.	3,83,91.91	-	35,07,19.06	35,07,19.06
					डे. -
<b>कुल-8673</b>	डे.	<b>3,83,91.91</b>	-	35,07,19.06	35,07,19.06
					डे. -
					डे. <b>3,83,91.91</b> \$
<b>कुल-(ग)- अन्य लेखा</b>	डे.	<b>3,89,01.47</b>	-	35,07,19.08	35,07,19.06
					क्रे. 0.02
					डे. <b>3,89,01.47</b>

§ निवेश का ब्योरा सरकार से प्रतीक्षित (दिसम्बर 2020)।

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 आरंभिक शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आबंटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 तक प्राप्तियाँ	31.10.2019 से 31.03.2020 तक संवितरण	31 मार्च 2020 तक अंत शेष
(₹ लाख में)					
<b>भाग III- लोक लेखा-(जारी)</b>					
<b>ठ- उचंत एवं विविध-(समाप्त)</b>					
<b>(ख) उचंत-(समाप्त)</b>					
<b>(ड) विविध-</b>					
<b>8680- विविध सरकारी लेखे-</b>					
102- लेखा शीर्ष के अंत शेष से बट्टे खाते में डालना	-	-	-	-	-
<b>कुल- 8680</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>कुल-(ड) विविध</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>कुल-ठ - उचंत एवं विविध</b>	<b>₹. 7,33,15.65</b>	<b>-</b>	<b>40,02,79.08</b>	<b>37,99,07.88</b>	<b>₹. 2,03,71.20</b>
					<b>₹. 7,33,15.65</b>
<b>ड-प्रेषण-</b>					
<b>(क) धन आदेश एवं अन्य प्रेषण-</b>					
<b>8782- समान महालेखाकार/ लेखा अधिकारी को लेखा प्रदान करने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण एवं समायोजन-</b>					
101- कोषागारों एवं करेंसी के मध्य रोकड़ प्रेषण	₹. 57,61.34	-	-	-	₹. -
					<b>₹. 57,61.34</b>
102- लोक निर्माण प्रेषण	₹. 4,60,41.57	-	-	-	₹. -
					<b>₹. 4,60,41.57</b>
103- वन प्रेषण	₹. 52,85.62	-	-	-	₹. -
					<b>₹. 52,85.62</b>
104- सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों का प्रेषण	₹. 11,19.77	-	-	-	₹. -
					<b>₹. 11,19.77</b>
108- अन्य विभागीय प्रेषण	₹. 1,87,06.55	-	-	-	₹. -
					<b>₹. 1,87,06.55</b>

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 आरंभिक शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आबंटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 तक प्राप्तियाँ	31.10.2019 से 31.03.2020 तक संवितरण	31 मार्च 2020 तक अंत शेष (₹ लाख में)
<b>भाग III- लोक लेखा-(जारी)</b>					
<b>ड-प्रेषण-(जारी)</b>					
<b>(क) धनादेश एवं अन्य प्रेषण-(समाप्त)</b>					
<b>8782- समान महालेखाकार/ लेखा अधिकारी को लेखा प्रदान करने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण एवं समायोजन- (समाप्त)</b>					
110- विविध प्रेषण	₹. 21,09,99.12	-	22,67,83.80	8,69,60.20	₹. 13,98,23.60
	<b>₹. 21,09,99.12</b>				<b>₹. 13,98,23.60</b>
<b>कुल-8782</b>	<b>₹. 28,56,74.43</b>	<b>-</b>	<b>22,67,83.80</b>	<b>8,69,60.20</b>	<b>₹. 13,98,23.60</b>
					<b>₹. 28,56,74.43</b>
<b>कुल-(क)- धनादेश एवं अन्य प्रेषण</b>	<b>₹. 28,56,74.43</b>	<b>-</b>	<b>22,67,83.80</b>	<b>8,69,60.20</b>	<b>₹. 13,98,23.60</b>
					<b>₹. 28,56,74.43</b>
<b>(ख) अंतर सरकार लेखा समायोजन-</b>					
<b>8786- केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के मध्य लेखा समायोजन (क)</b>	₹. 5,46.43	-	-	-	₹. -
	<b>₹. 5,46.43</b>				<b>₹. 5,46.43</b>
<b>कुल-8786</b>	<b>₹. 5,46.43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>₹. 5,46.43</b>
					<b>₹. 5,46.43</b>
<b>8793- अंतर्राज्यीय उच्चत लेखा-</b>	₹. 3,79.44	-	3.01	(-)4.09	₹. 7.10
	<b>₹. 3,79.44</b>				<b>₹. 3,79.44</b>
<b>कुल-8793</b>	<b>₹. 3,79.44</b>	<b>-</b>	<b>3.01</b>	<b>(-)4.09</b>	<b>₹. 7.10</b>
					<b>₹. 3,79.44</b>

(क) मार्च 1977 से पूर्व अयोचित किये गये शेषों का समायोजन एवं विश्लेषण का प्रस्तुतीकरण आग में अभिलेखों के नष्ट हो जाने के कारण कठिन है, मामला अभी भी जांच के अधीन है (दिसम्बर 2020)।

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 आरंभिक शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आबंटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 तक प्राप्तियाँ	31.10.2019 से 31.03.2020 तक संवितरण	31 मार्च 2020 तक अंत शेष (₹ लाख में)
<b>भाग III- लोक लेखा-(समाप्त)</b>					
<b>ड-प्रेषण-(समाप्त)</b>					
कुल-(ख)- अंतर सरकार समायोजन लेखा डे.	9,25.87	-	3.01	(-).4.09	क्रे. 7.10 डे. 9,25.87
कुल-ड - प्रेषण क्रे.	28,47,48.56	-	22,67,86.81	8,69,56.11	क्रे. 13,98,30.70 क्रे. 28,47,48.56
कुल-भाग- III-लोक लेखा		-	1,13,64,18.66	77,59,84.82	
कुल-भाग I, भाग II और भाग III- प्राप्तियाँ/ संवितरण			5,05,71,24.56	4,90,88,96.32	
<b>ढ- रोकड़ शेष-</b>					
8999-रोकड़ शेष (क)			-	14,82,28.24	
<b>कुल योग</b>			<b>(-).4,41,95.18</b>	<b>(-).4,41,95.18</b>	

(क) आरंभिक एवं अंत रोकड़ शेषों का सार

(₹ लाख में)

	आरंभिक शेष	अंत शेष
(i) कोषागारों में रोकड़	6,76.64	-
(ii) बैंक में रोकड़	21,01.92	-
(iii) आरबीआई के पास जमा	(-).4,69,73.74	14,82,28.24 (ख)
<b>कुल</b>	<b>(-).4,41,95.18</b>	<b>14,82,28.24</b>

(ख) रिजर्व बैंक के पास जमा के प्रति शेष सरकारी लेखा के अनुसार शेष को प्रस्तुत करता है जिसमें 10 अप्रैल तक भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्शनुसार सरकारी समायोजन शामिल है। लेखाओं में, जैसा कि आँकड़े प्रतिबिम्बित हुए हैं, के मध्य ₹ 57.42 लाख (क्रे.) का निवल अंतर है, (₹ 14,82,28.24 लाख (डे.) और जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सूचित किया गया है (₹ 14,82,85.66 लाख (क्रे.))। यह अंतर आरबीआई के साथ-साथ संघ राज्य सरकार के समायोजन के अधीन है (दिसम्बर 2020)।



## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

विवरण संख्या-21 का अनुलग्नक					
उचंत शेष एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण					
(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)					
(₹ लाख में)					
क्र. सं.	लेखा शीर्ष एवं मंत्रालय/ विभाग जिनके साथ लंबित है	31 मार्च 2020 तक शेष		संक्षेप में संव्यवहारों की प्रकृति	रोकड़ शेष पर बकाया का प्रभाव
		डे.	क्रे.		पूर्ववर्ती वर्ष जिससे लंबित है
(क)	<b>8658- उचंत लेखा-</b>				
1	<b>101- वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत</b>				
	(i) सीपीएओ, नई दिल्ली	14,25.47	-		बकाया डेबिट की सीमा तक रोकड़ शेष तथा
		<b>3,22,39.34</b>	<b>4,71.59</b>		2003-04 निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढेगा और कम होगा।
	(ii) अन्य	20.42	-	ये बहुत पुराने शेष हैं, अतः संव्यवहारों की वास्तविक प्रकृति ज्ञात नहीं है।	समायोजन पर रोकड़ शेष की वृद्धि होगी।
		<b>81,33.38</b>	<b>59,74.19</b>		1976-77
2	<b>102- उचंत लेखा (सिविल)</b>				
	(i) सीडीए, पेन्शन, इलाहाबाद	-	2,25.61	राज्य/ संघ शासित सरकार द्वारा रक्षा पेन्शनभोगियों को किया गया भुगतान।	निकासी पर रोकड़ शेष की वृद्धि होगी
		<b>22,45.79</b>	<b>10,91.52</b>		2003-04
	(ii) सीडीए (डब्ल्यूसी), चण्डीगढ़	-	0.46	पेन्शन, परिवहन आदि के कारण किया गया भुगतान।	बकाया डेबिट की सीमा तक रोकड़ शेष तथा
		<b>1,86.01</b>	-		2003-04 निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढेगा और कम होगा।
	(iii) सीडीए (एससी), पुणे	0.02	-	पेन्शन, परिवहन आदि के कारण किया गया भुगतान।	बकाया डेबिट की सीमा तक रोकड़ शेष तथा
		<b>88.43</b>	<b>80.02</b>		2003-04 निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढेगा और कम होगा।

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

विवरण संख्या-21 का अनुलग्नक					
उचंत शेष एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण					
(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)					
(₹ लाख में)					
क्र. सं.	लेखा शीर्ष एवं मंत्रालय/ विभाग जिनके साथ लंबित है	31 मार्च 2020 तक शेष		संक्षेप में संव्यवहारों की प्रकृति	रोकड़ शेष पर बकाया का प्रभाव
		डे.	क्रे.		पूर्ववर्ती वर्ष जिससे लंबित है
(क)	8658- उचंत लेखा - (जारी)				
	102- उचंत लेखा (सिविल)-(जारी)				
	(iv) सीडीए (एनसी), जम्मू	81.34	-	पेन्शन, परिवहन आदि के कारण किया गया भुगतान।	बकाया डेबिट की सीमा तक रोकड़ शेष तथा
		5,56.98	2,53.49		2003-04 निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा।
	(v) उत्तर रेलवे, नई दिल्ली	2.35	-	उत्तर रेलवे के पेन्शनभोगियों को पेन्शन का भुगतान	बकाया डेबिट की सीमा तक रोकड़ शेष तथा
		3,71.27	9.29	किया गया।	1998-99 निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा।
	(vi) पीएण्डटी, कपूरथला	-	-		बकाया डेबिट की सीमा तक रोकड़ शेष तथा
		11,13.98	67.13	प्रेषण एवं पीएलआई की वसूली के कारण संव्यवहार।	2003-04 निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा।
	(vii) अन्य	4,67.75	0.44		बकाया डेबिट की सीमा तक रोकड़ शेष तथा
		3,22,40.13	2,73,89.90	पुराना शेष मामला संबंधित अभिकरणों के साथ	1976-77 निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा।
				पत्राचाराधीन।	

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## विवरण संख्या-21 का अनुलग्नक

## उचंत शेष एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)  
(₹ लाख में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष एवं मंत्रालय/ विभाग जिनके साथ लंबित है	31 मार्च 2020 तक शेष		संक्षेप में संव्यवहारों की प्रकृति	पूर्ववर्ती वर्ष जिससे लंबित है	रोकड़ शेष पर बकाया का प्रभाव
		डे.	क्रे.			
(क)	8658- उचंत लेखा-(जारी)					
3	107- रोकड़ समायोजन उचंत लेखा (सिविल)	- 6,69.05	-	लोक/ निर्माण प्रभागों के मध्य स्टॉक/ सेवा संव्यवहारों का अंतिम रोकड़ समायोजन लंबित।	1976-77	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं।
4	109- रिज़र्व बैंक का उचंत- (मुख्यालय)	14.98 1,59.27	5.40 4,63.00	2011-12 के दौरान पेन्शन/ टीए आदि के कारण किया गया भुगतान।	2011-12	बकाया डेबिट की सीमा तक रोकड़ शेष तथा निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढेगा और कम होगा।
5	110- रिज़र्व बैंक का उचंत-केन्द्रीय लेखा	33.40 5,34.17	42.06 3,82.26	2011-12 के दौरान पेन्शन/ टीए आदि के कारण किया गया भुगतान।	2011-12	बकाया डेबिट की सीमा तक रोकड़ शेष तथा निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढेगा और कम होगा।
6	112- स्रोत पर कर कटौती	- -	2,21,91.17 1,09,96.60	सीबीडीटी को देय स्रोत पर आय कर आदि की कटौती के कारण प्राप्तियाँ।	2009-10	बकाया क्रेडिट की सीमा तक रोकड़ शेष निकासी पर कम होगा।
7	113- भविष्य निधि उचंत	- 2,25.35	-	सामान्य भविष्य निधि खाते क्रेडिट/ डेबिट जमा को अभिदाताओं के खाते में समायोजन प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर अंतिम समायोजन तक प्रतीक्षित।	1976-77	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं।

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

विवरण संख्या-21 का अनुलग्नक						
उचंत शेष एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण						
(बोल्ड आँकड़े जम्मु एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)						
क्र. सं.	लेखा शीर्ष एवं मंत्रालय/ विभाग जिनके साथ लंबित है	31 मार्च 2020 तक शेष		संक्षेप में संव्यवहारों की प्रकृति	पूर्ववर्ती वर्ष जिससे लंबित है	रोकड़ शेष पर बकाया का प्रभाव
		डे.	क्रे.			
<b>(क)</b>						
<b>8658- उचंत लेखा-(समाप्त)</b>						
8	123- अखिल भारतीय सेवा अधिकारी समूह बीमा योजना	15.43	-	केन्द्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना कटौती/ वसूलियों को समायोजित करती है।	1976-77	निकासी पर रोकड़ शेष में बढ़ोतरी होगी।
9	139-जीएसटी स्रोत उचंत पर कर कटौती	1,31.65	98.85	केन्द्र और राज्य/ संघ शासित सरकारों की प्राप्ति सीजीएसटी/ आईजीएसटी का समायोजन।	2019-20	निकासी पर रोकड़ शेष में बढ़ोतरी होगी।
<b>(ख)</b>						
<b>8782-समान महालेखाकार/ लेखा अधिकारी को लेखा प्रदान करने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण एवं समायोजन</b>						
1	102- लोक निर्माण प्रेषण	-	-	(i) कोषागारों में प्रेषण एवं (ii) लोक निर्माण चैकों को प्रभागीय लेखाओं में क्रमशः डेबिट और क्रेडिट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्राप्ति पर संबंधित कोषागार इस शीर्ष को क्रेडिट और डेबिट के माध्यम से करता है।	1976-77	रोकड़ या लेखा पर कोई प्रभाव नहीं।
		12,78,82.95	17,39,24.52			

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(समाप्त)

## विवरण संख्या-21 का अनुलग्नक

## उचंत शेष एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

(₹ लाख में)

क्र.सं	लेखा शीर्ष एवं मंत्रालय/ विभाग जिनके साथ लंबित है	31 मार्च 2020 तक शेष		संक्षेप में संव्यवहारों की प्रकृति	पूर्ववर्ती वर्ष जिससे लंबित है	रोकड़ शेष पर बकाया का प्रभाव
		डे.	क्रे.			
(ख)	8782- समान महालेखाकार/ लेखा अधिकारी को लेखा प्रदान करने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण एवं समायोजन-(समाप्त)					
2	103- वन प्रेषण	-	-	(i) कोषागारों में प्रेषण एवं (ii) वन बैंक को प्रभागीय लेखाओं में क्रमशः डेबिट और क्रेडिट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्राप्ति पर संबंधित कोषागार इस शीर्ष को क्रेडिट और डेबिट के माध्यम से करता है।	1976-77	रोकड़ पर कोई प्रभाव नहीं।
		1,07,26.09	1,60,11.71			
3	108- अन्य विभागीय प्रेषण	-	-	यह शीर्ष उन विभागों जैसे उत्पाद शुल्क आदि द्वारा संचालित किया जाता है जिन्हें कोषागारों के साथ प्रेषण संव्यवहार की सुविधा प्रदान की जाती है।	1976-77	रोकड़ लेखा पर कोई प्रभाव नहीं।
		-	1,87,06.55			
	110- विविध प्रेषण	-	13,98,23.60	यह शीर्ष उन विभागों द्वारा संचालित किया जाता है जिन्हें कोषागारों के साथ प्रेषण लेन देन की सुविधा प्रदान की गयी होती है।	1976-77	रोकड़ लेखा पर कोई प्रभाव नहीं।
		-	21,09,99.12			
1	8793- अंतर्राज्यीय उचंत लेखा	16.90	9.80	पेंशन/ टीए आदि के कारण किए गए भुगतान को निरूपित करता है।	2011-12	बकाया डेबिट की सीमा तक रोकड़ शेष तथा निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा।
		4,01.64	22.20			

## 22. चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं।)

आरक्षित निधि या जमा लेखा का नाम	30 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि			31 मार्च 2020 तक शेष राशि		
	रोकड़	निवेश	कुल	रोकड़	निवेश	कुल
(₹ लाख में)						
<b>ज आरक्षित निधियाँ-</b>						
<b>(क) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ-</b>						
<b>8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ-</b>						
122- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	12,60,62.05	10,86.07	12,71,48.12	(-),1,76,90.33	-	(-),1,76,90.33
				<b>12,60,62.05</b>	<b>10,86.07</b>	<b>12,71,48.12</b>
129- राज्य प्रतिकर वनरोपण कोष	-	-	-	4,08,37.26		4,08,37.26
				-	-	-
<b>कुल-क- ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ</b>	<b>12,60,62.05</b>	<b>10,86.07</b>	<b>12,71,48.12</b>	2,31,46.93		2,31,46.93
				<b>12,60,62.05</b>	<b>10,86.07</b>	<b>12,71,48.12</b>
<b>(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ-</b>						
<b>8222- ऋण-शोधन निधियाँ-</b>						
	3,55,86.76	-	3,55,86.76	-	-	-
				<b>3,55,86.76</b>		<b>3,55,86.76</b>
<b>कुल-8222</b>	<b>3,55,86.76</b>	<b>-</b>	<b>3,55,86.76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>3,55,86.76</b>		<b>3,55,86.76</b>
<b>8223- अकाल राहत कोष-</b>						
101- अकाल राहत कोष	8,66.96	-	8,66.96	-	-	-
				<b>8,66.96</b>		<b>8,66.96</b>
<b>कुल-8223</b>	<b>8,66.96</b>	<b>-</b>	<b>8,66.96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>8,66.96</b>		<b>8,66.96</b>
<b>8226- आरक्षित निधियों का मूल्यहास/ नवीनीकरण-</b>						
<b>101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/ उपक्रमों की आरक्षित निधियों का मूल्यहास</b>						
	5,73,79.34	-	5,73,79.34	-	-	-
				<b>5,73,79.34</b>		<b>5,73,79.34</b>
<b>102- सरकारी गैर-वाणिज्यिक विभागों की आरक्षित निधियों का मूल्यहास</b>	<b>72,85.99</b>	<b>-</b>	<b>72,85.99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>72,85.99</b>		<b>72,85.99</b>
<b>कुल-8226</b>	<b>6,46,65.33</b>	<b>-</b>	<b>6,46,65.33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>6,46,65.33</b>		<b>6,46,65.33</b>

## 22. चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं।)

आरक्षित निधि या जमा लेखा का नाम	30 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि			31 मार्च 2020 तक शेष राशि		
	रोकड़	निवेश	कुल	रोकड़	निवेश	कुल
(₹ लाख में)						
<b>ज आरक्षित निधियाँ-(समाप्त)</b>						
<b>(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ-(समाप्त)</b>						
<b>8229- विकास एवं कल्याण निधि-</b>						
103- कृषि उद्देश्यों हेतु विकास निधियाँ	40,52.06	-	40,52.06	-	-	-
				<b>40,52.06</b>		<b>40,52.06</b>
109- सहकारिता विकास निधियाँ	0.10	-	0.10	-	-	-
				<b>0.10</b>		<b>0.10</b>
200- अन्य विकास एवं कल्याण निधियाँ	3,03,32.77	-	3,03,32.77	(-)50,88.29	-	(-)50,88.29
				<b>3,03,32.77</b>		<b>3,03,32.77</b>
<b>कुल-8229</b>	<b>3,43,84.93</b>	<b>-</b>	<b>3,43,84.93</b>	<b>(-)50,88.29</b>	<b>-</b>	<b>(-)50,88.29</b>
				<b>3,43,84.93</b>		<b>3,43,84.93</b>
<b>8235- सामान्य और आरक्षित निधियाँ-</b>						
105- सामान्य बीमा निधि (जनता बीमा)	41,19.21	-	41,19.21	4,03.58	-	4,03.58
				<b>41,19.21</b>		<b>41,19.21</b>
117- प्रत्याभूति मोचन निधि	20,42.00	-	20,42.00	1,00.00	-	1,00.00
				<b>20,42.00</b>		<b>20,42.00</b>
200- अन्य निधियाँ	1,17,29.72	-	1,17,29.72	1,32.61	-	1,32.61
				<b>1,17,29.72</b>		<b>1,17,29.72</b>
<b>कुल-8235</b>	<b>1,78,90.93</b>	<b>-</b>	<b>1,78,90.93</b>	6,36.19	-	6,36.19
				<b>1,78,90.93</b>		<b>1,78,90.93</b>
<b>कुल-(ख)- ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ</b>	<b>15,33,94.91</b>	<b>-</b>	<b>15,33,94.91</b>	<b>(-)44,52.10</b>	<b>-</b>	<b>(-)44,52.10</b>
				<b>15,33,94.91</b>		<b>15,33,94.91</b>
<b>कुल-ज- आरक्षित निधियाँ</b>	<b>27,94,56.96</b>	<b>10,86.07</b>	<b>28,05,43.03</b>	<b>(-)1,86,94.83</b>	<b>-</b>	<b>(-)1,86,94.83</b>
				<b>27,94,56.96</b>	<b>10,86.07</b>	<b>28,05,43.03</b>

## 22. चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं।)

आरक्षित निधि या जमा लेखा का नाम	30 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि			31 मार्च 2020 तक शेष राशि		
	रोकड़	निवेश	कुल	रोकड़	निवेश	कुल
						(₹ लाख में)
<b>ट-जमाएं एवं अग्रिम-</b>						
(क) ब्याज वहन करने वाली जमाएं-						
8336- सिविल जमाएं-						
103- राज्य प्रतिकर वनरोपण जमा	-	-	-	2,95,06.46	-	2,95,06.46
				-	-	-
<b>कुल-8336</b>	-	-	-	2,95,06.46	-	2,95,06.46
				-	-	-
<b>कुल-(क)-ब्याज वहन करने वाली जमाएं</b>	-	-	-	2,95,06.46	-	2,95,06.46
				-	-	-
(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं-						
8449- अन्य जमाएं-						
103- केन्द्रीय सड़क निधि से संसहायिकी	5,73,32.93	-	5,73,32.93	25,30.34	-	25,30.34
				<b>5,73,32.93</b>		<b>5,73,32.93</b>
123- राष्ट्रीय खनिज समन्वेषण न्यास जमाएं	29.57	-	29.57	4.91	-	4.91
				<b>29.57</b>		<b>29.57</b>
<b>कुल-8449</b>	<b>5,73,62.50</b>	-	<b>5,73,62.50</b>	25,35.25	-	25,35.25
				<b>5,73,62.50</b>		<b>5,73,62.50</b>
<b>कुल-(ख)- ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं</b>	<b>5,73,62.50</b>	-	<b>5,73,62.50</b>	25,35.25	-	25,35.25
				<b>5,73,62.50</b>		<b>5,73,62.50</b>
<b>कुल ट- जमाएं एवं अग्रिम</b>	<b>5,73,62.50</b>	-	<b>5,73,62.50</b>	3,20,41.71	-	3,20,41.71
				<b>5,73,62.50</b>		<b>5,73,62.50</b>
<b>कुल योग</b>	<b>33,68,19.46</b>	<b>10,86.07</b>	<b>33,79,05.53</b>	5,07,36.54	-	5,07,36.54
				<b>33,68,19.46</b>	<b>10,86.07</b>	<b>33,79,05.53</b> (क)

(क) ऑफ़े मिलावाधीन हैं (दिसम्बर 2020)।



## 22. चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण-(समाप्त)

## विवरण संख्या-22 की व्याख्यात्मक टिप्पणी

## ऋण शोधन निधि का ब्योरा

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का वर्णन	31 अक्टूबर 2019 को शेष राशि	राजस्व से प्राप्त विनियोजित राशि का जोड़	निवेश पर ब्याज जोड़	कुल	प्रतिभूतियों के क्रय पर ब्याज भुगतान	वर्ष के दौरान कम उन्मोचन	ऋण की परिपक्वता पर विविध सरकारी लेखा में हस्तांतरित राशि	31 मार्च 2020 को शेष	अभ्युक्तियाँ
									(₹ लाख में)
ऋण शोधन निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>3,55,86.76</b>	-	-	3,55,86.76	-	-	-	<b>3,55,86.76</b>	-

## ऋण शोधन निधि निवेश लेखा का ऋण परिशोधन विवरण

ऋण का वर्णन	31 अक्टूबर 2019 को शेष राशि	प्रतिभूतियों का क्रय	कुल	प्रतिभूतियों का विक्रय	31 मार्च 2020 को शेष	अंकित मूल्य	बाजार मूल्य
							(₹ लाख में)

संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा कोई राशि निवेशित नहीं की गयी।



---

**परिशिष्ट**

**भाग-II**

---

## परिशिष्ट-1

## वेतन पर तुलनात्मक व्यय

(तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को प्रदर्शित करते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020)		
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
			(₹ लाख में)		
<b>व्यय शीर्ष-(राजस्व लेखा)-</b>					
सामान्य प्रशासन	2012-	राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/ राज्यपाल/ संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक	-	-	2,44.94
			2,44.94		
	2015-	चुनाव	6.73	-	6.73
	2051-	लोक सेवा आयोग	-	-	2,04.99
			2,04.99		
	2052-	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	34,33.47	-	34,33.47
	2062-	सतर्कता	15,60.24	-	15,60.24
	2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1,25.41	-	1,25.41
	2251-	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	11,99.72	-	11,99.72
	3435-	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	40.05	-	40.05
3451-	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	23,70.96	-	23,70.96	
3452-	पर्यटन	1,80.53	-	1,80.53	
<b>कुल- सामान्य सेवाएं</b>			<b>89,17.11</b>	<b>-</b>	<b>93,67.04</b>
			<b>4,49.93</b>		
गृह	2055-	पुलिस	22,38,95.87	-	22,38,95.87
	2056-	कारावास	26,68.14	-	26,68.14
	2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1,08,85.90	-	1,08,85.90
	2235-	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,68.77	-	2,68.77
<b>कुल- गृह</b>			<b>23,77,18.68</b>	<b>-</b>	<b>23,77,18.68</b>
योजना	2235-	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,05.15	-	1,05.15
	3454-	जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	27,95.50	-	27,95.50
<b>कुल- योजना</b>			<b>29,00.65</b>	<b>-</b>	<b>29,00.65</b>

## परिशिष्ट-I-(जारी)

वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)

(तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को प्रदर्शित करते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020)		
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
			(₹ लाख में)		
व्यय शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)					
सूचना	2220-	सूचना एवं प्रचार	10,34.43	-	10,34.43
<b>कुल- सूचना</b>			<b>10,34.43</b>	<b>-</b>	<b>10,34.43</b>
विद्युत विकास	2801-	विद्युत	65,74.71	-	65,74.71
<b>कुल- विद्युत</b>			<b>65,74.71</b>	<b>-</b>	<b>65,74.71</b>
शिक्षा	2202-	सामान्य शिक्षा	36,31,80.82	1,80.29	36,33,61.11
	2204-	खेल और युवा सेवाएं	2,62.43	-	2,62.43
<b>कुल- शिक्षा</b>			<b>36,34,43.25</b>	<b>1,80.29</b>	<b>36,36,23.54</b>
वित्त	2030-	स्टाम्प एवं पंजीकरण	1,14.53	-	1,14.53
	2039-	राज्य उत्पाद शुल्क	13,77.52	-	13,77.52
	2040-	बिक्री कर	35.20	-	35.20
	2043-	राज्य वस्तु एवं सेवाओं के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	29,39.16	-	29,39.16
	2045-	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	18.29	-	18.29
	2054-	कोषागार और लेखे प्रशासन	1,79,84.44	-	1,79,84.44
<b>कुल- वित्त</b>			<b>2,24,69.14</b>	<b>-</b>	<b>2,24,69.14</b>
संसदीय मामले	2011-	संसद/ राज्य/ संघ शासित क्षेत्र विधानमण्डल	6,52.67	-	6,52.67
<b>कुल- संसदीय मामले</b>			<b>6,52.67</b>	<b>-</b>	<b>6,52.67</b>

## परिशिष्ट-I-(जारी)

वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)

(तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को प्रदर्शित करते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020)		
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
			(₹ लाख में)		
व्यय शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)					
विधि	2014-	न्याय प्रशासन	73,28.80 17,16.61	-	90,45.41
	2015-	चुनाव	12,31.37	-	12,31.37
	2030-	स्टाम्प एवं पंजीकरण	50.24	-	50.24
	2041-	वाहनों पर कर	31.52	-	31.52
	2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	22.71	-	22.71
	2230-	श्रम एवं रोजगार	25.77	-	25.77
<b>कुल- विधि</b>			<b>86,90.41</b> <b>17,16.61</b>	-	<b>1,04,07.02</b>
उद्योग एवं वाणिज्य	2851-	ग्राम एवं लघु उद्योग	72,75.73	-	72,75.73
	2853-	अलौह खनन एवं धात्विक उद्योग	21,93.08	-	21,93.08
<b>कुल- उद्योग एवं वाणिज्य</b>			<b>94,68.81</b>	-	<b>94,68.81</b>
कृषि	2029-	भू-राजस्व	1,47.50	-	1,47.50
	2250-	अन्य समाज सेवाएं	74.50	-	74.50
	2401-	फसल पैदावार	1,77,64.75	-	1,77,64.75
	2402-	मृदा एवं जल संरक्षण	10,78.62	-	10,78.62
	2403-	पशुपालन	3,18.60	-	3,18.60
	2406-	वानिकी एवं वन्य जीवन	37,47.00	-	37,47.00
	2415-	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	1,68.04	-	1,68.04
	2435-	अन्य कृषिगत कार्यक्रम	4,61.72	-	4,61.72
	2705-	कमान क्षेत्र विकास	13,52.22	-	13,52.22
	2851-	ग्राम एवं लघु उद्योग	44,34.04	-	44,34.04
<b>कुल- कृषि</b>			<b>2,95,46.99</b>	-	<b>2,95,46.99</b>
पशुपालन	2403-	पशुपालन	2,44,42.55	-	2,44,42.55
<b>कुल- पशुपालन</b>			<b>2,44,42.55</b>	-	<b>2,44,42.55</b>

## परिशिष्ट-I- (जारी)

वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)

(तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को प्रदर्शित करते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020)		
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
			(₹ लाख में)		
व्यय शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)					
राजस्व	2053-	जिला प्रशासन	1,57,52.69	-	1,57,52.69
	2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	33.28	-	33.28
	2250-	अन्य सामाजिक सेवाएं	25.78	-	25.78
	2401-	फसल पैदावार	-	51.95	51.95
<b>कुल- राजस्व</b>			<b>1,58,11.75</b>	<b>51.95</b>	<b>1,58,63.70</b>
खाद्य, नागरिक आपूर्तियाँ और उपभोक्ता मामले	2408-	खाद्य, भण्डार एवं भण्डारण	64,62.15	-	64,62.15
	3475-	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3,89.04	-	3,89.04
<b>कुल- खाद्य, नागरिक आपूर्तियाँ और उपभोक्ता मामले</b>			<b>68,51.19</b>	<b>-</b>	<b>68,51.19</b>
लोक निर्माण	2059-	लोक निर्माण	2,52,58.30	-	2,52,58.30
	3054-	सड़कें एवं पुल	9.15	-	9.15
<b>कुल- लोक निर्माण</b>			<b>2,52,67.45</b>	<b>-</b>	<b>2,52,67.45</b>
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	2210-	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	10,76,31.11	2.10	10,76,33.21
	2211-	परिवार कल्याण	10,91.42	63,41.81	74,33.23
<b>कुल- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा</b>			<b>10,87,22.53</b>	<b>63,43.91</b>	<b>11,50,66.44</b>
समाज कल्याण	2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	39.60	-	39.60
	2225-	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण	3,02.39	-	3,02.39
	2235-	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	24,30.04	4,46.32	28,76.36
	2236-	पोषण	30,88.03	13,54.58	44,42.61
<b>कुल- समाज कल्याण</b>			<b>58,60.06</b>	<b>18,00.90</b>	<b>76,60.96</b>
आवास एवं शहरी विकास	2217-	शहरी विकास	35,00.57	-	35,00.57
<b>कुल- आवास एवं शहरी विकास</b>			<b>35,00.57</b>	<b>-</b>	<b>35,00.57</b>

## परिशिष्ट-I-(जारी)

वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)

(तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को प्रदर्शित करते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020)		
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
			(₹ लाख में)		
व्यय शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)					
पर्यटन	3452-	पर्यटन	15,33.73	-	15,33.73
<b>कुल- पर्यटन</b>			<b>15,33.73</b>	<b>-</b>	<b>15,33.73</b>
वन	2402-	मृदा एवं जल संरक्षण	24,14.74	-	24,14.74
	2406-	वानिकी एवं वन्य जीवन	2,99,15.80	-	2,99,15.80
	3435-	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	11,36.63	-	11,36.63
<b>कुल- वन</b>			<b>3,34,67.17</b>	<b>-</b>	<b>3,34,67.17</b>
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2700-	मुख्य सिंचाई	1,73.85	-	1,73.85
	2701-	मध्यम सिंचाई	12,18.43	-	12,18.43
	2702-	लघु सिंचाई	1,38,35.48	-	1,38,35.48
	2711-	बाढ़ नियंत्रण एवं अपवाह	38,21.83	-	38,21.83
<b>कुल- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण</b>			<b>1,90,49.59</b>	<b>-</b>	<b>1,90,49.59</b>
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	2055-	पुलिस	2,90.66	-	2,90.66
	2215-	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	3,77,76.93	-	3,77,76.93
<b>कुल- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी</b>			<b>3,80,67.59</b>	<b>-</b>	<b>3,80,67.59</b>
आतिथ्य और प्रोटोकॉल	2055-	पुलिस	8,79.49	-	8,79.49
	2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	8,55.13	-	8,55.13
	2216-	आवास	15,85.95	-	15,85.95
<b>कुल- आतिथ्य और प्रोटोकॉल</b>			<b>33,20.57</b>	<b>-</b>	<b>33,20.57</b>
श्रम, लेखन सामग्री एवं मुद्रण	2058-	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	22,50.24	-	22,50.24
	2230-	श्रम एवं रोजगार	13,75.57	-	13,75.57
<b>कुल- श्रम, लेखन सामग्री एवं मुद्रण</b>			<b>36,25.81</b>	<b>-</b>	<b>36,25.81</b>
मत्स्यपालन	2405-	मत्स्यपालन	35,77.74	-	35,77.74
<b>कुल- मत्स्यपालन</b>			<b>35,77.74</b>	<b>-</b>	<b>35,77.74</b>



## परिशिष्ट-I-(जारी)

वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)

(तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को प्रदर्शित करते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020)		
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
			(₹ लाख में)		
व्यय शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)					
उच्चतर शिक्षा	2202-	सामान्य शिक्षा	2,11,25.68	-	2,11,25.68
	2203-	तकनीकी शिक्षा	7,45.45	-	7,45.45
<b>कुल- उच्चतर शिक्षा</b>			<b>2,18,71.13</b>	<b>-</b>	<b>2,18,71.13</b>
ग्रामीण विकास	2236-	पोषण	2,64.27	-	2,64.27
	2501-	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	17,93.88	31.32	18,25.20
	2515-	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1,76,72.78	-	1,76,72.78
<b>कुल- ग्रामीण विकास</b>			<b>1,97,30.93</b>	<b>31.32</b>	<b>1,97,62.25</b>
परिवहन	2041-	वाहनों पर कर	7,51.93	-	7,51.93
	2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	16,30.99	-	16,30.99
<b>कुल- परिवहन</b>			<b>23,82.92</b>	<b>-</b>	<b>23,82.92</b>
जनजातीय मामले	2225-	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण	5,17.76	-	5,17.76
<b>कुल- जनजातीय मामले</b>			<b>5,17.76</b>	<b>-</b>	<b>5,17.76</b>
संस्कृति	2202-	शिक्षा	1,38.40	-	1,38.40
	2205-	कला और संस्कृति	8,09.16	-	8,09.16
	3454-	जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	35.25	-	35.25
<b>कुल- संस्कृति</b>			<b>9,82.81</b>	<b>-</b>	<b>9,82.81</b>
उद्यान कृषि	2236-	पोषण	1,63.39	-	1,63.39
	2401-	फसल पैदावार	37,11.90	-	37,11.90
	2435-	अन्य कृषिगत कार्यक्रम	10,08.56	-	10,08.56
<b>कुल- उद्यान कृषि</b>			<b>48,83.85</b>	<b>-</b>	<b>48,83.85</b>

## परिशिष्ट-I-(समाप्त)

वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(समाप्त)

(तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को प्रदर्शित करते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020)		
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
			(₹ लाख में)		
व्यय शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(समाप्त)					
आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण	2055-	पुलिस	73,50.62	-	73,50.62
	2235-	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	12.87	-	12.87
	2245-	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	24.37	-	24.37
<b>कुल- आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण</b>			<b>73,87.86</b>	<b>-</b>	<b>73,87.86</b>
युवा सेवा और तकनीकी शिक्षा	2203-	तकनीकी शिक्षा	33,07.55	-	33,07.55
	2204-	खेल और युवा सेवाएं	1,20,77.59	-	1,20,77.59
	2230-	श्रम एवं रोजगार	3,47.04	-	3,47.04
<b>कुल- युवा सेवा और तकनीकी शिक्षा</b>			<b>1,57,32.18</b>	<b>-</b>	<b>1,57,32.18</b>
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3435-	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	3,78.29	-	3,78.29
<b>कुल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी</b>			<b>3,78.29</b>	<b>-</b>	<b>3,78.29</b>
सहकारिता	2425-	सहकारिता	17,80.29	-	17,80.29
<b>कुल- सहकारिता</b>			<b>17,80.29</b>	<b>-</b>	<b>17,80.29</b>
<b>कुल- वेतन पर व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)</b>			<b>1,06,01,63.17</b>	<b>84,08.37</b>	<b>1,07,07,38.08</b>
			<b>21,66.54</b>		

## परिशिष्ट-II

## सहायिकी पर तुलनात्मक व्यय

विभाग	लेखा शीर्ष	विवरण	2019-2020 (31-10-2019 से 31-03-2020)			
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
व्यय शीर्ष- (पूँजीगत लेखा)-			(₹ लाख में)			
उद्योग एवं वाणिज्य	4851-102-0407	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों पर सहायिकी	90.65	-	90.65	
	4851-103-0367	हथकरघा उद्योगों पर सहायिकी	0.05	-	0.05	
	4851-104-0363	हस्तशिल्प उद्योगों पर सहायिकी	12,74.98	-	12,74.98	
		<b>कुल उद्योग एवं वाणिज्य</b>	<b>13,65.68</b>	<b>-</b>	<b>13,65.68</b>	
कृषि	4401-103-0081	बीजों के क्रय पर सहायिकी	-	25.55	25.55	
	4401-103-2221	तिलहनों के विकास पर सहायिकी	-	12.22	12.22	
	4401-108-2393	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर सहायिकी	-	5,29.83	5,29.83	
	4401-113-0054	उन्नत कृषि सुधारों पर सहायिकी	-	1.76	1.76	
	4401-800-0061	निदेशक कृषि कश्मीर हेतु सहायिकी	0.03	-	0.03	
	4401-800-2191	कृषि विस्तारण एवं प्रशिक्षण पर सहायिकी	-	0.10	0.10	
	4401-800-2297	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर सहायिकी	-	1,90.00	1,90.00	
	4401-800-2449	कृषि सिंचाई योजना पर सहायिकी	-	1,51.84	1,51.84	
		<b>कुल कृषि</b>	<b>0.03</b>	<b>9,11.30</b>	<b>9,11.33</b>	
उद्यान कृषि	4401-119-2381	राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन पर सहायिकी	-	1,29.10	1,29.10	
	4401-119-2415	राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन पर सहायिकी	-	63,62.58	63,62.58	
		<b>कुल उद्यान कृषि</b>	<b>-</b>	<b>64,91.68</b>	<b>64,91.68</b>	
		<b>कुल सहायिकियों पर व्यय शीर्ष</b>				
			<b>(पूँजीगत लेखा)</b>	<b>13,65.71</b>	<b>74,02.98</b>	<b>87,68.69</b>

टिप्पणी: 31 अक्टूबर, 2019 (नियुक्त दिवस) से संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के पुनर्गठन के कारण, पूरे परिशिष्ट-I में पिछले वर्ष के शेष लागू नहीं हैं।

## परिशिष्ट-III

संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दी गयी सहायता/ सहायता अनुदान							
(संस्था-वार और योजना-वार)							
प्राप्तकर्ता	योजना	टीएसपी/ एससीएसपी/ सामान्य/ एफसी/ ईएपी	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020)			कुल	परिसंपत्तियों (क) के सृजन हेतु कुल निर्माचित राशि, संस्वीकृत राशि
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
जम्मू नगरपालिका	बजटीय सहायता/ पेन्शन पूल निधि	सामान्य	72,98.07	-	72,98.07	-	
श्रीनगर नगरपालिका	बजटीय सहायता/ पेन्शन पूल निधि	सामान्य	92,51.00	-	92,51.00	-	
शहरी स्थानीय निकाय, कश्मीर	बजटीय सहायता/ पेन्शन पूल निधि	सामान्य	72,86.09	-	72,86.09	-	
शहरी स्थानीय निकाय, जम्मू	बजटीय सहायता/ पेन्शन पूल निधि	सामान्य	48,89.99	-	48,89.99	-	
शहरी विकास	बजटीय सहायता/ पेन्शन पूल निधि	सामान्य	13.62	-	13.62	-	
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	बजटीय सहायता/ पेन्शन पूल निधि	सामान्य	5,01.64	-	5,01.64	-	
डल विकास	बजटीय सहायता/ पेन्शन पूल निधि	सामान्य	12,95.00	-	12,95.00	-	

(क) पूरे परिशिष्ट में संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी (दिसंबर 2020)।

## परिशिष्ट-III-(जारी)

संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दी गयी सहायता/ सहायता अनुदान -(जारी)						
(संस्थान-वार और योजना-वार)						
प्राप्तकर्ता	योजना	टीएसपी/ एससीएसपी/ सामान्य/ एफसी/ ईएपी	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020)			परिसंपत्तियों (क) के सृजन हेतु कुल निर्माचित राशि, संस्वीकृत राशि
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)						
शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कश्मीर	बजटीय सहायता	सामान्य	1,72,13.00	-	1,72,13.00	-
शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू	बजटीय सहायता	सामान्य	62,81.00	-	62,81.00	-
खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	बजटीय सहायता	सामान्य	16,40.00	-	16,40.00	-
जम्मू एवं कश्मीर खेल परिषद	बजटीय सहायता	सामान्य	19,28.14	-	19,28.14	-
जम्मू एवं कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी	बजटीय सहायता	सामान्य	9,96.00	-	9,96.00	-
जम्मू विश्वविद्यालय	बजटीय सहायता	सामान्य	97,55.00	-	97,55.00	-
कश्मीर विश्वविद्यालय	बजटीय सहायता	सामान्य	1,26,00.00	-	1,26,00.00	-
अन्य विश्वविद्यालय	बजटीय सहायता	सामान्य	34,70.00	-	34,70.00	-
गैर-सरकारी महाविद्यालय	बजटीय सहायता	सामान्य	52,57.39	-	52,57.39	-
गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थान	बजटीय सहायता	सामान्य	1,77,35.46	-	1,77,35.46	-
अभियांत्रिकी/ तकनीकी महाविद्यालय	बजटीय सहायता	सामान्य	1,45.07	4,04.75	5,49.82	-
विभिन्न विकास प्राधिकरण	बजटीय सहायता	सामान्य	48,42.59	-	48,42.59	-
प्रबंधन एवं लोक प्रशासन संस्थान	बजटीय सहायता	सामान्य	6,23.59	-	6,23.59	-

(क) पूरे परिशिष्ट में संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी (दिसंबर 2020)।

## परिशिष्ट-III-(समाप्त)

## संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दी गयी सहायता/ सहायता अनुदान-(समाप्त)

## (संस्थान-वार और योजना-वार

प्राप्तकर्ता	योजना	टीएसपी/ एससीएसपी/ सामान्य/ एफसी/ ईएपी	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020)			परिसंपत्तियों (क) के सृजन हेतु कुल निर्माचित राशि, संस्वीकृत राशि
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
जेण्डके राज्य उच्च न्यायालय/ राज्य विधिक सेवाएं	बजटीय सहायता	सामान्य	8,08.38	-	8,08.38	-
समाज कल्याण	मरकाज बहबूदी खवातीन मिसकीन बाग की स्थापना	सामान्य	1,25.00	-	1,25.00	-
	गुज्जर एवं बकरवाल छात्रावास मिसकीन बाग	सामान्य	24.76	-	24.76	-
	एससी/ एसटी का कल्याण	सामान्य	-	51.47	51.47	-
जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम	संचारण और वितरण	सामान्य	23,87,68.13	-	23,87,68.13	-
सहकारी	बजटीय सहायता	सामान्य	2,25.00	-	2,25.00	-
चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	आयुष का कार्यान्वयन	सामान्य	-	31,63.23	31,63.23	-
अन्य	बजटीय सहायता	सामान्य	1,01,53.25	3,31,50.94	4,33,04.19	-
		<b>कुल</b>	<b>36,31,27.17</b>	<b>3,67,70.39</b>	<b>39,98,97.56</b>	<b>\$ -</b>

(क) पूरे परिशिष्ट में संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी (दिसंबर 2020)।

(\$) पूंजीगत व्यय से प्राप्त ₹ 32,02.06 लाख शामिल हैं।

## परिशिष्ट-IV

बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण															
सहायता अभिकरण	योजना/ परियोजना	कुल अनुमोदित सहायता			प्राप्त राशि*						पुनर्भुगतान की गयी राशि*		व्यय*		
		अनुदान	ऋण	कुल	वर्ष के दौरान			वर्ष तक			वर्ष के दौरान	वर्ष तक	वर्ष के दौरान	वर्ष तक	
					अनुदान	ऋण	कुल	अनुदान	ऋण	कुल					
															(₹ लाख में)
एशियन विकास बैंक	2151- जेएण्डके में अवसंरचना पुनर्वास हेतु आईएनडी बहुक्षेत्रक परियोजना	10,12,50.00	1,12,50.00	11,25,00.00											
एशियन विकास बैंक	2331-आईएनडी जेएण्डके शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम परियोजना-1	1,89,90.00	21,00.00	2,11,00.00											
एशियन विकास बैंक	2925-आईएनडी जेएण्डके शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम परियोजना-I एवं II	4,95,00.00	55,00.00	5,50,00.00											

\* अप्रभाजित शेषों (दिसंबर 2020) को कारण पूरे परिशिष्ट में दी गयी दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 (पुनर्गठन से पूर्व) सूचना को शून्य माना जाये।

## परिशिष्ट-IV-(समाप्त)

बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण-(समाप्त)															
सहायता अभिकरण	योजना/ परियोजना	कुल अनुमोदित सहायता			प्राप्त राशि*						पुनर्भुगतान की गयी राशि*		व्यय*		
		अनुदान	ऋण	कुल	वर्ष के दौरान			वर्ष तक			वर्ष के दौरान	वर्ष तक	वर्ष के दौरान	वर्ष तक	
					अनुदान	ऋण	कुल	अनुदान	ऋण	कुल					
															(₹ लाख में)
एशियन विकास बैंक	3132-आईएनडी जेएण्डके शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम परियोजना-III	32,40.00	3,60.00	36,00.00											
अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन	5695-आईएन झेलम और तवी बाढ़ रिकवरी परियोजना	(क)	(क)	(क)											

\* अप्रभाजित शेष (दिसंबर 2020) को कारण पूरे परिशिष्ट में दी गयी दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 (पुनर्गठन से पूर्व) तक की सूचना को शून्य माना जाये।

(क) सरकार से सूचना प्रतीक्षित (दिसंबर 2020) थी।



परिशिष्ट-V										
योजनाओं पर व्यय										
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा केन्द्रीय योजनाएं) (#)										
क्र. सं.	जीओआई योजना (सीएसएस, सीपी)/ साझेदारी प्रतिमान केन्द्र: संघ शासित क्षेत्र	व्यय लेखा शीर्ष के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र योजना	सामान्य/ जनजातीय उप योजना/ अनुसूचित जाति उप	बजट प्रावधान 2019-2020 (31-10-2019 से 31-03.2020)			वास्तविक 2019-2020 (31-10-2019 से 31-03.2020)			
				जीओआई अंश	संघ शासित क्षेत्र अंश	कुल	व्यय			
							जीओआई निर्माण	जीओआई अंश	संघ शासित क्षेत्र अंश	कुल
										(₹ लाख में)
# सरकार के पास 31.10.2019 से 31.03.2020 (पुनर्गठन पश्चात्) तक की अवधि हेतु पूरे परिशिष्ट में कोई अंक/सूचना उपलब्ध (दिसंबर 2020) नहीं है।										

## परिशिष्ट-V-(जारी)

## योजनाओं पर व्यय-(जारी)

## ख- संघ शासित क्षेत्र योजनाएं\*

क्र.सं.	संघ शासित क्षेत्र योजना	एन/ टीएसपी/ एससीएसपी	पूँजीगत परिव्यय	बजट आबंटन	व्यय
		सामान्य/ जनजातीय उप-योजना या अनुसूचित जाति उप-योजना	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020)	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020)	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020)
					(₹ लाख में)

\* वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) हेतु संघ शासित क्षेत्र योजनाओं से संबंधित सूचना यूटी सरकार से प्रतीक्षित (दिसंबर 2020) है। तथापि, भारत सरकार ने कुछ योजनाओं हेतु संसाधनों के संवर्धन के लिए संघ शासित क्षेत्र/ भारत सरकार योजनाओं के प्रति 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए अनुदान निर्माचित किये हैं। विवरण नीचे दिया गया है:

## राज्य/ जीओआई योजना अनुदान विवरण:

## क्र. सं. योजना का नाम-

1 उद्यान कृषि पर राष्ट्रीय मिशन

(₹ लाख में)

64,99.00

## परिशिष्ट-V-(जारी)

## योजनाओं पर व्यय-(जारी)

## ख- संघ शासित क्षेत्र योजनाएं-(जारी)

## क्र. सं. योजना का नाम-

राज्य/ जीओआई योजना अनुदान विवरण:-(जारी)

	(₹ लाख में)
2 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)	29,40.00
3 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	7,93.60
4 बीज और पौध सामग्री पर उप-मिशन	86.89
5 मत्स्यपालन का एकीकृत विकास और प्रबंधन	7,88.63
6 स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	46,81.00
7 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)	2,55,08.37
8 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	3,92.00
9 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)	45,12.86
10 पुलिस बल का आधुनिकीकरण	10,28,49.00
11 राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन (निर्भया निधि)	56.25
12 न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाएं	5,00.00
13 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	2,01,21.54
14 स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण (एसबीएम-ग्रामीण)	42,95.04
15 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	6,19.00
16 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निशक्तता पेन्शन योजना	32.39
17 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना	21,92.25
18 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना	1,12.92
19 श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन	8,10.00
20 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमएनआरईजीए)	3,91,67.83
21 राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	44.01
22 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	17,88.64
23 प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	3,53,00.00

## परिशिष्ट V-(समाप्त)

## योजनाओं पर व्यय-(समाप्त)

## ख- संघ शासित क्षेत्र योजनाएं-(समाप्त)

क्र. सं.	योजना का नाम- राज्य/ जीओआई योजना अनुदान विवरण:-(समाप्त)	(₹ लाख में)
24	मध्याह्न भोजन (एमडीएम)	1,22.35
25	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए)	57,19.03
26	समग्र शिक्षा	7,48,41.14
27	वरिष्ठों नागरिकों हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना	75.00
28	माध्यमिक पूर्व छात्रवृत्ति-ओबीसी	1,50.32
29	दिव्यांग व्यक्तियों के लिए योजना	1,86.58
30	राज्य/ यूटी घटक की अन्य मदें- प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)	10.83
31	स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-शहरी)	4,82.34
32	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम	41,79.78
33	सिंचाई गणना	16.02
34	आंगनवाडी सेवाएं (तत्कालीन कोर आईसीडीएस)	7,86.84
35	राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन	20.73
	<b>कुल योग</b>	<b>34,06,82.18</b>

## परिशिष्ट-VI

संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण		
(संघ शासित क्षेत्र बजट के अलावा प्राप्त निधियाँ) (अलेखापरीक्षित आँकड़े) (क)		
जीओआई योजना	संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियाँ	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020) (क)
योजना का नाम		(₹ लाख में)
स्व रोजगार और प्रतिभा उपयोगिता (एसईटीयू) को सम्मिलित करते हुए अटल नवाचार मिशन (एआईएम)	विभिन्न सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय	24.00
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	विभिन्न उपायुक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	1,41.90
स्वास्थ्य अनुसंधान के प्रोत्साहन हेतु अवसंरचना का विकास	चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीनगर	42.20
नर्सिंग सेवाओं का विकास	जम्मू एवं कश्मीर के विभिन्न नर्सिंग विद्यालय	26,25.00
आर्थिक जनगणना	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जम्मू एवं कश्मीर	18.90
उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस)	उच्चतर शिक्षा, जम्मू एवं कश्मीर	5.65
लोक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन	उपभोक्ता मामले एवं लोक वितरण विभाग जम्मू एवं कश्मीर	68.14
पंचायत का प्रोत्साहनीकरण	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	5.00
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी)	विभिन्न जिला उपायुक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	20,00.00
वन स्टॉप सेन्टर	उपायुक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	73.36
प्रधान मंत्री मृत्यु वंदना योजना	समाज कल्याण विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	12,04.84
प्रधान मंत्री कृषि सम्मान निधि	कृषि उत्पादन विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	2,63,62.32

(क) आँकड़े दिनांक 14.12.2020 को अपलोडित महालेखा नियंत्रक के पोर्टल 'लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)' से लिये गये हैं। ये अलेखापरीक्षित आँकड़े हैं।

## परिशिष्ट-VI-(समाप्त)

संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण-(समाप्त)		
(संघ शासित क्षेत्र बजट के अलावा प्राप्त निधियाँ) (अलेखापरीक्षित आँकड़े) (क)		
जीओआई योजना	संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियाँ	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020) (क) (₹ लाख में)
योजना का नाम		
प्रवासी एवं प्रत्यावर्तितों के लिए राहत और पुनर्वास	जम्मू एवं कश्मीर के उपायुक्त/ अपर उपायुक्त	26.50
अनुसंधान प्रशिक्षण और अध्ययन एवं अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं	परिवहन उपायुक्त, जम्मू एवं कश्मीर	9,54.66
दिव्यांगों के लिए योजनाएं	अवर सचिव, निशक्तजनों के लिए उपायुक्त, जम्मू	0.30
लोक वितरण प्रणाली परिचालनों का सशक्तिकरण	भारतीय प्रबंधन संस्थान, जम्मू	1.35
	<b>कुल</b>	<b>3,35,54.12 (ख)</b>

(क) आँकड़े दिनांक 14.12.2020 को अपलोडित महालेखा नियंत्रक के पोर्टल 'लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)' से लिये गये हैं। ये अलेखापरीक्षित आँकड़े हैं।

(ख) भारत सरकार द्वारा निर्माचित कुल ₹ 7,96,02.15 लाख की राशि में से ₹ 3,35,54.12 लाख जम्मू एवं कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों को और ₹ 4,60,48.03 लाख सरकार के विभिन्न स्वायत्त निकायों/ अन्य अधिष्ठानों (केन्द्रीय एजेन्सियों को ₹ 49,99.17 लाख सम्मिलित करते हुए) को हस्तांतरित किये गये हैं। कृपया 'लेखाओं पर टिप्पणियाँ खण्ड-1 का पैरा 3 (x) का भी संदर्भ लें।

## परिशिष्ट-VII

(क) शेषों की स्वीकृति एवं मिलान (जैसा कि विवरण 18 और 21 में दर्शाया गया है)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष और संस्थान का नाम	प्रतीक्षित स्वीकृतियों की संख्या	पूर्ववर्ती वर्ष जिससे स्वीकृतियाँ प्रतीक्षित हैं	31.10.2019 से 31.03.2020 तक अंतर की राशि (₹ लाख में)
----------	------------------------------	----------------------------------	--	---

मुख्य शीर्ष 7610-सरकारी सेवकों को ऋण के अधीनस्थ लघु शीर्ष 201-गृह निर्माण अग्रिम और 202-मोटर वाहनों की खरीद हेतु अग्रिम के विस्तृत लेखा को महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। शेषों को अभी तक संबंधित ऋणियों को सूचित किया जाना है क्योंकि 30 अक्टूबर 2019 तक के शेषों को अभी तक दो नये संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित (दिसंबर 2020) नहीं किया गया है।

## परिशिष्ट-VII-(समाप्त)

(ख) शेषों की स्वीकृति एवं मिलान (जैसा कि विवरण 18 और 21 में दर्शाया गया है)				
(बोल्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)				
लेखा शीर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष जिससे अंतर संबंधित हैं	अंतर की राशि	विभागीय अधिकारी/ कोषागार अधिकारी जिनके साथ अंतर समाधानाधीन है	प्रतीक्षित दस्तावेज/ विवरण इत्यादि का ब्योरा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(₹ लाख में)				
<b>7610- सरकारी सेवकों को ऋण-</b>				
201- गृह निर्माण अग्रिम	2002-03	1.30	सभी विभागीय अधिकारियों/ कोषागार अधिकारियों से शेषों का मिलान प्रतीक्षित है।	वाउचर/ चालान
202- मोटर वाहनों के क्रय हेतु अग्रिम	2002-03	7.64	सभी विभागीय अधिकारियों/ कोषागार अधिकारियों से शेषों का मिलान प्रतीक्षित है।	वाउचर/ चालान



## परिशिष्ट-VIII

## सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम

(बोर्ड में आंकड़े यूटी जम्मू एव कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वर्ष के दौरान पूँजीगत परिव्यय			वर्ष के अंत में पूँजीगत परिव्यय			वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्ति			वर्ष के दौरान कार्यकारी खर्च और अनुरक्षण			व्याज रहित निवल राजस्व		व्याज प्राप्ति के पश्चात् निवल लाभ या हानि				
		प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल	प्रत्यक्ष राजस्व प्राप्ति	अप्रत्यक्ष प्राप्ति	कुल प्राप्ति	वर्ष के दौरान कुल राजस्व	वर्ष के दौरान कुल खर्च	कुल व्यय (कॉलम 16) पर राजस्व	वर्ष की समाप्ति पर पूँजीगत परिव्यय	प्रत्यक्ष पूँजीगत पर ब्याज राजस्व (-) पर व्यय की अधिकता	व्यय (+) पर राजस्व अधिशेष या	वर्ष की समाप्ति पर पूँजीगत परिव्यय दर प्रतिशत			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(₹ लाख में)																				
1	कठुआ फीडर नहर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.99	2.07	11.06	(-)11.06	-	-	(-)11.06	-
					1828.32	420.51	2248.83													
2	प्रताप नहर	-	-	-	-	-	-	3.12	0.72	3.84	-	3.84	12.98	2.98	15.96	(-)12.12	-	-	(-)12.12	-
					5142.94	3729.50	8872.44													
3	रणबीर नहर	-	-	-	-	-	-	1.00	0.23	1.23	-	1.23	71.99	16.56	88.55	(-)87.32	-	-	(-)87.32	-
					16456.77	3614.74	20071.51													
4	मार्तण्ड नहर	-	-	-	-	-	-	0.19	0.04	0.23	-	0.23	-	-	-	(+)0.23	-	-	(+)0.23	-
					1770.62	407.25	2177.87													

§ विवरण में सम्मिलित सभी सिंचाई परियोजनाओं को वाणिज्यिक दर्जे की घोषित किया गया।

# कॉलम 14 के अंतर्गत आंकड़ों को एम एच-2700 "मुख्य सिंचाई" और मुख्य शीर्ष-2701- "मध्यम सिंचाई" से लिया गया है जैसा कि सरकार द्वारा बजट प्रावधान के प्रति व्यय बुक किया गया।

## परिशिष्ट-VIII-(समाप्त)

## सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम-(समाप्त)

(बोर्ड में आंकड़े यूटी जम्मू एंव कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वर्ष के दौरान पूँजीगत परिव्यय			वर्ष के अंत में पूँजीगत परिव्यय			वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्ति			वर्ष के दौरान कार्यकारी खर्च और अनुरक्षण			व्याज रहित निवल राजस्व		व्याज प्राप्त के पश्चात् निवल लाभ या हानि				
		प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल	वर्ष के दौरान कुल राजस्व	वर्ष के दौरान कुल खर्च	कुल व्यय (कॉलम 16) पर राजस्व	वर्ष की समाप्ति पर पूँजीगत परिव्यय	प्रत्यक्ष व्यय (+) पर राजस्व	वर्ष की समाप्ति पर पूँजीगत परिव्यय	वर्ष की समाप्ति पर पूँजीगत परिव्यय	वर्ष की प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>(₹ लाख में)</b>																				
5	जैनगीर नहर	8.75	2.01	10.76	8.75	2.01	10.76	0.20	0.05	0.25	-	0.25	-	-	-	(+)0.25	(+)2.32	-	(+)0.25	(+)2.32
					<b>773.54</b>	<b>51.45</b>	<b>824.99</b>													
6	आजी नहर	-	-	-	-	-	-	0.73	0.17	0.90	-	0.90	-	-	-	(+)0.90	-	-	(+)0.90	-
					<b>1610.55</b>	<b>370.43</b>	<b>1980.98</b>													
7	दादी नहर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>2395.68</b>	<b>64.44</b>	<b>2460.12</b>													
	<b>कुल</b>	8.75	2.01	10.76	8.75	2.01	10.76	5.24	1.21	6.45	-	6.45	93.96	21.61	115.57	(-)109.12	(+)2.32	-	(-)109.12	(+)2.32
					<b>29978.42</b>	<b>8658.32</b>	<b>38636.74</b>													

§ विवरण में सम्मिलित सभी सिंचाई परियोजनाओं को वाणिज्यिक दर्जे की घोषित किया गया।

# कॉलम 14 के अंतर्गत आंकड़ों को एम एच-2700 "मुख्य सिंचाई" और मुख्य शीर्ष-2701- "मध्यम सिंचाई" से लिया गया है जैसा कि सरकार द्वारा बजट प्रावधान के प्रति व्यय बुक किया गया।

## परिशिष्ट-IX

सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ या अधिक (*) लागत वाले अधुरे पूँजीगत कार्यों की सूची											
क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की तिथि	आरंभ करने का वर्ष	समापन का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष की समाप्ति पर प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	प्राप्त लागत (यदि कोई हो)/ प्रत्यावर्तन की तिथि	प्रास्थिति
										(₹ लाख में)	

\* पूरे परिशिष्ट में दिये गये आँकड़े/ सूचना संघ शासित क्षेत्र सरकार जम्मू एवं कश्मीर द्वारा उपलब्ध (दिसंबर 2020) नहीं कराये गये।

## परिशिष्ट-X

## वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय का घटक (₹ लाख में)		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
<b>व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-</b>						
01	सामान्य प्रशासन	2012-03-090-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	3.21	3.21
		2051-00-102-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.38	0.38
		2052-00-090-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	11.52	11.52
		2062-00-105-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	6.00	6.00
		3452-80-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	3,29.06	3,29.06
		<b>कुल सामान्य प्रशासन</b>		-	<b>3,50.17</b>	<b>3,50.17</b>
02	गृह	2055-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	4,34.07	4,34.07
		2055-00-109-025	मजदूरियाँ	2.96	-	2.96
		2055-00-116-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.29	1.29
		2055-00-117-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.30	1.30
		2056-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	7.46	7.46
		2056-00-101-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1,94.89	1,94.89
		2070-00-107-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.05	1.05
		2070-00-108-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	14.41	14.41
		2070-00-108-363	बाह्य स्रोतन और समारक्षण	8.75	-	8.75
		<b>कुल गृह</b>		<b>11.71</b>	<b>6,54.47</b>	<b>6,66.18</b>
04	सूचना	2220-60-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	4.32	4.32
		<b>कुल सूचना</b>		-	<b>4.32</b>	<b>4.32</b>
07	शिक्षा	2202-01-101-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	9.00	9.00
		2202-01-104-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.89	1.89
		2202-02-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	29.19	29.19
		2202-02-109-025	मजदूरियाँ	0.86	-	0.86
		2202-80-003-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.88	0.88
		<b>कुल शिक्षा</b>		<b>0.86</b>	<b>40.96</b>	<b>41.82</b>

## परिशिष्ट-X-(जारी)

## वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय-(जारी)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय का घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
(₹ लाख में)						
<b>व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(जारी)</b>						
08	वित्त	2030-01-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.62	1.62
		2039-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	20.06	20.06
		2043-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	85.95	85.95
		2054-00-003-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	58.17	58.17
		2054-00-095-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	60.07	60.07
		2054-00-097-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	55.37	55.37
		2054-00-098-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.24	0.24
		2054-00-800-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.32	0.32
		<b>कुल वित्त</b>		-	<b>2,81.80</b>	<b>2,81.80</b>
09	संसदीय मामले	2011-02-103-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	45.17	45.17
		<b>कुल संसदीय मामले</b>		-	<b>45.17</b>	<b>45.17</b>
10	विधि	2014-00-102-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	21.08	21.08
		2014-00-105-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	5.65	5.65
		2014-00-114-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.26	0.26
		2015-00-102-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.65	1.65
		<b>कुल विधि</b>		-	<b>28.64</b>	<b>28.64</b>
11	उद्योग और वाणिज्य	2851-00-101-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.59	0.59
		2851-00-102-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	4.21	4.21
		2851-00-103-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	6.64	6.64
		2851-00-104-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.25	1.25
		2853-02-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.36	1.36
		2853-02-001-025	मजदूरियाँ	3.24	-	3.24
		<b>कुल उद्योग और वाणिज्य</b>		<b>3.24</b>	<b>14.05</b>	<b>17.29</b>

## परिशिष्ट-X-(जारी)

वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय-(जारी)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय का घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
(₹ लाख में)						
<b>व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(जारी)</b>						
12	कृषि	2401-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	7.27	7.27
		2401-00-104-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	41.48	41.48
		2402-00-101-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	2.63	2.63
		2406-02-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1,22.96	1,22.96
		2406-02-112-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.13	0.13
		2415-01-004-363	समारक्षण का बाह्य स्रोतन	0.23	-	0.23
		2435-01-102-363	समारक्षण का बाह्य स्रोतन	2.06	-	2.06
		2705-00-602-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	2.15	2.15
		2705-00-606-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	2.00	2.00
		2851-00-107-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.70	1.70
		2851-00-107-025	मजदूरियाँ	4.04	-	4.04
		<b>कुल कृषि</b>		<b>6.33</b>	<b>1,80.32</b>	<b>1,86.65</b>
15	खाद्य, नागरिक आपूर्तियाँ और उपभोक्ता मामले	2408-01-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	8.34	8.34
		2408-02-101-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	6.11	6.11
		<b>कुल खाद्य, नागरिक आपूर्तियाँ और उपभोक्ता मामले</b>		<b>-</b>	<b>14.45</b>	<b>14.45</b>
16	लोक निर्माण	2059-80-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	12,33.93	12,33.93
		2216-07-053-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	3,36.21	3,36.21
		3054-80-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	30,23.68	30,23.68
		3054-80-001-025	मजदूरियाँ	7.98	-	7.98
		<b>कुल लोक निर्माण</b>		<b>7.98</b>	<b>45,93.82</b>	<b>46,01.80</b>

## परिशिष्ट-X-(जारी)

## वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय-(जारी)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय का घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
(₹ लाख में)						
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(जारी)						
17	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा	2210-01-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1,39.08	1,39.08
		2210-01-104-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.54	0.54
		2210-01-110-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	15,69.91	15,69.91
		2210-02-101-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	3.11	3.11
		2210-03-103-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	46.29	46.29
		2210-03-110-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.28	1.28
		2210-05-105-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	12,43.24	12,43.24
		2210-06-101-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	3.10	3.10
		2210-06-102-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.07	1.07
		2210-06-104-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	2.93	2.93
		2210-06-107-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	6.62	6.62
		<b>कुल स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा</b>		-	<b>30,17.17</b>	<b>30,17.17</b>
18	समाज कल्याण	2225-03-102-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	5.00	5.00
		2225-80-800-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.06	0.06
		2235-02-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.08	0.08
		2235-02-101-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.40	0.40
		2235-02-102-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	3.00	3.00
		2235-02-103-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	3.68	3.68
		<b>कुल समाज कल्याण</b>		-	<b>12.22</b>	<b>12.22</b>

## परिशिष्ट-X-(जारी)

वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय-(जारी)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय का घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
(₹ लाख में)						
<b>व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(जारी)</b>						
19	आवास एवं शहरी विकास	2217-03-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.20	0.20
		2217-03-191-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.34	0.34
		2217-80-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	96.41	96.41
		<b>कुल आवास एवं शहरी विकास</b>		-	<b>96.95</b>	<b>96.95</b>
20	पर्यटन	3452-01-101-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	32.72	32.72
		3452-01-102-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	34.18	34.18
		3452-80-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	99.96	99.96
		3452-80-104-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	11.11	11.11
		3452-80-800-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.46	0.46
		3452-80-800-025	मजदूरियाँ	2.66	-	2.66
		<b>कुल पर्यटन</b>		<b>2.66</b>	<b>1,78.43</b>	<b>1,81.09</b>
21	वन	2402-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	4.11	4.11
		2406-01-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	3.71	3.71
		2406-01-004-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.92	1.92
		2406-01-070-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	17.56	17.56
		2406-01-102-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	11.16	11.16
		2406-02-110-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	6.17	6.17
		3435-04-103-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.14	1.14
		<b>कुल वन</b>		-	<b>45.77</b>	<b>45.77</b>
22	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	2700-01-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	59.14	59.14
		2701-04-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	3,06.48	3,06.48
		2701-04-001-025	मजदूरियाँ	0.20	-	0.20
		2701-04-612-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1,28.12	1,28.12
		2702-80-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	5,86.31	5,86.31
		2711-01-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	5,64.97	5,64.97
		<b>कुल सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण</b>		<b>0.20</b>	<b>16,45.02</b>	<b>16,45.22</b>



## परिशिष्ट-X-(जारी)

## वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय-(जारी)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय का घटक (₹ लाख में)		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
<b>व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(जारी)</b>						
23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	2215-01-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	14,52.50	14,52.50
		2215-01-001-025	मजदूरियाँ	12.87	-	12.87
		<b>कुल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी</b>		<b>12.87</b>	<b>14,52.50</b>	<b>14,65.37</b>
24	आतिथ्य और प्रोटोकॉल	2070-00-800-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1,07.79	1,07.79
		2216-05-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	7,99.33	7,99.33
		2216-05-053-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	12,08.56	12,08.56
		<b>कुल आतिथ्य और प्रोटोकॉल</b>		<b>-</b>	<b>21,15.68</b>	<b>21,15.68</b>
25	श्रम, लेखन सामग्री और मुद्रण	2058-00-103-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	10.62	10.62
		2230-01-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	3.32	3.32
		<b>कुल श्रम, लेखन सामग्री और मुद्रण</b>		<b>-</b>	<b>13.94</b>	<b>13.94</b>
26	मत्स्यपालन	2405-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	44.22	44.22
		<b>कुल मत्स्यपालन</b>		<b>-</b>	<b>44.22</b>	<b>44.22</b>
27	उच्चतर शिक्षा	2202-03-103-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	44.00	44.00
		<b>कुल उच्चतर शिक्षा</b>		<b>-</b>	<b>44.00</b>	<b>44.00</b>
28	ग्रामीण विकास	2515-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	31.63	31.63
		2515-00-102-363	बाह्य स्रोतन और समारक्षण	8.98	-	8.98
		<b>कुल ग्रामीण विकास</b>		<b>8.98</b>	<b>31.63</b>	<b>40.61</b>
29	परिवहन	2041-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.50	0.50
		<b>कुल परिवहन</b>		<b>-</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>
30	जनजातीय मामले	2225-03-102-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	3.71	3.71
		<b>कुल जनजातीय मामले</b>		<b>-</b>	<b>3.71</b>	<b>3.71</b>

## परिशिष्ट-X-(समाप्त)

वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय-(समाप्त)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय का घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
(₹ लाख में)						
<b>व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(समाप्त)</b>						
31	संस्कृति	2205-00-104-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	15.19	15.19
		3454-02-110-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.08	0.08
		<b>कुल संस्कृति</b>		-	<b>15.27</b>	<b>15.27</b>
32	उद्यान कृषि	2236-02-800-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.58	0.58
		2401-00-119-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	7.70	7.70
		2435-01-101-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	9.16	9.16
		<b>कुल उद्यान कृषि</b>		-	<b>17.44</b>	<b>17.44</b>
34	युवा सेवाएं और तकनीकी शिक्षा	2203-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.85	1.85
		2204-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	4.94	4.94
		<b>कुल युवा सेवाएं और तकनीकी शिक्षा</b>		-	<b>6.79</b>	<b>6.79</b>
35	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3435-04-800-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.03	0.03
		3435-04-800-025	मजदूरियाँ	4.98	-	4.98
		<b>कुल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी</b>		<b>4.98</b>	<b>0.03</b>	<b>5.01</b>
		<b>कुल व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)</b>		<b>59.81</b>	<b>1,49,49.44</b>	<b>1,50,09.25</b>
<b>व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-</b>						
12	कृषि	4401-00-800-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.31	1.31
		<b>कुल कृषि</b>		-	<b>1.31</b>	<b>1.31</b>
		<b>कुल व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)</b>		-	<b>1.31</b>	<b>1.31</b>
		<b>कुल योग- व्यय शीर्ष (राजस्व और पूँजीगत लेखा)</b>		<b>59.81</b>	<b>1,49,50.75</b>	<b>1,50,10.56</b>
		<b>कुल योग- व्यय शीर्ष (राजस्व और पूँजीगत लेखा)</b>				

## परिशिष्ट-XI

वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय या बजट में प्रस्तावित नयी योजनाएं (क)

क्र. सं.	नीति निर्धारण की प्रकृति/ नयी योजनाएं	प्राप्ति/ व्यय/ दोनों	आवर्ती/ एक बार	आवर्ती के मामले में निवल नकद प्रवाह पर वार्षिक आंकलन का प्रभाव		वार्षिक व्यय		संभावित स्रोत जिनसे नयी योजनाओं के लिए व्यय किया जाना है		
				निश्चित अवधि	स्थायी	राजस्व	पूँजीगत	संघ शासित क्षेत्र के स्वयं के संसाधन	केन्द्रीय हस्तांतरण	सृजित ऋण

(क) यूटी सरकार द्वारा ऑकड़े/ सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी (दिसंबर 2020)।

परिशिष्ट-XII								
सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं (क)								
क्र. सं.	देयता की प्रकृति	देयता राशि (31 अक्टूबर 2019 को)	संभावित स्रोत जिन से प्राप्ति प्रस्तावित			उन्मोचन का संभाव्य वर्ष	वर्तमान वर्ष के दौरान उन्मोचित देयताएं (2019-2020) (31-10-2019 से 31-03-2020)	शेष बाकी (31 मार्च 2020 की समाप्ति पर)
			राज्य के स्वयं के संसाधन	केन्द्रीय हस्तांतरण	सृजित ऋण (विशेषीकृत)			
(₹ लाख में)								
I	देय लेखे							
	1 विद्युत							
	2 चिकित्सा प्रतिपत्ति							
	3 टीएण्डडी प्रणाली का सुधार							
	4 अवकाश वेतन							
	5 निर्माण							
	6 बाह्य स्रोतन और समारक्षण							
	7 आर.आर.टी.							
	कुल							
II	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में राज्य का अंश							
	1 भूमि प्रतिकर							
	कुल							
III	गैर-नियोजित शीर्षों को आयोजना योजनाओं के अंतरण के रूप में देयताएं							
	कुल							
IV	अपूर्ण परियोजनाओं से उत्पन्न देयताएं							
	1 पीएमआरपी निर्माण							
	कुल							
(क) पूरे परिशिष्ट में दिये गये आँकड़े/ सूचना यूटी सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी (दिसंबर 2020)।								

परिशिष्ट-XII-(समाप्त)								
सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं-(समाप्त) (क)								
क्र. सं.	देयता की प्रकृति	देयता राशि (31 अक्टूबर 2019 को)	संभावित स्रोत जिन से प्राप्ति प्रस्तावित			उन्मोचन का संभाव्य वर्ष	वर्तमान वर्ष के दौरान उन्मोचित देयताएं (2019-2020) (31-10-2019 से 31-03-2020)	शेष बाकी (31 मार्च 2020 की समाप्ति पर)
			राज्य के स्वयं के संसाधन	केन्द्रीय हस्तांतरण	सृजित ऋण (विशेषीकृत)			
(₹ लाख में)								
V	अन्य/ विविध							
1	भूमि अधिग्रहण प्रभार							
2	निर्माण और आपूर्ति पर अप्रदत्त बिल							
3	मुख्य निर्माण और संविदाएं							
	कुल							
	कुल योग							
(क) पूरे परिशिष्ट में दिये गये आँकड़े/ सूचना यूटी सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी (दिसंबर 2020)।								

## परिशिष्ट-XIII

संघ शासित क्षेत्रों का पुनर्गठन- मर्दें जिनके लिए संघ शासित क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य आबंटित की जाने वाली राशि			
		पुनर्गठन के समय	यूटी जम्मू एवं कश्मीर	वर्तमान में	
				को आबंटित राशि	
				(₹ लाख में)	
	<b>पूँजीगत लेखा-</b>				
1	4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	4,07.12	- ₹.	4,07.12
2	4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	13,56,87.13	- ₹.	13,56,87.13
3	4058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	34,95.66	- ₹.	34,95.66
4	4059- लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	61,53,32.68	- ₹.	61,53,32.68
5	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	1,04,38.18	- ₹.	1,04,38.18
6	4075- अन्य विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	1,63,21.31	- ₹.	1,63,21.31
7	4202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	69,82,52.70	- ₹.	69,82,52.70
8	4210- स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	49,06,21.72	- ₹.	49,06,21.72
9	4211- परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	7,97.04	- ₹.	7,97.04
10	4215- जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	79,46,76.20	- ₹.	79,46,76.20
11	4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	3,74,07.10	- ₹.	3,74,07.10
12	4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	49,94,89.56	- ₹.	49,94,89.56
13	4220- सूचना और प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	33,49.14	- ₹.	33,49.14
14	4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	3,05,37.92	- ₹.	3,05,37.92
15	4235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	27,77,64.10	- ₹.	27,77,64.10
16	4236- पोषण पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	3,70,82.30	- ₹.	3,70,82.30
17	4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	3,72,60.88	- ₹.	3,72,60.88
18	4401- फसल पैदावार पूँजीगत परिव्यय	₹.	19,46,40.11	- ₹.	19,46,40.11
19	4402- मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	3,90,96.00	- ₹.	3,90,96.00
20	4403- पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	3,71,42.41	- ₹.	3,71,42.41
21	4404- डेयरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	11,56.14	- ₹.	11,56.14
22	4405- मत्स्यपालन पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	2,22,29.55	- ₹.	2,22,29.55

## परिशिष्ट-XIII-(जारी)

संघ शासित क्षेत्रों का पुनर्गठन- मर्दें जिनके लिए संघ शासित क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है- (जारी)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य आबंटित की जाने वाली राशि			
		पुनर्गठन के समय	यूटी जम्मू एवं कश्मीर	वर्तमान में	
				को आबंटित राशि	
				(₹ लाख में)	
	<b>पूँजीगत लेखा-(समाप्त)</b>				
23	4406- वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	9,33,44.02	- ₹.	9,33,44.02
24	4408- खाद्य भण्डार एवं भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	32,67,48.53	- ₹.	32,67,48.53
25	4415- कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	3,36,07.44	- ₹.	3,36,07.44
26	4416- कृषिगत एवं वित्तीय संस्थानों में निवेश	₹.	0.40	- ₹.	0.40
27	4425- सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	4,01,60.94	- ₹.	4,01,60.94
28	4435- अन्य कृषिगत कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	4,07.33	- ₹.	4,07.33
29	4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	1,02,59,35.83	- ₹.	1,02,59,35.83
30	4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	36,88,81.76	- ₹.	36,88,81.76
31	4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	12,57,65.21	- ₹.	12,57,65.21
32	4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	20,60,62.60	- ₹.	20,60,62.60
33	4705- कमान क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	3,22,06.01	- ₹.	3,22,06.01
34	4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	16,96,00.97	- ₹.	16,96,00.97
35	4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	1,42,12,79.98	- ₹.	1,42,12,79.98
36	4851- ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	18,18,59.49	- ₹.	18,18,59.49
37	4852- लौह एवं इस्पात उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	2,09,24.24	- ₹.	2,09,24.24
38	4853- अलौह खनन एवं धात्विक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	77,69.55	- ₹.	77,69.55
39	4854- सीमेन्ट एवं अधात्विक खनिज उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	24.06	- ₹.	24.06
40	4858- अभियांत्रिकी उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	1,25.23	- ₹.	1,25.23
41	4860- उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	31,33.77	- ₹.	31,33.77
42	4875- अन्य उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	6.01	- ₹.	6.01
43	4885- अन्य उद्योगों एवं खनिजों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	42,72.91	- ₹.	42,72.91
44	5054- सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	1,37,08,18.51	- ₹.	1,37,08,18.51
45	5055- सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	2,63,25.02	- ₹.	2,63,25.02
46	5056- अंतर्देशीय एवं जल परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	27,74.37	- ₹.	27,74.37
47	5275- अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	2.09	- ₹.	2.09

## परिशिष्ट-XIII-(जारी)

संघ शासित क्षेत्रों का पुनर्गठन- मर्दें जिनके लिए संघ शासित क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है- (जारी)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य आबंटित की जाने वाली राशि		
		पुनर्गठन के समय	यूटी जम्मू एवं कश्मीर	वर्तमान में
				को आबंटित राशि
				(₹ लाख में)
<b>पूँजीगत लेखा-(समाप्त)</b>				
48	5425- अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	1,59,33.59	- डे. 1,59,33.59
49	5452- पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	22,84,77.74	- डे. 22,84,77.74
50	5465- सामान्य वित्तीय एवं व्यापार संस्थानों में निवेश	डे.	6,08,19.24	- डे. 6,08,19.24
51	5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	54,96,23.65	- डे. 54,96,23.65
		<b>कुल पूँजीगत लेखा डे.</b>	<b>10,30,00,75.44</b>	<b>- डे. 10,30,00,75.44</b>
<b>ड- सार्वजनिक ऋण-</b>				
1	6003- राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	क्रे.	4,54,29,09.06	- क्रे. 4,54,29,09.06
2	6004- केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	क्रे.	12,37,12.40	- क्रे. 12,37,12.40
		<b>कुल सार्वजनिक ऋण क्रे.</b>	<b>4,66,66,21.46</b>	<b>- क्रे. 4,66,66,21.46</b>
<b>च- ऋण और अग्रिम-</b>				
1	6202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति हेतु ऋण	डे.	5,45.58	- डे. 5,45.58
2	6210- चिकित्सा और जन स्वास्थ्य हेतु ऋण	डे.	1,92.53	- डे. 1,92.53
3	6211- परिवार कल्याण हेतु ऋण	डे.	0.09	- डे. 0.09
4	6216- आवास हेतु ऋण	डे.	7,09.54	- डे. 7,09.54
5	6217- शहरी विका सहेतु ऋण	डे.	28,20.32	- डे. 28,20.32
6	6225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु ऋण	डे.	12.65	- डे. 12.65
7	6235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु ऋण	डे.	98,44.98	- डे. 98,44.98
8	6245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत हेतु ऋण	डे.	5,08.48	- डे. 5,08.48
9	6250- अन्य समाज सेवाओं हेतु ऋण	डे.	13.17	- डे. 13.17
10	6401- फसल पैदावार हेतु ऋण	डे.	19,32.67	- डे. 19,32.67
11	6402- मृदा एवं जल संरक्षण हेतु ऋण	डे.	5.12	- डे. 5.12
12	6403- पशुपालन हेतु ऋण	डे.	51.31	- डे. 51.31
13	6404- डेयरी विकास हेतु ऋण	डे.	30.08	- डे. 30.08
14	6406- वानिकी एवं वन्य जीवन हेतु ऋण	डे.	1.64	- डे. 1.64



## परिशिष्ट-XIII-(जारी)

संघ शासित क्षेत्रों का पुनर्गठन- मर्दें जिनके लिए संघ शासित क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है-(जारी)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य आबंटित की जाने वाली राशि			
		पुनर्गठन के समय	यूटी जम्मू एवं कश्मीर	वर्तमान में	
				को आबंटित राशि	
				(₹ लाख में)	
<b>च- ऋण और अग्रिम-(समाप्त)</b>					
15	6425- सहकारिता हेतु ऋण	₹.	7,77.47	- ₹.	7,77.47
16	6435- अय कृषिगत कार्यक्रमों हेतु ऋण	₹.	12,66.58	- ₹.	12,66.58
17	6515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु ऋण	₹.	5.41	- ₹.	5.41
18	6575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों हेतु ऋण	₹.	1,43.14	- ₹.	1,43.14
19	6801- विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	₹.	85,04.81	- ₹.	85,04.81
20	6851- ग्राम एवं लघु उद्योगों हेतु ऋण	₹.	36,98.63	- ₹.	36,98.63
21	6853- अलौह खनन एवं धात्विक उद्योगों हेतु ऋण	₹.	1,98.16	- ₹.	1,98.16
22	6858- अभियांत्रिकी उद्योगों हेतु ऋण	₹.	33.84	- ₹.	33.84
23	6860- उपभोक्ता उद्योगों हेतु ऋण	₹.	10,04.11	- ₹.	10,04.11
24	6885- उद्योगों और खनिजों को अन्य ऋण	₹.	7,50,28.18	- ₹.	7,50,28.18
25	7055- सड़क परिवहन हेतु ऋण	₹.	6,05,07.80	- ₹.	6,05,07.80
26	7075- अन्य परिवहन सेवाओं हेतु ऋण	₹.	5,54.42	- ₹.	5,54.42
27	7452- पर्यटन हेतु ऋण	₹.	16,22.05	- ₹.	16,22.05
28	7475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण	₹.	18,73.72	- ₹.	18,73.72
29	7610- सरकारी सेवकों इत्यादि को ऋण	₹.	21,56.71	- ₹.	21,56.71
	<b>कुल ऋण और अग्रिम</b>	₹.	<b>17,40,43.19</b>	- ₹.	<b>17,40,43.19</b>
<b>आकस्मिकता निधि-</b>					
1	8000- आकस्मिकता निधि	₹.	1,00.00	- ₹.	1,00.00
	<b>कुल आकस्मिकता निधि</b>	₹.	<b>1,00.00</b>	- ₹.	<b>1,00.00</b>
<b>लोक लेखा-</b>					
1	8009- राज्य भविष्य निधियाँ	₹.	2,61,55,86.49	- ₹.	2,61,55,86.49
2	8011- बीमा और पेन्शन निधियाँ	₹.	10,05,75.13	- ₹.	10,05,75.13
3	8121- सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ	₹.	12,60,62.05	- ₹.	12,60,62.05
4	8222- ऋण शोधन निधियाँ	₹.	3,55,86.76	- ₹.	3,55,86.76
5	8223- अकाल राहत कोष	₹.	8,66.96	- ₹.	8,66.96

## परिशिष्ट-XIII-(समाप्त)

संघ शासित क्षेत्रों का पुनर्गठन- मर्दे जिनके लिए संघ शासित क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है- (समाप्त)					
क्र. सं.	लेखा शीर्ष	आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य आबंटित की जाने वाली राशि			
		पुनर्गठन के समय यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि		वर्तमान में	
					(₹ लाख में)
	<b>लोक लेखा-(समाप्त)</b>				
6	8226- मूल्यहास/ नवीकरणीय आरक्षित निधि	क्रे.	6,46,65.33	- क्रे.	6,46,65.33
7	8229- विकास और कल्याण निधियाँ	क्रे.	3,43,84.93	- क्रे.	3,43,84.93
8	8235- सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ	क्रे.	1,78,90.93	- क्रे.	1,78,90.93
9	8342- अन्य जमाएं	क्रे.	53,67.44	- क्रे.	53,67.44
10	8443- सिविल जमाएं	क्रे.	52,68,76.70	- क्रे.	52,68,76.70
11	8448- स्थानीय निधियों की जमाएं	क्रे.	10,18,16.64	- क्रे.	10,18,16.64
12	8449- अन्य जमाएं	क्रे.	5,73,62.51	- क्रे.	5,73,62.51
13	8550- सिविल अग्रिम	डे.	12,69.19	- डे.	12,69.19
14	8658- उंचंत लेखे	डे.	3,44,14.18	- डे.	3,44,14.18
15	8671- विभागीय शेष	डे.	4,96.97	- डे.	4,96.97
16	8672- स्थायी रोकड़ अग्रदाय	डे.	12.59	- डे.	12.59
17	8673- नकद शेष निवेश लेखा	डे.	3,83,91.91	- डे.	3,83,91.91
18	8782- समान लेखा कार्यालय को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण और समायोजन	क्रे.	28,56,74.43	- क्रे.	28,56,74.43
19	8786- केन्द्र और राज्य सरकार के मध्य लेखा समायोजन	डे.	5,46.43	- डे.	5,46.43
20	8793- अंतर्राज्यीय उंचंत लेखे	डे.	3,79.44	- डे.	3,79.44
21	8999- रोकड़ शेष	क्रे.	4,41,95.18	- क्रे.	4,41,95.18
	<b>निवल लोक लेखा क्रे.</b>		<b>3,94,14,00.77</b>	<b>- क्रे.</b>	<b>3,94,14,00.77</b>

**अनुभाग-ख**  
**संघ शासित क्षेत्र लद्दाख**

---

**खण्ड-II**

**भाग-I**

---

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण

शीर्ष	वास्तविक	
	31 अक्टूबर 2019 से	31 मार्च 2020
(1)	(2)	
	(₹ लाख में)	
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)</b>		
क- कर राजस्व #-		
(क) वस्तु एवं सेवा कर-		
(ग) संपत्ति, पूँजीगत एवं अन्य संव्यवहारों पर कर-		
<b>0029- भू-राजस्व-</b>		
101- भू-राजस्व/ कर		55,01.72
103- भूमि पर दरें तथा उपकार		0.05
800- अन्य प्राप्तियाँ		16.09
	<b>कुल- 0029</b>	<b>55,17.86</b>
<b>0030- स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क-</b>		
<i>01- स्टाम्प- न्यायिक-</i>		
101- स्टाम्प से वसूल की गयी न्यायालय शुल्क		0.11
102- स्टाम्प की बिक्री		8.94
800- अन्य प्राप्तियाँ		1.91
	<i>कुल-01</i>	<b>10.96</b>
<i>02- स्टाम्प-गैर-न्यायिक-</i>		
102- स्टाम्प की बिक्री		23.20
103- दस्तावेजों की छपाई पर शुल्क		0.41
800- अन्य प्राप्तियाँ		4.61
	<i>कुल-02</i>	<b>28.22</b>

# धन वापसी पर विचार करने के बाद आँकड़े निचले हैं।

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020	
(1)	(2)	
	(₹ लाख में)	
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)		
क- कर राजस्व-(जारी)		
(ग) संपत्ति, पूँजीगत और अन्य संव्यवहारों पर कर-(समाप्त)		
0030- स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क-(समाप्त)		
03- पंजीकरण शुल्क-		
104- दस्तावेजों को पंजीकृत करने के लिए शुल्क		0.68
800- अन्य प्राप्तियाँ		1.40
	कुल-03	2.08
	कुल-0030	41.26
	कुल-(ग)-संपत्ति पूँजी और अन्य संव्यवहारों पर कर	55,59.12
(घ) वस्तु एवं सेवा कर के अलावा अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर-		
0040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर-		
102- राज्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियाँ		23.37
800- अन्य प्राप्तियाँ		0.80
	कुल-0040	26.17
0041- वाहनों पर कर-		
102- राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियमों के तहत प्राप्तियाँ		80.59
	कुल -0041	80.59
0042- माल एवं यात्रियों पर कर-		
103- कर संग्रहण-यात्री कर		5.91
	कुल -0042	5.91

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020	(2)
(1)	(₹ लाख में)	
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)		
क- कर राजस्व-(समाप्त)		
0043- विद्युत पर कर एवं शुल्क-		
101- विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर कर		0.06
	कुल-0043	0.06
	कुल-(घ)-वस्तु एवं सेवा कर के अलावा अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर	1,12.73
	कुल-क-कर राजस्व	56,71.83
ख- गैर-कर- राजस्व-		
(ख) ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ-		
0049- ब्याज प्राप्तियाँ-		
04- राज्य विधानमण्डल वाले राज्य/ संघ शासित क्षेत्र सरकार की ब्याज प्राप्तियाँ-		
107- खेतीहरों से ब्याज		
800- अन्य प्राप्तियाँ		0.24
	कुल-04	0.24
	कुल-0049	0.24
	कुल(ख)-ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ	0.24
(ग) अन्य गैर- कर राजस्व-		
(i) सामान्य सेवाएं-		
0055- पुलिस-		
101 अन्य दलों को पुलिस आपूर्ति		0.94
105- राज्य-मुख्यालय (पुलिस) की प्राप्तियाँ		0.27
800- अन्य प्राप्तियाँ		0.18
	कुल -0055	1.39

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020	
(1)	(2)	
	(₹ लाख में)	
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)		
ख- गैर-कर-राजस्व-(जारी)		
(ग) अन्य गैर- कर राजस्व-(जारी)		
(i) सामान्य सेवाएं-(जारी)		
0058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण-		
101- लेखन सामग्री प्राप्तियाँ		7.36
102- राजपत्रों आदि की बिक्रियाँ		0.95
	<b>कुल-0058</b>	<b>8.31</b>
0059- लोक निर्माण-		
01- कार्यालय भवन-		
011- किराया		0.43
800- अन्य प्राप्तियाँ		2.57
	<i>कुल-01</i>	3.00
	<b>कुल-0059</b>	<b>3.00</b>
0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-		
01- न्याय प्रशासन-		
102- जुर्माना एवं जब्ती		8.29
501- सेवाएं एवं सेवा शुल्क		0.01
800- अन्य प्राप्तियाँ		3.60
	<i>कुल-01</i>	11.90

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020	
(1)	(2)	
	(₹ लाख में)	
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)		
ख- गैर-कर-राजस्व-(जारी)		
(ग) अन्य गैर- कर राजस्व-(जारी)		
(i) सामान्य सेवाएं-(समाप्त)		
0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-(समाप्त)		
60- अन्य सेवाएं-		
102- केन्द्रीय अधिनियमों और विनियमों के प्रशासन हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्तियाँ		0.01
800- अन्य प्राप्तियाँ		20.94
	कुल-60	20.95
	कुल-0070	32.85
0071- पेन्शन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के प्रति अंशदान एवं वसूलियाँ-		
01- नागरिक-		
101- अभिदान एवं अंशदान		4.92
	कुल-01	4.92
	कुल-0071	4.92
	कुल-(i)-सामान्य सेवाएं	50.47
(ii) समाज सेवाएं-		
0202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-		
01- सामान्य शिक्षा -		
101- प्राथमिक शिक्षा-		
प्रवेश शुल्क एवं अन्य शुल्क		0.38
800- अन्य प्राप्तियाँ		0.01
	कुल-0202	0.39



## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020	
(1)	(2)	
	(₹ लाख में)	
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)		
ख- गैर-कर-राजस्व-(जारी)		
(ग) अन्य गैर- कर राजस्व-(जारी)		
(ii) समाज सेवाएं-(समाप्त)		
0210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य-		
04- जन स्वास्थ्य-	कुल -02	25.41
104- शुल्क एवं जुर्माना आदि		0.10
	कुल-04	0.10
	कुल-0210	0.10
0215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता-		
01- जलापूर्ति-		
102- ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं से प्राप्तियाँ		3.76
	कुल-01	3.76
	कुल-0215	3.76
0216- आवास-		
01- सरकारी आवासीय भवन-		
700- अन्य आवास		0.08
	कुल-01	0.08
03- ग्रामीण आवास-		
800- अन्य प्राप्तियाँ		0.11
	कुल-03	0.11
	कुल-0216	0.19
	कुल-(ii)-समाज सेवाएं	4.44

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020	
(1)	(2)	
	(₹ लाख में)	
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)		
ख- गैर-कर राजस्व-(जारी)		
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)		
(iii) आर्थिक सेवाएं-		
0405- मत्स्यपालन-		
800- अन्य प्राप्तियाँ		3.00
	कुल-0405	3.00
0406- वानिकी एवं वन्य जीवन-		
01- वानिकी-		
101- इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उत्पादन की बिक्री		8.40
800- अन्य प्राप्तियाँ		11.67
	कुल-01	20.07
02- पर्यावरणीय वानिकी एवं वन्य जीवन		
800- अन्य प्राप्तियाँ		0.05
	कुल-02	0.05
	कुल-0406	20.12
0408- खाद्य संग्रहण एवं भण्डारण-		
800- अन्य प्राप्तियाँ		4.47
	कुल-0408	4.47
0425- सहकारिता-		
0.01 अन्य प्राप्तियाँ		0.06
	कुल-0425	0.01

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020	
(1)	(2)	
	(₹ लाख में)	
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)		
ख- गैर-कर राजस्व-(जारी)		
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)		
(iii) आर्थिक सेवाएं-(जारी)		
0575- अन्य विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रम-		
02- पिछड़े क्षेत्र-		
253- जिला प्रशासन		1,27.06
259- लोक निर्माण		3.17
277- शिक्षा		0.18
	कुल-02	1,30.41
60- अन्य-		
800- अन्य प्राप्तियाँ		55.71
	कुल-60	55.71
	<b>कुल-0575</b>	<b>1,86.12</b>
0701- मध्यम सिंचाई-		
80- सामान्य-		
800- अन्य प्राप्तियाँ		3.25
	कुल-80	3.25
	<b>कुल -0701</b>	<b>3.25</b>

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020	
(1)	(2)	
	(₹ लाख में)	
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)		
ख- गैर-कर राजस्व-(जारी)		
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)		
(iii) आर्थिक सेवाएं-(जारी)		
0801- विद्युत-		
80- सामान्य-		
800- अन्य प्राप्तियाँ		32,19.05
	कुल-80	32,19.05
	कुल-0801	32,19.05
0851- ग्राम एवं लघु उद्योग-		
101- औद्योगिक संपदा		0.01
103- हथकरघा उद्योग		0.13
104- हस्तशिल्प उद्योग		0.22
800- अन्य प्राप्तियाँ		0.39
	कुल-0851	0.75
0853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-		
102- खनिज रियायत शुल्क, किराया एवं रॉयल्टी		
104- खदान विभाग		
800- अन्य प्राप्तियाँ		99.67
	कुल-0853	99.67

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020	(2)
(1)	(₹ लाख में)	
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)		
ख- गैर-कर राजस्व-(समाप्त)		
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(समाप्त)		
(iii) आर्थिक सेवाएं-(समाप्त)		
1054- सड़कें एवं पुल		
102- सड़कों पर पथकर		7.29
	कुल-1054	7.29
	कुल-(iii)-आर्थिक सेवाएं	35,43.73
	कुल-(ग)-अन्य गैर-कर राजस्व	35,98.64
	कुल-ख-गैर-कर राजस्व	35,98.88
ग- सहायता अनुदान और अंशदान-		
1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान -		
	कुल-1601	-
	कुल ग - सहायता अनुदान और अंशदान	- (क)
	कुल योग- प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	92,70.73
प्राप्ति शीर्ष-(पूँजीगत लेखा)-		
4000- विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ-		
01- नागरिक-		
105- सहकारी सोसाइटियों/ बैंकों की पूँजी/ विनिवेश की निवृत्तित		-
	कुल-4000	-
	कुल प्राप्तियाँ- (पूँजीगत लेखा)	-
	सकल योग	92,70.73

(क) संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी जीआईए सम्मिलित है, जिसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि के माध्यम से भेजा गया, किंतु 31.03.2020 तक भी लद्दाख को हस्तांतरित नहीं किया गया।



## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान		कुल
	वास्तविक आँकड़े		
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्ष-</b>			
<b>(राजस्व लेखा)-</b>			
क- समान्य सेवाएं-			
(क) राज्य के अंग-			
2012- राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/ राज्यपाल/ संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक-			
03- राज्यपाल/ संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक-			6,18.07
090- सचिवालय	6,18.07	-	-
	कुल-03	6,18.07	6,18.07
	कुल-2012	6,18.07	6,18.07
2014- न्याय-प्रशासन-			
102- उच्च न्यायालय	0.21	-	0.21
105- दीवानी एवं सत्र न्यायालय	3,30.59	-	3,30.59
114- कानूनी सलाहाकार एवं परामर्शदाता	15.47	-	15.47
	कुल-2014	3,46.27	3,46.27
2015- चुनाव-			
102- निर्वाचन अधिकारी	10,53.76	-	10,53.76
	कुल-2015	10,53.76	10,53.76
कुल-(क)- राज्य के अंग	14,00.03	-	20,18.10
		6,18.07	

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान		कुल
	वास्तविक आँकड़े		
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय-शीर्ष</b>			
(राजस्व लेखा)-(जारी)			
क सामान्य सेवाएं-(जारी)			
ख राजकोषीय सेवाएं-			
(ii) संपत्ति एवं पूँजी संव्यवहारों पर करों का संग्रहण-			
2030- स्टाम्प एवं पंजीकरण-			
01- स्टाम्प-न्यायिक-			
101- स्टाम्प की लागत	0.03	-	0.03
	<b>कुल-01</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>
02- स्टाम्प-गैर-न्यायिक-			
101- स्टाम्प की लागत	1.26	-	1.26
	<b>कुल-02</b>	<b>1.26</b>	<b>1.26</b>
	<b>कुल-2030</b>	<b>1.29</b>	<b>1.29</b>
कुल-(ii)- संपत्ति एवं पूँजी संव्यवहारों पर करों का संग्रहण	1.29	-	1.29
कुल-(ख)-राजकोषीय सेवाएं	1.29	-	1.29
घ प्रशासनिक सेवाएं			
2055 पुलिस-			
001- निदेशन एवं प्रशासन	26.88	-	26.88
104- विशेष पुलिस	11,58.13	-	11,58.13
109- जिला पुलिस	30,93.46	-	30,93.46
117- आंतरिक सुरक्षा	3,48.43	-	3,48.43
	<b>कुल-2055</b>	<b>46,26.90</b>	<b>46,26.90</b>
कुल-(घ)- प्रशासनिक सेवाएं	46,26.90	-	46,26.90



## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान		कुल
	वास्तविक आँकड़े		
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	(₹ लाख में)
<b>व्यय-शीर्ष</b>			
(राजस्व लेखा)-(जारी)			
क सामान्य सेवाएं-(जारी)			
(ङ) पेन्शन एवं विविध सामान्य सेवाएं-			
2071- पेन्शन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-			
01- नागरिक-			
101- अधिवर्षिता एवं सेवानिवृत्ति भत्ते	50,86.59	-	50,86.59
102- पेन्शन की संराशीकृत राशि	7,09.52	-	7,09.52
104- उपदान	11,59.43	-	11,59.43
105- परिवार पेन्शन	2,36.41	-	2,36.41
111- विधायकों को पेन्शन	47.73	-	47.73
115- छुट्टी नकदीकरण	1,05.00		1,05.00
117- परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना के लिए सरकारी अंशदान (नयी पेन्शन योजना)	65.74		65.74
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)-2.33	-	(-)-2.33
	<b>कुल-01</b>		<b>74,08.09</b> (क)
	<b>कुल-2071</b>		<b>74,08.09</b> (क)

(क) संघ शासित क्षेत्र तद्विषय सरकार से अधिवर्षिता/ परिवार पेन्शन की संख्या प्रतीक्षित (दिसंबर 2020)।

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान		कुल
	वास्तविक आँकड़े		
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
<b>व्यय-शीर्ष</b>			
(राजस्व लेखा)-(जारी)			
क सामान्य सेवाएं-(समाप्त)			
2075- विविध सामान्य सेवाएं-			
103- राज्य लोटरियाँ	-	-	-
104- विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफलस्वरूप पेन्शन एवं पुरस्कार	-	-	-
800- अन्य व्यय	-	-	-
	<b>कुल-2075</b>	-	-
	कुल-(ड)-पेन्शन एवं विविध सामान्य सेवाएं	<b>74,08.09</b>	<b>74,08.09</b>
	कुल-क-सामान्य सेवाएं	<b>1,34,36.31</b>	<b>1,40,54.38</b> <sup>(अ)</sup>
		<b>6,18.07</b>	
ख समाज सेवाएं-			
(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-			
2205- कला एवं संस्कृति-			
104- अभिलेखागार	0.25	-	0.25
	<b>कुल-2205</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>
	<b>कुल (क)- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>

(अ) ₹ 45,24.33 लाख वेतन तथा ₹ 1.39 लाख सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान		कुल
	वास्तविक आँकड़े		
	संघ शासित क्षेत्र व्यय	निधि केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	(₹ लाख में)
<b>(राजस्व लेखा)- (जारी)</b>			
<b>ख समाज सेवाएं-(समाप्त)</b>			
<b>(छ) समाज कल्याण एवं पोषण-</b>			
<b>2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-</b>			
<i>02- समाज कल्याण-</i>			
102- बाल कल्याण	20.28	-	20.28
103- महिला कल्याण	3,52.59	-	3,52.59
104- वृद्ध, अशक्त और निराश्रितों का कल्याण	45.79	-	45.79
	<i>कुल-02</i>	-	4,18.66
	<b>कुल-2235</b>	-	<b>4,18.66</b> (क)
<b>2236- पोषण-</b>			
<i>02- पौष्टिक आहार एवं पेय पदार्थों का वितरण-</i>			
101- विशेष पोषण कार्यक्रम	11.28	-	2,75,45.25
	<i>कुल-02</i>	-	2,77,40.33
	<b>कुल-2236</b>	-	<b>11.28</b>
	<b>कुल-(छ)-समाज कल्याण और पोषण</b>	-	<b>4,29.94</b>
	<b>कुल-ख-समाज सेवाएं</b>	-	<b>4,30.19</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान		कुल
	वास्तविक आँकड़े		
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
(₹ लाख में)			
<b>(राजस्व लेखा)- (जारी)</b>			
ख समाज सेवाएं-(समाप्त)			
ग आर्थिक सेवाएं-			
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-			
2575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-			
02- पिछड़े क्षेत्र-			
253- जिला प्रशासन	89.29	-	89.29
255- पुलिस	5,09.88	-	5,09.88
259- लोक निर्माण कार्य	11.41	-	11.41
	<u>कुल-02</u>	<u>-</u>	<u>6,10.58</u>
	<u>कुल-2575</u>	<u>-</u>	<u>6,10.58</u>
	<u>कुल-(ग)- विशेष क्षेत्र कार्यक्रम</u>	<u>-</u>	<u>6,10.58</u>
(च) उद्योग एवं खनिज-			
2851- गांव एवं लघु उद्योग-			
105- खादी एवं ग्रामोद्योग	17.74	-	17.74
	<u>कुल-2851</u>	<u>-</u>	<u>17.74</u>
	<u>कुल-(च)-उद्योग एवं खनिज</u>	<u>-</u>	<u>17.74</u>

(क) पेंशन भोगियों की संख्या संघ शासित क्षेत्र सरकार लघु से प्रतीक्षित (दिसम्बर 2020)।

(ख) ₹ 66.07 लाख का सहायता अनुदान सम्मिलित है।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)  
तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय के दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
			(₹ लाख में)
व्यय शीर्ष			
(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ग आर्थिक सेवाएं-			
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं-(जारी)			
3454- जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी-			
02- सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी-			
112- आर्थिक सलाह एवं सांख्यिकी	27.54	-	27.54
	कुल-02	-	27.54
	कुल-3454	-	27.54
	कुल-(ज)-सामान्य आर्थिक सेवाएं	-	27.54
	कुल-ग-आर्थिक सेवाएं	-	6,55.86 (घ)
	कुल-व्यय शीर्ष	-	1,51,40.43
	(राजस्व लेखा)		
	वेतन	-	45,51.33
			25.09
	सहायिकि	-	-
	सहायता अनुदान	-	85.20

(घ) ₹ 16,61,50.89 लाख वेतन एवं ₹ 26,95,82.10 लाख सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।



## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(समाप्त)

विवरण संख्या 15 की व्याख्यात्मक टिप्पणी-(समाप्त) (क)								
विवरण संख्या 15 का अनुलग्नक "ख"								
31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 (क) तक की अवधि हेतु विभिन्न मुख्य योजनाओं के लिए निर्माचित निधियाँ								
योजना का नाम	भारत सरकार द्वारा निर्माचित राशि	संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा वास्तविक रूप में जारी केन्द्रीय हिस्सा	कमी (-) अधिकता (+)	वित्त पोषण पद्धति के अनुसार संघ शासित क्षेत्र का हिस्सा	संघ शासित क्षेत्र को जारी किया गया हिस्सा	कमी (-) अधिकता (+)	कुल निर्गत राशि	व्यय
(₹ लाख में)								

(क) संघ शासित क्षेत्र सरकार से सूचना प्रतीकित है (दिसंबर 2020)।





## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>क- सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
<i>01- कार्यालय भवन-</i>							
001-	निदेशन एवं प्रशासन	17,44,40.11	-	-	-	-	-
							<b>17,44,40.11</b>
051-	निर्माण	2,80,29.84	-	-	-	-	-
							<b>2,80,29.84</b>
052-	मशीनरी एवं उपकरण	10,93.61	-	-	-	-	-
							<b>10,93.61</b>
201-	भूमि का अधिग्रहण	2.85	-	-	-	-	-
							<b>2.85</b>
799-	उचंत	0.12	-	-	-	-	-
							<b>0.12</b>
800-	अन्य व्यय	2,55,11.73	-	-	-	-	-
							<b>2,55,11.73</b>
		<b>कुल-01</b>	-	-	-	-	-
							<b>22,90,78.26</b>
<i>60- अन्य भवन</i>							
051-	निर्माण	9,58.87	-	-	-	-	-
							<b>9,58.87</b>
117-	आंतरिक सुरक्षा	2,52.15	-	-	-	-	-
							<b>2,52.15</b>
800-	अन्य व्यय	36,38,90.55	-	0.45	-	0.45	0.45
							<b>36,38,90.55</b>
		<b>कुल-60</b>	-	0.45	-	0.45	0.45
							<b>36,51,10.57</b>

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)						
<b>व्यय शीर्ष-</b>						
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>						
<b>क- सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>4059- लोक निर्माण कार्यो पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>						
<i>80- सामान्य-</i>						
001- निदेशन एवं प्रशासन	44,01.32	-	-	-	-	-
						<b>44,01.32</b>
051- निर्माण	18,83.58	-	-	-	-	-
						<b>18,83.58</b>
052- मशीनरी एवं उपकरण	4,10.64	-	-	-	-	-
						<b>4,10.64</b>
201- भूमि का अधिग्रहण	81,51.65	-	-	-	-	-
						<b>81,51.65</b>
800- अन्य व्यय	63,05.66	-	-	-	-	-
						<b>63,05.66</b>
<i>कुल-80</i>	<u>2,11,52.85</u>	-	-	-	-	-
						<b>2,11,52.85</b>
<b>कुल-4059</b>	<b>61,53,32.68</b>	-	0.45	-	0.45	0.45
						<b>61,53,32.68</b>
<b>4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-</b>						
003- प्रशिक्षण	57.71	-	-	-	-	-
						<b>57.71</b>
800- अन्य व्यय	1,03,80.47	-	-	-	-	-
						<b>1,03,80.47</b>
<b>कुल-4070</b>	<u>1,04,38.18</u>	-	-	-	-	-
						<b>1,04,38.18</b>









## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्षक-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
<i>02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-</i>							
101-	स्वास्थ्य उप-केन्द्र	7,47.29	-	-	-	-	-
							<b>7,47.29</b>
102-	सहायक स्वास्थ्य केन्द्र	80.31	-	-	-	-	-
							<b>80.31</b>
103-	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	3,23,42.78	-	-	-	-	-
							<b>3,23,42.78</b>
104-	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	4.37	-	-	-	-	-
							<b>4.37</b>
110-	अस्पताल एवं औषधालय	21,19.50	-	-	-	-	-
							<b>21,19.50</b>
796-	जनजातीय क्षेत्र उप योजना	0.33	-	-	-	-	-
							<b>0.33</b>
800-	अन्य व्यय	38,34.70	-	-	-	-	-
							<b>38,34.70</b>
		<i>कुल-02</i>	3,91,29.28	-	-	-	-
							<b>3,91,29.28</b>
<i>03- चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान</i>							
101-	आयुर्वेद	1.00	-	-	-	-	-
							<b>1.00</b>

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
<i>03- चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान-(समाप्त)</i>							
105-	एलोपैथी	5,93,73.40	-	-	-	-	-
							<b>5,93,73.40</b>
200-	अन्य प्रणालियाँ	9,55.62	-	-	-	-	-
							<b>9,55.62</b>
		<b>कुल-03</b>	-	-	-	-	<b>-</b>
							<b>6,03,30.02</b>
<i>04- जन-स्वास्थ्य-</i>							
101-	रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण	31,03.00	-	-	-	-	-
							<b>31,03.00</b>
106-	एसईआरए/ टीका का विनिर्माण	70.37	-	-	-	-	-
							<b>70.37</b>
107-	जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं	23,17.55	-	-	-	-	-
							<b>23,17.55</b>
112-	जन स्वास्थ्य शिक्षा	8,64.53	-	-	-	-	-
							<b>8,64.53</b>
200-	अन्य कार्यक्रम	12,10.29	-	-	-	-	-
							<b>12,10.29</b>
		<b>कुल-04</b>	-	-	-	-	<b>-</b>
							<b>75,65.74</b>
							<b>75,65.74</b>



## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)						
<b>व्यय शीर्ष-</b>						
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>						
<b>ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)</b>						
<b>4210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>						
<i>80- सामान्य-</i>						
800- अन्य व्यय	44,98.71	-	-	-	-	-
						<b>44,98.71</b>
	<i>कुल-80</i>	44,98.71	-	-	-	-
						<b>44,98.71</b>
	<b>कुल-4210</b>	<b>49,06,21.72</b>	-	-	-	-
						<b>49,06,21.72</b>
<b>4211- परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-</b>						
101- ग्रामीण परिवार कल्याण	1,07.15	-	-	-	-	-
						<b>1,07.15</b>
102- शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	1,08.96	-	-	-	-	-
						<b>1,08.96</b>
800- अन्य व्यय	5,80.93	-	-	-	-	-
						<b>5,80.93</b>
	<b>कुल-4211</b>	<b>7,97.04</b>	-	-	-	-
						<b>7,97.04</b>
<b>कुल-(ख)- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा</b>	<b>49,14,18.76</b>	-	-	-	-	-
						<b>49,14,18.76</b>

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्षक-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा-</b>							
<b>4215- जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
<i>01- जलापूर्ति-</i>							
101- शहरी जलापूर्ति-							
	जलापूर्ति जम्मू शहर	66,40.30	-	-	-	-	-
	ट्यूबवैल श्रीनगर	30,94.16	-	-	-	-	-
	श्रीनगर संवर्धन शहर की जलापूर्ति के लिए मास्टर प्लान	1,23,57.15	-	-	-	-	-
	मास्टर प्लान के अंतर्गत जम्मू शहर की जलापूर्ति में सुधार/ संवर्धन	1,46,66.59	-	-	-	-	-
	निर्माण/ परियोजनाएं जिन पर पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ	26,26.98	-	-	-	-	-
	<b>कुल-101</b>	<b>3,93,85.18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	102- ग्रामीण जलापूर्ति-						
	कश्मीर प्रभाग की जलापूर्ति योजनाओं में सुधार/ संवर्धन	16,74,03.05	-	-	-	-	-
							<b>16,74,03.05</b>

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)						
<b>व्यय शीर्ष-</b>						
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>						
<b>ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा- (जारी)</b>						
<b>4215- जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>						
102- ग्रामीण जलापूर्ति-(समाप्त)						
01- जलापूर्ति-(जारी)						
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कश्मीर)	2,49,64.69	-	-	-	-	-
						<b>2,49,64.69</b>
जम्मू प्रभाग की शहर जलापूर्ति का सुधार	11,29,89.39	-	-	-	-	-
						<b>11,29,89.39</b>
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जम्मू)	2,99,55.91	-	-	-	-	-
						<b>2,99,55.91</b>
जलापूर्ति जम्मू कांडी क्षेत्र	13,54.70	-	-	-	-	-
त्वरित जलापूर्ति योजना	4,37,05.76	-	-	-	-	-
						<b>4,37,05.76</b>
उचंत	(-1,70.34)	-	-	-	-	-
						<b>(-1,70.34)</b>
निर्माण/ परियोजनाएं जिन पर पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ	35,55,76.29	-	-	-	-	-
						<b>35,55,76.29</b>
	<b>कुल-102</b>					
	<b>73,57,79.45</b>					<b>73,57,79.45</b>

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4215- जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>							
<i>01- जलापूर्ति-(समाप्त)</i>							
800- अन्य व्यय		53,80.19	-	-	-	-	-
	<b>कुल-01</b>	<b>78,05,44.82</b>	-	-	-	-	<b>53,80.19</b>
							<b>78,05,44.82</b>
<i>02- मल निकास व्यवस्था एवं स्वच्छता-</i>							
101- शहरी स्वच्छता सेवाएं		7,85.84	-	-	-	-	-
							<b>7,85.84</b>
102- ग्रामीण स्वच्छता सेवाएं		12,12.01	-	-	-	-	-
							<b>12,12.01</b>
106- मल निकास व्यवस्था सेवाएं		1,12,75.22	-	-	-	-	-
							<b>1,12,75.22</b>
800- अन्य व्यय		8,58.31	-	-	-	-	-
	<b>कुल-02</b>	<b>1,41,31.38</b>	-	-	-	-	<b>8,58.31</b>
							<b>1,41,31.38</b>
	<b>कुल-4215</b>	<b>79,46,76.20</b>	-	-	-	-	<b>79,46,76.20</b>



## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्षक-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा- (जारी)</b>							
<b>4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>							
<i>80- सामान्य-</i>							
001-	निदेशन एवं प्रशासन	1,88.72	-	-	-	-	-
							<b>1,88.72</b>
191-	आवासीय निगमों में निवेश	3.00	-	-	-	-	-
							<b>3.00</b>
201-	आवासीय बोर्डों में निवेश	1,49.75	-	-	-	-	-
							<b>1,49.75</b>
800-	अन्य व्यय	10,01.23	-	-	-	-	-
							<b>10,01.23</b>
	<i>कुल-80</i>	<u>13,42.70</u>	-	-	-	-	-
							<b>13,42.70</b>
	<b>कुल-4216</b>	<u><b>3,74,07.10</b></u>	-	-	-	-	-
							<b>3,74,07.10</b>
<b>4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
<i>01- राज्य पूँजीगत विकास-</i>							
001-	निदेशन एवं प्रशासन	18.05	-	-	-	-	-
							<b>18.05</b>
050-	भूमि	1.21	-	-	-	-	-
							<b>1.21</b>

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
<i>01- राज्य पूँजीगत विकास-(समाप्त)</i>							
051-	निर्माण	42.12	-	-	-	-	-
							42.12
052-	मशीनरी एवं उपकरण	1,37.51	-	-	-	-	-
							1,37.51
191-	स्थानीय निकाय निगमों, शहरी विकास प्रधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता	8,07.04	-	-	-	-	-
							8,07.04
800-	अन्य व्यय	73.76	-	-	-	-	-
							73.76
		<b>कुल-01</b>	-	-	-	-	-
							10,79.69
<i>03- छोटे एवं मध्यम शहरों का एकीकृत विकास-</i>							
051-	निर्माण	5,28,33.39	-	-	-	-	-
							5,28,33.39
191-	स्थानीय निकाय निगमों, शहरी विकास प्रधिकरणों के नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता	55,67.34	-	-	-	-	-
							55,67.34
800-	अन्य व्यय	43,81,59.98	-	-	-	-	-
							43,81,59.98
		<b>कुल-03</b>	-	-	-	-	-
							49,65,60.71









## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ख समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
4225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)						
<i>02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-(समाप्त)</i>							
794-	जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	1,21.21	-	-	-	-	-
							1,21.21
800-	अन्य व्यय	2,75,09.54	-	-	-	-	-
							2,75,09.54
	<b>कुल-02</b>	<b>2,77,01.65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,77,01.65</b>
<i>03- पिछड़े वर्ग का कल्याण-</i>							
102-	आर्थिक विकास	3,09.95	-	-	-	-	-
							3,09.95
283-	आवास	3.00	-	-	-	-	-
							3.00
800-	अन्य व्यय	3,67.76	-	-	-	-	-
							3,67.76
	<b>कुल-03</b>	<b>6,80.71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,80.71</b>

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
व्यय शीर्ष-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ख समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)							
4225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)						
80- सामान्य-							
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-							
	(i)- जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के विकास निगमों में निवेश	5,10.00	-	-	-	-	-
							5,10.00
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	92.62	-	-	-	-	-
							92.62
800-	अन्य व्यय	11,03.49	-	-	-	-	-
							11,03.49
		<b>कुल-80</b>	<b>17,06.11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>कुल-4225</b>	<b>3,05,37.92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
							<b>3,05,37.92</b>
कुल-(ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण के पूँजीगत लेखा		3,05,37.92	-	-	-	-	-
							3,05,37.92

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)						
<b>व्यय शीर्ष-</b>						
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>						
<b>ख समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>(छ) समाज कल्याण एवं पोषण का पूँजीगत लेखा-</b>						
<b>4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-</b>						
<i>01- पुनर्वास-</i>						
201- अन्य पुनर्वास योजनाएं	15,71,00.54	-	-	-	-	-
						15,71,00.54
800- अन्य व्यय	0.82	-	-	-	-	-
						0.82
	<u>कुल-01</u>	<u>15,71,01.36</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
						15,71,01.36
<i>02- समाज कल्याण-</i>						
101- दिव्यांगों का कल्याण	36.33	-	-	-	-	-
						36.33
102- बाल कल्याण- सकल व्यय	5,70,56.46	-	-	-	-	-
						5,70,56.46
कटौती प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	(-)0.05	-	-	-	-	-
						(-)0.05
निवल व्यय	<u>5,70,56.41</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
						5,70,56.41
103- महिला कल्याण	2,55.93	-	-	-	-	-
						2,55.93
104- वृद्ध, अशक्त एवं निराश्रितों का कल्याण	2,24.53	-	-	-	-	-
						2,24.53

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ख समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(छ) समाज कल्याण एवं पोषण का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
<i>02- समाज कल्याण-(समाप्त)</i>							
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-							
(i)- जम्मू एवं कश्मीर की अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के विकास निगम में निवेश							
		7,79.81	-	-	-	-	-
							7,79.81
	(ii)- जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड में निवेश	18,26.63	-	-	-	-	-
							18,26.63
	<b>कुल-190</b>	<b>26,06.44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
							<b>26,06.44</b>
	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना	66.44	-	-	-	-	-
							66.44
	800- अन्य व्यय	20,97.15	-	-	-	-	-
							20,97.15
	<b>कुल-02</b>	<b>6,23,43.23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
							<b>6,23,43.23</b>
<i>60- अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम-</i>							
	800- अन्य व्यय						
	चीनी-						
	सकल व्यय	16,27,93.53	-	-	-	-	-
							16,27,93.53

















## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्षक-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4401- फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>							
<b>800- अन्य व्यय-</b>							
	सकल व्यय	5,18,51.63	-	-	-	-	-
	कटौती -प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	(-)2,15.00	-	-	-	-	-
	निवल व्यय	5,16,36.63	-	-	-	-	-
	कृषि उत्पादन- सकल व्यय	35,93.91	-	-	-	-	-
	कटौती प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	(-)3,18.72	-	-	-	-	-
	निवल व्यय	32,75.19	-	-	-	-	-
	अन्य व्यय	6,28,94.10	-	-	-	-	-
	कुल-800	11,78,05.92	-	-	-	-	-
	911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)26.29	-	-	-	-	-
	<b>कुल-4401</b>	<b>19,46,40.11</b>	-	<b>(-)51.70</b>	<b>(-)5.15</b>	<b>(-)56.85</b>	<b>(-)56.85</b>
							<b>19,46,40.11</b>

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्षक-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4402- मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
001-	निर्देशन एवं प्रशासन	32,46.43	-	-	-	-	-
							<b>32,46.43</b>
101-	मृदा सर्वेक्षण एवं परीक्षण	13,31.16	-	-	-	-	-
							<b>13,31.16</b>
102-	मृदा संरक्षण	1,58,46.70	-	-	-	-	-
							<b>1,58,46.70</b>
203-	भूमि सुधार एवं विकास	4.49	-	-	-	-	-
							<b>4.49</b>
800-	अन्य व्यय	1,86,67.22	-	-	-	-	-
							<b>1,86,67.22</b>
		<b>कुल-4402</b>	-	-	-	-	-
							<b>3,90,96.00</b>
<b>4403- पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
001-	निर्देशन एवं प्रशासन	11,71.60	-	-	-	-	-
							<b>11,71.60</b>
101-	पशु चिकित्सा सेवाएं एवं पशु स्वास्थ्य	2,60,74.64	-	15.27	-	15.27	15.27
							<b>2,60,74.64</b>
102-	मवेशी एवं भैंस विकास	3,60.23	-	-	-	-	-
							<b>3,60.23</b>









## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4406- वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>							
<i>01- वानिकी-(समाप्त)</i>							
102-	सामाजिक एवं फार्म वानिकी	1,13.03	-	-	-	-	-
							<b>1,13.03</b>
105-	वन उत्पाद	2,85.78	-	-	-	-	-
							<b>2,85.78</b>
800-	अन्य व्यय	6,08,12.42	-	-	-	-	-
							<b>6,08,12.42</b>
	<i>कुल-01</i>	<u>6,19,09.72</u>	-	-	-	-	-
							<b>6,19,09.72</b>
<i>02- पर्यावरणीय वानिकी एवं वन्य जीवन-</i>							
001-	निदेशन एवं प्रशासन	8.10	-	-	-	-	-
							<b>8.10</b>
110-	वन्य जीवन	13,99.61	-	-	-	-	-
							<b>13,99.61</b>
112-	सार्वजनिक उद्यान	2,79,62.30	-	-	-	-	-
							<b>2,79,62.30</b>
800-	अन्य व्यय	20,64.29	-	-	-	-	-
							<b>20,64.29</b>
	<i>कुल-02</i>	<u>3,14,34.30</u>	-	-	-	-	-
							<b>3,14,34.30</b>
	<b>कुल-4406</b>	<u><b>9,33,44.02</b></u>	-	-	-	-	-
							<b>9,33,44.02</b>

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)						
<b>व्यय शीर्ष-</b>						
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>						
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>4408- खाद्य संग्रहण एवं भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय-</b>						
<b>01- खाद्य-</b>						
<b>101- अधिप्राप्ति एवं आपूर्ति-</b>						
चावल/ धान-						
सकल व्यय	78,11,67.80	-	-	-	-	-
कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	(-)59,20,52.99	-	-	-	-	-
						<b>78,11,67.80</b>
निवल व्यय	18,91,14.81	-	-	-	-	-
						<b>(-)59,20,52.99</b>
						<b>18,91,14.81</b>
गेहूँ/ आटा-						
सकल व्यय	29,00,63.58	-	-	-	-	-
कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	(-)23,77,82.28	-	-	-	-	-
						<b>29,00,63.58</b>
निवल व्यय	5,22,81.30	-	-	-	-	-
						<b>(-)23,77,82.28</b>
						<b>5,22,81.30</b>
मक्का-						
सकल व्यय	13.22	-	-	-	-	-
कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	(-)10,34.71	-	-	-	-	-
						<b>13.22</b>
निवल व्यय	(-)10,21.49	-	-	-	-	-
						<b>(-)10,34.71</b>
						<b>(-)10,21.49</b>





## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
4408- संग्रहण एवं भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)							
02- संग्रहण एवं भण्डारण-(समाप्त)							
800- अन्य व्यय		21,85.63	-	-	-	-	-
							21,85.63
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती		(-).0.84	-	-	-	-	-
							(-).0.84
	कुल-02	22,98.68	-	-	-	-	-
							22,98.68
	कुल-4408	32,67,48.53	-	3,21.00	-	3,21.00	3,21.00
							32,67,48.53
4415- कृषि अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय-							
01- फसल पैदावार							
004- अनुसंधान-							
सकल व्यय		5,09.62	-	-	-	-	-
							5,09.62
कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ		(-).18.51	-	-	-	-	-
							(-).18.51
निवल व्यय		4,91.11	-	-	-	-	-
							4,91.11
800- अन्य व्यय		13.19	-	-	-	-	-
							13.19
	कुल-01	5,04.30	-	-	-	-	-
							5,04.30

\$ परिचालन लागत एवं खाददयानों के परिवहन /संचालन प्रभार पर ₹ 1,15,62.55 लाख का व्यय सम्मिलित है।

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)						
<b>व्यय शीर्ष-</b>						
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>						
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>4415- कृषि अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>						
<i>03- पशुपालन-</i>						
277- शिक्षा	7.83	-	-	-	-	-
						<b>7.83</b>
	<b>कुल-03</b>	-	-	-	-	<b>7.83</b>
<i>04- डेयरी विकास-</i>						
800- अन्य व्यय	0.90	-	-	-	-	-
						<b>0.90</b>
	<b>कुल-04</b>	-	-	-	-	<b>0.90</b>
<i>80- सामान्य-</i>						
277- शिक्षा	3,30,23.41	-	-	-	-	-
						<b>3,30,23.41</b>
800- अन्य व्यय	71.00	-	-	-	-	-
						<b>71.00</b>
	<b>कुल-80</b>	-	-	-	-	<b>3,30,94.41</b>
	<b>कुल-4415</b>	-	-	-	-	<b>3,36,07.44</b>
<b>4416- कृषि वित्तीय संस्थानों में निवेश-</b>						
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	0.40	-	-	-	-	-
						<b>0.40</b>
	<b>कुल-4416</b>	-	-	-	-	<b>0.40</b>



## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्षक-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
<b>4425- सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
001-	निदेशन एवं प्रशासन	25,07.79	-	-	-	-	-
							<b>25,07.79</b>
004-	अनुसंधान एवं मूल्यांकन	32.34	-	-	-	-	-
							<b>32.34</b>
106-	बहुदेशीय ग्रामीण सहकारिताओं में निवेश	26.33	-	-	-	-	-
							<b>26.33</b>
107-	क्रेडिट सहकारिता में निवेश-						
(i)-	जम्मू एवं कश्मीर भूमि विकास बैंक लिमिटेड में शेयर पूँजीगत निवेश	82.27	-	-	-	-	-
							<b>82.27</b>
(ii)-	जम्मू एवं कश्मीर सहकारी बैंक लिमिटेड में शेयर पूँजीगत निवेश	81.67	-	-	-	-	-
							<b>81.67</b>
(iii)-	प्राथमिक कृषि सहकारिताओं में शेयर पूँजीगत निवेश	81.40	-	-	-	-	-
							<b>81.40</b>
(iv)-	क्रेडिट सहकारिता में अन्य निवेश	1,25.55	-	-	-	-	-
							<b>1,25.55</b>
<b>कुल-107</b>		<b>3,70.89</b>	-	-	-	-	-
							<b>3,70.89</b>





## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)						
<b>व्यय शीर्ष-</b>						
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>						
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)						
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)						
4435- अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)						
60- अन्य-						
800- अन्य व्यय	2.68	-	-	-	-	-
						<b>2.68</b>
	<i>कुल-60</i>	2.68	-	-	-	-
						<b>2.68</b>
	<b>कुल-4435</b>	<b>4,07.33</b>	-	-	-	-
						<b>4,07.33</b>
	<b>कुल-(क)-कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा</b>	<b>78,85,32.87</b>	-	2,84.57	(-)5.15	2,79.42
						<b>78,85,32.87</b>
<b>(ख) ग्रामीण विकास का पूँजीगत लेखा-</b>						
4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-						
101- पंचायती राज	19,04,94.77	-	-	-	-	-
						<b>19,04,94.77</b>
102- समुदायिक विकास	7,51,17.07	-	-	-	-	-
						<b>7,51,17.07</b>
103- ग्रामीण विकास	22,10,61.99	-	-	-	-	-
						<b>22,10,61.99</b>

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्ष वय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)						
<b>व्यय शीर्ष-</b>						
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>						
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>(ख) ग्रामीण विकास का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)</b>						
<b>4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>						
800- अन्य व्यय	53,92,62.00	-	-	-	-	-
						<b>53,92,62.00</b>
	<b>कुल-4515</b>					<b>-</b>
						<b>1,02,59,35.83</b>
						<b>1,02,59,35.83</b>
						<b>-</b>
						<b>1,02,59,35.83</b>
<b>(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा-</b>						
<b>4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-</b>						
<i>02- पिछड़े क्षेत्र- क</i>						
253- जिला प्रशासन	20,12.15	-	35.90	-	35.90	35.90
						<b>20,12.15</b>
259- लोक निर्माण	3,00,85.25	-	-	1,93.92	1,93.92	1,93.92
						<b>3,00,85.25</b>
277- शिक्षा	83.10	-	-	-	-	-
						<b>83.10</b>
280- चिकित्सा	38.12	-	-	-	-	-
						<b>38.12</b>
282- जन स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जल निर्माण	29,67.13	-	-	-	-	-
						<b>29,67.13</b>

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
<i>02- पिछड़े क्षेत्र-(जारी)</i>							
285-	सूचना एवं प्रचार	5.35	-	-	-	-	-
							5.35
288-	खाद्य की उचित मूल्य की दुकानें	8,82.85	-	-	-	-	-
							8,82.85
298-	सहकारिता	3,04.27	-	-	-	-	-
							3,04.27
305-	कृषि	46.32	-	-	-	-	-
							46.32
306-	लघु सिंचाई	15,54.96	-	-	-	-	-
							15,54.96
307-	मृदा एवं जल संरक्षण	1,81.92	-	-	-	-	-
							1,81.92
309-	खाद्य एवं पोषण	76.17	-	-	-	-	-
							76.17
310-	पशुपालन	15.69	-	-	-	-	-
							15.69
313-	वानिकी	11,37.54	-	-	-	-	-
							11,37.54
314-	समुदायिक विकास	3,30.46	-	-	-	-	-
							3,30.46
321-	ग्राम एवं लघु उद्योग	22.08	-	-	-	-	-
							22.08

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्षक-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
<i>02- पिछड़े क्षेत्र-(समाप्त)</i>							
333-	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं	29,88.00	-	-	-	-	-
							<b>29,88.00</b>
334-	विद्युत परियोजनाएं	1,08,69.98	-	-	-	-	-
							<b>1,08,69.98</b>
601-	छोटी बस की अधिप्राप्ति	0.51	-	-	-	-	-
							<b>0.51</b>
602-	बाढ़ नियंत्रण एवं सागरीय अपरदन-रोधी परियोजनाएं	2,46.13	-	-	-	-	-
							<b>2,46.13</b>
603-	आठवें वित्त आयोग के अनुसार उन्नयन	2,20.23	-	-	-	-	-
							<b>2,20.23</b>
800-	अन्य व्यय	7,82.03	-	-	-	-	-
							<b>7,82.03</b>
	<b>कुल-02</b>	<b>5,48,50.24</b>	<b>-</b>	<b>35.90</b>	<b>1,93.92</b>	<b>2,29.82</b>	<b>2,29.82</b>
							<b>5,48,50.24</b>
<i>04- लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद</i>							
113-	लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद निधि	20,95,65.06	-	-	-	-	-
							<b>20,95,65.06</b>
114-	कारगिल स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद निधि	10,38,80.92	-	-	-	-	-
							<b>10,38,80.92</b>
	<b>कुल-04</b>	<b>31,34,45.98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
							<b>31,34,45.98</b>





## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)						
<b>व्यय शीर्ष-</b>						
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>						
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>						
<i>01- मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक-(समाप्त)</i>						
612- रावी तवी लिफ्ट सिंचाई योजना	28,85.65	-	-	-	-	-
						<b>28,85.65</b>
619- मार्तण्ड नहर	17,70.62	-	-	-	-	-
						<b>17,70.62</b>
630- दादी नहर	23,95.68	-	-	-	-	-
						<b>23,95.68</b>
631- आजी नहर	16,10.55	-	-	-	-	-
						<b>16,10.55</b>
632- जैनगीर नहर	7,73.54	-	-	-	-	-
						<b>7,73.54</b>
निर्माण/ परियोजनाएं जिन पर पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ	4,15,41.88	-	-	-	-	-
						<b>4,15,41.88</b>
	<b>कुल-01</b>					<b>7,72,29.42</b>
						<b>7,72,29.42</b>
<i>02- मध्यम सिंचाई गैर-वाणिज्यिक-</i>						
001- निदेशन एवं प्रशासन	34.03	-	-	-	-	-
						<b>34.03</b>
	<b>कुल-02</b>					<b>34.03</b>
						<b>34.03</b>
<i>04- मध्यम सिंचाई गैर-वाणिज्यिक-</i>						
001- निदेशन एवं प्रशासन	3,69,02.44	-	-	-	-	-
						<b>3,69,02.44</b>

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिचय-(समाप्त)							
04- मध्यम सिंचाई गैर-वाणिज्यिक-							
612-	रावी तवी लिफ्ट सिंचाई योजना	83,56.45	-	-	-	-	-
							83,56.45
निर्माण/ परियोजनाएं जिन पर पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ		4,41.74	-	-	-	-	-
							4,41.74
		<b>कुल-04</b>					
		4,57,00.63	-	-	-	-	-
							4,57,00.63
<b>80- सामान्य-</b>							
001-	निदेशन एवं प्रशासन	18.66	-	-	-	-	-
							18.66
005-	सर्वेक्षण एवं जाँच-पड़ताल	13.56	-	-	-	-	-
							13.56
052-	मशीनरी एवं उपकरण	90.69	-	-	-	-	-
							90.69
800-	अन्य व्यय	26,75.22	-	-	-	-	-
							26,75.22
		<b>कुल-80</b>					
		27,98.13	-	-	-	-	-
							27,98.13
<b>कुल-4701</b>		<b>12,57,65.21</b>	-	-	-	-	-
							12,57,65.21

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
<b>4702- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
101-	सतही जल	17,12,28.94	-	69.08	-	69.08	69.08
							<b>17,12,28.94</b>
102-	भू-जल	17.04	-	-	-	-	-
							<b>17.04</b>
800-	अन्य व्यय	3,48,16.62	-	-	-	-	-
							<b>3,48,16.62</b>
<b>कुल-4702</b>		<b>20,60,62.60</b>	-	69.08	-	69.08	69.08
							<b>20,60,62.60</b>
<b>4705- कमान क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
602-	कमान क्षेत्र कश्मीर	1,75,18.79	-	-	-	-	-
							<b>1,75,18.79</b>
603-	कमान क्षेत्र जम्मू	87,30.87	-	-	-	-	-
							<b>87,30.87</b>
800-	अन्य व्यय	59,56.35	-	-	-	-	-
							<b>59,56.35</b>
<b>कुल-4705</b>		<b>3,22,06.01</b>	-	-	-	-	-
							<b>3,22,06.01</b>
<b>4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
<i>01- बाढ़ नियंत्रण-</i>							
001-	निदेशन एवं प्रशासन	16,20.14	-	-	-	-	-
							<b>16,20.14</b>
052-	मशीनरी एवं उपकरण	15.28	-	-	-	-	-
							<b>15.28</b>







## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(ड) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)							
01- जल विद्युत उत्पादन-(समाप्त)							
799- उंचंत-(समाप्त)							
	सूक्ष्म जल विद्युत स्टेशन कारनाह	26,97.24	-	-	-	-	-
							26,97.24
	132-ग्रिड स्टेशन ग्लेडनी	14,76.25	-	-	-	-	-
							14,76.25
	ग्रिड स्टेशन पम्पोर	12,36.92	-	-	-	-	-
							12,36.92
	सेवा परियोजना बसोहली	1,76,19.48	-	-	-	-	-
							1,76,19.48
	अन्य निर्माण जिनकी प्रत्येक की लागत ₹ 10 करोड़ या कम है	2,92,11.80	-	-	-	-	-
							2,92,11.80
	कुल-799	10,56,75.96	-	-	-	-	-
							10,56,75.96
800- अन्य व्यय-							
	(i)- बगलिहार जल विद्युत परियोजना को सहायता	2,04,63.39	-	-	-	-	-
							2,04,63.39 (क)
	(ii)- अन्य व्यय	9,12,46.24	-	-	-	-	-
							9,12,46.24
	कुल-800	11,17,09.63	-	-	-	-	-
							11,17,09.63
	कुल-01	23,25,92.62	-	-	-	-	-
							23,25,92.62 (क)

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)						
<b>व्यय शीर्ष-</b>						
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>						
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>(इ) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>						
<i>02- ताप विद्युत उत्पादन-</i>						
001- निदेशन एवं प्रशासन	3,77.15	-	-	-	-	-
						<b>3,77.15</b>
अन्य निर्माण जिनकी प्रत्येक की लागत ₹ 10 करोड़ या कम है	2,10.24	-	-	-	-	-
						<b>2,10.24</b>
	<b>कुल-02</b>					<b>-</b>
						<b>5,87.39</b>
<i>04- डीजल/ गैस विद्युत उत्पादन-</i>						
001- निदेशन एवं प्रशासन	25.70	-	-	-	-	-
						<b>25.70</b>
648- डीजी स्टेशन	38,26.72	-	-	-	-	-
						<b>38,26.72</b>
652- डीजी स्टेशन कारगिल	33,34.96	-	-	-	-	-
						<b>33,34.96</b>
उत्पादन स्टेशन श्रीनगर की अधिप्राप्ति एवं संस्थापन सहित डीजल स्टेशन श्रीनगर	4,90,10.51	-	-	-	-	-
						<b>4,90,10.51</b>
निर्माण/ परियोजनाएं जिन पर पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ	40,53.12	-	-	-	-	-
						<b>40,53.12</b>
अन्य निर्माण जिनकी प्रत्येक की लागत ₹ 10 करोड़ या कम है	37,93.51	-	-	-	-	-
						<b>37,93.51</b>
	<b>कुल-04</b>					<b>-</b>
						<b>6,40,44.52</b>



## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ङ) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
<i>05- संचारण एवं वितरण-</i>							
001-	निदेशन एवं प्रशासन	13,41,72.13	-	-	-	-	-
							<b>13,41,72.13</b>
052-	मशीनरी एवं उपकरण	27.47	-	-	-	-	-
							<b>27.47</b>
502-	संचारण लाइन ग्लेडनी उधमपुर	2.56	-	-	-	-	-
							<b>2.56</b>
503-	संचारण लाइन हीरानगर बातल मनवाल	10,28.61	-	-	-	-	-
							<b>10,28.61</b>
507-	बिस्नाह मिरानसाहिब संचारण लाइन	1,15.54	-	-	-	-	-
							<b>1,15.54</b>
536-	बर्म नहर संचारण लाइन	66.38	-	-	-	-	-
							<b>66.38</b>
537-	बर्म बिस्नाह संचारण लाइन	19,19.89	-	-	-	-	-
							<b>19,19.89</b>
540-	132/133 केबी ग्रिड स्टेशन संवर्धन	3,23.46	-	-	-	-	-
							<b>3,23.46</b>
601-	132-केबी बादामपुरा संचारण लाइन	2,54,53.36	-	-	-	-	-
							<b>2,54,53.36</b>
602-	220 केबी ग्लेडनी उधमपुर संचारण लाइन	71.26	-	-	-	-	-
							<b>71.26</b>

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ड) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
<i>05- संचारण एवं वितरण-(जारी)</i>							
604-	बुरान किशनपुर संचारण लाइन	18,09.12	-	-	-	-	-
							<b>18,09.12</b>
609-	राजौरी, पुंछ संचारण लाइन	16,08.45	-	-	-	-	-
							<b>16,08.45</b>
615-	रियासी-कलाकोट संचारण लाइन	8,96.38	-	-	-	-	-
							<b>8,96.38</b>
625-	ग्रिड स्टेशन बेमिना	13,04.01	-	-	-	-	-
							<b>13,04.01</b>
636-	ग्रिड स्टेशन हीरानगर	1,01.73	-	-	-	-	-
							<b>1,01.73</b>
637-	ग्रिड स्टेशन बुरान	43,61.69	-	-	-	-	-
							<b>43,61.69</b>
638-	ग्रिड स्टेशन सांबा	1.78	-	-	-	-	-
							<b>1.78</b>
639-	ग्रिड स्टेशन महानपुर	1,59.97	-	-	-	-	-
							<b>1,59.97</b>
640-	ग्रिड स्टेशन दरबा/ पुंछ	10,28.41	-	-	-	-	-
							<b>10,28.41</b>
641-	ग्रिड स्टेशन डोडा	46.00	-	-	-	-	-
							<b>46.00</b>

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
ड) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
4801-	विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)						
	05- संचारण एवं वितरण-(जारी)						
642-	ग्रिड स्टेशन सिधरा	24.49	-	-	-	-	24.49
670-	उप-संचारण लाइनें और वितरण प्रणाली में सुधार	5,37,30.71	-	-	-	-	5,37,30.71
674-	132/66 केवी ग्रिड स्टेशन हीरानगर का 42.5 एमवीए से 72.5 एमवी तक संवर्धन	0.30	-	-	-	-	0.30
686-	द्राबा चांडक संचारण लाइन	38.59	-	-	-	-	38.59
688-	बुरान रियासी संचारण लाइन	66.01	-	-	-	-	66.01
697-	ग्रिड स्टेशन बडी ब्राह्मना	21,89.33	-	-	-	-	21,89.33
698-	ग्रिड स्टेशन गागियाल	14,05.17	-	-	-	-	14,05.17
699-	ग्रिड स्टेशन बिस्नाह	56,47.88	-	-	-	-	56,47.88
700-	ग्रिड स्टेशन चांडक	7,66.53	-	-	-	-	7,66.53
701-	ग्रिड स्टेशन कटरा	12,34.48	-	-	-	-	12,34.48
-							



## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(इ) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
<i>05- संचरण एवं वितरण-(समाप्त)</i>							
728-	132 केवी 2 न. लाइन बेयस ट्राबा	6.76	-	-	-	-	-
							6.76
729-	132//33 केवीजी/ बटाल मनवाल ग्रिड स्टेशन	11,32.98	-	-	-	-	-
							11,32.98
730-	132/33 केवी ग्रिड स्टेशन जोरीयन कलीथ अखनूर	11,88.84	-	-	-	-	-
							11,88.84
731-	22 केवी लाइन ग्रिड स्टेशन बेयस हीरानगर	2,85.35	-	-	-	-	-
							2,85.35
750-	120 एमवीए ग्रिड स्टेशन रियासी	29.76	-	-	-	-	-
							29.76
799-	उचंत	(-)35.18	-	-	-	-	-
							(-)35.18
800-	अन्य व्यय	64,46,83.39	-	-	-	-	-
							64,46,83.39
	अन्य निर्माण कार्य जिनकी प्रत्येक की लागत ₹ 10 करोड़ या कम है	8,23,84.21	-	-	-	-	-
							8,23,84.21
	निर्माण/ परियोजनाएं जिनमें पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ	12,09,24.05	-	-	-	-	-
							12,09,24.05
	<b>कुल-05</b>	<b>1,09,29,19.31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
							<b>1,09,29,19.31</b>



## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(इ) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)</b>							
<b>4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>							
<b>80- सामान्य-(समाप्त)</b>							
800- अन्य व्यय		1,73,80.09	-	-	-	-	-
							1,73,80.09
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती		(-1.99)	-	-	-	-	-
							(-1.99)
	<b>कुल-80</b>	<b>1,73,84.96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
							<b>1,73,84.96</b>
	<b>कुल-4801</b>	<b>1,42,12,79.98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
							<b>1,42,12,79.98 (क)</b>
	<b>कुल-(इ)- ऊर्जा का पूँजीगत लेखा</b>	<b>1,42,12,79.98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
							<b>1,42,12,79.98 (क)</b>
<b>(च) उद्योग एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा</b>							
<b>4851- ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय</b>							
001- निर्देशन एवं प्रशासन		1,95.70	-	-	-	-	-
							1,95.70
101- औद्योगिक संपदा		7,34,55.39	-	-	-	-	-
							7,34,55.39
102- लघु उद्योग		4,19,69.19	-	-	-	-	-
							4,19,69.19
103- हथकरघा उद्योग		96,23.50	-	-	-	-	-
							96,23.50

(क) राज्य सरकार द्वारा पिछले गलत वर्गीकरण में सुधार के कारण सूचित किए जाने पर 31 मार्च, 2013 ₹ 16700.00 लाख की राशि के शेष का प्रोफॉर्म कर दिया गया। कृपया खण्ड-II के मुख्य शीर्ष-6801 विवरण संख्या 18 में पाद टिप्पणी का भी संदर्भ लें।





## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(च) उद्योगों एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
4851-	ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)						
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-(समाप्त)						
(v)-	हथकरघा क्षेत्र में अन्य शेयर पूँजीगत निवेश	15,38.93	-	-	-	-	-
							<b>15,38.93</b>
(vi)-	हस्तशिल्प क्षेत्र में अन्य शेयर पूँजीगत निवेश	18.50	-	-	-	-	-
							<b>18.50</b>
(vii)-	एसआईडीसीओ में निवेश	30,08.50	-	-	-	-	-
							<b>30,08.50</b>
(viii)-	एसआसीओपी में निवेश	1,25.00	-	-	-	-	-
							<b>1,25.00</b>
(ix)-	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	45.00	-	-	-	-	-
							<b>45.00</b>
(x)-	बाजार विकास सहायता	21,66.16	-	-	-	-	-
							<b>21,66.16</b>
	<b>कुल-190</b>	<b>1,15,40.80</b>	-	-	-	-	-
							<b>1,15,40.80</b>
200-	अन्य ग्राम उद्योग	4.84	-	-	-	-	-
							<b>4.84</b>
800-	अन्य व्यय	1,35,29.42	-	-	-	-	-
							<b>1,35,29.42</b>
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)3.13	-	-	-	-	-
							<b>(-)3.13</b>
	<b>कुल-4851</b>	<b>18,18,59.49</b>	-	-	-	-	-
							<b>18,18,59.49</b>

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)						
<b>व्यय शीर्ष-</b>						
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>						
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>(च) उद्योगों एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>						
<b>4852- लौह एवं इस्पात उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-</b>						
<i>01- खनन-</i>						
800- अन्य व्यय	3,68.97	-	-	-	-	-
						<b>3,68.97</b>
	<b>कुल-01</b>					<b>3,68.97</b>
<i>02- विनिर्माता-</i>						
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-						
(i)- एसआईसीओपी						
	-	-	-	-	-	-
(ii)- एसआईडीसीओ						
	7,12.50	-	-	-	-	-
						<b>7,12.50</b>
	<b>कुल-190</b>					<b>7,12.50</b>
800- अन्य व्यय	1,98,42.77	-	-	-	-	-
						<b>1,98,42.77</b>
	<b>कुल-02</b>					<b>2,05,55.27</b>
	<b>कुल-4852</b>					<b>2,09,24.24</b>
						<b>2,09,24.24</b>

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्षक-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(च) उद्योगों एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
4853- अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-							
01- खनिज उत्खनन और विकास-							
004-	अनुसंधान एवं विकास	81.73	-	-	-	-	-
							81.73
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-						
(i)-	भू-विज्ञान एवं खनन	17,46.16	-	-	-	-	-
							17,46.16
(ii)-	जेएण्डके खनिज लिमिटेड	2,74.78	-	-	-	-	-
							2,74.78
(iii)-	जेएण्डके सीमेन्ट	5,01.08	-	-	-	-	-
							5,01.08
	कुल-190	25,22.02	-	-	-	-	-
							25,22.02
800-	अन्य व्यय	51,39.85	-	-	-	-	-
							51,39.85
	कुल-01	77,43.60	-	-	-	-	-
							77,43.60
60- सामान्य-							
800-	अन्य व्यय	25.95	-	-	-	-	-
							25.95
	कुल-60	25.95	-	-	-	-	-
							25.95
	कुल-4853	77,69.55	-	-	-	-	-
							77,69.55

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)						
<b>व्यय शीर्ष-</b>						
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>						
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)						
(च) उद्योग एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा (जारी)						
<b>4854- सीमेन्ट एवं अधात्विक खनिज लिमिटेड पर पूँजीगत परिव्यय-</b>						
01- सीमेन्ट-						
004- अनुसंधान एवं विकास	24.06	-	-	-	-	-
						<b>24.06</b>
	<b>कुल-01</b>	24.06	-	-	-	-
						<b>24.06</b>
	<b>कुल-4854</b>	<b>24.06</b>	-	-	-	-
						<b>24.06</b>
<b>4858- अभियांत्रिकी उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-</b>						
60- अन्य अभियांत्रिकी उद्योग-						
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-						
(i)- तवी स्कर्ट्स लिमिटेड में निवेश						
	10.00	-	-	-	-	-
						<b>10.00</b>
(ii)- अन्य उद्योग						
	1,15.23	-	-	-	-	-
						<b>1,15.23</b>
	<b>कुल-190</b>	1,25.23	-	-	-	-
						<b>1,25.23</b>
	<b>कुल-60</b>	1,25.23	-	-	-	-
						<b>1,25.23</b>
	<b>कुल-4858</b>	<b>1,25.23</b>	-	-	-	-
						<b>1,25.23</b>

















## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्षक-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(ख) परिवहन का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
5054- सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)							
80- सामान्य-(समाप्त)							
902-	केन्द्रीय सड़क निधि से संसहायिकी राशि की कटौती	(-)12,52,83.82	-	-	-	-	-
							(-)12,52,83.82 (ख)
		<i>कुल-80</i>	(-)7,99,01.41	-	-	-	-
		<b>कुल-5054</b>	<b>1,37,08,18.51</b>	-	15,46.77	-	15,46.77
							<b>1,37,08,18.51</b>
5055- सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय-							
050-	भूमि एवं भवन	5,51.68	-	-	-	-	-
							5,51.68
102-	बेड़े का अधिग्रहण	17,27.37	-	-	-	-	-
							17,27.37
103-	कार्यशाला सुविधाएं	1,58.26	-	-	-	-	-
							1,58.26
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-							
(i)- जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड में निवेश-							
		1,68,80.44	-	-	-	-	-
							1,68,80.44
800-	अन्य व्यय	70,07.27	-	-	-	-	-
							70,07.27
		<b>कुल-5055</b>	<b>2,63,25.02</b>	-	-	-	-
							<b>2,63,25.02</b>

(क) 2003-04 से 30-10-2019 तक।

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(छ) परिवहन का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)</b>							
<b>5056- अन्तर्देशीय जल परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
<b>104- नौ परिवहन-</b>							
	तुलबुल नौ परिवहन लॉक	27,74.37	-	-	-	-	-
	<b>कुल-5056</b>	<b>27,74.37</b>	-	-	-	-	<b>27,74.37</b>
	<b>कुल-(छ)- परिवहन का पूँजीगत लेखा</b>	<b>1,39,99,17.90</b>	-	15,46.77	-	15,46.77	<b>15,46.77</b>
							<b>1,39,99,17.90</b>
<b>(ज) संचार का पूँजीगत लेखा-</b>							
<b>5275- अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
	101- अन्य संचार सुविधाएं	0.40	-	-	-	-	-
	800- अन्य व्यय	1.69	-	-	-	-	-
	<b>कुल-5275</b>	<b>2.09</b>	-	-	-	-	<b>2.09</b>
	<b>कुल-(ज)- संचार का पूँजीगत लेखा</b>	<b>2.09</b>	-	-	-	-	<b>2.09</b>



## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(अ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
5452- पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)							
80- सामान्य-							
104-	प्रोत्साहन एवं प्रचार	41,85.42	-	-	-	-	-
							<b>41,85.42</b>
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-						
(i)-	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम	21,12.79	-	-	-	-	-
							<b>21,12.79</b>
(ii)-	शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय	8,39.52	-	-	-	-	-
							<b>8,39.52</b>
(iii)-	जवाहर पर्वतारोहण संस्थान बटोट	7.00	-	-	-	-	-
							<b>7.00</b>
(iv)-	केबल कार निगम	10,28.25	-	-	-	-	-
							<b>10,28.25</b>
		कुल-190	39,87.56	-	-	-	-
							<b>39,87.56</b>
800-	अन्य व्यय	20,05,02.13	-	-	-	-	-
							<b>20,05,02.13</b>
		कुल-80	20,86,75.11	-	-	-	-
							<b>20,86,75.11</b>
		कुल-5452	22,84,77.74	-	-	-	-
							<b>22,84,77.74</b>

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(अ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
<b>5465- सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थानों में निवेश-</b>							
01- सामान्य वित्तीय संस्थानों में निवेश-							
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य बैंकों, उपक्रमों आदि में निवेश-							
	(i)- जम्मू एवं कश्मीर बैंक में निवेश	5,55,31.35	-	-	-	-	-
	(ii)- जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय निगम में निवेश	44,83.64	-	-	-	-	5,55,31.35
	(iii)- कामराज ग्रामीण बैंक में निवेश	2,15.79	-	-	-	-	44,83.64
	(iv)- जम्मू ग्रामीण बैंक में निवेश	1,25.96	-	-	-	-	2,15.79
	(v)- अन्य निवेश	3,87.60	-	-	-	-	1,25.96
							3,87.60
	कुल-190	6,07,44.34	-	-	-	-	6,07,44.34 (ख)
800- अन्य व्यय		74.90	-	-	-	-	74.90
	कुल-01	6,08,19.24	-	-	-	-	6,08,19.24
	कुल-5465	6,08,19.24	-	-	-	-	6,08,19.24

(ख) प्रोफार्मा समायोजन द्वारा विनिवेश के कारण ₹ 28,09.50 लाख की राशि को कम किया गया।



## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं।)

लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
							(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
101-	उच्चतम भूमि सीमा (कृषि भूमि के अलावा)	1,16.64	-	-	-	-	-
							<b>1,16.64</b>
102-	नागरिक आपूर्तियाँ	27.80	-	-	-	-	-
							<b>27.80</b>
103-	कृषि भूमि हेतु उच्चतम भूमि-सीमा	64.28	-	-	-	-	-
							<b>64.28</b>
112-	सांख्यिकी	34.92	-	-	-	-	-
							<b>34.92</b>
115-	अवसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता	1,00.00	-	-	-	-	-
							<b>1,00.00</b>
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों, बैंकों में निवेश-						
(i)-	जेएण्डके कामराज ग्रामीण बैंक में निवेश	1,71.00	-	-	-	-	-
							<b>1,71.00</b>
(ii)-	जेएण्डके ग्रामीण बैंक में निवेश	94.00	-	-	-	-	-
							<b>94.00</b>
(iii)-	इलाकाई देहाती बैंक	4,83.00	-	-	-	-	-
							<b>4,83.00</b>
		कुल-190	7,48.00	-	-	-	-
							<b>7,48.00</b>
202-	भूमि धारकों को क्षतिपूर्ति	5.77	-	-	-	-	-
							<b>5.77</b>

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण- (जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	30 अक्टूबर 2019 के अंत तक व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय			31 मार्च 2020 के अंत तक व्यय
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)						
व्यय शीर्ष- पूँजीगत लेखा (समाप्त)- ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(समाप्त) (ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(समाप्त) 5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त) 800- अन्य व्यय	54,85,26.24	-	-	-	-	-
	<b>54,96,23.65</b>	-	-	-	-	<b>54,96,23.65</b>
कुल-5475						
	<b>83,89,20.63</b>	-	-	-	-	<b>83,89,20.63</b>
कुल-(ज)-सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा						
	<b>6,61,11,54.70</b>	-	19,36.32	1,88.77	21,25.09	21,25.09
कुल ग-आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा						<b>6,61,11,54.70</b>
	<b>10,30,00,75.44</b>	-	22,70.06	1,88.77	24,58.83	24,58.83
कुल पूँजीगत लेखा						<b>10,30,00,75.44</b> (ग)
वेतन			-	-	-	
सहायिकी			-	-	-	
सहायता अनुदान			-	-	-	

(ग) प्रोफॉर्म समायोजन द्वारा विनिवेश और पूर्व गलत वर्गीकरण में सुधार के कारण ₹ 1,95,09.50 लाख की राशि को कम किया गया। कृपया इस विवरण के मुख्य शीर्ष 4801 एवं 5465 के नीचे पाद टिप्पणी (क) और (ख) का अवलोकन करें। कृपया खण्ड-II के विवरण संख्या 18 के मुख्य शीर्ष -6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का भी संदर्भ लें।



## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण

(क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण						
(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)						
ऋण का विवरण	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान वृद्धि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2020 को शेष राशि	ब्याज भुगतान
						(₹ लाख में)
<b>(ड) लोक ऋण-</b>						
<b>6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-</b>						
101- बाजार ऋण (क)	3,42,90,80.04	-	-	-	-	-
					3,42,90,80.04	
103- भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	11,48,71.40	-	-	-	-	-
					11,48,71.40	
104- भारतीय सामान्य बीमा निगम से ऋण	99.24	-	-	-	-	-
					99.24	
105- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	19,51,22.49	-	-	-	-	-
					19,51,22.49	
106- क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र						
(i)- विद्युत बंधपत्र	-	-	-	-	-	-
(ii)- यूडीएवाई बंधपत्र	35,37,55.00	-	-	-	-	-
					35,37,55.00	
कुल-106	35,37,55.00	-	-	-	-	-
					35,37,55.00	
109- अन्य संस्थानों से ऋण (क)	4,37,37.40	-	-	-	-	-
					4,37,37.40	

(क) कृपया ब्योरे हेतु इस विवरण के अनुलग्नक का अवलोकन करें।



## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## (क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान वृद्धि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2020 को शेष राशि	ब्याज भुगतान
(₹ लाख में)						
<b>(ड) लोक ऋण-(जारी)</b>						
<b>6004- केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम-(जारी)</b>						
<i>02- राज्य/ संघ क्षेत्र आयोजना योजनाओं हेतु ऋण-</i>						
101- ब्लॉक ऋण	4,48,74.58	-	-	-	-	4,48,74.58
105- 12वें वित्त आयोग की 1979-2004 की अनुशंसाओं के अनुसार समेकित राज्य योजना ऋण	6,06,28.34	-	-	-	-	6,06,28.34
<i>कुल-02</i>	10,55,02.92	-	-	-	-	10,55,02.92
<i>06- अर्थोपाय अग्रिम-</i>						
<b>800- अन्य अर्थोपाय अग्रिम-</b>						
बाढ़ राहत हेतु अग्रिम	9,24.54	-	-	-	-	9,24.54
	9,24.54	-	-	-	-	9,24.54
<i>07- 1984-85 से पूर्व ऋण</i>						
101- विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास, प्रत्यावर्तन	3,35.37	-	-	-	-	3,35.37
102- राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना	15.46	-	-	-	-	15.46
105- लघु बचत ऋण	4,48.57	-	-	-	-	4,48.57
107- 25 वर्ष और 30 वर्षीय ऋणों में पुनः समेकित 1979-80 से पूर्व समेकित ऋण						

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण-(जारी)						
(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)						
ऋण का विवरण	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान वृद्धि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2020 को शेष राशि	ब्याज भुगतान
						(₹ लाख में)
<b>(ड) लोक ऋण-(समाप्त)</b>						
<b>6004- केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम-(समाप्त)</b>						
07- 1984-85 से पूर्व ऋण-(समाप्त)						
अन्य समेकित ऋण	28,29.21	-	-	-	28,29.21	-
109- स्वर्णकारों का पुनर्वास	20.43	-	-	-	20.43	-
800- अन्य ऋण						
(i) समेकित ऋण (1984-85 (क)	1,29.92	-	-	-	1,29.92	-
कुल-07	37,78.96	-	-	-	37,78.96	-
09- विधायी योजनाओं सहित राज्य/ संघ शासित क्षेत्र हेतु						
अन्य ऋण						
101- ब्लॉक ऋण	38,77.47	-	-	-	-	-
					38,77.47	
कुल-09	38,77.47	-	-	-	-	-
					38,77.47	
कुल-6004	12,37,12.40	-	-	-	-	-
					12,37,12.40	
कुल-ड- लोक ऋण	4,66,66,21.46	-	-	-	-	-
						4,66,66,21.46 (ख)

(क) भारत सरकार से संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के वेतन एवं लेखा अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए आँकड़ों से ₹ 2,60.30 लाख( स्वर्णकारों का पुनर्वास: ₹ 4.34 लाख, राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना, ₹ 4.80 लाख, लघु बचत संग्रह, ₹ 94.08 लाख और अन्य समेकित ऋण ₹ 1,57.08 लाख से भिन्नता मिलान संबंधी मामले राज्य सरकार के साथ पत्राचारधीन हैं चूंकि भारत सरकार द्वारा ऋणों को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों के आधार पर समेकित

(ख) भारत सरकार के मंत्रालयों/ ऋण देने वाली संस्थानों तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्त आयोग (नवंबर 2020) के साथ आँकड़े मिलानाधीन हैं।

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## (क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान वृद्धि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2020 को शेष राशि	ब्याज भुगतान
<b>(₹ लाख में)</b>						
<b>अन्य देयताएँ- (क)</b>						
<b>झ- लघु बचतें, भविष्य निधियाँ आदि-</b>						
<b>(ख) भविष्य निधियाँ-</b>						
8009- राज्य भविष्य निधियाँ	2,61,55,86.49	-	59,67.31	56,04.23	3,63.08	-
					<b>2,61,55,86.49</b>	
<b>कुल-(ख)- भविष्य निधियाँ</b>	<b>2,61,55,86.49</b>	<b>-</b>	<b>59,67.31</b>	<b>56,04.23</b>	<b>3,63.08</b>	<b>-</b>
					<b>2,61,55,86.49</b>	
<b>(ग) अन्य लेखे-</b>						
8011- बीमा एवं पेन्शन निधि	10,05,75.13	-	49.56	30.63	18.93	-
					<b>10,05,75.13</b>	
<b>कुल-(ग)- अन्य लेखे</b>	<b>10,05,75.13</b>	<b>-</b>	<b>49.56</b>	<b>30.63</b>	<b>18.93</b>	<b>-</b>
					<b>10,05,75.13</b>	
<b>कुल-झ- लघु बचतें, भविष्य निधि</b>	<b>2,71,61,61.62</b>	<b>-</b>	<b>60,16.87</b>	<b>56,34.86</b>	<b>3,82.01</b>	<b>-</b>
					<b>2,71,61,61.62</b>	
<b>ज- आरक्षित निधियाँ-</b>						
<b>(क) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ-</b>						
8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	12,60,62.05	-	-	-	-	-
					<b>12,60,62.05</b>	
<b>कुल-(क)- ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ</b>	<b>12,60,62.05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					<b>12,60,62.05</b>	
<b>(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ-</b>						
8222- ऋण शोधन निधियाँ	3,55,86.76	-	-	-	-	-
					<b>3,55,86.76</b>	
8223- अकाल राहत निधि	8,66.96	-	-	-	-	-
					<b>8,66.96</b>	

(क) कृपया ब्योरे हेतु वितरण संख्या 21 का अवलोकन करें।



## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## (क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	31 अक्टूबर	जम्मू एवं कश्मीर	31.10.2019 से	31.10.2019 से	31 मार्च 2020	ब्याज भुगतान
	2019 तक शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.03.2020 के दौरान वृद्धि	31.03.2020 के दौरान उन्मोचन	को शेष राशि	
(₹ लाख में)						
अन्य देयताएं-(जारी)						
ज- आरक्षित निधियाँ-(समाप्त)						
(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ-(समाप्त)						
8226- आरक्षित निधियों का मूल्यहास /नवीनीकरण	6,46,65.33	-	-	-	-	-
					<b>6,46,65.33</b>	
8229- विकास एवं कल्याण निधियाँ	3,43,84.93	-	-	4,43.92	(-)4,43.92	-
					<b>3,43,84.93</b>	
8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	1,78,90.93	-	0.80	-	0.80	-
					<b>1,78,90.93</b>	
<b>कुल-(ख)- ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ</b>	<b>15,33,94.91</b>	-	0.80	4,43.92	(-)4,43.12	-
					<b>15,33,94.91</b>	
<b>कुल-ज-आरक्षित निधियाँ</b>	<b>27,94,56.96</b>	-	0.80	4,43.92	(-)4,43.12	25,91.28
					<b>27,94,56.96</b>	
ट- जमाएं एवं अग्रिम						
(क) ब्याज वहन करने वाली जमाएं						
8336- नागरिक जमाएं	-	-	-	-	-	-
					-	
8342- अन्य जमाएं	53,67.44	-	21,87.66	17,64.87	4,22.79	-
					<b>53,67.44</b>	
<b>कुल-(क) ब्याज वहन करने वाली जमाएं</b>	<b>53,67.44</b>	-	21,87.66	17,64.87	4,22.79	-
					<b>53,67.44</b>	

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## (क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण-(समाप्त)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मु एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	जम्मु एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान वृद्धि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2020 को शेष राशि	ब्याज भुगतान
<b>(₹ लाख में)</b>						
अन्य देयताएं-(समाप्त)						
ट- जमाएं एवं अग्रिम-(समाप्त)						
(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं-						
8443- नागरिक जमा	52,68,76.70	-	46,83.80	19,91.77	26,92.03	-
					<b>52,68,76.70</b>	
8448- स्थानीय निधियों की जमा	10,18,16.64	-	1,24.76	8,45,01.80	(-)8,43,86.06	-
					<b>10,18,16.64</b>	
8449- अन्य जमाएं	5,73,62.51	-	-	-	-	-
					<b>5,73,62.51</b>	
<b>कुल-(ख)- ब्याज वहन नहीं करने वाली जमा</b>	<b>68,60,55.85</b>	<b>-</b>	<b>48,08.56</b>	<b>8,65,02.59</b>	<b>(-)8,16,94.03</b>	<b>-</b>
					<b>68,60,55.85</b>	
<b>कुल-ट- जमाएं एवं अग्रिम</b>	<b>69,14,23.29</b>	<b>-</b>	<b>69,96.22</b>	<b>8,82,67.46</b>	<b>(-)8,12,71.24</b>	<b>-</b>
					<b>69,14,23.29</b>	
<b>कुल- अन्य देयताएं</b>	<b>3,68,70,41.87</b>	<b>-</b>	<b>1,30,13.89</b>	<b>9,43,46.24</b>	<b>(-)8,13,32.35</b>	<b>-</b>
					<b>3,68,70,41.87</b>	
<b>कुल-लोक ऋण एवं अन्य देयताएं</b>	<b>8,35,36,63.33</b>	<b>-</b>	<b>1,30,13.89</b>	<b>9,43,46.24</b>	<b>(-)8,13,32.35 (क)</b>	<b>-</b>
					<b>8,35,36,63.33 (क)</b>	

(क) ऑफ़े राज्य सरकार के साथ मिलानाधीन हैं (दिसंबर 2020)।

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	31 अक्टूबर 2019	जम्मू एवं कश्मीर	31.10.2019 से	31.10.2019 से	31 मार्च 2020 को
	तक शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र को	31.03.2020 के	31.03.2020 के दौरान	शेष राशि
		आंबटित राशि	दौरान वृद्धि	उन्मोचन	

(₹ लाख में)

## (ड) लोक ऋण-

## 6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-

## 101- बाजार ऋण-

## (क) ब्याज वहन करने वाले ऋण-

8.26% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2020	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
8.40% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2021	29,38.00	-	-	-	29,38.00
8.42% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2020	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
8.42% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2020	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
8.42% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2021	4,79,10.00	-	-	-	4,79,10.00
8.48% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2021	5,50,00.00	-	-	-	5,50,00.00
8.55% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2021	7,50,00.00	-	-	-	7,50,00.00
8.61% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2021	7,00,00.00	-	-	-	7,00,00.00
8.83% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2021	2,00,00.00	-	-	-	2,00,00.00
9.06% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2021	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
9.33% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2021	1,75,00.00	-	-	-	1,75,00.00
8.89% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2022	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
9.00% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2022	6,00,00.00	-	-	-	6,00,00.00
9.01% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2022	2,00,00.00	-	-	-	2,00,00.00
9.49% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2022	12,00,00.00	-	-	-	12,00,00.00
7.60% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	2,00,00.00	-	-	-	2,00,00.00
7.83% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
8.27% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	2,00,00.00	-	-	-	2,00,00.00
8.66% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
8.74% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	5,50,00.00	-	-	-	5,50,00.00
8.80% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
9.38% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
8.89% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2024	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
8.96% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2024	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	31 अक्टूबर 2019	जम्मू एवं कश्मीर संघ	31.10.2019 से	31.10.2019 से	31 मार्च 2020 को शेष
	तक शेष राशि	शासित क्षेत्र को	31.03.2020 के दौरान	31.03.2020 के दौरान	राशि
		आंबटित राशि	वृद्धि	उन्मोचन	(₹ लाख में)
<b>(इ) लोक ऋण-(जारी)</b>					
<b>6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-(जारी)</b>					
101- बाजार ऋण-(जारी)					
(क) ब्याज वहन करने वाले ऋण-(जारी)					
8.99% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2024	1,50,00.00	-	-	-	1,50,00.00
9.18% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2024	1,50,00.00	-	-	-	1,50,00.00
9.25% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2024	4,00,00.00	-	-	-	4,00,00.00
9.40% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2024	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
9.46% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2024	1,80,00.00	-	-	-	1,80,00.00
8.06% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2025	2,00,00.00	-	-	-	2,00,00.00
8.03% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2025	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
8.17% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2025	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
8.18% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2025	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
8.26% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2025	1,50,00.00	-	-	-	1,50,00.00
8.28% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2025	4,50,00.00	-	-	-	4,50,00.00
8.63% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2026	3,50,00.00	-	-	-	3,50,00.00
6.97% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2026	3,45,00.00	-	-	-	3,45,00.00
7.10% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2026	55,00.00	-	-	-	55,00.00
7.18% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2026	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
7.57% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2026	4,00,00.00	-	-	-	4,00,00.00
7.69% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2026	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
8.05% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2026	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
7.20% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
7.27% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	6,00,00.00	-	-	-	6,00,00.00
7.34% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	6,00,00.00	-	-	-	6,00,00.00
7.42% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
7.44% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	31 अक्टूबर 2019	जम्मू एवं कश्मीर संघ	31.10.2019 से	31.10.2019 से	31 मार्च 2020 को शेष
	तक शेष राशि	शासित क्षेत्र को	31.03.2020 के दौरान	31.03.2020 के दौरान	राशि
		आंबटित राशि	वृद्धि	उन्मोचन	
					(₹ लाख में)
<b>(ड) लोक ऋण-(जारी)</b>					
<b>6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-(जारी)</b>					
101- बाजार ऋण-(जारी)					
(क) ब्याज वहन करने वाले ऋण-(जारी)					
7.50% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
7.56% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	4,00,00.00	-	-	-	4,00,00.00
7.58% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
7.59% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	6,00,00.00	-	-	-	6,00,00.00
7.75% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
8.05% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	3,90,00.00	-	-	-	3,90,00.00
8.00% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	8,00,00.00	-	-	-	8,00,00.00
8.10% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
8.33% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	4,00,00.00	-	-	-	4,00,00.00
8.34% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	6,00,00.00	-	-	-	6,00,00.00
8.26% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	6,00,00.00	-	-	-	6,00,00.00
8.34% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	6,00,00.00	-	-	-	6,00,00.00
8.52% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
8.56% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	4,00,00.00	-	-	-	4,00,00.00
8.59% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	7,00,00.00	-	-	-	7,00,00.00
8.59% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	4,75,40.00	-	-	-	4,75,40.00
8.61% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
8.75% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
8.86% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	3,24,60.00	-	-	-	3,24,60.00
8.20% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	8,00,00.00	-	-	-	8,00,00.00
8.37% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	5,84,00.00	-	-	-	5,84,00.00
8.38% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	8,00,00.00	-	-	-	8,00,00.00
8.44% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	31 अक्टूबर 2019	जम्मू एवं कश्मीर संघ	31.10.2019 से	31.10.2019 से	31 मार्च 2020 को शेष
	तक शेष राशि	शासित क्षेत्र को	31.03.2020 के दौरान	31.03.2020 के दौरान	राशि
		आंबटित राशि	वृद्धि	उन्मोचन	
					(₹ लाख में)
<b>(ड) लोक ऋण-(जारी)</b>					
<b>6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-(जारी)</b>					
101- बाजार ऋण-(समाप्त)					
(क) ब्याज वहन करने वाले ऋण-(समाप्त)					
6.90% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
7.17% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
7.17% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	3,00,00.00	-	-	-	3,00,00.00
7.24% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	2,49,00.00	-	-	-	2,49,00.00
7.28% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
7.39% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	5,00,00.00	-	-	-	5,00,00.00
7.59% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	4,00,00.00	-	-	-	4,00,00.00
7.94% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	4,00,00.00	-	-	-	4,00,00.00
8.17% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	4,00,00.00	-	-	-	4,00,00.00
8.22% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	3,34,00.00	-	-	-	3,34,00.00
कुल-(क)- ब्याज वहन करने वाले ऋण	<b>3,37,20,48.00</b>	-	-	-	39,86,00.00
					<b>3,37,20,48.00</b>

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान वृद्धि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2020 को शेष राशि
(₹ लाख में)					
<b>(इ) लोक ऋण-(जारी)</b>					
<b>6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-(जारी)</b>					
101- बाजार ऋण-(समाप्त)					
(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाले ऋण-					
9.00% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 1999	22.04	-	-	-	22.04
11.00% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2002	1.00	-	-	-	1.00
14.00% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2005	1.00	-	-	-	1.00
8.40% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक 2020	27,04.00	-	-	-	27,04.00
8.58% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक 2020	5,43,04.00	-	-	-	5,43,04.00
कुल-(ख)- ब्याज वहन नहीं करने वाले ऋण	5,70,08.00	-	-	-	5,70,08.00
	<b>24.04</b>	-	-	-	<b>24.04</b>
कुल-101- बाजार ऋण	<b>3,42,90,80.04</b>	-	-	-	<b>3,42,90,80.04</b>
103- भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	11,48,71.40	-	-	-	11,48,71.40
104- सामान्य भारतीय बीमा निगम से ऋण	99.24	-	-	-	99.24
					<b>99.24</b>

\$ संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा पुनर्मुग्तान की गयी राशि को दर्शाता है यद्यपि इसे आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी तक प्रभाजित किया जाना है। तथापि, 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक परिसंपत्तियों

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं।)

ऋण का विवरण	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान वृद्धि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2020 को शेष राशि
(₹ लाख में)					
<b>ई- लोक ऋण-(जारी)</b>					
<b>6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण (समाप्त)</b>					
105- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	19,51,22.49	-	-	-	-
					<b>19,51,22.49</b>
106- क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र-					
(i)- विद्युत बंधपत्र	-	-	-	-	-
(ii)- यूडीएवाई बंधपत्र	35,37,55.00	-	-	-	-
					<b>35,37,55.00</b>
कुल-106-क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	35,37,55.00	-	-	-	-
					<b>35,37,55.00</b>
109- अन्य संस्थानों से ऋण-					
(i)- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड से ऋण	36,89.40	-	-	-	-
					<b>36,89.40</b>
(ii)- यूनाइटेड इंडिया इंश्योरन्स कम्पनी से ऋण	48.00	-	-	-	-
					<b>48.00</b>
(iii)- विद्युत वित्तीय निगम से ऋण	4,00,00.00	-	-	-	-
					<b>4,00,00.00</b>
कुल-109- अन्य संस्थानों से ऋण	4,37,37.40	-	-	-	-
					<b>4,37,37.40</b>



## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक-(समाप्त)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान वृद्धि	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2020 को शेष राशि
(₹ लाख में)					
<b>ड-लोक ऋण-(समाप्त)</b>					
<b>6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण (समाप्त)</b>					
110- आईबीआई से अर्थोपाय अग्रिम-					
(i)- अर्थोपाय अग्रिम	6,92,11.00	-	-	-	-
					<b>6,92,11.00</b>
(ii)- ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-	-
					-
कुल -110- आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम	6,92,11.00	-	-	-	-
					<b>6,92,11.00</b>
111- केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	33,70,32.48	-	-	-	-
					<b>33,70,32.48</b>
कुल-6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	4,54,29,09.06	-	-	-	-
					<b>4,54,29,09.06</b>

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(ख) परिपक्वता प्रोफाइल

(i) आंतरिक ऋण का परिपक्वता प्रोफाइल (31 मार्च 2020 को समाप्त) (क)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

(₹ लाख में)

वर्ष	बाजार ऋणों का विवरण (जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण/ स्टॉक)	से ऋण			आरईसी/ पीएफसी	विद्युत बंधपत्र (यूडीएवाई)	जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	अन्य संस्थानों से ऋण	कुल
		एलआईसी	जीआईसी/ ओआईसी/ एनआईएसी/ यूआईआईसी	एनएबीएआरडी			एनएसएसएफ	एचडीएफसी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2020-21									
2021-22									
2022-23									
2023-24									
2024-25									
2025-26									
2026-27									
2027-28									
2028-29									
2029-30									
2030-31									
2031-32									
2032-33									
2033-34									
2034-35									
2035-36									
2036-37									
2037-38									
2038-39									
2039-40									
2040-41									
2041-42									
2042-43									

(क) 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक शेषों के गैर-नियतन के कारण, ऑफ़े लागू नहीं।

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(समाप्त)

## (ख) परिपक्वता प्रोफाइल-(समाप्त)

## (i) आंतरिक ऋण का परिपक्वता प्रोफाइल (31 मार्च 2020 को समाप्त) (क)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

(₹ लाख में)

वर्ष	गैर-नियोजित ऋण	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र योजनाओं हेतु ऋण	केन्द्रीय आयोजना योजनाओं हेतु ऋण	केन्द्र प्रायोजित आयोजना योजनाओं हेतु ऋण	1984-85 से पूर्व ऋण	विधानमण्डल युक्त राज्य/ संघ शासित क्षेत्र योजनाओं हेतु अन्य ऋण	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2019-20							
2020-21							
2021-22							
2022-23							
2023-24							
2024-25							
2025-26							
2026-27							
2027-28							
2028-29							
2029-30							
2030-31							
2031-32							
2032-33							
2033-34							
2034-35							
2035-36							
2036-37							
2037-38							
2038-39							

(क) 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक शेषों के गैर-नियतन के कारण, आँकड़े लागू नहीं।

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बढ़े खाते में डाला	31 मार्च 2020 तक शेष राशि (2+4)-(5+6)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में )							
<b>च-ऋण तथा अग्रिम-</b>							
<b>ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-</b>							
<b>(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-</b>							
6202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति हेतु ऋण-							
01- सामान्य शिक्षा-							
203- विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा	0.01	-	-	-	-	-	0.01
600- सामान्य	1,53.59	-	-	-	-	-	1,53.59
<b>कुल-01</b>	<b>1,53.60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,53.60</b>
02- तकनीकी शिक्षा-							
800- अन्य ऋण	3,88.31	-	-	-	-	-	3,88.31
<b>कुल-02</b>	<b>3,88.31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,88.31</b>

(क) विवरण पर सरकार से सूचना प्रतीक्षित है (नवंबर 2020)।

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 तक शेष राशि (2+4)-(5+6)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में )							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-(समाप्त)							
6202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति हेतु ऋण-(समाप्त)							
03- खेल एवं युवा सेवाएं-							
800- अन्य ऋण	3.67	-	-	-	-	-	-
						3.67	
कुल-03	3.67	-	-	-	-	-	-
						3.67	
कुल-6202	5,45.58	-	-	-	-	-	-
						5,45.58	
कुल (क)-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	5,45.58	-	-	-	-	-	-
						5,45.58	
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-							
6210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य हेतु ऋण-							
01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-							
800- अन्य ऋण	22.90	-	-	-	-	-	-
						22.90	
कुल-01	22.90	-	-	-	-	-	-
						22.90	

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 तक शेष राशि (2+4)-(5+6)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में )							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-(जारी)							
6210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य हेतु ऋण-(समाप्त)							
03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान-							
105- एलोपैथी	1,24.72	-	-	-	-	-	-
						1,24.72	
200- अन्य प्रणालियाँ	0.83	-	-	-	-	-	-
						0.83	
<b>कुल-03</b>	<b>1,25.55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						1,25.55	
04- जन स्वास्थ्य-							
800- अन्य ऋण	0.14	-	-	-	-	-	-
						0.14	
<b>कुल-04</b>	<b>0.14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						0.14	
80- सामान्य-							
800- अन्य ऋण	43.94	-	-	-	-	-	-
						43.94	
<b>कुल-80</b>	<b>43.94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						43.94	
<b>कुल-6210</b>	<b>1,92.53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						1,92.53	

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 तक शेष राशि (2+4)-(5+6)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में )							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-(समाप्त)							
6211- परिवार कल्याण हेतु ऋण-							
800- अन्य ऋण	0.09	-	-	-	-	-	-
						0.09	
कुल-6211	0.09	-	-	-	-	-	-
						0.09	
कुल-(ख) - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,92.62	-	-	-	-	-	-
						1,92.62	
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास-							
6216- आवास हेतु ऋण-							
02- शहरी आवास-							
201- आवास बोर्डों को ऋण-							
मध्यम आय समूह आवास योजनाएं	56.81	-	-	-	-	-	-
						56.81	
800- अन्य ऋण	1,79.47	-	-	-	-	-	-
						1,79.47	
कुल-02	2,36.28	-	-	-	-	-	-
						2,36.28	

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 तक शेष राशि (2+4)-(5+6)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में )							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण (जारी)							
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास-(जारी)							
6216- आवास हेतु ऋण-(समाप्त)							
03- ग्रामीण आवास-							
201- आवास बोर्डों को ऋण	2,90.33	-	-	-	-	-	-
						2,90.33	
800- अन्य ऋण	1,82.93	-	-	-	-	-	-
						1,82.93	
कुल-03	4,73.26	-	-	-	-	-	-
						4,73.26	
कुल-6216	7,09.54	-	-	-	-	-	-
						7,09.54	
6217- शहरी विकास हेतु ऋण-							
01- राज्य का पूँजीगत विकास-							
191- स्थानीय निकायों, निगमों आदि को ऋण-							
(i) नगरपालिकाओं को ऋण	5,17.45	-	-	-	-	-	-
						5,17.45	



## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 तक शेष राशि (2+4)-(5+6)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में )							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास-(जारी)							
6217- शहरी विकास हेतु ऋण-(जारी)							
01- राज्य का पूँजी विकास-(समाप्त)							
191- स्थानीय निकायों, निगमों आदि को ऋण-(समाप्त)							
	(ii) विकास प्रधिकरण, श्रीनगर के ऋण	1,91.78	-	-	-	-	-
						1,91.78	
कुल-191	7,09.23	-	-	-	-	-	-
						7,09.23	
800- अन्य ऋण	4,13.72	-	-	-	-	-	-
						4,13.72	
कुल-01	11,22.95	-	-	-	-	-	-
						11,22.95	
03- लघु एवं मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास-							
191- स्थानीय निकायों, निगमों आदि को ऋण							
	7,56.54	-	-	-	-	-	-
						7,56.54	
कुल-03	7,56.54	-	-	-	-	-	-
						7,56.54	

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बढ़े खाते में डाला	31 मार्च 2020 तक शेष राशि (2+4)-(5+6)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में )							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास-(समाप्त)							
6217- शहरी विकास हेतु ऋण-(समाप्त)							
60- अन्य शहरी विकास योजनाएं-							
800- अन्य ऋण-							
(i) फल बाजार के विकास हेतु ऋण	1,27.11	-	-	-	-	-	-
						1,27.11	
(ii) अन्य ऋण	8,13.72	-	-	-	-	-	-
						8,13.72	
<b>कुल-60</b>	<b>9,40.83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						9,40.83	
<b>कुल-6217</b>	<b>28,20.32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						28,20.32	
<b>कुल-(ग)-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास</b>	<b>35,29.86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						35,29.86	

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 तक शेष राशि (2+4)-(5+6)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

(₹ लाख में )

## च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)

## ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)

## (ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग

## का कल्याण-

## 6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग

## एवं अल्पसंख्यकों हेतु ऋण-

## 01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

## 800- अन्य ऋण

8.20

-

-

-

-

8.20

कुल-01

8.20

-

-

-

-

8.20

## 02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-

## 800- अन्य ऋण

4.03

-

-

-

-

4.03

कुल-02

4.03

-

-

-

-

4.03

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बढ़े खाते में डाला	31 मार्च 2020 तक शेष राशि (2+4)-(5+6)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में )							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण-(समाप्त)							
6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों हेतु ऋण-(समाप्त)							
03- अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण-							
800- अन्य ऋण	0.42	-	-	-	-	-	-
						0.42	
कुल-03	0.42	-	-	-	-	-	-
						0.42	
कुल-6225	12.65	-	-	-	-	-	-
						12.65	
कुल-ड-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	12.65	-	-	-	-	-	-
						12.65	

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बढ़े खाते में डाला	31 मार्च 2020 तक शेष राशि (2+4)-(5+6)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में )							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(छ) समाज कल्याण एवं पोषण-							
6235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु ऋण-							
01- पुनर्वास-							
112- भारत-पाक संघर्ष, 1971 में प्रभावित व्यक्तियों को राहत एवं पुनर्वास-							
(i) सीमावर्ती क्षेत्रों में छापे एवं सैन्य अभियानों से प्रभावित व्यक्तियों को ऋण							
	48.21	-	-	-	-	-	48.21
(ii) छम्ब एवं जूरियन शरणार्थियों को ऋण	3,95.15	-	-	-	-	-	3,95.15
कुल-112	4,43.36	-	-	-	-	-	4,43.36
202- अन्य पुनर्वास योजनाएं	61.08	-	-	-	-	-	61.08
कुल-01	5,04.44	-	-	-	-	-	5,04.44
02- समाज कल्याण-							
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण							
	87,44.34	-	-	-	-	-	87,44.34
कुल-02	87,44.34	-	-	-	-	-	87,44.34

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 तक शेष राशि (2+4)-(5+6)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में )							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(छ) समाज कल्याण एवं पोषण-(जारी)							
6235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु ऋण-(समाप्त)							
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम-							
200- अन्य कार्यक्रम-							
स्वर्णकारों को ऋण	37.84	-	-	-	-	-	37.84
800- अन्य ऋण-							
(i) अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम	4,63.58	-	-	-	-	-	4,63.58
(ii) विपत्ति ऋण	94.78	-	-	-	-	-	94.78
कुल-800	5,58.36	-	-	-	-	-	5,58.36
कुल-60	5,96.20	-	-	-	-	-	5,96.20
कुल-6235	98,44.98	-	-	-	-	-	98,44.98

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 तक शेष राशि (2+4)-(5+6)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में )							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(छ) समाज कल्याण एवं पोषण-(समाप्त)							
6245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत हेतु ऋण-							
03- आगजनी एवं अन्य आपदाएं-							
800- अन्य ऋण-							
(i) आगजनी एवं अन्य आपदाओं से पीड़ितों को ऋण	4,48.20	-	-	-	-	-	4,48.20
(ii) प्राकृतिक आपदाएं	60.28	-	-	-	-	-	60.28
कुल-800	5,08.48	-	-	-	-	-	5,08.48
कुल-03	5,08.48	-	-	-	-	-	5,08.48
कुल-6245	5,08.48	-	-	-	-	-	5,08.48
कुल-(छ)- समाज कल्याण एवं पोषण	1,03,53.46	-	-	-	-	-	1,03,53.46

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 तक शेष राशि (2+4)-(5+6)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में )							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(समाप्त)							
(ज) अन्य समाज सेवाएं-							
6250- अन्य समाज सेवाओं हेतु ऋण-							
60- अन्य-							
800- अन्य ऋण-							
रोजगार	13.17	-	-	-	-	-	-
						13.17	
कुल-6250	13.17	-	-	-	-	-	-
						13.17	
कुल-(ज) अन्य समाज सेवाएं	13.17	-	-	-	-	-	-
						13.17	
कुल -ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण	1,46,47.34	-	-	-	-	-	-
						1,46,47.34	
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण-							
6401- फसल पैदावार हेतु ऋण-							
106- उच्च पैदावार किस्मों के लिए कार्यक्रम	38.17	-	-	-	-	-	-
						38.17	



## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 तक शेष राशि (2+4)-(5+6)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में )							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण-(जारी)							
6401- फसल पैदावार हेतु ऋण-(समाप्त)							
111- कृषिगत शिक्षा	6,98.49	-	-	-	-	-	6,98.49
113- कृषिगत अभियांत्रिकी	2,89.86	-	-	-	-	-	2,89.86
119- उद्यान कृषि एवं शाक फसलें	47.51	-	-	-	-	-	47.51
800- अन्य ऋण							
(i) तकावी अग्रिम	1,28.10	-	-	-	-	-	1,28.10
(ii) अन्य कृषि ऋण	7,30.54	-	-	-	-	-	7,30.54
कुल-800	8,58.64	-	-	-	-	-	8,58.64
कुल -6401	19,32.67	-	-	-	-	-	19,32.67

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 तक शेष राशि (2+4)-(5+6)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में )							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण-(जारी)							
6402- मृदा एवं जल संरक्षण हेतु ऋण-							
102- मृदा संरक्षण	5.12	-	-	-	-	-	-
						5.12	
कुल-6402	5.12	-	-	-	-	-	-
						5.12	
6403- पशुपालन हेतु ऋण-							
109- विस्तारण एवं प्रशिक्षण	43.06	-	-	-	-	-	-
						43.06	
800- अन्य ऋण	8.25	-	-	-	-	-	-
						8.25	
कुल-6403	51.31	-	-	-	-	-	-
						51.31	
6404- डेयरी विकास हेतु ऋण-							
102- डेयरी विकास परियोजनाएं	30.08	-	-	-	-	-	-
						30.08	
कुल-6404	30.08	-	-	-	-	-	-
						30.08	

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 तक शेष राशि (2+4)-(5+6)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में )							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण-(जारी)							
6406- वानिकी एवं वन्य जीवन हेतु ऋण-							
104- वानिकी-							
वन हेतु ऋण	1.64	-	-	-	-	-	-
						1.64	
<b>कुल-6404</b>	<b>1.64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						1.64	
6425- सहकारिता हेतु ऋण-							
107- क्रेडिट सहकारिताओं को ऋण-							
(i) सहकारी बैंकों को ऋण	44.95	-	-	-	-	-	-
						44.95	
(ii) स्थानीय अनाज की खरीद हेतु सहकारी बैंकों को अग्रिम	77.87	-	-	-	-	-	-
						77.87	
(iii) भूमि विकास बैंक का ऋण पत्र	65.52	-	-	-	-	-	-
						65.52	
<b>कुल-107</b>	<b>1,88.34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						1,88.34	

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 तक शेष राशि (2+4)-(5+6)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में )							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण-(जारी)							
6425- सहकारिता हेतु ऋण-(समाप्त)							
108- अन्य सहकारिताओं को ऋण-							
(i) उपभोक्ता सहकारिताओं को ऋण	23.87	-	-	-	-	-	23.87
(ii) अन्य ऋण	4,05.26	-	-	-	-	-	4,05.26
(iii) अन्य सहकारिताएं को ऋण	1,33.67	-	-	-	-	-	1,33.67
कुल-108	5,62.80	-	-	-	-	-	5,62.80
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण-							
(i) औद्योगिक सहकारिताएं	26.33	-	-	-	-	-	26.33
कुल-6425	7,77.47	-	-	-	-	-	7,77.47



## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 तक शेष राशि (2+4)-(5+6)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में )							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों हेतु ऋण-							
6575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों हेतु ऋण-							
02- पिछड़े क्षेत्र-							
299- लद्दाख का विकास	1,36.26	-	-	-	-	-	-
						1,36.26	
कुल-02	1,36.26	-	-	-	-	-	-
						1,36.26	
60- अन्य-							
800- अन्य ऋण	6.88	-	-	-	-	-	-
						6.88	
कुल-60	6.88	-	-	-	-	-	-
						6.88	
कुल-6575	1,43.14	-	-	-	-	-	-
						1,43.14	
कुल-(ग)- विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों हेतु ऋण	1,43.14	-	-	-	-	-	-
						1,43.14	

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)							
(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बढ़े खाते में डाला	31 मार्च 2020 तक शेष राशि (2+4)-(5+6)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							(₹ लाख में )
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(ड) ऊर्जा-							
6801- विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण-							
800- विद्युत बोर्ड को ऋण (1) जेकेपीडीसी	85,04.81	-	-	-	-	-	-
						85,04.81	
कुल-6801	85,04.81	-	-	-	-	-	-
						85,04.81	(क)
कुल-(ड)-ऊर्जा	85,04.81	-	-	-	-	-	-
						85,04.81	
(च) उद्योग एवं खनिजों हेतु ऋण-							
6851- ग्राम एवं लघु उद्योगों हेतु ऋण-							
101- औद्योगिक संपदाएं	0.06	-	-	-	-	-	-
						0.06	
102- लघु पैमाना उद्योग-							
(i) औद्योगिक ऋण	4,21.41	-	-	-	-	-	-
						4,21.41	
(ii) छोटे व्यापारियों, दस्तकारों एवं शिल्पकारों को ऋण	45.13	-	-	-	-	-	-
						45.13	
(iii) लघु पैमाना उद्योगों को अन्य विविध ऋण	3,59.97	-	-	-	-	-	-
						3,59.97	
कुल-102	8,26.51	-	-	-	-	-	-
						8,26.51	

(क) राज्य सरकार द्वारा सूचित पूर्व गलत वर्गीकरण में सुधार के कारण 31 मार्च 2013 तक ₹ 1,67,00.00 लाख की राशि के रूप में शेष में प्रोफार्मा वृद्धि की गई। कृपया खण्ड-1 विवरण संख्या-5 के मुख्य शीर्ष-4801 की पाद टिप्पणी का संदर्भ लें।

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बढ़े खाते में डाला	31 मार्च 2020 तक शेष राशि (2+4)-(5+6)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में )							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(च) उद्योग एवं खनिजों हेतु ऋण-(जारी)							
6851- ग्राम एवं लघु उद्योगों हेतु ऋण-(समाप्त)							
103- हथकरघा उद्योग	2,62.47	-	-	-	-	-	-
						2,62.47	
105- खादी एवं ग्राम उद्योग	0.12	-	-	-	-	-	-
						0.12	
108- पावरलूम उद्योग	24.45	-	-	-	-	-	-
						24.45	
200- अन्य ग्राम उद्योग-							
(i) अन्य ग्राम उद्योग	25,53.80	-	-	-	-	-	-
						25,53.80	
(ii) अन्य ऋण	31.22	-	-	-	-	-	-
						31.22	
कुल-200	25,85.02	-	-	-	-	-	-
						25,85.02	
कुल-6851	36,98.63	-	-	-	-	-	-
						36,98.63	





## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 तक शेष राशि (2+4)-(5+6)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में )							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(च) उद्योग एवं खनिजों हेतु ऋण-(जारी)							
6858 अभियांत्रिकी उद्योगों हेतु ऋण-							
02- अन्य औद्योगिक मशीनरी उद्योग-							
800- अन्य ऋण	33.84	-	-	-	-	-	-
						<b>33.84</b>	
कुल-02	33.84	-	-	-	-	-	-
						<b>33.84</b>	
कुल-6858	33.84	-	-	-	-	-	-
						<b>33.84</b>	
6860 उपभोक्ता उद्योगों हेतु ऋण-							
60- अन्य-							
600- अन्य	10,04.11	-	-	-	-	-	-
						<b>10,04.11</b>	
कुल-60	10,04.11	-	-	-	-	-	-
						<b>10,04.11</b>	
कुल-6860	10,04.11	-	-	-	-	-	-
						<b>10,04.11</b>	

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बढ़े खाते में डाला	31 मार्च 2020 तक शेष राशि (2+4)-(5+6)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में )							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(च) उद्योग एवं खनिजों हेतु ऋण-(जारी)							
6885- अन्य उद्योगों एवं खनिजों हेतु ऋण-							
01- औद्योगिक वित्तीय संस्थानों को ऋण -							
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण-							
(i) कृषि उद्योगों को ऋण	44,46.52	-	-	-	-	-	-
						<b>44,46.52</b>	
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को सहायता	86,25.29	-	-	-	-	-	-
						<b>86,25.29</b>	
(iii) अर्थोपाय अग्रिम (जेएण्डके इण्डस्ट्रीज लिमिटेड)	3,05,43.43	-	-	-	-	-	-
						<b>3,05,43.43</b>	
कुल-190	4,36,15.24	-	-	-	-	-	-
						<b>4,36,15.24</b>	
800- अन्य ऋण-							
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता	2,08,97.48	-	-	-	-	-	-
						<b>2,08,97.48</b>	
कुल-01	6,45,12.72	-	-	-	-	-	-
						<b>6,45,12.72</b>	

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 तक शेष राशि (2+4)-(5+6)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में )							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(च) उद्योगों एवं खनिजों हेतु ऋण-(समाप्त)							
6885- अन्य उद्योगों एवं खनिजों हेतु ऋण-(समाप्त)							
02- पिछड़े क्षेत्रों का विकास-							
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण-							
अग्रगामी परियोजनाएं (ग्रामीण औद्योगिकीकरण)							
	30,48.55	-	-	-	-	-	-
						<b>30,48.55</b>	
कुल-02	30,48.55	-	-	-	-	-	
						<b>30,48.55</b>	
60- अन्य-							
800- अन्य ऋण							
	74,66.91	-	-	-	-	-	-
						<b>74,66.91</b>	
कुल-60	74,66.91	-	-	-	-	-	
						<b>74,66.91</b>	
कुल-6885	7,50,28.18	-	-	-	-	-	
						<b>7,50,28.18</b>	
कुल-(च)- उद्योगों एवं खनिजों हेतु ऋण	7,99,62.92	-	-	-	-	-	
						<b>7,99.62.92</b>	

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला	31 मार्च 2020 तक शेष राशि (2+4)-(5+6)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में )							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)							
(अ) परिवहन-							
7055- सड़क परिवहन हेतु ऋण-							
101- सड़क परिवहन निगम को शाश्वत ऋण- वाहकों हेतु ऋण	2,21,35.04	-	-	-	-	2,21,35.04	
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण- जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड को ऋण	3,83,72.76	-	-	-	-	3,83,72.76	
<b>कुल-7055</b>	<b>6,05,07.80</b>	-	-	-	-	<b>6,05,07.80</b>	
7075- अन्य परिवहन सेवाओं हेतु ऋण-							
01- सड़कें एवं पुल-							
800- अन्य ऋण- जिला एवं अन्य सड़कें	5,54.42	-	-	-	-	5,54.42	
<b>कुल-7075</b>	<b>5,54.42</b>	-	-	-	-	<b>5,54.42</b>	
<b>कुल-(च) परिवहन</b>	<b>6,10,62.22</b>	-	-	-	-	<b>6,10,62.22</b>	

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बढ़े खाते में डाला	31 मार्च 2020 तक शेष राशि (2+4)-(5+6)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में )							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(समाप्त)							
(अ) सामान्य आर्थिक सेवाएं-							
7452- पर्यटन हेतु ऋण-							
60- अन्य-							
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण	14,93.68	-	-	-	-	-	-
						14,93.68	
800- अन्य ऋण	1,28.37	-	-	-	-	-	-
						1,28.37	
<b>कुल-7452</b>	<b>16,22.05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						16,22.05	
7475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-							
101- सामान्य वित्तीय संस्थान	9,06.97	-	-	-	-	-	-
						9,06.97	
102- व्यापारिक संस्थान	9,66.75	-	-	-	-	-	-
						9,66.75	
<b>कुल-7475</b>	<b>18,73.72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						18,73.72	
<b>कुल-(अ)-सामान्य आर्थिक सेवाएं</b>	<b>34,95.77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						34,95.77	
<b>कुल-ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण</b>	<b>15,72,39.14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						15,72,39.14	

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(समाप्त)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31अक्टूबर 2019 तक शेष राशि	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	लावसूल ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2020 तक शेष राशि (2+4)-(5+6)	बकाया में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
च- ऋण एवं अग्रिम-(समाप्त)							
7610- सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण-							
201- गृह निर्माण अग्रिम	18,82.93	-	-	3.53	-	(-)3.53	
						<b>18,82.93</b>	
202- मोटर वाहनों की खरीद हेतु अग्रिम	2,01.61	-	-	-	-	-	
						<b>2,01.61</b>	
203- अन्य वाहनों की खरीद हेतु अग्रिम	22.27	-	-	-	-	-	
						<b>22.27</b>	
204- कंप्यूटरों की खरीद हेतु अग्रिम	0.35	-	-	-	-	-	
						<b>0.35</b>	
800- अन्य अग्रिम							
(i) अन्य अग्रिम	49.55	-	-	-	-	-	
						<b>49.55</b>	
<b>कुल-7610</b>	<b>21,56.71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.53</b>	<b>-</b>	<b>(-)3.53</b>	
						<b>21,56.71</b>	
<b>कुल योग</b>	<b>17,40,43.19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.53</b>	<b>-</b>	<b>(-)3.53</b>	
						<b>17,40,43.19 \$</b>	

\$ कृपया इस विवरण के मुख्य शीर्ष 6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का संदर्भ लें। खण्ड-1 के विवरण संख्या 5 के मुख्य शीर्ष 4801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का भी संदर्भ लें।

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग: 2 अन्य ऋणी अधिष्ठानों से बकाया में चुकौती					
ऋणी अधिष्ठान	31 मार्च 2020 तक बकाया राशि			पूर्ववर्ती अवधि जिससे बकाया संबंधित है	31 मार्च 2020 को अधिष्ठान पर बकाया कुल ऋण
	मूलधन	ब्याज	कुल		
(₹ लाख में)					

सरकार से सूचना प्रतीक्षित (नवंबर 2020)।



## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अतिरिक्त प्रकटन

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान लिये गये नये ऋण एवं अग्रिम

(₹ लाख में)

ऋणी अधिष्ठान	ऋणों की संख्या	ऋण की कुल राशि	नियम एवं शर्तें	
			ब्याज दर	ऋण स्थगन अवधि, यदि कोई हो

सरकार से सूचना प्रतीक्षित (नवंबर 2020)।

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अतिरिक्त प्रकटन-(जारी)

1. निम्नलिखित मामले जिनमें ऋणों को 'शाश्वत ऋण' के रूप में संस्वीकृत किया गया।

(₹ लाख में)

क्र. स.	संस्वीकृति वर्ष	संस्वीकृति आदेश सं.	राशि	ब्याज दर
---------	-----------------	---------------------	------	----------

सरकार से सूचना प्रतीक्षित है (नवंबर 2020)।

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अतिरिक्त प्रकटन-(जारी)

2. निम्नलिखित ऋणों को सरकार द्वारा दिया गया, यद्यपि निबंधन एवं शर्तों को अभी तय किया जाना है:

(₹ लाख में)

ऋणी संस्था	ऋणों की संख्या	कुल राशि	पूर्ववर्ती अवधि जिससे ऋण संबधित है
------------	----------------	----------	------------------------------------

सरकार से सूचना प्रतीक्षित (नवंबर 2020)।

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(समाप्त)

अतिरिक्त प्रकटन-(समाप्त)

वर्ष के दौरान उन ऋणी अधिष्ठानों, जिनसे पूर्व ऋणों का पुनर्भुगतान बकायों में है, को नए ऋण एवं अग्रिम दिये गये:

(₹ लाख में)

ऋणी अधिष्ठान का नाम	चालू वर्ष के दौरान संवितरित ऋण		31 मार्च 2020 को बकाया राशि			पूर्ववर्ती अवधि जिससे बकाया संबंधित है	चालू वर्ष के दौरान संवितरण हेतु कारण
	ब्याज दर	मूलधन	मूलधन	ब्याज	कुल		

सरकार से सूचना प्रतीक्षित (नवंबर 2020)।

## 19-सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण

## अनुभाग 1: 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान निवेशों का विवरण

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले निवेश को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	समुदाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश (ब्याज)	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए	अभ्युक्तियाँ
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या					

(₹ लाख में)

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान, संघ शासित क्षेत्र लद्दाख द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया था। तथापि, तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य द्वारा किये गये निवेश का विवरण, जिसे दो संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी तक प्रभाजित किया जाना है और संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित था, को वित्त लेखे खण्ड-II के अनुभाग 'क' (पृष्ठ संख्या 354-377) विवरण संख्या 19 में दर्शाया गया है।

## 20. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण

क श्रेणी वार ब्योरा: [1]															
क्र. सं.	क्षेत्रक (प्रत्याभूतियों की संख्या कोष्ठक में)	वर्ष के दौरान अधिकतम राशि की प्रत्याभूति		31 अक्टूबर 2020 के आरंभ में बकाया		31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान परिवर्धन		31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान लोप		31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान लागू किया गया		31 मार्च 2020 के अंत में बकाया		प्रत्याभूति कमीशन एवं शुल्क	अन्य महत्वपूर्ण ब्योरा
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	उन्मोचित	गैर-उन्मोचित	मूलधन	ब्याज	प्राप्त	
(₹ लाख में)															

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान, संघ शासित क्षेत्र लद्दाख द्वारा कोई प्रत्याभूति नहीं दी गयी थी। तथापि, तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विवरण, जिसे दो संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी तक प्रभाजित किया जाना है और संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित था, को वित्त लेखे खण्ड-II के अनुभाग 'क' (पृष्ठ संख्या 378-384) विवरण संख्या 20 में दर्शाया गया है।

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर को आरंभिक शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 तक प्राप्तियाँ	31.10.2019 से 31.03.2020 तक संवितरण	31 मार्च 2020 तक अंत शेष
(₹ लाख में)					
<b>भाग-II आकस्मिकता निधि</b>					
8000- आकस्मिकता निधि	क्रे. 1,00.00	-	-	-	क्रे. -
					क्रे. 1,00.00
<b>कुल भाग II-आकस्मिकता निधि</b>	<b>क्रे. 1,00.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>क्रे. -</b>
					क्रे. 1,00.00
<b>भाग III-लोक लेखा-</b>					
<b>झ- लघु बचतें, भविष्य निधियाँ आदि-</b>					
<b>(ख) राज्य भविष्य निधि-</b>					
<b>8009- राज्य भविष्य निधि-</b>					
<b>01- नागरिक-</b>					
101- सामान्य भविष्य निधि	क्रे. 2,60,64,00.20	-	59,67.31	56,04.23	क्रे. 3,63.08
					क्रे. 2,60,64,00.20
102- अंशदायी भविष्य निधि	क्रे. 55,57.68	-	-	-	क्रे. -
					क्रे. 55,57.68
104- अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि	क्रे. 35,28.61	-	-	-	क्रे. -
					क्रे. 35,28.61
<b>कुल-01</b>	<b>क्रे. 2,61,55,86.49</b>	<b>-</b>	<b>59,67.31 (क)</b>	<b>56,04.23</b>	<b>क्रे. 3,63.08</b>
					क्रे. 2,61,55,86.49
<b>कुल-8009</b>	<b>क्रे. 2,61,55,86.49</b>	<b>-</b>	<b>59,67.31</b>	<b>56,04.23</b>	<b>क्रे. 3,63.08 (क)</b>
					क्रे. 2,61,55,86.49 (क)
<b>कुल-(ख)- राज्य भविष्य निधि</b>	<b>क्रे. 2,61,55,86.49</b>	<b>-</b>	<b>59,69.31</b>	<b>56,04.23</b>	<b>क्रे. 3,63.08</b>
					क्रे. 2,61,55,86.49

(क) आँकड़े मिलानाधीन हैं (दिसम्बर 2020)।

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर को आंशिक शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 तक प्राप्तियाँ	31.10.2019 से 31.03.2020 तक संवितरण	31 मार्च 2020 तक अंत शेष
(₹ लाख में)					
भाग III-लोक लेखा-(जारी)					
झ- लघु बचतें, भविष्य निधियाँ आदि-(जारी)					
(ग) अन्य लेखा-					
8011- बीमा एवं पेन्शन निधियाँ-					
105- राज्य सरकार बीमा निधि	क्रे. 8,72,53.99	-	43.97 (क)	23.94	क्रे. 20.3 क्रे. 8,72,53.99
106- अन्य निधि बीमा एवं पेन्शन-					
(i) श्रीनगर नगरपालिका पेन्शन निधि	क्रे. 10,83.12	-	-	-	क्रे. - क्रे. 10,83.12
(ii) जम्मू नगरपालिका पेन्शन निधि	क्रे. 38,55.44	-	-	-	क्रे. - क्रे. 38,55.44
(iii) टीएसी/ एनएसी पेन्शन निधि	क्रे. 81,74.58	-	-	-	क्रे. - क्रे. 81,74.58
(iv) अन्य बीमा एवं पेन्शन निधियाँ	क्रे. 2,08.00	-	5.59	6.69	क्रे. (-)1.10 क्रे. 2,08.00
कुल-106	क्रे. 1,33,21.14	-	5.59	6.69	क्रे. (-)1.10 क्रे. 1,33,21.14
कुल-8011	क्रे. 10,05,75.13	-	49.56	30.63	क्रे. 18.93 क्रे. 10,05,75.13
कुल-(ग)- अन्य लेखा	क्रे. 10,05,75.13	-	49.56	30.63	क्रे. 18.93 क्रे. 10,05,75.13
कुल-झ- लघु बचतें, भविष्य निधियाँ आदि	क्रे. 2,71,61,61.62	-	60,16.87	56,34.86	क्रे. 3,82.01 (ख) क्रे. 2,71,61,61.62 (ख)

(ख) आँकड़े मिलानाधीन हैं (दिसम्बर 2020)।



## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू और कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर को आंशिक शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 तक प्राप्तियाँ	31.10.2019 से 31.03.2020 तक संवितरण	31 मार्च 2020 तक अंत शेष
(₹ लाख में)					
भाग-III-लोक लेखा-(जारी)					
त्र-आरक्षित निधियाँ-					
(क) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ-					
8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ-					
122- राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	क्रे. 12,71,48.12	-	-	-	क्रे. - क्रे. 12,71,48.12
126- राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष-निवेश लेखा	डे. 10,86.07	-	-	-	डे. - डे. 10,86.07
129- राज्य प्रतिकर वनरोपण जमा	क्रे. -	-	-	-	क्रे. - क्रे. -
कुल-8121					
सकल शेष	क्रे. 12,71,48.12	-	-	-	क्रे. - क्रे. 12,71,48.12
निवेश	डे. 10,86.07	-	-	-	डे. - डे. 10,86.07
कुल-(क)-ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ					
सकल शेष	क्रे. 12,71,48.12	-	-	-	क्रे. - क्रे. 12,71,48.12 (ग)
निवेश	डे. 10,86.07	-	-	-	डे. - डे. 10,86.07 (ग)

(ग) शेष मिलानाधीन (दिसम्बर 2020)।

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू और कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर को आंशिक शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 तक प्राप्तियाँ	31.10.2019 से 31.03.2020 तक संवितरण	31 मार्च 2020 तक अंत शेष
					(₹ लाख में)
भाग-III- लोक लेखा -(जारी)					
ज- आरक्षित निधियाँ-(जारी)					
(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ-					
8222- ऋण शोधन निधियाँ					
01- ऋण परिहार या अभाव हेतु विनियोजन					
101- ऋण शोधन निधियाँ	क्रे.	3,55,86.76	-	-	क्रे. -
					क्रे. 3,55,86.76
	कुल-8222	क्रे. 3,55,86.76	-	-	क्रे. -
					क्रे. 3,55,86.76
8223- अकाल राहत कोष					
101- अकाल राहत कोष	क्रे.	8,66.96	-	-	क्रे. -
					क्रे. 8,66.96
	कुल-8223	क्रे. 8,66.96	-	-	क्रे. -
					क्रे. 8,66.96
8226- आरक्षित निधि का मूल्यहास/ नवीनीकरण					
101- सरकार के वाणिज्यिक विभागों/ उपक्रमों की आरक्षित निधियों का मूल्यहास	क्रे.	5,73,79.34	-	-	क्रे. -
					क्रे. 5,73,79.34
102- सरकार के गैर-वाणिज्यिक विभागों की आरक्षित निधियों का मूल्यहास	क्रे.	72,85.99	-	-	क्रे. -
					क्रे. 72,85.99
	कुल-8226	क्रे. 6,46,65.33	-	-	क्रे. -
					क्रे. 6,46,65.33

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू और कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर को आंशिक शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 तक प्राप्तियाँ	31.10.2019 से 31.03.2020 तक संवितरण	31 मार्च 2020 तक अंत शेष
(₹ लाख में)					
<b>भाग-III- लोक लेखा -(जारी)</b>					
<b>अ- आरक्षित निधियाँ-(समाप्त)</b>					
<b>(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ-(समाप्त)</b>					
<b>8229- विकास एवं कल्याण निधियाँ-</b>					
103- कृषि उद्देश्यों हेतु विकास निधियाँ	₹. 40,52.06	-	-	-	₹. -
					₹. 40,52.06
109- सहकारी विकास निधियाँ	₹. 0.10	-	-	-	₹. -
					₹. 0.10
200- अन्य विकास एवं कल्याण निधियाँ	₹. 3,03,32.77	-		4,43.92	₹. (-)4,43.92
					₹. 3,03,32.77
<b>कुल-8229</b>	<b>₹. 3,43,84.93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,43.92</b>	<b>₹. (-)4,43.92</b>
					<b>₹. 3,43,84.93</b>
<b>8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ-</b>					
105- सामान्य बीमा निधि-जनता बीमा	₹. 41,19.21	-	0.80	-	₹. 0.80
					₹. 41,19.21
117- प्रत्याभूति मोचन निधि	₹. 20,42.00	-	-	-	₹. -
					₹. 20,42.00
200- अन्य निधियाँ	₹. 1,17,29.72	-	-	-	₹. -
					₹. 1,17,29.72
<b>कुल-8235</b>	<b>₹. 1,78,90.93</b>	<b>-</b>	<b>0.80</b>	<b>-</b>	<b>₹. 0.80</b>
					<b>₹. 1,78,90.93</b>
<b>कुल-(ख)- ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ</b>	<b>₹. 15,33,94.91</b>	<b>-</b>	<b>0.80</b>	<b>4,43.92</b>	<b>₹. (-)4,43.12</b>
					<b>₹. 15,33,94.91</b>
<b>कुल-अ- आरक्षित निधियाँ</b>					
<b>सकल शेष</b>	<b>₹. 28,05,43.03</b>	<b>-</b>	<b>0.80</b>	<b>4,43.92</b>	<b>₹. (-)4,43.12</b>
					<b>₹. 28,05,43.03</b>
<b>निवेश</b>	<b>₹. 10,86.07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>₹. -</b>
					<b>₹. 10,86.07</b>

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू और कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर को आंशिक शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 तक प्राप्तियाँ	31.10.2019 से 31.03.2020 तक संवितरण	31 मार्च 2020 तक अंत शेष
(₹ लाख में)					
<b>भाग-III- लोक लेखा-(जारी)</b>					
<b>ट-जमाएं एवं अग्रिम-</b>					
<b>(क) ब्याज वहन करने वाली जमाएं-</b>					
<b>8336- नागरिक जमाएं-</b>					
103- राज्य प्रतिकर वनरोपण जमा-	क्रे.	-	-	-	क्रे. -
	क्रे.	-	-	-	क्रे. -
<b>कुल-8336</b>	<b>क्रे.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>क्रे. -</b>
<b>8342- अन्य जमाएं</b>					
117- सरकारी कर्मचारियों हेतु परिभाषित पेन्शन अंशदायी योजना (नयी पेन्शन योजना)	क्रे.	53,67.44	-	21,87.66 (क)	17,64.87
	क्रे.	53,67.44	-	21,87.66	17,64.87
<b>कुल-8342</b>	<b>क्रे.</b>	<b>53,67.44</b>	<b>-</b>	<b>21,87.66</b>	<b>17,64.87</b>
<b>कुल-(क)- ब्याज वहन करने वाली जमाएं</b>	<b>क्रे.</b>	<b>53,67.44</b>	<b>-</b>	<b>21,87.66</b>	<b>17,64.87</b>
<b>(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं -</b>					
<b>8443- सिविल जमा-(ख)</b>					
101- राजस्व जमाएं	क्रे.	24,10,09.78	-	26,39.73	8,85.36
	क्रे.	24,10,09.78	-	26,39.73	8,85.36
<b>कुल-8443</b>	<b>क्रे.</b>	<b>24,10,09.78</b>	<b>-</b>	<b>26,39.73</b>	<b>8,85.36</b>
102- सीमा शुल्क और अफीम जमा	क्रे.	70,90.86	-	-	-
	क्रे.	70,90.86	-	-	-
<b>कुल-102</b>	<b>क्रे.</b>	<b>70,90.86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
103- सुरक्षा जमाएं	क्रे.	1,59,61.11	-	1,10.45	13.11
	क्रे.	1,59,61.11	-	1,10.45	13.11
<b>कुल-103</b>	<b>क्रे.</b>	<b>1,59,61.11</b>	<b>-</b>	<b>1,10.45</b>	<b>13.11</b>
104- दिवानी न्यायालयों की जमा राशियाँ	क्रे.	2,54,34.61	-	1.21	-
	क्रे.	2,54,34.61	-	1.21	-
<b>कुल-104</b>	<b>क्रे.</b>	<b>2,54,34.61</b>	<b>-</b>	<b>1.21</b>	<b>-</b>
105- आपराधिक न्यायालयों की जमा राशियाँ	क्रे.	18,98.64	-	0.2	-
	क्रे.	18,98.64	-	0.2	-
<b>कुल-105</b>	<b>क्रे.</b>	<b>18,98.64</b>	<b>-</b>	<b>0.2</b>	<b>-</b>

(क) ₹ 21,21.92 लाख की कर्मचारी की हिस्सदारी और ₹ 65.74 लाख के सरकारी अंश को दर्शाता है।

(ख) कृपया वितरण सं 13 खण्ड-I के नीचे व्याख्यात्मक टिप्पणी ख को देखें।

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू और कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर को आंशिक शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 तक प्राप्तियाँ	31.10.2019 से 31.03.2020 तक संवितरण	31 मार्च 2020 तक अंत शेष		
(₹ लाख में)							
भाग III- लोक लेखा-(जारी)							
ट-जमाएं एवं अग्रिम-(जारी)							
(ख) ब्याज वहन नहीं वाली जमाएं-(जारी)							
<b>8443- सिविल जमा-(समाप्त)</b>							
108- लोक निर्माण कार्य जमा	क्रे.	15,80,13.85	-	15,24.15	6,87.73	क्रे.	8,36.42
						क्रे.	<b>15,80,13.85</b>
109- वन जमाएं	क्रे.	2,84.44	-	-	-	क्रे.	-
						क्रे.	<b>2,84.44</b>
111- अन्य विभागीय जमाएं	क्रे.	39,80.48	-	-	-	क्रे.	-
						क्रे.	<b>39,80.48</b>
115- सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों	क्रे.	34.90	-	-	-	क्रे.	-
						क्रे.	<b>34.90</b>
116- विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य अधिनियमों - अनुबंधित श्रम के अधीन जमा (नियामक उन्मूलन अधिनियम 1970) के अधीन जमा	क्रे.	0.01	-	-	-	क्रे.	-
						क्रे.	<b>0.01</b>
118- सरकारी सेवकों द्वारा निजी निकायों हेतु किये गये कार्यों के लिए प्राप्त शुल्क	क्रे.	0.20	-	-	-	क्रे.	-
						क्रे.	<b>0.20</b>
121- निर्वाचन संबंधी जमाएं	क्रे.	99.06	-	-	-	क्रे.	-
						क्रे.	<b>99.06</b>
123- शिक्षा संस्थानों की जमाएं	क्रे.	2,64.63	-	-	-	क्रे.	-
						क्रे.	<b>2,64.63</b>
124- भविष्य निधि में गैर-दावाकृत जमाएं	क्रे.	92.35	-	-	-	क्रे.	-
						क्रे.	<b>92.35</b>
800- अन्य जमा	क्रे.	7,27,11.78	-	4,08.06	4,05.57	क्रे.	2.49
						क्रे.	<b>7,27,11.78</b>
<b>कुल-8443</b>	<b>क्रे.</b>	<b>52,68,76.70</b>	<b>-</b>	<b>46,83.80</b>	<b>19,91.77</b>	<b>क्रे.</b>	<b>26,92.03</b>
						<b>क्रे.</b>	<b>52,68,76.70</b>

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू और कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर को आंशिक शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 तक प्राप्तियाँ	31.10.2019 से 31.03.2020 तक संवितरण	31 मार्च 2020 तक अंत शेष
(₹ लाख में)					
भाग III- लोक लेखा-(जारी)					
ट-जमाएं एवं अग्रिम-(जारी)					
(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं-(जारी)					
<b>8448- स्थानीय निधियों की जमाएं-</b>					
101- जिला निधियाँ	₹. 22,75.15	-	-	-	₹. -
102- नगरपालिका निधियाँ	₹. 1,33,39.66	-	-	-	₹. 22,75.15
107- राज्य विद्युत बोर्ड कार्यकारी निधियाँ	₹. 79.04	-	-	-	₹. -
108- राज्य आवास बोर्ड निधियाँ	₹. 8.07	-	-	-	₹. 1,33,39.66
109- पंचायत निकाय निधियाँ	₹. 27.48	-	-	-	₹. -
110- शिक्षा निधियाँ	₹. 2,58.98	-	-	-	₹. 79.04
111- चिकित्सा एवं धर्मार्थ निधियाँ	₹. 58.02	-	-	-	₹. -
113- लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद निधि	₹. 7,87,25.48	-	1,21.47	8,45,10.82	₹. 8.07
120- अन्य निधियाँ	₹. 70,44.76	-	3.29	-	₹. -
	<b>कुल-8448</b>	<b>₹. 10,18,16.64</b>	<b>1,24.76</b>	<b>8,45,10.82</b>	<b>₹. 27.48</b>
<b>8449- अन्य जमाएं</b>					<b>₹. -</b>
103- केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त संसहायिकी	₹. 5,73,32.94	-	-	-	₹. 58.02
					₹. (-)8,43,86.06
					₹. 7,87,25.48
					₹. 3.29
					₹. 70,44.76
					₹. (-)8,43,86.06
					₹. 10,18,16.64
					₹. -
					₹. 5,73,32.94

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू और कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर को आंशिक शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 तक प्राप्तियाँ	31.10.2019 से 31.03.2020 तक संवितरण	31 मार्च 2020 तक अंत शेष	
(₹ लाख में)						
<b>भाग III- लोक लेखा-(जारी)</b>						
<b>ट- जमाएं एवं अग्रिम-(समाप्त)</b>						
<b>(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं-(समाप्त)</b>						
<b>8449- अन्य जमाएं-(समाप्त)</b>						
123- राष्ट्रीय खनिज समन्वेषण न्यास जमा	₹.	29.57	-	-	₹.	-
	₹.	29.57	-	-	₹.	29.57
<b>कुल-8449</b>	<b>₹.</b>	<b>5,73,62.51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>₹.</b>	<b>-</b>
	₹.	5,73,62.51	-	-	₹.	5,73,62.51
<b>कुल-(ख)-ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं</b>	<b>₹.</b>	<b>68,60,55.85</b>	<b>-</b>	<b>48,08.56</b>	<b>₹.</b>	<b>(-)8,16,94.03</b>
	₹.	68,60,55.85	-	48,08.56	₹.	(-)8,16,94.03
	₹.	68,60,55.85	-	48,08.56	₹.	68,60,55.85
<b>(ग) अग्रिम-</b>						
<b>8550- सिविल अग्रिम-</b>						
101- वन अग्रिम	₹.	6,71.51	-	-	₹.	-
	₹.	6,71.51	-	-	₹.	6,71.51
103- अन्य विभागीय अग्रिम	₹.	2,12.25	-	-	₹.	-
	₹.	2,12.25	-	-	₹.	2,12.25
104- अन्य अग्रिम	₹.	3,85.43	-	-	₹.	-
	₹.	3,85.43	-	-	₹.	3,85.43
<b>कुल-8550</b>	<b>₹.</b>	<b>12,69.19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>₹.</b>	<b>-</b>
	₹.	12,69.19	-	-	₹.	12,69.19
<b>कुल-(ग)- अग्रिम</b>	<b>₹.</b>	<b>12,69.19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>₹.</b>	<b>-</b>
	₹.	12,69.19	-	-	₹.	12,69.19
<b>कुल-ट- जमाएं एवं अग्रिम</b>	<b>₹.</b>	<b>69,01,54.10</b>	<b>-</b>	<b>69,96.22</b>	<b>₹.</b>	<b>(-)8,12,71.24</b>
	₹.	69,01,54.10	-	69,96.22	₹.	(-)8,12,71.24
	₹.	69,01,54.10	-	69,96.22	₹.	69,01,54.10
<b>ठ- उचंत एवं विविध-</b>						
<b>(ख) उचंत-</b>						
<b>8658- उचंत लेखा-</b>						
101- वेतन एवं लेखा कार्यालय का उचंत	₹.	3,39,26.93	-	31.30	₹.	10.59
	₹.	3,39,26.93	-	31.30	₹.	3,39,26.93

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू और कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर को आंशिक शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 तक प्राप्तियाँ	31.10.2019 से 31.03.2020 तक संवितरण	31 मार्च 2020 तक अंत शेष		
(₹ लाख में)							
<b>भाग III- लोक लेखा-(जारी)</b>							
<b>ठ- उचंत एवं विविध-(जारी)</b>							
<b>(ख) उचंत-(जारी)</b>							
<b>8658- उचंत लेखा-(जारी)</b>							
102- उचंत लेखा (सिविल)	₹.	79,11.24	-	6,34.47	1,38.19	₹.	4,96.28
						₹.	<b>79,11.24</b> (घ)
107- रोकड़ निपटारा उचंत लेखा	₹.	6,69.05	-	-	-	₹.	- (ङ)
						₹.	<b>6,69.05</b>
109- आरबीआई उचंत (मुख्यालय)	₹.	3,03.73	-	-	-	₹.	<b>3,03.73</b>
110- आरबीआई (उचंत लेखा )	₹.	1,51.91	-	-	-	₹.	<b>1,51.91</b>
112- स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) उचंत	₹.	1,09,96.60	-	66.83	-	₹.	66.83
						₹.	<b>1,09,96.60</b>
113- भविष्य निधि उचंत	₹.	2,25.35	-	-	-	₹.	-
						₹.	<b>2,25.35</b>
120- अतिरिक्त महंगाई भत्ता जमा उचंत लेखा	₹.	1,52.56	-	-	-	₹.	-
						₹.	<b>1,52.56</b>
123- अखिल भारतीय सेवा अधिकारी समूह बीमा योजना	₹.	2,15.20	-	-	-	₹.	<b>2,15.20</b>
136- सीमा शुल्क	₹.	67.00	-	-	-	₹.	-
						₹.	<b>67.00</b>
(घ) लेखा के अंतिम शीर्षों के अंतर्गत समायोजनों हेतु प्रतीक्षा करते हुए और अभिलेखों के नष्ट होने के कारण वर्ष 1976-77 हेतु लेखाओं में इस शीर्षों के अंतर्गत बुक गये अर्थों एवं सामान्य भविष्य निधि, राज्य जीवन बीमा के कारण जनवरी 1977 से मार्च 1977 तक की अवधि हेतु ₹ 5,02.34 लाख की वसूलियों में से, अभी तक लेखाओं में ₹ 2,08.57 लाख की राशि समायोजित (दिसंबर 2020) की गयी है।							
(ङ) अप्रैल 1976 से दिसंबर 1976 तक की अवधि हेतु लघु शीर्षवार विवरण की मंशा में 1976-77 लेखाओं में शीर्षों के अंतर्गत ₹ 22,25.52 लाख (₹.) तथा (-) ₹ 8.62 लाख (₹.) बुक किये गये थे। लेखाओं में अभी तक ₹ 2,09.63 लाख समायोजित किये गये हैं। शेष राशियों को लेखा के अंतिम शीर्षों के अंतर्गत अभी तक समायोजित (दिसंबर 2020) किया जाना है।							



## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू और कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर को आंशिक शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 तक प्राप्तियाँ	31.10.2019 से 31.03.2020 तक संवितरण	31 मार्च 2020 तक अंत शेष
					(₹ लाख में)
<b>भाग III- लोक लेखा-(जारी)</b>					
<b>ठ- उचंत एवं विविध-(जारी)</b>					
<b>(ख) उचंत-(जारी)</b>					
<b>8658- उचंत लेखा-(समाप्त)</b>					
137- वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	₹. 28,25.68	-	-	-	₹. - ₹. 28,25.68
<b>कुल-8658</b>	<b>₹. 3,44,14.18</b>	<b>-</b>	<b>7,32.60</b>	<b>1,80.08</b>	<b>₹. 5,52.52</b> <b>₹. 3,44,14.18</b>
<b>कुल-(ख)-उचंत</b>	<b>₹. 3,44,14.18</b>	<b>-</b>	<b>7,32.60</b>	<b>1,80.08</b>	<b>₹. 5,52.52</b> <b>₹. 3,44,14.18</b>
<b>(ग) अन्य लेखा-</b>					
<b>8671- विभागीय शेष-</b>					
101- नागरिक	₹. 4,96.97	-	-	-	₹. - ₹. 4,96.97
<b>कुल-8671</b>	<b>₹. 4,96.97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>₹. 4,96.97</b>
<b>8672- स्थायी रोकड़ अग्रदाय-</b>					
101- नागरिक	₹. 12.59	-	-	-	₹. - ₹. 12.59
<b>कुल-8672</b>	<b>₹. 12.59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>₹. -</b> <b>₹. 12.59</b>
<b>8673- रोकड़ शेष निवेश लेखा-</b>					
101- रोकड़ शेष निवेश लेखा	₹. 3,83,91.91	-	-	-	₹. - ₹. 3,83,91.91 \$
<b>कुल-8673</b>	<b>₹. 3,83,91.91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>₹. -</b> <b>₹. 3,83,91.91</b>
<b>कुल-(ग)- अन्य लेखा</b>	<b>₹. 3,89,01.47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>₹. 3,89,01.47</b>

\$ निवेश का ब्योरा सरकार से प्रतीकित (दिसम्बर 2020)।

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 को अथ शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आबंटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 तक प्राप्तियाँ	31.10.2019 से 31.03.2020 तक संवितरण	31 मार्च 2020 तक अंत शेष
(₹ लाख में)					
भाग III- लोक लेखा-(जारी)					
ठ- उचंत एवं विविध-(समाप्त)					
(ख) उचंत-(समाप्त)					
(ड) विविध-					
8680- विविध सरकारी लेखे-					
102- लेखा शीर्ष के अंत शेष से बट्टे खाते में डालना	-	-	-	-	-
कुल- 8680	-	-	-	-	-
कुल-(ड) विविध	-	-	-	-	-
कुल-ठ - उचंत एवं विविध	₹. 7,33,15.65	-	7,32.60	1,80.08	₹. 5,52.52
					₹. 7,33,15.65
ड-प्रेषण-					
(क) धन आदेश एवं अन्य प्रेषण-					
8782- समान महालेखाकार/ लेखा अधिकारी को लेखा प्रदान करने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण एवं समायोजन-					
101- कोषागारों एवं करेंसी के मध्य रोकड़ प्रेषण	₹. 57,61.34	-	-	-	₹. -
					₹. 57,61.34
102- लोक निर्माण प्रेषण	₹. 4,60,41.57	-	-	-	₹. -
					₹. 4,60,41.57
103- वन प्रेषण	₹. 52,85.62	-	-	-	₹. -
					₹. 52,85.62
104- सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों का प्रेषण	₹. 11,19.77	-	-	-	₹. -
					₹. 11,19.77
108- अन्य विभागीय प्रेषण	₹. 1,87,06.55	-	-	-	₹. -
					₹. 1,87,06.55

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 को अथ शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आबंटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 तक प्राप्तियाँ	31.10.2019 से 31.03.2020 तक संवितरण	31 मार्च 2020 तक अंत शेष (₹ लाख में)
भाग III- लोक लेखा-(जारी)					
ड-प्रेषण-(जारी)					
(क) धनादेश एवं अन्य प्रेषण-(समाप्त)					
समान महालेखाकार/ लेखा अधिकारी को लेखा प्रदान करने वाले अधिकारियों के मध्य					
8782- रोकड़ प्रेषण एवं समायोजन- (समाप्त)					
110- विविध प्रेषण	₹. 21,09,99.12	-		28.03	₹. 28.03
					₹. 21,09,99.12
कुल-8782	₹. 28,56,74.43	-		28	₹. 28.03
					₹. 28,56,74.43
कुल-(क)- धनादेश एवं अन्य प्रेषण	₹. 28,56,74.43	-		28	₹. 28.03
					₹. 28,56,74.43
(ख) अंतर सरकार लेखा समायोजन-					
8786- केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के मध्य लेखा समायोजन (क)	₹. 5,46.43	-	-	-	₹. -
					₹. 5,46.43
कुल-8786	₹. 5,46.43	-	-	-	₹. -
					₹. 5,46.43
8793- अंतर्राज्यीय उचंत लेखा-	₹. 3,79.44	-			₹. -
					₹. 3,79.44
कुल-8793	₹. 3,79.44	-			₹. -
					₹. 3,79.44

(क) मार्च 1977 से पूर्व अयोचित किए गए शेषों का समायोजन एवं विश्लेषण का प्रस्तुतीकरण आग में अभिलेखों के नष्ट हो जाने के कारण कठिन है, मामला अभी भी जाँच के अधीन है (दिसम्बर 2020)।

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 को अथ शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आबंटित राशि	31.10.2019 से 31.03.2020 तक प्राप्तियाँ	31.10.2019 से 31.03.2020 तक संवितरण	31 मार्च 2020 तक अंत शेष (₹ लाख में)
<b>भाग III- लोक लेखा-(समाप्त)</b>					
<b>ड-प्रेषण-(समाप्त)</b>					
कुल-(ख)- अंतर सरकार समायोजन लेखा डे.	9,25.87	-			डे. 9,25.87
कुल-ड - प्रेषण क्रे.	28,47,48.56	-		28	क्रे. 28.03
कुल-भाग- III-लोक लेखा		-	1,37,46.49	9,45,54.35	क्रे. 28,47,48.56
कुल-भाग I, भाग II और भाग III- प्राप्तियाँ/ संवितरण			2,30,20.75	11,21,53.61	
<b>ढ- रोकड़ शेष-</b>					
8999-रोकड़ शेष (क)			-	(-)8,91,32.86	
<b>कुल योग</b>			<b>(-)4,41,95.18</b>	<b>(-)4,41,95.18</b>	
(क) आरंभिक एवं अंत रोकड़ शेषों का सार			(₹ लाख में)		
	<b>आरंभिक शेष</b>		<b>अंत शेष</b>		
(i) कोषागारों में रोकड़	6,76.64		-		
(ii) बैंक में रोकड़	21,01.92		-		
(iii) आरबीआई के पास जमा	(-)4,69,73.74		(-)8,91,32.86 (ख)		
<b>कुल</b>	<b>(-)4,41,95.18</b>		<b>(-)8,91,32.86</b>		

(ख) रिज़र्व बैंक के पास जमा के प्रति शेष सरकारी लेखा के अनुसार शेष को प्रस्तुत करता है जिसमें 10 अप्रैल तक भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्शानुसार सरकारी समायोजन शामिल हैं। ₹ 36.16 लाख (क्रे.) का निवल अंतर है, जैसा कि लेखाओं में प्रतिबिम्बित हुआ (₹ 8,91,32.86 लाख (डे.) और जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा सूचित किया गया है (₹ 8,91,69.02 लाख (क्रे.))। यह अंतर आरबीआई के साथ-साथ संघ राज्य सरकार के समायोजन के अधीन है (दिसम्बर 2020)।

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## विवरण संख्या-21 का अनुलग्नक

## उचंत शेष एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

(₹ लाख में)

क्र. सं	लेखा शीर्ष एवं मंत्रालय/ विभाग जिनके साथ लंबित है	31 मार्च 2020 तक शेष		संक्षेप में संव्यवहारों की प्रकृति	पूर्ववर्ती वर्ष जिससे लंबित है	रोकड़ शेष पर बकाया का प्रभाव
		डे.	क्रे.			
(क)	<b>8658- उचंत लेखा-</b>					
1	<b>101- वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत</b>					
	(i) सीपीएओ, नई दिल्ली	38.69	-	केन्द्र सरकार सिविल पेन्शनभोगियों को राज्य/ संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा किया गया भुगतान।	2003-04	बकाया डेबिट की सीमा तक नकद शेष तथा निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा।
		<b>3,22,39.34</b>	<b>4,71.59</b>			
	(ii) अन्य	28.10		ये बहुत पुराने शेष हैं, अतः संव्यवहारों की वास्तविक प्रकृति ज्ञात नहीं है।	1976-77	समायोजन पर रोकड़ शेष की वृद्धि होगी।
		<b>81,33.38</b>	<b>59,74.19</b>			
2	<b>102- उचंत लेखा (सिविल)</b>					
	(i) सीडीए, पेन्शन, इलाहाबाद	15.85		राज्य/ संघ शासित सरकार द्वारा रक्षा पेन्शनभोगियों को किया गया भुगतान।	2003-04	निकासी पर रोकड़ शेष की वृद्धि होगी
		<b>22,45.79</b>	<b>10,91.52</b>			
	(ii) सीडीए (डब्ल्यूसी), चण्डीगढ़	-		पेन्शन, परिवहन आदि के कारण किया गया भुगतान।	2003-04	बकाया डेबिट की सीमा तक नकद शेष तथा निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा।
		<b>1,86.01</b>	-			
	(iii) सीडीए (एससी), पुणे	-		पेन्शन, परिवहन आदि के कारण किया गया भुगतान।	2003-04	बकाया डेबिट की सीमा तक नकद शेष तथा निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा।
		<b>88.43</b>	<b>80.02</b>			

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## विवरण संख्या-21 का अनुलग्नक

## उचंत शेष एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)  
(₹ लाख में)

क्र.सं	लेखा शीर्ष एवं मंत्रालय/ विभाग जिनके साथ लंबित है	31 मार्च 2020 तक शेष		संक्षेप में संव्यवहारों की प्रकृति	पूर्ववर्ती वर्ष जिससे लंबित है	रोकड़ शेष पर बकाया का प्रभाव
		डे.	क्रे.			
(क)	<b>8658- उचंत लेखा-</b> (जारी)					
	<b>102- उचंत लेखा (सिविल)-</b> (समाप्त)					
	(iv) सीडीए (एनसी), जम्मू	5,12.12		पेन्शन, परिवहन आदि के कारण किया गया भुगतान।		बकाया डेबिट की सीमा तक नकद शेष तथा 2003-04 निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा।
		<b>5,56.98</b>	<b>2,53.49</b>			
	(v) उत्तर रेलवे, नई दिल्ली	-		उत्तर रेलवे के पेन्शनभोगियों को पेन्शन का भुगतान किया गया।		बकाया डेबिट की सीमा तक नकद शेष तथा 1998-99 निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा।
		<b>3,71.27</b>	<b>9.29</b>			
	(vi) पीएण्डटी, कपूरथला	-		प्रेषण एवं पीएलआई की वसूली के कारण संव्यवहार।		बकाया डेबिट की सीमा तक नकद शेष तथा 2003-04 निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा।
		<b>11,13.98</b>	<b>67.13</b>			
	(vii) अन्य	1,13.88	1,13.89	पुराना शेष मामला संबंधित अभिकरणों के साथ पत्राचाराधीन।		बकाया डेबिट की सीमा तक नकद शेष तथा 1976-77 निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा।
		<b>3,22,40.13</b>	<b>2,73,89.90</b>			

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## विवरण संख्या-21 का अनुलग्नक

## उचंत शेष एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण

(बोर्ड ऑफ़ जम्मु एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)  
(₹ लाख में)

क्र.सं	लेखा शीर्ष एवं मंत्रालय/ विभाग जिनके साथ लंबित है	31 मार्च 2020 तक शेष		संक्षेप में संव्यवहारों की प्रकृति	पूर्ववर्ती वर्ष जिससे लंबित है	रोकड़ शेष पर बकाया का प्रभाव
		डे.	क्रे.			
(क)	8658- उचंत लेखा-(जारी)					
3	107- रोकड़ समायोजन उचंत लेखा (सिविल)	-	-	लोक/ निर्माण प्रभागों के मध्य स्टॉक/ सेवा संव्यवहारों का अंतिम रोकड़ समायोजन लंबित।	1976-77	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं।
4	109- रिज़र्व बैंक का उचंत-(मुख्यालय)	1,59.27	4,63.00	2011-12 के दौरान पेन्शन/ टीए आदि के कारण किया गया भुगतान।	2011-12	बकाया डेबिट की सीमा तक नकद शेष तथा निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा।
5	110- रिज़र्व बैंक का उचंत-केन्द्रीय लेखा	5,34.17	3,82.26	2011-12 के दौरान पेन्शन/ टीए आदि के कारण किया गया भुगतान।	2011-12	बकाया डेबिट की सीमा तक नकद शेष तथा निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा।
6	112- स्रोत पर कर कटौती	-	66.83	सीबीडीटी को देय स्रोत पर आय कर आदि की कटौती के कारण प्राप्तियाँ।	2009-10	बकाया क्रेडिट की सीमा तक नकद शेष निकासी पर कम होगा।
7	113- भविष्य निधि उचंत	-	-	सामान्य भविष्य निधि खाते क्रेडिट/ डेबिट जमा को अभिदाताओं के खाते में समायोजन प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर अंतिम समायोजन तक प्रतीक्षित।	1976-77	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं।

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## विवरण संख्या-21 का अनुलग्नक

## उचंत शेष एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

(₹ लाख में)

क्र.सं	लेखा शीर्ष एवं मंत्रालय/ विभाग जिनके साथ लंबित है	31 मार्च 2020 तक शेष		संक्षेप में संव्यवहारों की प्रकृति	पूर्ववर्ती वर्ष जिससे लंबित है	रोकड़ शेष पर बकाया का प्रभाव
		डे.	क्रे.			
(क)	8658- उचंत लेखा-(समाप्त)					
8	123- अखिल भारतीय सेवा अधिकारी समूह बीमा योजना	-	2,15.20	केन्द्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना कटौती/ वसूलियों को समायोजित करती है।	1976-77	निकासी पर रोकड़ शेष बढ़ती होगी।
(ख)	8782-समान महालेखाकार/ लेखा अधिकारी को लेखा प्रदान करने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण एवं समायोजन					
1	102- लोक निर्माण प्रेषण	-	-	(i) कोषागारों में प्रेषण एवं (ii) लोक निर्माण चैकों को प्रभागीय लेखाओं में क्रमशः डेबिट और क्रेडिट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्राप्ति पर संबंधित कोषागार इस शीर्ष को क्रेडिट और डेबिट के माध्यम से करता है।	1976-77	रोकड़ या लेखा पर कोई प्रभाव नहीं।
2	103- वन प्रेषण	-	-	(i) कोषागारों में प्रेषण एवं (ii) वन चेक को प्रभागीय लेखाओं में क्रमशः डेबिट और क्रेडिट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्राप्ति पर संबंधित कोषागार इस शीर्ष को क्रेडिट और डेबिट के माध्यम से करता है।	1976-77	रोकड़ पर कोई प्रभाव नहीं।



## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(समाप्त)

## विवरण संख्या-21 का अनुलग्नक

## उचंत शेष एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण

(बोल्ड आंकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

(₹ लाख में)

क्र.सं	लेखा शीर्ष एवं मंत्रालय/ विभाग जिनके साथ लंबित है	31 मार्च 2020 तक शेष		संक्षेप में संव्यवहारों की प्रकृति	पूर्ववर्ती वर्ष जिससे लंबित है	रोकड़ शेष पर बकाया का प्रभाव
		डे.	क्रे.			
(ख)	8782- समान महालेखाकार/ लेखा अधिकारी को लेखा प्रदान करने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण एवं समायोजन-(समाप्त)					
3	108- अन्य विभागीय प्रेषण	-	-	यह शीर्ष उन विभागों जैसे उत्पाद शुल्क आदि द्वारा संचालित किया जाता है जिन्हें कोषागारों के साथ प्रेषण संव्यवहार की सुविधा प्रदान की जाती है।	1976-77	रोकड़ लेखा पर कोई प्रभाव नहीं।
			1,87,06.55			
1	8793- अंतर्राज्यीय उचंत लेखा	4,01.64	22.20	पेन्शन/ टीए आदि के कारण किए गए भुगतान को निरूपित करता है।	2011-12	बकाया डेबिट की सीमा तक नकद शेष तथा निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा।

## 22. चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण

(बोल्ड आंकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं।)

आरक्षित निधियाँ जमा लेखा का नाम	30 अक्टूबर 2019 को शेष राशि			31 मार्च 2020 के शेष राशि		
	रोकड़	निवेश	कुल	रोकड़	निवेश	कुल
(₹ लाख में)						
<b>अ आरक्षित निधियाँ-</b>						
<b>(क) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियों-</b>						
<b>8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ-</b>						
122- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	12,60,62.05	10,86.07	12,71,48.12	-	-	-
				<b>12,60,62.05</b>	<b>10,86.07</b>	<b>12,71,48.12</b>
129- राज्य प्रतिकर वनरोपण कोष	-	-	-	-	-	-
				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>कुल-क- ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ</b>	<b>12,60,62.05</b>	<b>10,86.07</b>	<b>12,71,48.12</b>	<b>12,60,62.05</b>	<b>10,86.07</b>	<b>12,71,48.12</b>
<b>(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ-</b>						
<b>8222- ऋण-शोधन निधियाँ-</b>						
	3,55,86.76	-	3,55,86.76	-	-	-
				<b>3,55,86.76</b>		<b>3,55,86.76</b>
<b>कुल-8222</b>	<b>3,55,86.76</b>	<b>-</b>	<b>3,55,86.76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>3,55,86.76</b>		<b>3,55,86.76</b>
<b>8223- अकाल राहत कोष-</b>						
101- अकाल राहत कोष	8,66.96	-	8,66.96	-	-	-
				<b>8,66.96</b>		<b>8,66.96</b>
<b>कुल-8223</b>	<b>8,66.96</b>	<b>-</b>	<b>8,66.96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>8,66.96</b>		<b>8,66.96</b>
<b>8226- आरक्षित निधियों का मूल्यहास/ नवीनीकरण-</b>						
<b>101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/ उपक्रमों की आरक्षित निधियों का मूल्यहास</b>						
	5,73,79.34	-	5,73,79.34	-	-	-
				<b>5,73,79.34</b>		<b>5,73,79.34</b>
102- सरकारी गैर-वाणिज्यिक विभागों की आरक्षित निधियों का मूल्यहास	72,85.99	-	72,85.99	-	-	-
				<b>72,85.99</b>		<b>72,85.99</b>
<b>कुल-8226</b>	<b>6,46,65.33</b>	<b>-</b>	<b>6,46,65.33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>6,46,65.33</b>		<b>6,46,65.33</b>

## 22. चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं।)

आरक्षित निधियाँ जमा लेखा का नाम	30 अक्टूबर 2019 को शेष राशि			31 मार्च 2020 के शेष राशि		
	रोकड़	निवेश	कुल	रोकड़	निवेश	कुल
(₹ लाख में)						
<b>अ आरक्षित निधियाँ-(समाप्त)</b>						
<b>(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ-(समाप्त)</b>						
<b>8229- विकास एवं कल्याण निधि-</b>						
103- कृषि उद्देश्यों हेतु विकास निधियाँ	40,52.06	-	40,52.06	-	-	-
				<b>40,52.06</b>		<b>40,52.06</b>
109- सहकारिता विकास निधियाँ	0.10	-	0.10	-	-	-
				<b>0.10</b>		<b>0.10</b>
200- अन्य विकास एवं कल्याण निधियाँ	3,03,32.77	-	3,03,32.77	(-)4,43.92	-	(-)4,43.12
				<b>3,03,32.77</b>		<b>3,03,32.77</b>
<b>कुल-8229</b>	<b>3,43,84.93</b>	<b>-</b>	<b>3,43,84.93</b>	<b>(-)4,43.92</b>	<b>-</b>	<b>(-)4,43.12</b>
				<b>3,43,84.93</b>		<b>3,43,84.93</b>
<b>8235- सामान्य और आरक्षित निधियाँ-</b>						
105- सामान्य बीमा निधि (जनता बीमा)	41,19.21	-	41,19.21	0.80	-	0.80
				<b>41,19.21</b>		<b>41,19.21</b>
117- प्रत्याभूति मोचन निधि	20,42.00	-	20,42.00	-	-	-
				<b>20,42.00</b>		<b>20,42.00</b>
200- अन्य निधियाँ	1,17,29.72	-	1,17,29.72	-	-	-
				<b>1,17,29.72</b>		<b>1,17,29.72</b>
<b>कुल-8235</b>	<b>1,78,90.93</b>	<b>-</b>	<b>1,78,90.93</b>	<b>0.80</b>	<b>-</b>	<b>0.80</b>
				<b>1,78,90.93</b>		<b>1,78,90.93</b>
<b>कुल-(ख)- ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ</b>	<b>15,33,94.91</b>	<b>-</b>	<b>15,33,94.91</b>	<b>(-)4,43.12</b>	<b>-</b>	<b>(-)4,43.12</b>
				<b>15,33,94.91</b>		<b>15,33,94.91</b>
<b>कुल-अ आरक्षित निधियाँ</b>	<b>27,94,56.96</b>	<b>10,86.07</b>	<b>28,05,43.03</b>	<b>(-)4,43.12</b>	<b>-</b>	<b>(-)4,43.12</b>
				<b>27,94,56.96</b>	<b>10,86.07</b>	<b>28,05,43.03</b>

## 22. चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं।)

आरक्षित निधियाँ जमा लेखा का नाम	30 अक्टूबर 2019 को शेष राशि			31 मार्च 2020 के शेष राशि		
	रोकड़	निवेश	कुल	रोकड़	निवेश	कुल
						(₹ लाख में)
<b>ट-जमाएं एवं अग्रिम-</b>						
(क) ब्याज वहन करने वाली जमाएं-						
8336- सिविल जमाएं-						
103- राज्य प्रतिकर वनरोपण जमा	-	-	-	-	-	-
<b>कुल-8336</b>	-	-	-	-	-	-
<b>कुल-(क)-ब्याज वहन करने वाली जमाएं</b>	-	-	-	-	-	-
(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं-						
8449- अन्य जमाएं-						
103- केन्द्रीय सड़क निधि से संसहायिकी	5,73,32.93	-	5,73,32.93	-	-	-
				<b>5,73,32.93</b>		<b>5,73,32.93</b>
123- राष्ट्रीय खनिज समन्वेषण न्यास जमाएं	29.57	-	29.57	-	-	-
				<b>29.57</b>		<b>29.57</b>
<b>कुल-8449</b>	<b>5,73,62.50</b>	-	<b>5,73,62.50</b>	-	-	<b>5,73,62.50</b>
				<b>5,73,62.50</b>		<b>5,73,62.50</b>
<b>कुल-(ख)- ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं</b>	<b>5,73,62.50</b>	-	<b>5,73,62.50</b>	-	-	<b>5,73,62.50</b>
				<b>5,73,62.50</b>		<b>5,73,62.50</b>
<b>कुल ट- जमाएं एवं अग्रिम</b>	<b>5,73,62.50</b>	-	<b>5,73,62.50</b>	-	-	<b>5,73,62.50</b>
				<b>5,73,62.50</b>		<b>5,73,62.50</b>
<b>कुल योग</b>	<b>33,68,19.46</b>	<b>10,86.07</b>	<b>33,79,05.53</b>	<b>(-)4,43.12</b>	-	<b>(-)4,43.12</b>
				<b>33,68,19.46</b>	<b>10,86.07</b>	<b>33,79,05.53</b> (क)

(क) आँकड़े मिलानाधीन हैं (अगस्त 2020)।

## 22. चिह्नित शेर्षों के निवेशों पर विस्तृत विवरण-(समाप्त)

विवरण संख्या-22 की व्याख्यात्मक टिप्पणी

## ऋण शोधन निधि का ब्योरा

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं रोके रखे जाने वाले शेर्षों को दर्शाते हैं)

ऋण का वर्णन	31 अक्टूबर 2019 को शेर्ष राशि	राजस्व से प्राप्त विनियोजित राशि का जोड़	निवेश पर ब्याज जोड़	कुल	प्रतिभूतियों के क्रय पर ब्याज भुगतान	वर्ष के दौरान कम उन्मोचन	ऋण की परिपक्वता पर विविध सरकारी लेखा में हस्तांतरित राशि	31 मार्च 2020 को शेर्ष	अभ्युक्तियों
									(₹ लाख में)
ऋण शोधन निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,55,86.76	-	-	3,55,86.76	-	-	-	3,55,86.76	-

## ऋण शोधन निधि निवेश लेखा का ऋण परिशोधन विवरण

ऋण का वर्णन	31 अक्टूबर 2019 को शेर्ष राशि	प्रतिभूतियों का क्रय	कुल	प्रतिभूतियों का विक्रय	31 मार्च 2020 को शेर्ष	अंकित मूल्य	बाजार मूल्य
							(₹ लाख में)

संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा कोई राशि निवेशित नहीं की गयी (नवंबर 2020)।



---

**परिशिष्ट**

**भाग-II**

---

## परिशिष्ट-1

वेतन पर तुलनात्मक व्यय

(तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक)		
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	कन्द्रीय सहायता (सीसीएस/ सीएस सहित)	कुल
			(₹ लाख में)		
व्यय शीर्ष-(राजस्व लेखा)-					
सामान्य प्रशासन	2012-	राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/ राज्यपाल/ संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक	-	-	25.09
			25.09		
कुल सामान्य प्रशासन			-	-	25.09
			25.09		
गृह	2055-	पुलिस	41,47.90	-	41,47.90
कुल गृह			41,47.90	-	41,47.90
योजना और विकास	3454-	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	27.00	-	27.00
कुल योजना और विकास			27.00	-	27.00
विधि	2014-	न्याय-प्रशासन	3,33.66	-	3,33.66
	2015-	चुनाव	17.68	-	17.68
कुल विधि			3,51.34	-	3,51.34
कुल- वेतन पर व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)			45,26.24	-	45,51.33
			25.09	-	



## परिशिष्ट-II

## सहायिकी पर तुलनात्मक व्यय

विभाग	लेखा शीर्ष	विवरण	2019-2020 (31-10-2019 से 31-03-2020)		
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल
व्यय शीर्ष- (राजस्व और पूंजीगत लेखा)-			(₹ करोड़ में)		
शून्य					

## परिशिष्ट-III

संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दी गयी सहायता/ सहायता अनुदान					
(संस्था-वार और योजना-वार)					
प्राप्तकर्ता	योजना	टीएसपी/	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020)		परिसंपत्तियों (क) के सृजन हेतु कुल निर्माचित राशि, संस्वीकृत राशि
		एससीएसपी/ सामान्य/ एफसी/ ईएपी	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	
(₹ लाख में)					
खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	बजटीय सहायता	सामान्य	17.74	17.74	-
उच्च न्यायालय/ विधिक सेवाएं	बजटीय सहायता	सामान्य	1.39	1.39	-
समाज कल्याण	एकीकृत बाल सुरक्षा योजना	सामान्य	20.28	20.28	-
समाज कल्याण	वृद्ध, अशक्त और निराश्रितों का कल्याण	सामान्य	45.79	45.79	-
		<b>कुल</b>	<b>85.2</b>	<b>85.2</b>	<b>-</b>

(क) संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी (दिसंबर 2020)।

## परिशिष्ट-IV

## बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण

सहायता अभिकरण	योजना/ परियोजना	कुल अनुमोदित सहायता			प्राप्त राशि*						पुनर्भुगतान की गयी राशि*		व्यय*			
		अनुदान	ऋण	कुल	वर्ष के दौरान			वर्ष तक			वर्ष के दौरान	वर्ष तक	वर्ष के दौरान	वर्ष तक		
					अनुदान	ऋण	कुल	अनुदान	ऋण	कुल						
																(₹ लाख में)
एशियन विकास बैंक	2151- जेएण्डके में अवसरचना पुनर्वास हेतु आईएनडी बहुक्षेत्रक परियोजना	10,12,50.00	1,12,50.00	11,25,00.00												
एशियन विकास बैंक	2331-आईएनडी जेएण्डके शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम परियोजना-1	1,89,90.00	21,00.00	2,11,00.00												
एशियन विकास बैंक	2925-आईएनडी जेएण्डके शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम परियोजना-I एवं II	4,95,00.00	55,00.00	5,50,00.00												

\* अपभाजित शेषों (दिसंबर 2020) के कारण पूरे परिशिष्ट में दी गयी दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 (पुनर्गठन से पूर्व) तक की सूचना को शून्य माना जाए।

## परिशिष्ट-IV-(समाप्त)

बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण-(समाप्त)															
सहायता अभिकरण	योजना/ परियोजना	कुल अनुमोदित सहायता			प्राप्त राशि*						पुनर्मुग्तान की गयी राशि*		व्यय*		
					वर्ष के दौरान			वर्ष तक			वर्ष के दौरान	वर्ष तक	वर्ष के दौरान	वर्ष तक	
		अनुदान	ऋण	कुल	अनुदान	ऋण	कुल	अनुदान	ऋण	कुल					
															(₹ लाख में)
एशियन विकास बैंक	3132-आईएनडी जेएण्डके शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम परियोजना-III	32,40.00	3,60.00	36,00.00											
अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन	5695-आईएन झेलम और तवी बाढ़ रिकवरी परियोजना	(क)	(क)	(क)											

\* अप्रभाजित शेष (दिसंबर 2020) के कारण पूरे परिशिष्ट में दी गयी दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 (पुनर्गठन से पूर्व) तक की सूचना को शून्य माना जाए।

(क) सरकार से सूचना प्रतीक्षित (दिसंबर 2020) थी।





## परिशिष्ट-VI

संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (संघ शासित क्षेत्र बजट के अलावा प्राप्त निधियाँ) (अलेखापरीक्षित आँकड़े)		
जीओआई योजना	संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियाँ	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020) (क) (₹ लाख में)
योजना का नाम		
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी)	उपायुक्त, लेह	5,00.00
	<b>कुल-</b>	<b>5,00.00 (ख)</b>

(क) आँकड़े दिनांक 14.12.2020 को अपलोडित महालेखा नियंत्रक के पोर्टल 'लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)' से लिये गये हैं। ये अलेखापरीक्षित आँकड़े हैं।

(ख) भारत सरकार द्वारा निर्माचित कुल ₹ 9,47.48 लाख की राशि में से ₹ 5,00.00 लाख संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के सरकारी विभाग को तथा ₹ 4,47.48 लाख सरकार के विभिन्न स्वायत्त निकायों/ अन्य अधिष्ठानों को हस्तांतरित किये गये हैं। कृपया लेखाओं पर टिप्पणियाँ खण्ड-1 के पैरा 3 (xi) का भी संदर्भ लें।

## परिशिष्ट-VII

(क) शेषों की स्वीकृति एवं मिलान (जैसा कि विवरण 18 और 21 में दर्शाया गया है)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष और संस्थान का नाम	प्रतीक्षित स्वीकृतियों की संख्या	पूर्ववर्ती वर्ष जिससे स्वीकृतियाँ प्रतीक्षित हैं	31.10.2019 से 31.03.2020 तक अंतर की राशि (₹ लाख में)
----------	------------------------------	----------------------------------	--	---

मुख्य शीर्ष 7610-सरकारी सेवकों को ऋण के अधीनस्थ लघु शीर्ष 201-गृह निर्माण अग्रिम और 202-मोटर वाहनों की खरीद हेतु अग्रिम के विस्तृत लेखा को महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। शेषों को अभी तक संबंधित ऋणियों को सूचित किया जाना है क्योंकि 30 अक्टूबर 2019 तक के शेषों को अभी तक दो नये संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित (नवंबर 2020) किया जाना है।



## परिशिष्ट-VII-(समाप्त)

(ख) शेषों की स्वीकृति एवं मिलान (जैसा कि विवरण 18 और 21 में दर्शाया गया है)				
(बोल्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)				
लेखा शीर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष जिससे अंतर संबंधित हैं	अंतर की राशि	विभागीय अधिकारी/ कोषागार अधिकारी जिनके साथ अंतर समाधानाधीन है	प्रतीक्षित दस्तावेज/ विवरण इत्यादि का ब्योरा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(₹ लाख में)				

## 7610- सरकारी सेवकों को ऋण-

		-		-
201- गृह निर्माण अग्रिम	2002-03	1.30	सभी विभागीय अधिकारियों/ कोषागार अधिकारियों से शेषों का मिलान प्रतीक्षित है।	वाउचर/ चालान
202- मोटर वाहनों के क्रय हेतु अग्रिम	2002-03	7.64	सभी विभागीय अधिकारियों/ कोषागार अधिकारियों से शेषों का मिलान प्रतीक्षित है।	वाउचर/ चालान

## परिशिष्ट-VIII

## सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम

(बोर्ड में आंकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	परियोजना का नाम\$	वर्ष के दौरान पूँजीगत परिव्यय			वर्ष के अंत में पूँजीगत परिव्यय			वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ			वर्ष के दौरान कार्यकारी खर्च और अनुरक्षण			ब्याज रहित निवल राजस्व		ब्याज प्राप्त के पश्चात् निवल लाभ या हानि				
		प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल	प्रत्यक्ष राजस्व प्राप्तियाँ	अप्रत्यक्ष प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान कुल खर्च	वर्ष के दौरान कुल खर्च	प्रत्यक्ष#	अप्रत्यक्ष	कुल व्यय (कॉलम 16) पर राजस्व	वर्ष की समाप्ति पर पूँजीगत परिव्यय	प्रत्यक्ष पूँजीगत पर ब्याज राजस्व (+) पर अधिशेष या अतिरिक्त	वर्ष की समाप्ति पर पूँजीगत परिव्यय पर राजस्व (-) पर व्यय की अधिकता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(₹ लाख में)																				
1	कठुआ फीडर नहर	-	-	-	1828.32	420.51	2248.83													
2	प्रताप नहर	-	-	-	5142.94	3729.50	8872.44													
3	रणबीर नहर	-	-	-	16456.77	3614.74	20071.51													
4	मार्तण्ड नहर	-	-	-	1770.62	407.25	2177.87													

\$ विवरण में सम्मिलित सभी सिंचाई परियोजनाओं को वाणिज्यिक दर्जे की घोषित किया गया।

# कॉलम 14 के अंतर्गत आंकड़ों को एम एच-2700 "मुख्य सिंचाई" और मुख्य शीर्ष-2701- "मध्यम सिंचाई" से लिया गया है जैसा कि सरकार द्वारा बजट प्रावधान के प्रति व्यय बुक किया गया।

## परिशिष्ट-VIII-(समाप्त)

## सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम-(समाप्त)

(बोर्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	परियोजना का नाम\$	वर्ष के दौरान पूँजीगत परिव्यय			वर्ष के अंत में पूँजीगत परिव्यय			वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ			वर्ष के दौरान कार्यकारी खर्च और अनुरक्षण			ब्याज रहित निवल राजस्व		ब्याज प्राप्त के पश्चात् निवल लाभ या हानि				
		प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल	प्रत्यक्ष राजस्व प्राप्तियाँ	अप्रत्यक्ष प्राप्तियाँ	कुल	वर्ष के दौरान कुल राजस्व	वर्ष के दौरान कुल खर्च	प्रत्यक्ष#	अप्रत्यक्ष	कुल व्यय (कॉलम 16) पर राजस्व	वर्ष की समाप्ति पर पूँजीगत परिव्यय	प्रत्यक्ष पूँजीगत पर ब्याज राजस्व (-) पर अधिशेष या अधिकता	व्यय (+) पर राजस्व (-) पर व्यय की अधिकता	वर्ष की समाप्ति पर पूँजीगत परिव्यय पर प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(₹ लाख में)																				
5	जैनगीर नहर				773.54	51.45	824.99													
6	आजी नहर	-	-	-	1610.55	370.43	1980.98													
7	दादी नहर	-	-	-	2395.68	64.44	2460.12													
<b>कुल</b>					<b>29978.42</b>	<b>8658.32</b>	<b>38636.74</b>													

\$ विवरण में सम्मिलित सभी सिंचाई परियोजनाओं को वाणिज्यिक दर्जे की घोषित किया गया।

# कॉलम 14 के अंतर्गत आँकड़ों को एमएच-2700 "मुख्य सिंचाई" और मुख्य शीर्ष-2701- "मध्यम सिंचाई" से लिया गया है जैसा कि सरकार द्वारा बजट प्रावधान के प्रति व्यय बुक किया गया।

## परिशिष्ट-IX

## सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ या अधिक (\*) लागत वाले अधूरे पूँजीगत कार्यों की सूची

क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की तिथि	आरंभ करने का वर्ष	समापन का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष की समाप्ति पर प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	प्राप्त लागत (यदि कोई हो)/ प्रत्यावर्तन की तिथि	प्रास्थिति
(₹ लाख में)											

\* पूरे परिशिष्ट में अंकड़े/ सूचना संघ शासित क्षेत्र लद्दाख सरकार द्वारा उपलब्ध (दिसंबर 2020) नहीं कराये गये।

## परिशिष्ट-X

## वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय

(₹ लाख में)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय का घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-						
02	गृह	2055-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	6.99	6.99
		कुल गृह			6.99	6.99
		कुल व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)			6.99	6.99
		कुल व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-				
		कुल योग- व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)				
		कुल योग- व्यय शीर्ष (राजस्व और पूँजीगत लेखा)			6.99	6.99

## परिशिष्ट-XI

वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय या बजट में प्रस्तावित नयी योजनाएं (क)

क्र. सं.	नीति निर्धारण की प्रकृति/ नयी योजनाएं	प्राप्ति/ व्यय/ दोनों	आवर्ती/ एक बार	आवर्ती के मामले में निवल नकद प्रवाह पर वार्षिक आंकलन का प्रभाव		वार्षिक व्यय		संभावित स्रोत जिनसे नयी योजनाओं के लिए व्यय किया जाना है		
				निश्चित अवधि	स्थायी	राजस्व	पूँजीगत	संघ शासित क्षेत्र के स्वयं के संसाधन	केन्द्रीय हस्तांतरण	सृजित ऋण

(क) यूटी सरकार द्वारा ऑकड़े/ सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी (दिसंबर 2020)।

## परिशिष्ट-XII

सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं (क)								
क्र. सं.	देयता की प्रकृति	देयता राशि (31 अक्टूबर 2019 को)	संभावित स्रोत जिन से प्राप्त प्रस्तावित			उन्मोचन का संभाव्य वर्ष	वर्तमान वर्ष के दौरान उन्मोचित देयताएं (2019-2020) (31-10-2019 से 31-03-2020)	शेष बाकी (31 मार्च 2020 की समाप्ति पर)
			राज्य के स्वयं के संसाधन	केन्द्रीय हस्तांतरण	सृजित ऋण (विशेषीकृत)			
(₹ लाख में)								
I	देय लेखे							
	1 विद्युत							
	2 चिकित्सा प्रतिपूर्ति							
	3 टीएण्डडी प्रणाली का सुधार							
	4 अवकाश वेतन							
	5 निर्माण							
	6 बाह्य स्रोतन और समारक्षण							
	7 आर.आर.टी.							
	कुल							
II	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में राज्य का अंश							
	1 भूमि प्रतिकर							
	कुल							
III	गैर-नियोजित शीर्षों को आयोजना योजनाओं के अंतरण के रूप में देयताएं							
	कुल							
IV	अपूर्ण परियोजनाओं से उत्पन्न देयताएं							
	1 पीएमआरपी निर्माण							
	कुल							
(क) पूरे परिशिष्ट में दिये गये आँकड़े/ सूचना यूटी सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी (दिसंबर 2020)								

## परिशिष्ट-XII-(समाप्त)

सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं-(समाप्त) (क)								
क्र. सं.	देयता की प्रकृति	देयता राशि (31 अक्टूबर 2019 को)	संभावित स्रोत जिन से प्राप्ति प्रस्तावित			उन्मोचन का संभाव्य वर्ष	वर्तमान वर्ष के दौरान उन्मोचित देयताएं (2019-2020) (31-10-2019 से 31-03-2020)	शेष बाकी (31 मार्च 2020 की समाप्ति पर)
			राज्य के स्वयं के संसाधन	केन्द्रीय हस्तांतरण	सृजित ऋण (विशेषीकृत)			
(₹ लाख में)								
V	अन्य/ विविध							
1	भूमि अधिग्रहण प्रभार							
2	निर्माण और आपूर्ति पर अप्रदत्त बिल							
3	मुख्य निर्माण और संविदाएं							
	कुल							
		कुल योग						
(क) पूरे परिशिष्ट में दिये गये आँकड़ों/ सूचना यूटी सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी (दिसंबर 2020)।								



## परिशिष्ट-XIII

संघ शासित क्षेत्रों का पुनर्गठन- मर्दें जिनके लिए संघ शासित क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य आबंटित की जाने वाली राशि		
		पुनर्गठन के समय	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्तमान में
				(₹ लाख में)
	<b>पूँजीगत लेखा-</b>			
1	4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	4,07.12	- ₹. 4,07.12
2	4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	13,56,87.13	- ₹. 13,56,87.13
3	4058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	34,95.66	- ₹. 34,95.66
4	4059- लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	61,53,32.68	- ₹. 61,53,32.68
5	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	1,04,38.18	- ₹. 1,04,38.18
6	4075- अन्य विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	1,63,21.31	- ₹. 1,63,21.31
7	4202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	69,82,52.70	- ₹. 69,82,52.70
8	4210- स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	49,06,21.72	- ₹. 49,06,21.72
9	4211- परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	7,97.04	- ₹. 7,97.04
10	4215- जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	79,46,76.20	- ₹. 79,46,76.20
11	4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	3,74,07.10	- ₹. 3,74,07.10
12	4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	49,94,89.56	- ₹. 49,94,89.56
13	4220- सूचना और प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	33,49.14	- ₹. 33,49.14
14	4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	3,05,37.92	- ₹. 3,05,37.92
15	4235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	27,77,64.10	- ₹. 27,77,64.10
16	4236- पोषण पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	3,70,82.30	- ₹. 3,70,82.30
17	4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	3,72,60.88	- ₹. 3,72,60.88
18	4401- फसल पैदावार पूँजीगत परिव्यय	₹.	19,46,40.11	- ₹. 19,46,40.11
19	4402- मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	3,90,96.00	- ₹. 3,90,96.00
20	4403- पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	3,71,42.41	- ₹. 3,71,42.41
21	4404- डेयरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	11,56.14	- ₹. 11,56.14
22	4405- मत्स्यपालन पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	2,22,29.55	- ₹. 2,22,29.55

## परिशिष्ट-XIII-(जारी)

संघ शासित क्षेत्रों का पुनर्गठन- मर्दे जिनके लिए संघ शासित क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है- (जारी)					
क्र. सं.	लेखा शीर्ष	आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य आबंटित की जाने वाली राशि			
		पुनर्गठन के समय	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्तमान में	(₹ लाख में)
	<b>पूँजीगत लेखा-(समाप्त)</b>				
23	4406- वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	9,33,44.02	- ₹.	9,33,44.02
24	4408- खाद्य भण्डार एवं भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	32,67,48.53	- ₹.	32,67,48.53
25	4415- कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	3,36,07.44	- ₹.	3,36,07.44
26	4416- कृषिगत एवं वित्तीय संस्थानों में निवेश	₹.	0.40	- ₹.	0.40
27	4425- सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	4,01,60.94	- ₹.	4,01,60.94
28	4435- अन्य कृषिगत कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	4,07.33	- ₹.	4,07.33
29	4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	1,02,59,35.83	- ₹.	1,02,59,35.83
30	4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	36,88,81.76	- ₹.	36,88,81.76
31	4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	12,57,65.21	- ₹.	12,57,65.21
32	4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	20,60,62.60	- ₹.	20,60,62.60
33	4705- कमान क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	3,22,06.01	- ₹.	3,22,06.01
34	4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	16,96,00.97	- ₹.	16,96,00.97
35	4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	1,42,12,79.98	- ₹.	1,42,12,79.98
36	4851- ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	18,18,59.49	- ₹.	18,18,59.49
37	4852- लौह एवं इस्पात उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	2,09,24.24	- ₹.	2,09,24.24
38	4853- अलौह खनन एवं धात्विक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	77,69.55	- ₹.	77,69.55
39	4854- सीमेन्ट एवं अधात्विक खनिज उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	24.06	- ₹.	24.06
40	4858- अभियांत्रिकी उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	1,25.23	- ₹.	1,25.23
41	4860- उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	31,33.77	- ₹.	31,33.77
42	4875- अन्य उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	6.01	- ₹.	6.01
43	4885- अन्य उद्योगों एवं खनिजों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	42,72.91	- ₹.	42,72.91
44	5054- सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	1,37,08,18.51	- ₹.	1,37,08,18.51
45	5055- सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	2,63,25.02	- ₹.	2,63,25.02
46	5056- अंतर्देशीय एवं जल परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	27,74.37	- ₹.	27,74.37
47	5275- अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	2.09	- ₹.	2.09

## परिशिष्ट-XIII-(जारी)

संघ शासित क्षेत्रों का पुनर्गठन- मर्दें जिनके लिए संघ शासित क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है- (जारी)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य आबंटित की जाने वाली राशि			
		पुनर्गठन के समय	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्तमान में	
(₹ लाख में)					
<b>पूँजीगत लेखा-(समाप्त)</b>					
48	5425- अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	1,59,33.59	- ₹.	1,59,33.59
49	5452- पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	22,84,77.74	- ₹.	22,84,77.74
50	5465- सामान्य वित्तीय एवं व्यापार संस्थानों में निवेश	₹.	6,08,19.24	- ₹.	6,08,19.24
51	5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	54,96,23.65	- ₹.	54,96,23.65
	<b>कुल पूँजीगत लेखा</b>	<b>₹.</b>	<b>10,30,00,75.44</b>	<b>- ₹.</b>	<b>10,30,00,75.44</b>
<b>ड- लोक ऋण-</b>					
1	6003- राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	₹.	4,54,29,09.06	- ₹.	4,54,29,09.06
2	6004- केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	₹.	12,37,12.40	- ₹.	12,37,12.40
	<b>कुल लोक ऋण</b>	<b>₹.</b>	<b>4,66,66,21.46</b>	<b>- ₹.</b>	<b>4,66,66,21.46</b>
<b>च- ऋण और अग्रिम-</b>					
1	6202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति हेतु ऋण	₹.	5,45.58	- ₹.	5,45.58
2	6210- चिकित्सा और जन स्वास्थ्य हेतु ऋण	₹.	1,92.53	- ₹.	1,92.53
3	6211- परिवार कल्याण हेतु ऋण	₹.	0.09	- ₹.	0.09
4	6216- आवास हेतु ऋण	₹.	7,09.54	- ₹.	7,09.54
5	6217- शहरी विका सहितु ऋण	₹.	28,20.32	- ₹.	28,20.32
6	6225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु ऋण	₹.	12.65	- ₹.	12.65
7	6235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु ऋण	₹.	98,44.98	- ₹.	98,44.98
8	6245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत हेतु ऋण	₹.	5,08.48	- ₹.	5,08.48
9	6250- अन्य समाज सेवाओं हेतु ऋण	₹.	13.17	- ₹.	13.17
10	6401- फसल पैदावार हेतु ऋण	₹.	19,32.67	- ₹.	19,32.67
11	6402- मृदा एवं जल संरक्षण हेतु ऋण	₹.	5.12	- ₹.	5.12
12	6403- पशुपालन हेतु ऋण	₹.	51.31	- ₹.	51.31
13	6404- डेयरी विकास हेतु ऋण	₹.	30.08	- ₹.	30.08
14	6406- वानिकी एवं वन्य जीवन हेतु ऋण	₹.	1.64	- ₹.	1.64

## परिशिष्ट-XIII-(जारी)

संघ शासित क्षेत्रों का पुनर्गठन- मर्दें जिनके लिए संघ शासित क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है-(जारी)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य आबंटित की जाने वाली राशि		
		पुनर्गठन के समय	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्तमान में
(₹ लाख में)				
<b>च- ऋण और अग्रिम-(समाप्त)</b>				
15	6425- सहकारिता हेतु ऋण	₹.	7,77.47	- ₹. 7,77.47
16	6435- अय कृषिगत कार्यक्रमों हेतु ऋण	₹.	12,66.58	- ₹. 12,66.58
17	6515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु ऋण	₹.	5.41	- ₹. 5.41
18	6575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों हेतु ऋण	₹.	1,43.14	- ₹. 1,43.14
19	6801- विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	₹.	85,04.81	- ₹. 85,04.81
20	6851- ग्राम एवं लघु उद्योगों हेतु ऋण	₹.	36,98.63	- ₹. 36,98.63
21	6853- अलौह खनन एवं धात्विक उद्योगों हेतु ऋण	₹.	1,98.16	- ₹. 1,98.16
22	6858- अभियांत्रिकी उद्योगों हेतु ऋण	₹.	33.84	- ₹. 33.84
23	6860- उपभोक्ता उद्योगों हेतु ऋण	₹.	10,04.11	- ₹. 10,04.11
24	6885- उद्योगों और खनिजों को अन्य ऋण	₹.	7,50,28.18	- ₹. 7,50,28.18
25	7055- सड़क परिवहन हेतु ऋण	₹.	6,05,07.80	- ₹. 6,05,07.80
26	7075- अन्य परिवहन सेवाओं हेतु ऋण	₹.	5,54.42	- ₹. 5,54.42
27	7452- पर्यटन हेतु ऋण	₹.	16,22.05	- ₹. 16,22.05
28	7475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण	₹.	18,73.72	- ₹. 18,73.72
29	7610- सरकारी सेवकों इत्यादि को ऋण	₹.	21,56.71	- ₹. 21,56.71
	<b>कुल ऋण और अग्रिम</b>	₹.	<b>17,40,43.19</b>	- ₹. <b>17,40,43.19</b>
<b>आकस्मिकता निधि-</b>				
1	8000- आकस्मिकता निधि	₹.	1,00.00	- ₹. 1,00.00
	<b>कुल आकस्मिकता निधि</b>	₹.	<b>1,00.00</b>	- ₹. <b>1,00.00</b>
<b>लोक लेखा-</b>				
1	8009- राज्य भविष्य निधियाँ	₹.	2,61,55,86.49	- ₹. 2,61,55,86.49
2	8011- बीमा और पेन्शन निधियाँ	₹.	10,05,75.13	- ₹. 10,05,75.13
3	8121- सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ	₹.	12,60,62.05	- ₹. 12,60,62.05
4	8222- ऋण शोधन निधियाँ	₹.	3,55,86.76	- ₹. 3,55,86.76
5	8223- अकाल राहत कोष	₹.	8,66.96	- ₹. 8,66.96

## परिशिष्ट-XIII-(समाप्त)

संघ शासित क्षेत्रों का पुनर्गठन- मर्दे जिनके लिए संघ शासित क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है- (समाप्त)				
क्र. सं.	लेखा शीर्ष	आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य आबंटित की जाने वाली राशि		
		पुनर्गठन के समय	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्तमान में
(₹ लाख में)				
<b>लोक लेखा-(समाप्त)</b>				
6	8226- मूल्यहास/ नवीकरणीय आरक्षित निधि	क्रे.	6,46,65.33	- क्रे. 6,46,65.33
7	8229- विकास और कल्याण निधियाँ	क्रे.	3,43,84.93	- क्रे. 3,43,84.93
8	8235- सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ	क्रे.	1,78,90.93	- क्रे. 1,78,90.93
9	8342- अन्य जमाएं	क्रे.	53,67.44	- क्रे. 53,67.44
10	8443- सिविल जमाएं	क्रे.	52,68,76.70	- क्रे. 52,68,76.70
11	8448- स्थानीय निधियों की जमाएं	क्रे.	10,18,16.64	- क्रे. 10,18,16.64
12	8449- अन्य जमाएं	क्रे.	5,73,62.51	- क्रे. 5,73,62.51
13	8550- सिविल अग्रिम	डे.	12,69.19	- डे. 12,69.19
14	8658- उचंत लेखे	डे.	3,44,14.18	- डे. 3,44,14.18
15	8671- विभागीय शेष	डे.	4,96.97	- डे. 4,96.97
16	8672- स्थायी रोकड़ अग्रदाय	डे.	12.59	- डे. 12.59
17	8673- नकद शेष निवेश लेखा	डे.	3,83,91.91	- डे. 3,83,91.91
18	8782- समान लेखा कार्यालय को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण और समायोजन	क्रे.	28,56,74.43	- क्रे. 28,56,74.43
19	8786- केन्द्र और राज्य सरकार के मध्य लेखा समायोजन	डे.	5,46.43	- डे. 5,46.43
20	8793- अंतर्राज्यीय उचंत लेखे	डे.	3,79.44	- डे. 3,79.44
21	8999- रोकड़ शेष	क्रे.	4,41,95.18	- क्रे. 4,41,95.18
<b>निवल लोक लेखा क्रे.</b>			<b>3,94,14,00.77</b>	<b>- क्रे. 3,94,14,00.77</b>





© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
2020  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)



<http://www.agjk.nic.in>